भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 3

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 3

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		(vii)
विहंगावलोकन		(ix)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के लेखे

निधियों के स्रोत व प्रयुक्ति	1.1	1
राजस्व प्राप्तियां	1.2	2
कर राजस्व	1.3	3
कर-भिन्न राजस्व	1.4	6
सहायता अनुदान और केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश	1.5	7
राजस्व व्यय	1.6	8
राजस्व अधिशेष/घाटा	1.7	11
पूंजीगत व्यय	1.8	11
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	1.9	12
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट	1.10	13
राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1.11	16
निवेश तथा प्रतिफल	1.12	17
राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां	1.13	19
सारांशित वित्तीय स्थिति	1.14	19
राज्य की परिसम्पत्तियां तथा दायित्व	1.15	26

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

बजट एवं व्यय	2.1	27
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	28
विभागीय आंकड़ों का समाधान	2.3	36
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.4	36

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

ग्रामीण विकास विभाग		
जवाहर रोजगार योजना	3.1	38
निष्फल व्यय	3.2	52

	परिच्छेद	पृष्ठ
उद्यान विभाग		
स्थानिक रोग क्षेत्र नियंत्रण स्कीम (सेब स्कैब)	3.3	53
राजस्व विभाग		
जिला समाहर्तालयों में वित्तीय प्रबन्ध	3.4	61
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
उपस्कर की अवप्रयुक्ति	3.5	65
भवन पर निरर्थक निवेश	3.6	66
निष्कार्य स्टाफ पर व्यय	3.7	66
दोषपूर्ण योजना के कारण परिहार्य व्यय	3.8	67
उद्योग विभाग		
व्यर्थ निवेश	3.9	68
अपूर्ण कार्य	3.10	68
शिक्षा विभाग		
रोकड़ प्रबन्ध में कमियां	3.11	69
आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान	3.12	70
जनशक्ति का कुप्रबन्ध	3.13	71
वन खेती तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग		
भू-अर्जन न करने के कारण निष्फल व्यय	3.14	72
खच्चरों पर व्यर्थ व्यय	3.15	72
कृषि-विभाग		
आलू बीज के उत्पादन पर हानि	3.16	73
विविध अनियमितताएं	3.17	74
उपदान का अनियमित भुगतान	3.18	75
गृह विभाग		
जनजातीय क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्रों की व्यवस्था न होना	3.19	76
भू-अभिलेख विभाग		
निधियों का अवरोधन	3.20	78
सामान्य		
शेष निरीक्षण प्रतिवेदन	3.21	79
बेकार उपस्कर	3.22	82
दुर्विनियोजन, गबन आदि	3.23	82

	परिच्छेद	पृष्ठ
चौथा अध्याय		
निर्माणकार्य व्यय		
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
सिंचाई स्कीमों पर निष्फल व्यय	4.1	84
तकनीकी सर्वेक्षण के बिना निर्माण के कारण निष्फल व्यय	4.2	87
लिफ्ट सिंचाई स्कीम, बोहलियों	4.3	89
सिंचाई संभाव्यता की अवप्रयुक्ति	4.4	90
परित्यक्त नलकूप	4.5	91
प्रवाह सिंचाई स्कीम पर निरर्थक व्यय	4.6	91
लोकनिर्माण विभाग		
दोषपूर्ण आयोजना के कारण कार्यों पर व्यर्थ व्यय	4.7	92
निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय	4.8	94
अनुचित आयोजना के कारण निरर्थक व्यय	4.9	97
पुल पर निष्फल व्यय	4.10	98
कवार गांव को लिंक सड़क	4.11	99
सांविदिक प्रावधानों की अननुपालना के कारण अतिरिक्त व्यय	4.12	100
मूल्यवृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान	4.13	101
ठेकेदार को अनुचित सहायता	4.14	101
परिहार्य हानि	4.15	103
प्रतिधारक दीवार टूटने से क्षति	4.16	104
भू-अर्जन कार्यालय, कुल्लू का कार्यचालन	4.17	105
नकद समाधान उचन्त लेखा	4.18	107
अपूर्ण कार्य	4.19	113
ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.20	114
पाचवां अध्याय		
भण्डार एवं स्टॉक		
लोकनिर्माण विभाग		
मशीनरी एवं कार्यशालाओं का कार्यचालन	5.1	116
ईंधनकाष्ठ की अधिक खपत	5.2	130
भण्डार-न्यूनताएं	5.3	131
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
अप्रयुक्त मशीनरी	5.4	132
सामग्री का दुर्विनियोग	5.5	133

	परिच्छेद	पृष्ठ
भण्डार-न्यूनताएं/जाली खपत	5.6	134
भण्डार सामग्री के अधिक क्रय के कारण व्यर्थ निवेश	5.7	135
सामग्री देने में अनियमितताएं	5.8	135
लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
सामग्री की अविवेकपूर्ण खरीद	5.9	136
कृषि विभाग		
कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री की आपूर्ति	5.10	137
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
दवाइयों की अधिक खरीद से हानियां	5.11	141
वन कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग		
भण्डार न्यूनताएं	5.12	142

छठा अध्याय
स्थानीय निकायों व अन्य को वित्तीय सहायता

सामान्य	6.1	143
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, की धारा-14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा	6.2	146
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, की धारा-15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा	6.3	165
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, की धारा-19 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा	6.4	168

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले	175
परिशिष्ट-II	निधियों का अभ्यर्पण	176
परिशिष्ट-III	वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं	177
परिशिष्ट-IV	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले	178
परिशिष्ट-V	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	181
परिशिष्ट-VI	फफूंदनाशकों की मांग व आपूर्ति में समन्वय दर्शाने वाली विवरणी	182
परिशिष्ट-VII	बेकार उपस्कर के ब्यौरे	183
परिशिष्ट-VIII	प्रवर्तक व प्रत्यर्थी मण्डलों की शेष राशियों में अन्तर दर्शाने वाली विवरणी	185
परिशिष्ट-IX	वन भूमि पड़ने के कारण रुके सड़क निर्माणकार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	187
परिशिष्ट-X	अपूर्ण निर्माण कार्य दर्शाने वाली विवरणी	191
परिशिष्ट-XI	अपूर्ण भवन निर्माण कार्य दर्शाने वाली विवरणी	194
परिशिष्ट-XII	बेकार उपस्कर के विवरणों को दर्शाने वाली विवरणी	196
परिशिष्ट-XIII	बकाया पड़ी अग्रिम राशियां	197

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संख्या-3, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यत: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1993-94 के विनियोग लेखाओं से प्रकट हुए मामलों से सम्बन्धित है। इसमें वर्ष 1993-94 के वित्त लेखाओं से उद्‌भूत कुछ रुचिकर प्रसंग भी सम्मिलित हैं।

2. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा की टिप्प्णियों के प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 1993-94 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामलों तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए किन्तु पिछले प्रतिवेदन में स्थान न पा सकने वाले मामलों में से हैं। आवश्यकतानुसार वर्ष 1993-94 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बद्ध मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1993-94 के वित्त तथा विनियोग लेखाओं पर और चार अन्य अध्याय शामिल है जिनमें कुछ चयनित कार्यक्रमों व क्रियाकलापों तथा सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित 4 समीक्षाएं और 55 परिच्छेद समाविष्ट हैं। प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत है।

1. राज्य सरकार के लेखे

** यद्यपि वर्ष 1988-94 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 110 प्रतिशत वृद्धि हुई किन्तु इसी अवधि में राजस्व व्यय केवल 76 प्रतिशत बढ़ा। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 93.08 करोड़ रु० के राजस्व घाटे की अपेक्षा वर्ष 1993-94 के लेखाओं का समापन 113.63 करोड़ रु० के राजस्व अधिशेष के साथ हुआ। जो मुख्यतः सहायता अनुदानों में 311.47 करोड़ रु० की वृद्धि के कारण था।

** यद्यपि राजस्व व्यय (आयोजनेतर तथा योजनागत दोनों) में वर्ष 1992-93 की तुलना में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकिन पूंजीगत व्यय केवल 7 प्रतिशत ही बढ़ा।

** राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1988-89 में 698.38 करोड़ रु० से 110 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1993-94 में 1465.13 करोड़ रु० हो गई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान जुटाया गया कर राजस्व (255.74 करोड़ रु०) तथा कर-भिन्न राजस्व (120.61 करोड़ रु०) कुल राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 17.46 प्रतिशत तथा 8.23 प्रतिशत था। वर्ष 1988-94 के दौरान कर राजस्व प्राप्तियों में 118.10 करोड़ रु० से 255.74 करोड़ रु० उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 के दौरान कर-राजस्व में बढ़ौतरी 15 प्रतिशत थी।

** वर्ष 1993-94 (120.61 करोड़ रु०) के दौरान वर्ष 1992-93 (66.78 करोड़ रु०) के कर-भिन्न राजस्व पर 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

** वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 25.69 प्रतिशत (कर राजस्व 17.46 प्रतिशत तथा कर-भिन्न राजस्व 8.23 प्रतिशत) जुटा पाया और अधिकतर केन्द्रीय सरकार से अनुदानों तथा संघीय करों व शुल्कों में अपने हिस्से पर आश्रित रहा, जो कुल राजस्व का क्रमशः 54.55 प्रतिशत तथा 19.76 प्रतिशत था। संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1988-89 में 176.38 करोड़ रु० से उत्तरोत्तर बढ़कर 1993-94 में 289.52 करोड़ रु० हो गया। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से अनुदान 336.50 करोड़ रु० से 799.26 करोड़ रु० होने के कारण 138 प्रतिशत बढ़ गया।

** राज्य का आन्तरिक ऋण वर्ष 1988-89 के अन्त में 87.39 करोड़ रु० से 1993-94 के अन्त तक 298.01 करोड़ रु० होने से 241 प्रतिशत बढ़ गया। केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में 514.47 करोड़ रु० (100 प्रतिशत) तथा अन्य दायित्वों में 390.26 करोड़ रु० (179 प्रतिशत) की वृद्धि सहित राज्य सरकार के कुल दायित्व (1935.58 करोड़ रु०) में वर्ष 1988-89 (820.23 करोड़ रु०) के दायित्व पर 136 प्रतिशत वृद्धि हुई।

** ऋण भार के कारण राज्य सरकार के ब्याज दायित्व में वृद्धि हुई, जो वर्ष 1988-89 में 69.01 करोड़ रु० से 204 प्रतिशत बढ़कर 1993-94 में 209.65 करोड़ रु० हो गया। इस कारण निधियों का बहिर्वाह 1988-89 में राजस्व व्यय का 9 प्रतिशत से उत्तरोत्तर बढ़कर 1993-94 में 16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी तथा उस पर ब्याज अदायगी प्राप्त किये गये नए ऋणों एवं अग्रिमों से 29.16 करोड़ रु० बढ़ गई जिससे अन्तर्वाह ऋणात्मक रहा।

** अर्थोपाय अग्रिम से तथा ओवरड्राफ्टों के रुप में वर्षान्त में क्रमशः 16.87 करोड़ रु० तथा 51.48 करोड़ रु० बकाया थे।

** विभिन्न सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में सरकार का निवेश वर्ष 1988-89 के अन्त में 141.02 करोड़ रु० से बढ़कर 1993-94 के अन्त में 295.78 करोड़ रु० हो गया। परन्तु केवल 0.34 करोड़ की अल्प राशि 1993-94 के दौरान लाभांश के रुप में प्राप्त की गई थी। निवेशों पर प्रतिफल सरकार द्वारा उधार ली गई राशियों पर देय ब्याज की अपेक्षा पर्याप्त कम था।

** विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा लिए गए ऋणों के भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां 31 मार्च 1989 को 442.98 करोड़ रु० से बढ़कर 31 मार्च 1994 को 819.71 करोड़ रु० हो गई। पांच वर्ष की उसी अवधि में बकाया राशियां 313.28 करोड़ रु० से बढ़कर 483.25 करोड़ रु० तक होने पर 54 प्रतिशत बढ़ी।

** राज्य सरकार द्वारा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों की बकाया राशि 1988-89 के अंत में 416.08 करोड़ रु० की तुलना में 31 मार्च 1994 को 598.01 करोड़ रु० थी। राज्य सरकार द्वारा 1988-89 से 1993-94 तक की छः वर्ष की अवधि के दौरान संवितरित निवल ऋण तथा अग्रिम दीर्घावधि ऋणों से निवल प्राप्तियों के 15 तथा 55 प्रतिशत के बीच रहे।

** कुछ विभागों द्वारा यथा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उन ऋणों तथा अग्रिमों, जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वयं रखे जाते हैं, के प्रति 31 मार्च 1994 को 2.61 करोड़ रु० वसूली हेतु अतिदेय थे जिनमें 1.41 करोड़ रु० का ब्याज भी सम्मिलित था।

(परिच्छेद 1.1 से 1.15)

2. विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

** 1993-94 के दौरान 53 मामलों में कुल बचतें 128.12 करोड़ रु० थीं। परंतु 16 मामलों में राज्य सरकार का व्यय बजट प्रावधान से 847.47 करोड़ रु० बढ़ गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत व्यय के आधिक्य को नियमित करने की आवश्यकता है।

** वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त 180.04 करोड़ रु० का अनुपूरक प्रावधान 1831.07 करोड़ रु० के मूल बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत था। 9 मामलों में वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 7.95 करोड़ रु० का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।

** 17 अनुदानों तथा एक विनियोग में प्रत्येक मामले में 50 लाख रु० तथा उससे भी अधिक कुल 124.98 करोड़ रु० (21 मामले) की बचतें हुईं।

** 1991-92 से 1993-94 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान 9 अनुदानों तथा 1 विनियोग (11 मामले) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से लेकर 2,884 प्रतिशत के बीच निरन्तर बचत/आधिकता रही।

** 16 अनुदानों तथा 10 विनियोगों के अन्तर्गत कुल 20.42 करोड़ रु० की बचतें सम्बद्ध विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं की गई थी। दूसरी ओर 19 मामलों में अभ्यर्पण के लिए उपलब्ध केवल 26.60 करोड़ रु० की बचतों के प्रति 46.33 करोड़ रु० की राशि वस्तुतः अभ्यर्पित की गई थी। 8 अनुदानों में 2.40 करोड़ रु० अभ्यर्पित किए गए थे यद्यपि व्यय अनुदान से अधिक था तथा कोई बचतें उपलब्ध नहीं थीं। ये उदाहरण अपर्याप्त बजट नियन्त्रण के द्योतक थे।

(परिच्छेद 2.1 तथा 2.2)

3. जवाहर रोजगार योजना

बेरोजगार तथा अल्प रोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करके ग्रामीण निर्धनता की जटिल समस्या से निपटने हेतु राज्य में जवाहर रोजगार योजना का आरम्भ अप्रैल 1989 में किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जीवनस्तर में समग्र सुधार करना था। इस कार्यक्रम पर 1989-94 के दौरान 58.49 करोड़ रु० का व्यय किया गया था।

6 जिलों के 27 खण्डों में इस स्कीम के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा समीक्षा के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण बातें नीचे सारांशित है:

** कार्यक्रम के अन्तर्गत यथापेक्षित लक्ष्य वर्गों की पहचान हेतु सर्वेक्षण 1991-92 तक नहीं किया गया था। इसी प्रकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व तैयार की जानी अपेक्षित "शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्रवाई योजना यथासमय तैयार नहीं की गई थी।

** जवाहर रोजगार योजना निधियों की जमा राशियों पर प्रोदभूत 9.08 लाख रु० का ब्याज 18 खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा पुनरावर्तन हेतु परियोजना अधिकारियों को प्रेषित नहीं किया गया था जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित था।

** रोजगार सृजन के प्रतिवेदित आंकड़ों के अनुसार लक्ष्यों को पार कर लिया गया था। परंतु परियोजना मानकों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर से विभाजित कार्यों के कल्पित 50/60 प्रतिशत मजदूरी घटक पर आधारित होने के कारण ये आंकड़े भ्रामक थे। सोलन जिले के तीन खण्डों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रतिवेदित 1,26,438 श्रम दिवसों के प्रति वास्तविक सृजित रोजगार 77,961 प्रदर्शित किया। इस प्रकार प्रतिवेदित आंकड़े अधिकांश बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए थे। सामान्यतः निष्पादित निर्माण कार्यों का सामग्री घटक मानक 50/40 प्रतिशत के प्रति 69 तथा 78 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न था।

** भारत सरकार द्वारा 11,200 टन खाद्यान्नों के आबंटन के प्रति राज्य सरकार द्वारा केवल 4,820 टन खाद्यान्न ही उठाए गए जिनमें से 3,506 टन श्रमिकों को वितरण हेतु प्रयुक्त किए गए थे।

** विभिन्न पंचायतों को जारी किए गए 5.19 लाख रु० की लागत के उच्च घनत्व पोलीथीन पाईपों की प्रयुक्ति के ब्यौरे खण्ड विकास अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे।

** शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर खर्च की गई 6.95 लाख रु० की राशि इस कार्यक्रम को अनियमित रुप से प्रभारित की गई थी जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए प्रावधित थी।

(परिच्छेद 3.1)

4. स्थानिक रोग क्षेत्र नियन्त्रण स्कीम (सेब स्कैब)

स्थानिक रोग क्षेत्र नियन्त्रण स्कीम (सेब स्कैब) सेब स्कैब के नियन्त्रण हेतु राज्य में 1977 के दौरान आरम्भ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य छिड़काव कार्यक्रमों को तैयार करना, स्कैब विरोधी फफूंदनाशकों का प्रावधान आदि जैसे समायोचित नियन्त्रण उपायों को अपनाकर बीमारी को आर्थिक सीमा के अन्तर्गत रखना था। स्कीम पर 1989-94 के बीच 5.29 करोड़ रु० खर्च किए गए थे।

स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना-जांच ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न तथ्य उद्घाटित किए:-

** 1989-90 से 1993-94 तक 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक की अवधि में सेब स्कैब को नियंत्रित करने के लिए फफूंदनाशकों के छिड़काव के अन्तर्गत लाये क्षेत्र में लक्ष्यों की तुलना में भारी कमी आयी। यह कमी 34 से 44 प्रतिशत तक थी।

** क्षेत्रीय इकाइयों को फफूंदनाशकों की आपूर्ति के लिए वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी की ओर से कोई प्रभावी समन्वय नहीं था जिसके फलस्वरुप कुछ इकाइयों में फफूंद-नाशकों का संचय हो गया और उनकी भण्डारण अवधि उपयोग में लाने से पहले ही समाप्त हो गयी।

** 36.09 लाख रु0 के उपदान युक्त फंफूदनाशक लाभग्राहियों के हक का सत्यापन किए बिना बेचे गए।

** स्कैबीसाईड जो कि एक विशेष प्रकार का फफूंदनाशक है, उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था परन्तु स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा 54.50 लाख रु0 के मूल्य से उपार्जित किया गया। इस पर निगम को 27.25 लाख रु0 का उपदान भी दिया गया। इसके अलावा 1,944 किलोग्राम फफूंदनाशक बागवानों को बेचा गया।

** फफूंदनाशकों की 15.34 लाख रु0 की कमी का न ही समाधान किया गया और न ही इसे वसूल किया गया।

** योजना 17 वर्ष पूर्व आरम्भ की गयी थी। योजना के व्यापक प्रभावों को जानने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.3)

5. मशीनरी तथा कार्यशालाओं का कार्यचालन

5 यांत्रिक तथा 19 सिविल मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित 1989-90 से 1993-94 की अवधि के लिए लोकनिर्माण विभाग की मशीनरी तथा कार्यशाला के कार्यचालन की संमीक्षा से निम्न बातों का पता चला:-

** विभाग द्वारा कार्यों पर व्यय में स्थापना व्यय की प्रतिशतता के लिए कोई भी मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 1989-90 से 1993-94 तक स्थापना के वेतन एवं भत्तों के लिए यांत्रिक वृत तथा 5 यांत्रिक मण्डलों द्वारा 581.82 लाख रु0 व्यय किए गए। यह किए गए कार्यों की मात्रा का 33 प्रतिशत था।

** खरीदी गई सात मशीनों का अभीष्ट उपयोग नहीं किया जा सका तथा उन पर 16.50 लाख रु० का निवेश व्यर्थ सिद्ध हुआ।

** सरकार की स्वीकृति के बिना मार्च 1979 में 45.68 लाख रु० की लागत पर 8 बुलडोजरों की खरीद 15 वर्ष बीत जाने पर भी नियमित नहीं की गई थी।

** मशीनरी के किराया प्रभारों के रुप में 30 लाख रु० की राशि या तो वसूल नहीं की गयी अथवा कम मात्रा में वसूल की गयी थी।

** मशीनरी की भारी अल्पप्रयुक्ति थी। अल्पप्रयुक्ति की प्रतिशतता 13 से 99 के मध्य थी।

** मुख्य अभियन्ता के अनुदेशों के विपरीत 5 मण्डलों द्वारा 203.80 लाख रु० की लागत के अतिरिक्त कलपुर्जे स्थानीय बाजार से खरीदे गए तथा 7 मण्डलों द्वारा 125.71 लाख रु० मूल्य के कार्य निजी अभिकरणों से करवाए गए।

** कार्यशालाओं/मशीनरी को चलाने पर 1993-94 की समाप्ति तक 776.07 लाख रु० की संचित हानि हुई।

(परिच्छेद 5.1)

6. **डा० वाई० एस० परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन)**

नवम्बर 1993 से फरवरी 1994 के दौरान विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्न तथ्यों का पता चला:-

** दिसम्बर 1985 में इसके स्थापित होने से अब तक तुलनपत्र नहीं बनाया गया था।

** "फलों तथा सब्जियों के घरेलू स्तर पर संरक्षण पर प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत 5 दिन की अवधि के 1200 कैम्पों में 36,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना था। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा 464 कैम्पों में 22,272 व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित किया गया और वह भी 1 से 2 दिन की अवधि के लिए। कैम्प लगाने की संख्या में कमी 61 प्रतिशत थी तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के संदर्भ में यह कमी 38 प्रतिशत थी।

** धर्मार्थ, वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा शैक्षणिक उद्देश्यों पर प्रयुक्ति हेतु वर्ष 1989-90 तथा 1992-93 के मध्य फोर्ड फॉऊण्डेशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए 28.74 लाख रु० में से 14.83 लाख रु०, स्कीम में प्रावधान न होने पर भी मशीनरी तथा उपकरण पर खर्च किए गए।

** मरम्मतों आदि में विलम्ब जैसे कारणों से 42.59 लाख रु0 की मशीनरी तथा उपकरण फरवरी 1994 तक बेकार पड़े थे।

(परिच्छेद 6.2.2)

7. जिला समाहर्तालयों में वित्तीय प्रबन्ध

** वित्तीय नियमों के विपरीत, विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ रखी गई निधियां सभी उपायुक्तों (लाहौल तथा स्पीति और किन्नौर के उपायुक्तों को छोड़कर) के अधीन कार्यरत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सरकारी लेखे से आवश्यकताओं से पर्याप्त पूर्व आहरित की गईं तथा बैंक खातों में रखी गई। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इन लेखाओं में नकद शेष 3.57 करोड़ रु0 और 13.26 करोड़ रु0 के मध्य रहा। प्रसंगावश उसी अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य का न्यूनतम नकद शेष का अनुरक्षण नहीं किया जा सका तथा राज्य सरकार को वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः 1.55 करोड़ रु0 तथा 2.96 करोड़ रु0 के ब्याज के अनुवर्ती भुगतान सहित 232 दिनों तथा 218 दिनों के लिए ओवर-ड्राफ्ट पर निर्भर रहना पड़ा।

** निर्धारित नियमों/प्रक्रिया के अननुपालन के कारण उपायुक्त चम्बा तथा शिमला के कार्यालयों में 23.50 लाख रु0 की अलेखाबद्धता और नकदी के संभाव्य दुर्विनियोजन का पता चला।

(परिच्छेद 3.4)

8. उपकरण की अवप्रयुक्ति

** चिकित्सा दवाइयों, खाद्य वस्तुओं, द्रव्यों, आदि के नमूनों के विश्लेषण के लिए संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट के लिए 13.91 लाख रु0 मूल्य से जनवरी 1990 में आयात की गई दो अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग कर्मियों की कमी तथा संदर्भ मानकों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा रहा था।

(परिच्छेद 3.5)

9. भवन पर व्यर्थ निवेश

** 62.99 लाख रु0 की लागत से मार्च 1992 में लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किए गए क्षेत्रीय अस्पताल, धर्मशाला के "सी" ब्लॉक की आधी द्वितीय मंजिल तथा पूरी तीसरी पंजिल प्रयुक्त नहीं की जा रही थी, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धर्मशाला द्वारा मांगे गए स्टॉफ की अस्वीकृति तथा उपकरण की कमी के कारण क्षेत्रीय अस्पताल में अतिरिक्त बिस्तरों को नहीं लगाया जा सका।

(परिच्छेद 3.6)

10. **व्यर्थ निवेश**

** वर्ष 1987-89 के दौरान कुल 27.61 लाख रु0 की लागत से औद्योगिक क्षेत्र तहलीवाला (ऊना जिला) में उद्योग विभाग द्वारा विकसित 46 प्लॉट तथा 9 शैड मांग के अभाव में खाली पड़े थे।

** कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस में 39.85 लाख रु0 की लागत से विकसित 14 औद्योगिक प्लॉटों को उनके ऊपर से हाई टैन्शन विद्युत तार गुजरने के कारण आबंटित नहीं किया जा सका।

(परिच्छेद 3.9)

11. **उपदान का अनियमित भुगतान**

** किसानों को मक्का शैलरों की आपूर्ति पर 6.39 लाख रु0 के उपदान का अनियमित भुगतान किया गया। भारत सरकार के मार्गनिदेशानुसार उपदान केवल विद्युतचालित बहुफसली थ्रैशरों पर ही अनुमत था।

(परिच्छेद 3.18)

12. **निधियों का अवरोधन**

** राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा राज्य में भू अभिलेखों को अद्यतन बनाने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत निदेशक भू-अभिलेख को वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उपलब्ध करवाए गए 220 लाख रु0 में से 49.55 लाख रु0 बैंकों में अप्रयुक्त पड़े थे।

** राजस्व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 50 लाख रु0 उपलब्ध करवाने पर भी नहीं की गई। यहां तक कि जुलाई 1994 तक निर्माण स्थल का चयन भी नहीं किया गया।

** बन्दोबस्त अधिकारी, शिमला तथा कांगड़ा को चार थियोडोलाईट मशीनें क्रय करने के लिए 28 लाख रु0 उपलब्ध करवाए गए थे। तथापि, मशीन चलाने हेतु प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव में मशीनों की खरीदी नहीं की गई।

(परिच्छेद 3.20)

13. **सिविल निर्माण कार्यों तथा सिंचाई स्कीमों पर निष्फल व्यय**

** सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 सिंचाई स्कीमों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर किया गया 26.19 लाख रु0 का व्यय, स्रोत पर जल की कमी तथा उठाऊ सिंचाई स्कीम की

उपयुक्तता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण, निष्फल रहा।

(परिच्छेद 4.1)

** लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 सड़कों, 3 पुलों, 2 खेल मैदानों तथा एक भवन पर किया गया 89.02 लाख रु0 का व्यय अपेक्षित लाभ नहीं दे सका क्योंकि या तो कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे अथवा सम्बद्ध पुलों, संड़कों का निर्माण न करने, भूमि स्वामित्व के झगड़े, निधियों की कमी तथा अन्तर्विभागीय समन्वय में कमी के कारण इनका वांछित उपयोग नहीं किया जा सका।

(परिच्छेद 4.8, 4.10 तथा 4.11)

14. सिंचाई क्षमता की अवप्रयुक्ति

** वर्ष 1980-81 तथा 1990-91 के मध्य 12 मण्डलों द्वारा पूर्ण की गई 15 सिंचाई स्कीमों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर किया गया 232.35 लाख रु0 का व्यय सिंचाई क्षमता की 93 से 98 प्रतिशत तक अवप्रयुक्ति के कारण अधिकतर निष्फल रहा।

(परिच्छेद 4.4)

15. परिहार्य हानि

** अत्यधिक वर्षा के कारण पुल को हुई क्षति की मरम्मत में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप 15 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई तथा बचाव कार्यों पर पहले ही किया गया 11.20 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ रहा।

(परिच्छेद 4.15)

16. अपूर्ण-कार्य

** 189.72 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात् 40 सड़क निर्माण कार्य, 1 पुल, 6 भवन तथा 1 खेल स्टेडियम के कार्य अधूरे पड़े थे। ये कार्य वन भूमि के शामिल होने, निजी भूमि का अधिग्रहण न करने, सड़क की सीध में पुल का निर्माण न करने, धन के अभाव तथा ठेकेदार द्वारा कार्य के परित्याग के कारण रुके हुए थे। अलग-अलग मामलों में 12 और 216 महीने की अवधि के मध्य विलम्ब था।

(परिच्छेद 4.19)

17. सामग्री का अभाव

** 5 कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा उनके स्थानांतरण के समय 7.22 लाख रुपये के मूल्य की सामग्री या तो अपने उत्तराधिकारियों को सौंपी ही नहीं गई अथवा कम सौंपी गई।

(परिच्छेद 5.3 तथा 5.6)

18. **अप्रयुक्त मशीनरी**

** एक मण्डल द्वारा खरीदे गए 5.79 लाख रुपये की लागत के दो पम्प सैट और आठ बहु-प्रवाह वाटर फिल्टर निर्दिष्ट लिफट सिंचाई/जलापूर्ति स्कीम पर प्रतिष्ठापित नहीं किए गए और क्रमशः 7 और 4 वर्षों से अधिक अवधि से अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 5.4)

19. **मत्स्य बीज फार्म, दयोली पर निष्फल व्यय**

** मत्स्य बीज फार्म, दयोली की स्थापना पर अगस्त 1986 तक किया गया 15.86 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। निर्माण कार्यों को बाढ़ से हुई क्षति के कारण फार्म पर कार्य सम्पूर्ण नहीं किया जा सका जो कार्य स्थल की उचित जांच किए बिना निष्पादित किया गया था।

(परिच्छेद 6.2.3)

20. **निर्माण कार्यों पर कर का अस्वाकार्य भुगतान**

** यद्यपि करारनामें के अनुसार निर्माण कार्यों पर कर ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था, फिर भी शिमला विकास प्राधिकारण द्वारा ठेकेदार को 4.92 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 6.2.4)

21. **पंजीरी संयंत्र स्थापित करने पर निष्फल व्यय**

** परियोजना की व्यवहार्यता तथा सभी भारों से मुक्त उपयुक्त भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना राज्य बाल कल्याण परिषद् द्वारा जिला शिमला के हीरानगर में पंजीरी संयंत्र पर किया गया 6 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा जिससे लाभग्राही अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

(परिच्छेद 6.2.7)

22. **हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला**

** बोर्ड अधिकारियों द्वारा मामलों का उचित मूल्यांकन किए बिना तीन पार्टियों, मण्डी, सिरमौर तथा ऊना जिले में प्रत्येक में एक, को उद्योग स्थापित करने के लिए 9.89 लाख रु0 के ऋण व अनुदान स्वीकृत किए गए। इसके फलस्वरुप अप्रैल 1994 को 7.54 लाख रु0 (मार्च 1994 तक) के ब्याज के अलावा कुल 9.89 लाख रु0 के ऋण एवं अनुदानों की वसूली नहीं हुई।

** एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बंधित परिवारों के लिए विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 1145 ऋणियों को वितरण हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1989-90 के दौरान 50.35 लाख रु० के ऋण तथा 16.28 लाख रु० के अनुदानों के आबंटन के प्रति बोर्ड ने 235 लाभग्राहियों को केवल 10.98 लाख रु० के ऋण के तथा 6.05 लाख रु० के अनुदान वितरित किए।

** बोर्ड ने आयोग की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर समय पर नहीं दिया जिसके कारण प्रमाण पत्र समीति, लखनऊ द्वारा छूट के दावों के साथ प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया। इसके फलस्वरुप् 1982-83 से 1987-88 की अवधि से सम्बंधित 24.79 लाख रु० के दावे समय-वाधित हो गये तथा आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए।

** कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं को 1973 तथा 1993 के मध्य दिये गये 73.97 लाख रु० के अग्रिमों का समायोजन मार्च 1993 तक प्रतीक्षित था।

(परिच्छेद 6.4)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के लेखे

1.1 निधियों के स्रोत व प्रयुक्ति

निम्नांकित विवरणी में वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन निधियों के स्रोतों तथा उनकी प्रयुक्ति के ब्यौरे निहित हैं :-

स्रोत (प्राप्तियां)	(करोड़ रुपए)	प्रयुक्ति (व्यय)	(करोड़ रुपए)
कर राजस्व	255.74	राजस्व व्यय	1351.50**
कर-भिन्न राजस्व	120.61		
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	799.26	पूंजीगत व्यय	220.37**
संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश-	289.52		
निगम कर से	45.97*		
भिन्न आय पर कर			
संघीय उत्पाद शुल्क	243.55		
अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफटों को छोड़कर)	245.96	अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण का निर्वहन (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफटों को छोड़कर)	211.42
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	146.05	केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों का निर्वहन	57.32

---

* 0.01 करोड़ रु0 का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

** ये निवल आंकड़े हैं जिसमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 103.21 करोड़ रु0; पूंजीगत व्यय: 45.18 करोड़ रु0 तथा ऋण व अग्रिम : 0.30 करोड़ रु0 की कटौती में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

स्रोत (प्राप्तियां)	(करोड़ रुपए)	प्रयुक्ति (व्यय)	(करोड़ रुपए)
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	8.09	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	53.49**
लोक लेखे के अन्तर्गत शुद्ध प्राप्तियां	104.50	भारततीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट में ह्रास	91.94
नकद शेष निवेश लेखा, विभागीय नकद शेष, स्थायी अग्रिम आदि सहित नकद शेष में शुद्ध ह्रास	16.31		
जोड़	1986.04		1986.04

राज्य सरकार की वित्त स्थिति मोटे तौर पर अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषित है।

1.2 **राजस्व प्राप्तियां**

1.2.1 वर्ष 1993-94 में समाप्त छः वर्षों के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नवत थीं:-

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आंकड़े	गत वर्ष में राजस्व-प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)		
1988-89	663.35	790.43	698.38	7
1989-90	817.83	748.04	721.23	3
1990-91	779.55	843.45	806.63	12
1991-92	936.42	994.07	992.42	23
1992-93	1889.89	1875.87	1052.49	6
1993-94	1151.07	1435.74	1465.13	39

** ये निवल आंकड़े हैं जिसमें व्यय अर्थात राजस्व व्ययः 103.21 करोड़ रु०; पूंजीगत व्ययः 45.18 करोड़ रु० तथा ऋण व अग्रिमः 0.30 करोड़ रु० की कटौती में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

1.2.2 वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक विभिन्न स्रोतों से राजस्व वसूलियों व राज्य के कुल राजस्व में उनके योगदान की स्थिति निम्नांकित चार्ट में प्रदर्शित है:

राजस्व स्रोत

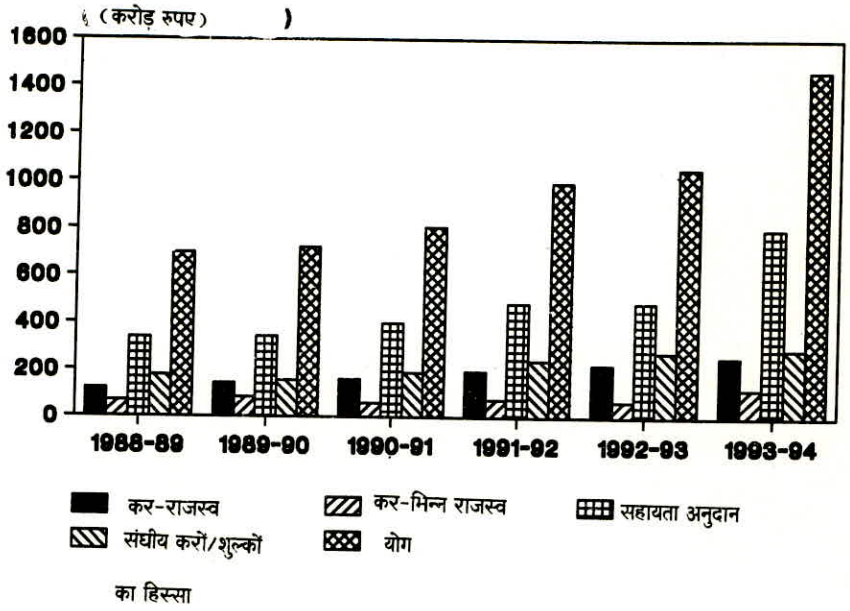

विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियों का अधिक विस्तृत विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में निहित है।

1.3 कर राजस्व

1.3.1 राज्य सरकार का कर-राजस्व वर्ष 1992-93 के 221.68 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 255.74 करोड़ रु० हो गया जो 15 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करता है।

1.3.2 वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक विभिन्न करों व शुल्कों से वसूलियों को निम्नांकित तालिका में विश्लेषित किया गया है :

वर्षबद्ध कर राजस्व

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपए)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
1988-89	118.10	14
1989-90	141.96	20
1990-91	160.90	13
1991-92	192.93	20
1992-93	221.68	15
1993-94	255.74	15

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
	(क रो ड़ रु प ए)					
बिक्री कर	44.86	52.59	62.11	66.90	75.20	93.88
	(38)	(37)	(39)	(35)	(34)	(37)
राज्य	36.06	42.40	54.21	66.25	75.78	83.53
आबकारी	(31)	(30)	(34)	(34)	(34)	(33)
वाहनों पर	5.27	6.47	6.59	8.78	9.88	11.56
कर	(4)	(5)	(4)	(5)	(5)	(4)
माल व	19.59	21.49	22.13	26.98	28.63	35.22
यात्रियों	(17)	(15)	(14)	(14)	(13)	(14)
पर कर						
विद्युत पर	1.57	5.00	1.81	2.76	5.27	2.10
कर एवं	(1)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)
शुल्क						
भू-राजस्व	0.43	0.88	0.80	0.90	1.59	1.01
	(-)	(1)	(-)	(1)	(1)	--
स्टाम्प एवं	4.38	4.99	5.49	7.98	9.53	10.19
पंजीकरण	(4)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
फीस						
वस्तुओं व	5.94	8.14	7.76	12.38	15.80	18.25
सेवाओं पर	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(7)
अन्य कर						
एवं शुल्क						
जोड़	118.10	141.96	160.90	192.93	221.68	255.74
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

टिप्पणी:-कोष्ठकों के आंकड़े कुल कर-राजस्व पर प्रत्येक कर की प्रतिशतता दशति हैं।

1.3.3 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान कर राजस्व संग्रहण में 34.06 करोड़ रु0 की वृद्धि मुख्यत: राज्य आबकारी (7.75 करोड़ रु0), बिक्री कर (18.68 करोड़ रु0), माल व यात्रियों पर कर एवं शुल्क (6.59 करोड़ रु0), तथा वाहनों पर कर (1.68 करोड़ रु0) से अतिरिक्त वसूलियों के कारण थी।

1.3.4 गत छः वर्षों में कर राजस्व के मुख्य स्रोतों की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित है :-

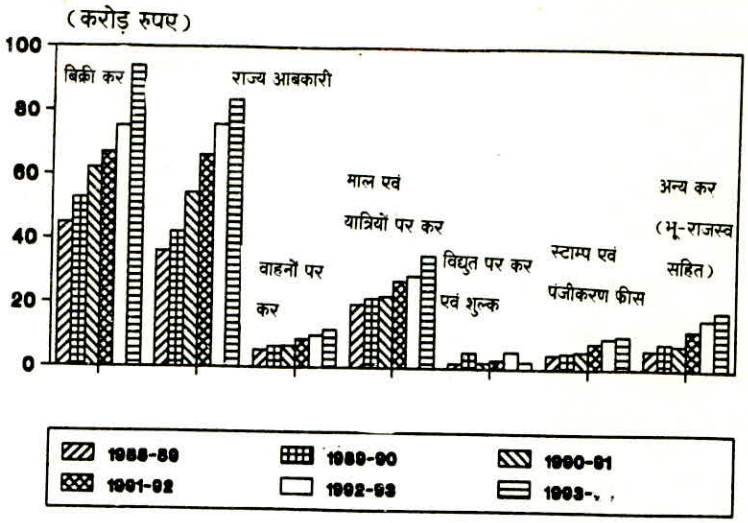

जबकि कुल कर राजस्व में बिक्री कर का अंशदान वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य 38 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत हो गया फिर भी यह कुल राजस्व में मुख्य अंशदानी था।

1.3.5 बजट आकलनों व संशोधित आकलनों की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कर राजस्व की वसूली के विश्लेषण से महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता चला। ये भिन्नताएं संशोधित आकलनों की तुलना में भी विद्युत पर कर एवं शुल्क के लिए (-) 65 प्रतिशत तथा भू राजस्व के लिए 55 प्रतिशत तक उच्च थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे सारणीकृत हैं:-

			1993-94		
1992-93 के वास्त-	राजस्व	बजट	संशोधित	वास्तविक	संशोधित आकलनों में सन्दर्भ
विक आंकड़े	शीर्ष	आकलन	आकलन	आंकड़े	में भिन्नता की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)			
1.59	भू राजस्व	0.63	0.65	1.01	(+)55
9.53	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	8.80	8.03	10.19	(+)27
75.78	राज्य आबकारी	73.04	73.53	83.53	(+)14
75.20	बिक्री कर	88.03	80.98	93.88	(+)16
5.27	विद्युत पर कर एवं शुल्क	6.00	6.00	2.10	(-)65
15.80	वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	13.79	13.79	18.25	(+)32
28.63	माल व यात्रियों पर कर	32.65	30.07	35.22	(+)17

1.4 कर-भिन्न राजस्व

1.4.1 राज्य सरकार का कर-भिन्न राजस्व 1992-93 में 66.78 करोड़ रु0 से बढ़कर 1993-94 में 120.61 करोड़ रु0 हो गया जिसमें 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्षबद्ध कर-भिन्न राजस्व

वर्ष	कर भिन्न राजस्व	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि(+)/ ह्रास(-)
	(करोड़ रुपए)	
1988-89	67.40	(-) 6
1989-90	82.25	(+)22
1990-91	59.32	(-)28
1991-92	74.45	(+)26
1992-93	66.78	(-)10
1993-94	120.61	(+)81

यह वृद्धि मुख्यतः कतिपय सेक्टरों से अधिक वसूली से सम्बद्ध थी जैसा निम्नांकित तालिका में इंगित है:-

लेखाशीर्ष का ब्यौरा		वास्तविक आंकड़े		वृद्धि	
		1992-93	1993-94	राशि	प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)			
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2.16	5.22	3.06	142
0406	वानिकी एवं वन्य प्राणी	23.43	65.36	41.93	179
0425	सहकारिता	1.40	3.92	2.52	180
0801	ऊर्जा	0.22	6.57	6.35	2886

1.4.2 कर राजस्व की तरह कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूलियों में भी वर्ष 1992-93 के दौरान बजट तथा संशोधित आकलनो में महत्वपूर्ण अन्तर था। संशोधित आकलनों की तुलना में यह भिन्नता ऊर्जा के संदर्भ में (+) 1269 प्रतिशत तथा खाद्य, भण्डारण व भाण्डागार के संदर्भ में (-)97 प्रतिशत उच्च थी जिसके संदर्भ में संशोधित आकलनों का ब्यौरा तालिकाबद्ध रुप में

नीचे दिया गया है:-

वास्तविक आंकड़े 1992-93	राजस्व शीर्ष	1993-94 बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आकलन	संशोधित आकलनों के संदर्भ में भिन्नत राशि	प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)				
2.87	0055 पुलिस	3.49	3.50	2.61	(-)0.89	(-) 25
2.16	0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.26	1.50	5.22	(+)3.72	(+)248
1.85	0401 कृषि कर्म	1.83	1.85	2.01	(+)1.16	(+)63
23.43	0406 वानिकी एवं वन्य प्राणी	26.00	26.00	65.36	(+)39.36	(+)151
0.01	0408 खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागारण	1.50	1.50	0.04	(-)1.46	(-)97
0.22	0801 ऊर्जा	0.36	0.48	6.57	(+)6.09	(+)1269
2.17	0852 उद्योग	0.14	21.04	4.67	(-)16.37	(-)78

1.5 सहायता अनुदान और केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश

1.5.1 छोटा राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में आन्तरिक रुप से राजस्व जुटाने का क्षेत्र सदैव सीमित था। अतएव राज्य को अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान व संघीय करों व शुल्कों में अपने हिस्से पर निर्भर रहना पड़ा। वर्ष 1993-94 में राजस्व के चार मुख्य स्रोतों अर्थात् कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान व संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश निम्नांकित चार्ट में प्रदर्शित हैं :-

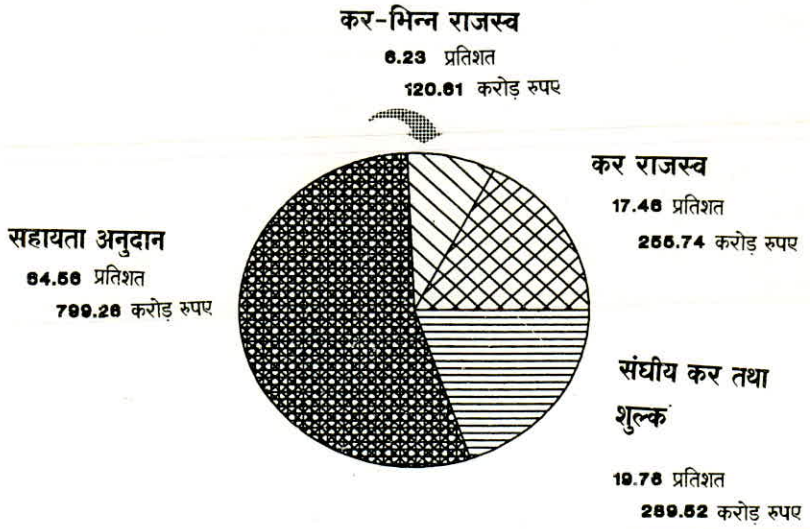

1.5.2 संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1988-89 (176.38 करोड़ रु0) तथा 1993-94 (289.52 करोड़ रु0) के मध्य प्रगामी रुप से 64 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष (276.24 करोड़ रु0) की तुलना में वर्ष 1993-94 में वृद्धि 5 प्रतिशत थी। केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान में 138 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि वर्ष 1988-89 के 336.50 करोड़ रु0 से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 799.26 करोड़ रु0 हो गया। सहायता अनुदान गत वर्ष के 487.79 करोड़ रु0 से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 799.26 करोड़ रु0 हो गया । यह बढोतरी 64 प्रतिशत थी । इससे सम्बद्ध ब्यौरे साथ में तालिका में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और संघीय करों व शुल्कों का अंश

वर्ष	सहायता अनुदान	संघीय करों/ शुल्कों का अंश
	(करोड़ रुपए)	
1988-89	336.50	176.38
1989-90	342.97	154.05
1990-91	398.46	187.95
1991-92	485.22	239.82
1992-93	487.79	276.24
1993-94	799.26	289.52

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य राजस्व व्यय में वृद्धि निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है :-

वर्ष	राजस्व व्यय		
	योजनागत	आयोजनेतर	जोड़
	(करोड़ रुपए)		
1988-89	200.80	567.42	768.22
1989-90	210.96	571.54	782.50
1990-91	249.02	652.45	901.47
1991-92	284.32	698.24	982.56
1992-93	326.73	818.84	1145.57
1993-94	409.01	942.49	1351.50

वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य योजनागत व्यय 104 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसी अवधि के दौरान आयोजनेतर व्यय में 66 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के राजस्व व्यय में 18 प्रतिशत की वृद्धि है।

1.6.2 वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक राजस्व लेखे में व्यय का क्षेत्रबद्ध विश्लेषण निम्नांकित है :-

सेक्टर	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
			(करोड़ रुपए)			
सामान्य सेवाएं (आयोजनेतर)	203.96	229.70	269.05	325.13	380.09	446.98
सामान्य सेवाएं (योजनागत)	5.64	6.00	9.14	12.00	13.43	13.45
सामाजिक सेवाएं (आयोजनेतर)	251.74	233.57	243.28	254.37	301.30	320.70
सामाजिक सेवाएं (योजनागत)	63.78	76.74	112.70	115.82	140.54	162.58
आर्थिक सेवाएं (आयोजनेतर)	108.85	105.93	137.82	115.49	133.69	171.14
आर्थिक सेवाएं (योजनागत)	131.38	128.22	127.18	156.50	172.76	232.98
सहायता अनुदान व अंशदान	2.87	2.34	2.30	3.25	3.76	3.67

गत वर्ष (1992-93) की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान आर्थिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं पर योजनागत व्यय क्रमशः 35, 16 तथा 01 प्रतिशत बढ़ा था जबकि इन्हीं सेवाओं पर आयोजनेतर व्यय में क्रमशः 28, 18 तथा 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

योजनागत व्यय की प्रवृति

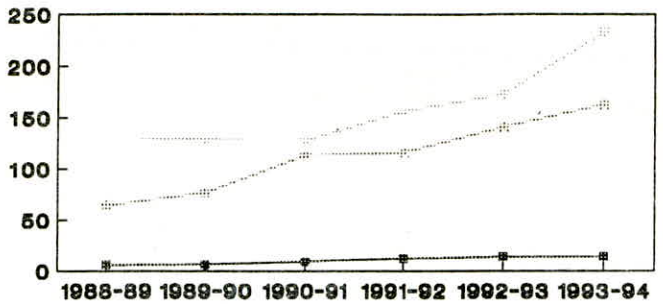

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
सामान्य सेवाएं	5.64	6	9.14	12	13.43	13.45
सामाजिक सेवाएं	63.78	76.74	112.7	115.62	140.54	162.58
आर्थिक सेवाएं	131.38	128.22	127.18	156.5	172.76	232.98

योजनेतर व्यय की प्रवृति

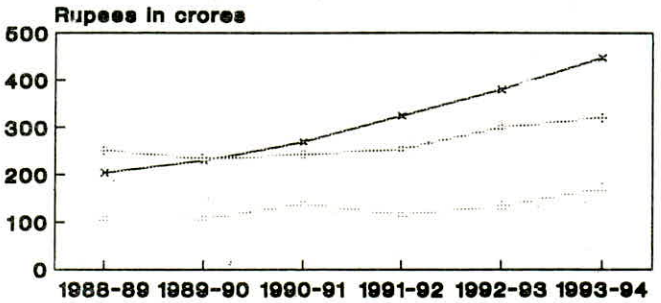

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
सामान्य सेवाएं	203.96	229.7	269.05	325.13	380.09	446.98
सामाजिक सेवाएं	251.74	233.57	243.28	254.37	301.3	320.7
आर्थिक सेवाएं	108.85	105.93	137.82	115.49	133.69	171.14

1.7 राजस्व अधिशेष/घाटा

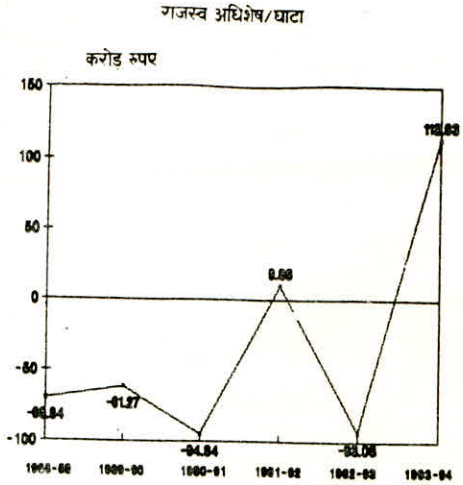

यद्यपि वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य राजस्व प्राप्तियां 110 प्रतिशत बढ़ी लेकिन इसी अवधि में राजस्व व्यय में वृद्धि केवल 76 प्रतिशत थी। वर्ष 1993-94 के लेखे गत वर्षों के 93.08 करोड़ रु० के राजस्व घाटे के प्रति 113.63 करोड़ रु० के राजस्व अधिशेष से सम्वृत हुए। वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक की वर्षबद्ध स्थिति निम्नांकित तालिका में दी गई हैं:-

वर्ष	राजस्व		
	प्राप्तियां	व्यय	आधिक्य(+)/ घाटा(-)
	(क रो ड़ रु प ए)		
1988-89	698.38	768.22	(-)69.84
1989-90	721.23	782.50	(-)61.27
1990-91	806.63	901.47	(-)94.84
1991-92	992.42	982.56	(+) 9.86
1992-93	1052.49	1145.57	(-)93.08
1993-94	1465.13	1351.50	(+)113.63

1.8 पूंजीगत व्यय

वर्ष 1992-93 के 205.32 करोड़ रु० के पूंजीगत व्यय के प्रति वर्ष 1993-94 मे यह व्यय 220.37 करोड़ रु० था जो कि 7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता था। वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणीकृत है :-

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
	(क रो ड़ रु प ए)	
1988-89	768.22	131.85
1989-90	782.50	122.14
1990-91	901.47	149.22
1991-92	982.56	188.10
1992-93	1145.57	205.32
1993-94	1351.50	220.37

यह अवलोकित होगा कि राजस्व व्यय (योजनागत तथा आयोजनेतर दोनों ही) 1988-94 में बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में पूंजीगत व्यय केवल 67 प्रतिशत बढ़ा।

1.9 लोक ऋण एवं अन्य दायित्व

1.9.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार उसी सीमा (यदि कोई हो) के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र में उधार ले सकती है जो राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए। राज्य विधानमण्डल ने ऐसी सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया है।

राज्य के लोक ऋण में आन्तरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। आन्तरिक ऋण में खुले बाजार से जुटाए गए दीर्घकालिक ऋण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण शामिल हैं जो विभिन्न परियोजनाओं व स्कीमों के वित्तपोषण के लिए हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बन्धपत्र भी शामिल है। केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण व अग्रिम विभिन्न योजनागत तथा आयोजनेतर स्कीमों के निष्पादनार्थ भारत सरकार से प्राप्त ऋणों को दशति हैं। इसके अतिरिक्त लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के माध्यम से जुटाई गई निधियों के कारण सरकार के अन्य दायित्व भी हैं।

व्यय की बढ़ती मांग व संसाधन अन्तराल को पूरा करने के लिए राज्य सरकार उत्तरोत्तर उधार का आश्रय ले रही थी। राज्य सरकार के कुल दायित्व 136 प्रतिशत बढ़ गए जो वर्ष 1988-89 के 820.23 करोड़ रु0 से 1993-94 में 1935.58 करोड़ रु0 हो गए थे। जबकि आन्तरिक ऋण में 241 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम तथा अन्य दायित्व क्रमशः 100 व 179 प्रतिशत बढ़े। इस अवधि में राज्य सरकार के ऐसे दायित्वों के ब्यौरें निम्नांकित थे:-

--- के अन्त में	आन्तरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व	कुल दायित्व
	(क रो ड़ रु प ए)				
1988-89	87.39	515.20	602.59	217.64	820.23
1989-90	104.50	628.02	732.52	268.60	1001.12
1990-91	135.56	828.03	963.59	330.90	1294.49
1991-92	181.41	881.54	1062.95	396.10	1459.05
1992-93	355.42	940.94	1296.36	491.36	1787.72
1993-94	298.01	1029.67	1327.68	607.90	1935.58

1.9.2 ऋण के बोझ से राज्य सरकार का ब्याज दायित्व भी बढ़ गया था। ब्याज अदायगियों के कारण निधियों का बहिर्वाह प्रगामी रुप से बढ़ रहा था। वर्ष 1993-94 की अदायगियां वर्ष 1988-89 के बहिर्वाह से 204 प्रतिशत अधिक थी। स्थिति निम्नांकित तालिका में सारांशित है:

वर्ष	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	राजस्व व्यय पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता
	(क रो ड़ रु प ए)		
1988-89	768.22	69.01	9
1989-90	782.50	87.99	11
1990-91	901.47	110.45	12
1991-92	982.56	147.85	15
1992-93	1145.57	177.12	15
1993-94	1351.50	209.65	16

1.9.3 परन्तु राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपनी ऋण सेवा के दायित्व का निर्वहन कर दिया था। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का चुकौती अनुसूची के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मूलधन की 57.32 करोड़ रु० तथा ब्याज की 117.89 करोड़ रु० की अदायगी अपेक्षित थी। दोनों राशियों की अदायगी समय पर की गई। ब्याज सहित ऋणों तथा अग्रिमों की चुकौती वर्ष के दौरान केन्दीय सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों की राशि (146.05 करोड़ रु०) से 29.16 करोड़ रु० अधिक थी। इस प्रकार 1993-94 के दौरान भारत सरकार के ऋणों और अग्रिमों का ऋणात्मक अन्तर्वाह था।

1.10 अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बैंक के पास 20 लाख रु० का न्यूनतम नकदी शेष रख्रना अपेक्षित है। यदि किसी दिन का बकाया सहमत हुए न्यूनतम शेष से कम होता है, तो इस कमी को बैंक से अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफट लेकर पूर्ण किया जाता है। नकद शेष की कमी को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार के राजकोष बिलों को भी पुन: बट्टे में दिया जाता है।

1988-94 के दौरान राज्य सरकार ने जिस सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा वह निम्नवत है :-

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
(i) दिनों की संख्या जिनमें न्यूनतम शेष रखा गया						
(क) बिना किसी अग्रिम प्राप्ति के	169	84	178	132	22	44
(ख) अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके	23	96	3	70	102	86
(ii) दिनों की संख्या जिनमें ओवरड्राफट लिया गया	2	108	77	98	232	218
(iii) दिनों की संख्या जब भारत सरकार के राजकोष बिलों को पुन: बट्टे में दिया गया।	171	77	107	66	9	1

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक की अवधि में लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों तथा उन पर दिए ब्याज का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध है:-

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
	(	क	रो	ड़	रु	प	ए	)
(1) अर्थोपाय अग्रिम						
(i) वर्ष के दौरान लिए गए अग्रिम (सकल)	28.97	96.11	69.38	130.44	122.88	208.93
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिम	--	--	--	11.27	11.27	16.87
(iii) दिया गया ब्याज	0.03	0.45	0.34	0.45	1.16	1.17
(2) ओवरड्राफ्ट						
(i) वर्ष के दौरान लिए गए ओवरड्राफ्ट (सकल)	7.23	849.78	988.73	940.85	4418.50	595.72
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	--	--	--	--	143.42	51.48
(iii) दिया गया ब्याज	--#	0.23	0.27	0.28	1.55	2.96
(3) भारत सरकार के कोष बिलों को पुनः बट्टे पर देना						
(i) उन बिलों की राशि जो वर्ष के दौरान पुनः बट्टे में दिये गये।	356	157	354	172.00	27.50	64.50
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया राशि	31.31	12.72	30.63	--	--	--
(iii) दिया गया ब्याज	2.93	1.19	2.15	1.69	0.29	0.30

केवल 19,687/- रु0

1.11 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

1.11.1 राज्य सरकार विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर-सरकारी संस्थानों आदि को ऋण अग्रिम दे रही है। 1988-89 से प्रारम्भ होने वाले छः वर्षों में ऐसे ऋणों की स्थिति निम्नवत् है:-

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
	(क रो ड़ रु प ए)					
आदि शेष	363.83	416.08	459.36	493.94	539.46	552.61
वर्ष के दौरान अग्रिम-स्वरुप दी गई राशि	60.22	60.16	39.82	52.54	32.27	53.49
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	7.97	16.88	5.24	7.02	19.12	8.09
अन्त शेष	416.08	459.36	493.94	539.46	552.61	598.01
निवल बढ़ौतरी	52.25	43.28	34.58	45.52	13.15	45.40
प्राप्त किया गया तथा राजस्व में जमा ब्याज	3.39	3.44	1.80	3.96	4.15	2.50
वर्ष के दौरान दीर्घकालीन उधारों से निवल प्राप्तियां	94.45	129.92	231.07	88.09	89.99	117.66

छः वर्षीय अवधि के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों के संदर्भ में निवल बढ़ौतरी राज्य सरकार के दीर्घकालीन उधारों से निवल प्राप्तियों के 15 और 55 प्रतिशत के मध्य थी।

1.11.2 **बकाया वसूलियां:** शिमला नगर निगम तथा अन्य नगरपालिकाओं आदि को दिए गए ऋणों, जिसके विस्तृत लेखे कार्यालय वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा व हकदारी) में रखे जाते हैं, में से 31 मार्च 1994 को 10.66 लाख रु0 (मूलधनः 5.39 लाख रु0, ब्याजः 5.27 लाख रु0) की वसूलियां अतिदेय थीं।

उन ऋणों जिनके विस्तृत लेखाओं का अनुरक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, 31 मार्च 1994 को अग्रिमस्वरुप दिए गए ऋणों के प्रति वसूली हेतु अतिदेय कुल राशि, ब्याज के 1.41 करोड़ रु0 सहित, 2.61 करोड़ रु0 थी। बकाया राशि का मुख्य भाग "ग्रामीण तथा लघु उद्योगों" को ऋण (2.21 करोड़ रु0) तथा "उवर्रक ऋण" (0.31 करोड़ रु0) से संबंधित था। 7 विभागों के संबंध में बकाया वसूलियों का विवरण नवम्बर 1994 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1.12 निवेश तथा प्रतिफल

1.12.1 राज्य सरकार का कुल निवेश 31 मार्च 1993 को 218.45 करोड़ रु0 से बढ़ कर 31 मार्च 1994 को 295.78 करोड़ रु0 हो गया। वर्ष के दौरान किए गए नवीन निवेशों की विस्तृत स्थिति निम्नवत् थी:-

प्रतिष्ठान का नाम	1993-94 के दौरान निवेश	1993-94 के अन्त तक संचित हानि/लाभ (लाख रुपए)
1. सांविधिक निगम		
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	218.00	(+) 2.28
हिमाचल पथ परिवहन निगम	1086.00	(-)9607.00
हिमाचल प्रदेश अनूसूचित जाति विकास निगम	112.00	उपलब्ध नहीं
हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम	15.00	उपलब्ध नहीं
2. राज्य सरकार की कम्पनियां/संयुक्त स्टॉक कम्पनियां		
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	247.40	(+) 15.06 *
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	45.00	(-)1171.27*
हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम सीमित	6.00	(-)225.69*
हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित	8.00	(-)326.08*
हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित	36.94	(-)466.43#
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	24.00	(-)523.08
हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम सीमित	18.00	(-)163.28*
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम	35.00	(-)164.88*
हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम	1.00	(+) 63.79
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	4.00	(-) 3.32#
हिमाचल पिछड़ी जाति वित्त तथा विकास निगम	5.00	जनवरी 1994 में निगमित

---

* वर्ष 1992-93 के अन्त तक संचित हानि को प्रकट करता है; वर्ष 1993-94 को अक्तूबर 1994 तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया था।

\# वर्ष 1990-91 के अंत तक हानि दशति हैं। वर्ष 1991-92 से आगे के लेखाओं को अक्तूबर 1994 तक अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, 21.42 लाख रु0 [$] की राशि का सहकारी बैकों तथा 289.68 लाख रु0 [$] की राशि का सहकारी समितियों में निवेश किया गया था। तथापि, ये संगठन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 तक नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम-2 केन्द्रीय सरकार कम्पनी में 55.58 करोड़ रु0 का निवेश किया था।

1.12.2 यद्यपि राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश 1988-89 के अन्त में 141.02 करोड़ रु0 से बढ़कर 1993-94 के अन्त में 295.78 करोड़ हो गया, लेकिन इस अवधि के दौरान लाभांश/ब्याज तदनुरुप नहीं बढ़ा था। 1992-93 के दौरान अर्जित किया गया लाभांश/ब्याज 0.10 करोड़ रु0 था तथा 1993-94 में सरकार ने 0.34 करोड़ रु0 अर्जित किए। 1988-89 से आगे निवेश तथा लाभांश/ब्याज की विस्तृत स्थिति नीचे दी जाती है:-

वर्ष	वर्ष के अन्त तक कुल निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ ब्याज	कालॅम 2 पर कॉलम 3 की प्रतिशतता
	(क रो ड़ रु प ए)		
1988-89	141.02	0.03	0.02
1989-90	159.06	0.08☛	0.05
1990-91	177.51	0.02☛	0.01
1991-92	198.11	0.12☛	0.06
1992-93	218.45[#]	0.10☛	0.05
1993-94	295.78	0.34☛	0.11

सरकारी निवेश से प्रतिफल, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की तुलना में पर्याप्त कम था। राज्य सरकार द्वारा मार्च 1994 तक 33 निगमों/कम्पनियों में निवेशित 229.06 करोड़ रु0 पर 1988-94 के छः वर्षों के दौरान कोई लाभांश अर्जित नहीं हुआ।

$ सहकारी बैंकों तथा समितियों में निवेश वर्ष 1993-94 के दौरान मोचन किए गए शेयरों के मूल्य के रुप में 27.26 लाख रु0 सम्मिलित हैं।

\# निवेश के आंकड़ों के समाधान पर वर्ष 1992-93 के वित्त लेखाओं से 3.91 करोड़ रु0 का अन्तर

☛ अस्थाई आंकड़े।

1.13 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं आदि द्वारा ऋणों की वापसी तथा उस पर ब्याज के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए आकस्मिक दायित्व की स्थिति निम्नवत् थी:-

31 मार्च को	अधिकतम प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
	(क रो ड़ रु प ए)		
1989	442.98	313.28	13.04
1990	527.46	352.71	2.67
1991	674.88	403.30	4.60
1992	723.18	361.65	8.41
1993	756.09	472.19	9.93
1994	819.71	483.25	18.77

पांच वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया प्रत्याभूतियों की राशि में 54 प्रतिशत की वृद्धि थी।

राज्य सरकार प्रत्याभूत राशि पर प्रत्याभूति शुल्क के रुप में 0.5 प्रतिशत तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रुप में 0.1 प्रतिशत प्रभारित करती है। प्रत्याभूति शुल्क तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के संदर्भ में 31 मार्च 1994 को देय 0.32 करोड़ रु0 की कुल राशि के प्रति राज्य सरकार द्वारा 0.11 करोड़ रु0 प्राप्त किए गए।

1.14 सारांशित वित्तीय स्थिति

वर्ष 1993-94 के विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे तथा वर्ष की प्राप्तियों तथा संवितरणों के सार से उदभूत 31 मार्च 1994 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति निम्नवत् सारणी में इंगित की जाती है:-

विवरणी-I 31 मार्च 1994 को राज्य सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपए)

देयताएं			परिसम्पत्तियां		
31 मार्च 1993 को राशि		31 मार्च 1994 को राशि	31 मार्च 1993 को राशि		31 मार्च 1994 को राशि
1	2	3	4	5	6
212.00	आन्तरिक ऋण	246.53	1718.51	सकल पूंजीगत परिव्यय	1938.88
	(भारतीय रिजर्व से ओवरड्राफट को छोड़कर)			कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश 295.78	
	बाजार ऋण 175.31			अन्य पूंजीगत व्यय 1643.10	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण 8.32				
	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण 1.03				
	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण 0.40				
	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण 14.68				
	अन्य संस्थाओं से ऋण 29.92				
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम 16.87				

1	2		3	4	5		6
940.94	**केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम**		1029.67	**552.61**	**ऋण तथा अग्रिम**		**598.01**
	1984-85 से पूर्व के ऋण	115.75			ऊर्जा हेतु ऋण	507.28	
	आयोजनेतर ऋण	643.49					
	राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	222.36			अन्य विकास ऋण	61.30	
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.54			सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	29.43	
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	47.53					
1.00	**आकस्मिकता निधि**		**1.00**	**0.50**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**		**0.50**
				(-)23.06	**उचन्त तथा विविध शेष**		**(-)1.08**
491.36	**लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि**		**607.90**	**0.12**	**अग्रिम**		**0.14**
41.97	**निक्षेप**		**54.98**	**(-)114.94**	**नकदी**		**(-)131.25**
143.42	**भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट**		**51.48**				
2.31	**आरक्षित निधियां**		**4.37**		कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषण में नकदी	6.45	
44.95	**प्रेषण शेष**		**39.85**		स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.07	

1	2		3	4	5		6
255.79	**सरकारी लेखे में अधिशेष**		**369.42**				
	गत वर्ष का शेष	265.06			नकद शेष निवेश लेखा	0.14	
	(i) चालू वर्ष का अधिशेष	113.63					
	घटाएं						
	(i) समायोजन	9.27*			भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)137.91	
	(ii) विविध सरकारी लेखे	--**					
2133.74			**2405.20**	**2133.74**			**2405.20**

* वर्ष 1993-94 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14 के अनुसार सरकारी लेखे में 378.69 करोड़ रु० का राजस्व अधिशेष था। (-) 9.27 करोड़ के अन्तर की व्याख्या निम्नलिखित है:-

	(करोड़ रुपए)
(i) " 7810-अन्तर्राज्यीय समायोजन शीर्ष के अन्तर्गत समयोजित प्रगामी राशि	(-) 1.43
(ii) "8680-विविध सरकारी लेखा" शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	(+) 0.16
(iii) प्रोफार्मा समायोजित निवल धनराशि	(-) 8.00
निवल जोड़	(-) 9.27

** केवल 35,804 रु०

विवरणी-II वर्ष 1993-94 की प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार

प्रवर्ग-क-राजस्व

प्राप्तियां (करोड़ रुपए)

I	**राजस्व प्राप्तियां**		1465.13
(i)	कर-राजस्व	255.74	
(ii)	कर-भिन्न राजस्व	120.61	
(iii)	संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश	289.52	
(iv)	आयोजनेतर अनुदान	118.72	
(v)	राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	583.20	
(vi)	केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	97.34	
			1465.13

संवितरण (करोड़ रुपए)

I राजस्व व्यय					1351.50
खण्ड	आयोज-नेतर	योजना-गत	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (योजनागत स्कीमों सहित)	योग	
(क) सामान्य सेवाएं	446.98	10.93	2.52	460.43	
(ख) सामाजिक सेवाएं	320.70	124.82	37.76	438.28	
(ग)आर्थिक सेवाएं-					
(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	91.05	76.33	22.85	190.23	
(ii) ग्रामीण विकास	13.09	20.57	15.05	48.71	
(iii) सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण	4.63	11.05	0.14	15.82	
(iv) ऊर्जा	7.54	1.05	2.79	11.38	
(v) उद्योग तथा खनिज	2.79	9.05	27.09	38.93	
(vi) परिवहन	47.95	9.44	--	57.39	
(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	0.49	--	0.49	
(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	4.09	37.07	0.01	41.17	
(घ) सहायता अनुदान तथा अंशदान	3.67	--	--	3.67	
	942.49	300.80	108.21	1351.50	1351.50
II प्रवर्ग ख में ले जाया गया राजस्व अधिशेष					113.63
					1465.13

प्रवर्ग-ख-अन्य

प्राप्तियां (करोड़ रुपए)

II स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश लेखे आदि सहित अथशेष		(-) 114.94
III ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली		8.09
(i) ऊर्जा से	----	
(ii) सरकारी कर्मचारियों से	4.65	
(iii) अन्य से	3.44	
IV राजस्व अधिशेष अधोनीत		113.63
V लोक ऋण प्राप्तियां		392.01
(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट को छोड़कर)	245.96	
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	146.05	
VI लोक लेखा प्राप्तियां		1488.44
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	206.47	
(ii) आरक्षित निधियां	99.99	
(iii) निक्षेप तथा अग्रिम	240.80	
(iv) उचन्त तथा विविध	343.43	
(v) प्रेषण	597.75	

संवितरण (करोड़ रुपए)

III भारतीय रिजर्व बैंक से अथ ओवरड्राफ्ट 143.42

IV पूंजीगत परिव्यय 220.37

खण्ड	आयोजनेतर	योजनागत	कुल
(क) सामान्य सेवाएं	--	5.89	5.89
(ख) सामाजिक सेवाएं	--	67.90	67.90
(ग) आर्थिक सेवाएं			
(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	(-) 2.67	13.15	10.48
(ii) ग्रामीण विकास	--	0.04	0.04
(iii) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	--	11.14	11.14
(iv) ऊर्जा	--	42.29	42.29
(v) उद्योग तथा खनिज	--	6.74	6.74
(vi) परिवहन	--	74.27	74.27
(vii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	1.62	1.62

V संवितरित ऋण तथा अग्रिम 53.49

(i) ऊर्जा हेतु	37.95	
(ii) सरकारी कर्मचारियों को	10.15	
(iii) अन्य को	5.39	

		VI लोक ऋण की चुकौती		268.74
		(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट को छोड़कर)	211.42	
		(ii) केन्द्रीय सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों की चुकौती	57.32	
		VII लोक लेखा संवितरण		1383.94
		(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	89.94	
		(ii) आरक्षित निधियां	97.92	
		(iii) निक्षेप तथा अग्रिम	227.82	
		(iv) उचन्त तथा विविध	365.42	
		(v) प्रेषण	602.84	
VII भारतीय रिजर्व बैंक से अन्त ोवरड्राफट	51.48			
		VIII वर्षान्त पर नकद शेष		(-)131.25
		(i) कोषागारों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	6.45	
		(ii) स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.07	
		(iii) नकद शेष निवेश लेखा	0.14	
		(iv) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)137.91	
	1938.71			1938.71

व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. ये सारांशित वित्तीय विवरणियां राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की विवरणियों पर आधारित है और उनमें निहित टिप्पणियों एवं व्याख्या के अनुसार हैं।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण राजस्व अधिशेष या घाटा नकद आधार पर निकाला गया हैं। परिणामतः भुगतान योग्य या प्राप्य मदें या मूल्यह्रास या स्टॉक के आंकड़ों में भिन्नता आदि मदें इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होती।

3. यद्यपि प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व व्यय (अनुदानों) का एक अंश तथा ऋण, पूंजी रचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेकिन राज्य सरकार के लेखाओं में इसका वर्गीकरण प्रयुक्ति के उद्देश्य से अप्रभावित रहता है।

4. सरकारी लेखा-पद्धति के अन्तर्गत राजस्व अधिशेष या घाटा वार्षिक रुप से सरकारी लेखे में संवृत होता है। 31 मार्च 1983 को 285.32 करोड़ रु0 के सन्तुलनकारी आंकड़ों को 1983-84 के लिए प्रथम विवरणी को बनाने के लिए संचित अधिशेष के रुप में माना गया।

5. उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किए गए परन्तु भुगतान न किए गए चैक, राज्यों की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। उचन्त तथा विविध के अन्तर्गत शेष 31 मार्च 1993 को 23.06 करोड़ रु0 (जमा) से घट कर 31 मार्च 1994 को 1.08 करोड़ रु0(जमा) हो गया।

6. लेखाओं में प्रदर्शित 137.91 करोड़ रु0 (जमा) के शेष के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत अन्तिम शेष 192.98 करोड़ रु0 (जमा) था। यद्यपि 47.10 करोड़ रु0 के अन्तर का समाधान हो चुका था (अक्तूबर 1994) लेकिन शेष (7.97 करोड़ रु0) समाधानाधीन था (अक्तूबर 1994)।

1.15 राज्य की परिसम्पत्तियां तथा दायित्व

1988-89 से 1993-94 की छः वर्षीय अवधि के दौरान पूंजी निवेश तथा प्रदत्त ऋणों को सम्मिलित करके राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां एवं कुल दायित्व निम्नलिखित थे:-

----- के अन्त में	परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपए)	दायित्व
1988-89	1374.32*	879.64*
1989-90	1495.11	1061.70
1990-91	1695.34	1356.77
1991-92	1885.08	1536.18
1992-93	2133.74	1877.95
1993-94	2405.20	2035.78

यद्यपि गत पांच वर्ष की अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन इसी अवधि में दायित्वों में 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

---

* नकद शेष के अन्तर्गत " रिजर्व बैंक के पास जमा" से सम्बन्धित आंकड़ों को सम्मिलित न करने के कारण पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित स्थिति से भिन्न है।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

2.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 1993-94 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नवत् थी:

	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय *	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
			(करोड़ रुपए)		
I. राजस्व					
दत्तमत	1164.11	118.08	1282.19	1240.53	(-) 41.66
प्रभारित	229.70	1.38	231.08	214.18	(-)16.90
II. पूंजीगत					
दत्तमत	238.74	46.02	284.76	259.54	(-) 25.22
प्रभारित	---	6.13	6.13	6.01	(-)0.12
III. लोक ऋण					
प्रभारित	145.52	--	145.52	956.41 @	(+)810.89 @
IV ऋण तथा अग्रिम					
दत्तमत	53.00	8.43	61.43	53.79	(-) 7.64
सकल जोड़	1831.07	180.04	2011.11	2730.46	(+)719.35

* ये व्यय अर्थात राजस्व व्यय : 103.21 करोड़ पूंजीगत व्यय 45.18 करोड़ तथा ऋण व अग्रिम 0.30 लाख रु0 की कमी के रुप में समायोजित वसूलियों सहित सकल आंकड़े हैं।

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफटों की चुकौती तथा न्यूनताओं के सम्बन्ध में 687.66 करोड़ रु0 भी शामिल हैं।

2.2 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.2.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

53 मामलों में बचत तथा 16 मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम समग्र आधिक्य था जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:-

	बचत		आधिक्य		शुद्धबचत (-)/आधिक्य(+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(करोड़ रुपये)			
दत्तमत	77.13 (23 अनुदानों में)	33.97 (17 अनुदानों में)	35.47 (7 अनुदानों में)	1.11 (8 अनुदानों में)	(-)41.66	(-) 32.86
प्रभारित विनियोग	16.90 (9 विनियोगों में)	0.12 4 विनियोगों में)	--	810.89@ 1 विनियोग में)	(-)16.90	(+)810.77@

वर्ष 1993-94 में प्राप्त समग्र पूरक अनुदान व विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों के 10 प्रतिशत थे।

9 मामलों में 7.95 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन सभी मामलों में व्यय या तो किया ही नहीं गया अथवा मूल प्रावधानों से भी कम था। विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

दत्तमत अनुदानों में 111.10 करोड़ रुपये और प्रभारित विनियोगों में 17.02 करोड़ रुपये की अन्तिम बचत में से 17 अनुदानों और एक विनियोग में प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपये से अधिक की कुल 124.98 करोड़ रुपये (21 मामले) की बचत हुई जिसका विवरण सरकार

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफटों की चुकौती तथा न्यूनताओं के सम्बन्ध में 687.66 करोड़ रु0 भी शामिल हैं।

द्वारा दिए गए बचत के मुख्य कारणों सहित नीचे इंगित है:-

क्रमांक	अनुदान	बचत-राशि (बचत-प्रतिशतता) (करोड़ रुपयों में)	मुख्य कारण
दत्तमत अनुदान			
राजस्व			
1.	1-विधान सभा और निर्वाचन	1.18 (25)	मतदाताओं को पहचानपत्र जारी करने हेतु संहितागत औपचारिकताओं को अन्तिम रुप न दिया जाना
2.	4-सामान्य प्रशासन	1.36 (2)	रिक्त पदों आदि को न भरना।
3.	5- भू-राजस्व	2.71 (7)	रिक्तपदों का न भरना, किराया बिलों की प्राप्ति न होना, उपकरणों और मशीनरी आदि का क्रय न करना
4.	8- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	40.26 (14)	रिक्त पदों को न भरना तथा दैनिक मजदूरी पर कम कर्मचारी रखना, छात्रवृति आदि प्राप्त करने योग्य कम छात्रों का होना आदि।
5.	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9.85 (10)	रिक्त पदों का न भरना, सहायता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों को कम सहायता अनुदान देना और योजना की अधिकतम सीमा घटाना, संहितागत औपचारिकताओं आदि के पूर्ण न होने के कारण दवाइयों का कम क्रय करना।
6.	11- कृषि	2.44 (4)	उर्वरीकरण पर कम उपदान देना और बाजार मध्यस्थता योजना को क्रियान्वित न करना
7.	16- वन और वन्य प्राणी	6.09 (9)	योजना की सीमा घटाना, कम निर्माण कार्यों का निष्पादन, सामग्री का कम क्रय और अनुरक्षण और मरम्मत पर कम व्यय, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कम मांग।
8.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1.03 (4)	रिक्त पदों का न भरना कार्यालय वस्तुओं का कम क्रय, दैनिक मजदूरी पर कम कर्मचारी लगाना, सहायता अनुदान दावों आदि की कम प्राप्ति।
9.	20-ग्रामीण विकास	1.33 (3)	केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति तथा योजना की सीमा को घटाना
10.	21-सहकारिता	1.51 (18)	रिक्त पदों का न भरना, चाय विकास परियोजना के अन्तर्गत "विधायन सहकारिताओं" से प्रबन्धकीय उपदान के कम मामलों की प्राप्ति
11.	22-खाद्य तथा भाण्डागारण	1.39 (9)	लेवी चीनी की कम मांग, योजना की सीमा घटाना, अन्तोदय परिवारों को कम सहायता अनुदान आदि।

12.	27- श्रम एवं रोजगार	0.76 (12)	भारत सरकार से संस्वीकृति की प्राप्ति न होना, पदों का सृजन न करना और रिक्त पदों को न भरना।
13	29-वित्त	5.75 (6)	1993-94 के अन्तिम महीनों में व्यय का कम प्रवाह होना, लॉटरियों पर प्रस्तावित पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के दृष्टिगत नई लॉटरियां प्रारम्भ न करना, अन्य महालेखाकार कार्यालयों से हिमाचल प्रदेश के पैन्शन भोगियों से सम्बन्धित प्रत्याशित डैबिटों की कम प्राप्ति।
पूंजीगत			
14.	8-शिक्षा, खेल,कला एवं संस्कृति	1.16 (12)	योजना की सीमां में कमी करना
15.	11-कृषि	2.53 (14)	निर्माणकार्यों का कम निष्पादन और मशीनरी की कम खरीद।
16.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1.55 (14)	स्कीम की स्वीकृति न मिलना, योजना की सीमा में कमी आदि।
17.	17-सड़कें और पुल	10.35 (16)	योजना की सीमा में कमी, मशीनरी/ सामग्री का कम क्रय आदि।
18.	21- सह-कारिता	6.38 (57)	चाय विकास परियोजना के निष्पादन में रोक,"विपणन सहकारिता" के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति, कांगड़ा की चाय फैक्टरी के लिए निधियों की कम मांग, "ग्रामीण उपभोक्ता योजना" के अन्तर्गत ऋणों की मांग प्राप्त न होना इत्यादि।
19.	23- जल तथा विद्युत विकास	8.21 (10)	योजना की सीमा में कमी
20	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2.37 (5)	निर्माण कार्यों का कम निष्पादन तथा आवास बोर्ड से मांग प्राप्त न होना।
प्रभारित विनियोग			
राजस्व			
21.	29-वित्त	16.77. (7)	भारतीय रिर्जव बैंक से लेन-देन की सूचनाओं का विलम्ब से प्राप्त होना, प्रत्याशित से अधिक अग्रिम लेना, प्रत्याशा से कम ब्याज का भुगतान।

2.2.2 निरन्तर बचत/आधिक्य

1991-94 के दौरान 9 मामलों में व्यय में कुल प्रावधानों से 5 प्रतिशत अथवा अधिक की निरन्तर कमी हुई जबकि 2 अन्य मामलों में यह प्रावधान से निरन्तर अधिक रहा। सम्बद्ध विवरण निम्नवत थे:-

कुल अनुदानों के प्रति बचत/आधिक्य की प्रतिशतता

अनुदान	1991-92	1992-93	1993-94
I- बचत			
क-राजस्व-दत्तमत			
2- राज्यपाल तथा मन्त्री-परिषद्	8	11	10
5 भू-राजस्व	31	38	7
21-सहकारिता	5	13	18
27-श्रम एवं रोजगार	10	18	12
29-वित्त	7	12	6
ख-पूंजीगत-दत्तमत			
13 भू तथा जल संरक्षण	6	36	43
17-सडकें तथा पुल	18	17	16
23-जल तथा विद्युत विकास	39	30	10
ग-राजस्व प्रभारित			
29- वित्त	5	8	7
II- आधिक्य			
घ. राजस्व दत्तमत			
10-लोक निर्माण कार्य	31	43	51
ड. पूंजीगत प्रभारित			
29-वित्त	713	2884	557

2.2.3 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचतें वर्ष के अन्त की प्रतीक्षा न करके इनके पता चलने के तत्काल पश्चात् सरकार को अभ्यर्पित की जानी चाहिए, जब तक कि ऐसी बचतें कुछ अन्य इकाइयों के अन्तर्गत आधिक्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित न हों। तथापि, बचतों को भविष्य के सम्भावित आधिक्यों हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए ।

16 दत्तमत अनुदानों (20 मामले) तथा 10 प्रभारित विनियोगों (11 मामले) में क्रमशः 11.53 करोड़ रु० और 8.89 करोड़ रु० की राशियों को अभ्यर्पित नहीं किया गया । इनमें से 3 दत्तमत अनुदानों में 0.26 करोड़ रु० तथा 7 प्रभारित विनियोगों में 0.15 करोड़ रु० की समग्र बचत

अभ्यर्पित नहीं की गई थी। मुख्य भिन्नताओं के ब्यौरे जहां बचतें 20 प्रतिशत अथवा अधिक थीं और राशि एक करोड़ रु0 से अधिक थी परन्तु बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थीं, परिशिष्ट-II में शामिल किए गए हैं ।

19 मामलों में अभ्यर्पित राशि समग्र बचत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त 8 अनुदानों में 2.40 करोड़ रु0 अभ्यर्पित किए गए यद्यपि व्यय अनुदान से बढ़ गया और अभ्यर्पण हेतु कोई बचत नहीं थी। सम्बद्ध ब्यौरे निम्नांकित हैं :-

(क) उपलब्ध बचतों से अधिक निधियों का अभ्यर्पण:

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	1- विधानसभा तथा निर्वाचन	117.67	119.38
2.	3- न्याय-प्रशासन	5.62	7.03
3.	4-सामान्य प्रशासन	135.97	299.98
4.	5- भू-राजस्व	271.22	343.33
5.	6- आबकारी एवं कराधान	8.90	10.19
6.	14- पशुपालन तथा डेरी विकास	9.46	84.18
7.	16- वन तथा वन्य प्राणी	608.85	701.47
8.	18- आपूर्ति,उद्योग तथा खनिज	20.65	28.28
9.	20- ग्रामीण विकास	133.22	236.80
10.	21- सहकारिता	150.58	153.24
11.	22- खाद्य एवं भण्डारण	139.08	149.15
12.	24-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	40.40	40.71
13.	26-पर्यटन एवं अतिथि सत्कार	12.69	21.81
14.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता आदि	17.19	1089.66
	पूंजीगत-दत्तमत		
15.	8- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	115.81	240.76
16.	13-भू तथा जल संरक्षण	20.48	22.01
17.	20-ग्रामीण विकास	10.71	10.83
18.	23-जल एवं विद्युत विकास	821.10	1050.01
19.	30-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	20.33	24.38

(ख) समग्र अधिक व्यय के बावजूद निधियों का अभ्यर्पण

क्रमांक	अनुदान	अधिक व्यय की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपए)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	12-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	101.01	4.14
2.	13-भू तथा जल संरक्षण	26.05	36.18
3.	17-सड़कें तथा पुल	154.94	50.00
4.	31-जनजातीय विकास	439.14	96.33
	पूंजीगत दत्तमत		
5.	5- भू-राजस्व	1.82	0.22
6.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12.52	37.12
7.	18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	21.69	7.56
8.	25-सड़कें, जल परिवहन तथा नागरिक विमानन	4.37	8.25

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के केवल अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई थीं। ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण तथा निगरानी के परिचायक थे।

2.2.4 अनुदान/विनियोग पर आधिक्य

राजस्व प्रवर्ग में 7 अनुदानों में कुल आधिक्य 35,47,29,420 रु० था जबकि पूंजी प्रवर्ग में 8 अनुदानों में आधिक्य 1, 11,30,822रु० तथा 1 विनियोग में 8,10,89,00,832 रु० * था। आधिक्यों का (विवरण नीचे दिया गया है) संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन विनियमन

---

* इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफटों की चुकौती तथा न्यूनताओं के सम्बन्ध में 687.66 करोड़ रु० शामिल हैं।

करना अपेक्षित है।

क्रमांक	अनुदान	कुल विनियोग रुपए	वास्तवितक व्यय रुपए	आधिक्य की राशि रुपए
	वत्तमत अनुदान			
	राजस्व			
1.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	71,71,63,000	72,01,27,742	29,64,742
2.	10-लोक निर्माण कार्य	53,62,30,000	81,18,81,622	27,56,51,622
3.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	24,62,66,000	25,63,67,113	1,01,01,113
4.	13-भू जल तथा संरक्षण	11,74,32,000	12,00,36,512	26,04,512
5.	17-सड़कें तथा पुल	33,89,75,000	35,44,68,997	1,54,93,997
6.	23-जल तथा विद्युत विकास	8,94,00,000	9,33,99,000	39,99,000
7.	31-जनजातीय विकास	71,63,68,000	76,02,82,434	4,39,14,434
	पूंजीगत			
8.	5-भू-राजस्व	10,90,000	12,72,125	1,82,125
9.	9-स्वास्थय तथा परिवार कल्याण	5,27,54,000	5,40,06,310	12,52,310
10.	10-लोक निर्माण कार्य	4,33,50,000	4,54,64,821	21,14,821
11.	14-पशुपालन तथा डेरी विकास	32,50,000	34,82,429	2,32,429
12.	18- आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	7,54,14,000	7,75,82,716	21,68,716
13.	24-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	15,00,000	15,01,052	1,052
14.	25-सड़कें,जल परिवहन तथा नागरिक विमानन	11,70,18,000	11,74,55,164	4,37,164
15.	31-जनजातीय विकास	24,76,21,000	25,23,63,205	47,42,205
	प्रभारित विनिबोग			
	पूंजीगत			
1.	29-वित्त	1,45,52,00,000	9,56,41,00,832@	8,10,89,00,832@

आधिक्य के लिए कारण सितम्बर 1994 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं:-

---

@ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफटों की चुकौती तथा न्यूनताओं के सम्बन्ध में 687.66 करोड़ रु0 शामिल हैं।

2.2.5 बचतों/आधिक्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् विस्तृत विनियोग लेखे जिनमें अन्तिम अनुदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताएं दर्शाई जाती हैं, नियन्त्रण अधिकारी को भेज दिए जाते हैं, उन भिन्नताओं को सामान्य रुप से एवं महत्वपूर्ण शीर्षों/उप-शीर्षों के अन्तर्गत विशेष रुप से स्पष्ट करना होता है।

1993-94 के लिए 353 शीर्षों/उप-शीर्षों के सम्बन्ध विनियोग लेखाओं के विषय में भिन्नताओं हेतु ऐसे स्पष्टीकरण अक्तूबर 1994 तक प्राप्त नहीं हुए ।

2.2.6 व्यय की कमी के रुप में वसूलियां

अनुदान मांगें एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि हेतु होती है और व्यय की कमी के रुप में ली जाने वाली वसूलियों को उसके नीचे पाद टिप्पणियों में अलग से दिखाया जाता है । इसी प्रकार विनियोग लेखाओं में भी वसूलियों को उसके परिशिष्ट में अलग से दिखाया जाता है। 1993-94 के लेखाओं की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राजस्व प्रवर्ग में 66.63 करोड़ रु0 के बजट प्राक्कलनों के प्रति 103.22 करोड़ रु0 की वास्तविक वसूलियां थीं। पूंजीगत प्रवर्ग में 42.39 करोड़ रु0 के बजट प्राक्कलनों के प्रति 45.47 करोड़ रु0 की वास्तविक वसूलियां थीं।

राजस्व प्रवर्ग में 4 अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की कमी हेतु 36.59 करोड़ रु0 की वसूलियों का कम अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार पूंजीगत प्रवर्ग में 5.39 करोड़ रुपये से युक्त 6 अनुदानों में कम बजट बनाया गया था तथा 2 अनुदानों में 2.31 करोड़ रुपये की कम वसूलियां थीं। ऐसी मुख्य भिन्नताएं जो मूल प्राक्कलनों का 20 प्रतिशत तथा एक करोड़ रु0 से कम नहीं है, का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

2.2.7 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

प्रभारित व्यय हेतु किसी अनुदान अथवा विनियोग को उपशीर्षों अथवा मानक उद्देश्यों (जिन्हें प्राथमिक इकाइयां कहा जाता है) में बांटा जाता है जिनके अन्तर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाएगा। निधियों का पुनर्विनियोजन, वित्तीय वर्ष जिससे अनुदान या विनियोग सम्बन्धित होता है, को बन्द करने से पूर्व एक अनुदान या विनियोग में अनुदान की प्राथमिक इकाइयों के मध्य होता है। पुनर्विनियोजन केवल उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब यह ज्ञात हो या इसकी प्रत्याशा हो कि इकाई जिससे निधियां स्थानान्तरित की जानी हैं, में विनियोजन का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा सकती है।

1993-94 के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 18 अनुदानों/विनियोगों के 60 उप-शीर्षों के मामले में 5.72 करोड़ रु0 की राशि का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था जैसा परिशिष्ट-IV में उद्धृत है क्योंकि (i) उस उप-शीर्ष के अधीन जिसमें पुनर्विनियोजन द्वारा निधियां को स्थानान्तरित किया गया था, मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था और परिणामतः उपशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत उस उप-शीर्ष को पुनर्विनियोजित राशि से ज्यादा थी, अथावा (ii) मूल प्रावधान जिसमें से निधियां स्थानान्तरित की गई थी, अपर्याप्त था और उस उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य पुनर्विनियोजित राशि से ज्यादा था। यह व्यय पर पर्याप्त नियन्त्रण के अभाव का परिचायक था।

2.3 विभागीय आंकड़ों का समाधान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षित हैं कि वे लेखाओं के समापन से पूर्व महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में बुक किये गये व्यय के साथ अपने सम्बद्ध विभागों के व्यय का आवधिक मिलान करें। इससे विभागीय अधिकारी किसी भी धोखाधड़ी अथवा गलती का शीघ्रता से पता लगा सकेंगे।

सरकार को आवधिक रुप से समाधान में विलम्ब की सीमा सूचित किए जाने पर भी तीन* नियंत्रण अधिकारियों ने 1993-94 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए तीन लेखा-शीर्षों के सम्बन्ध में 6.11 करोड़ रु0 के व्यय का समाधान नहीं किया था। अतः कुल 6.11 करोड़ रु0 के व्यय का समाधान नहीं हुआ।

मामला सरकार को अक्तूबर 1994 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

2.4 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

वित्तीय नियमों में निर्दिष्ट है कि किसी भी धनराशि का खजाने से तब तक आहरण नहीं करना चाहिए जब तक वह तुरन्त भुगतान के लिए अथवा स्थाई अग्रिम से संवितरित निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक न हो। ऐसे निर्माण कार्यों के निष्पादन, जिनकी पूर्णता में पर्याप्त समय लगने की सम्भावना हो, के लिए भी खजाने से अग्रिमों का आहरण अनुमत नहीं है। अव्ययित शेष राशि शीघ्र खजाने में जमा करना अपेक्षित है।

---

* प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (2702- लघु सिंचाई: 4.98 करोड़ रु0); निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (4211-परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय: 0.01 करोड़ रु0) तथा सचिव, स्थानीय स्वशासन (3054- मार्ग एवं पुल: 1.12 करोड़ रु0)

उद्योग, शिक्षा तथा उद्यान विभागों के लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि जनवरी 1989 तथा जून 1993 के मध्य विभिन्न योजनाओं के निष्पादन तथा विकास कार्यों के लिए आहरित किए गए 59.81 लाख रु0 बैंक ड्राफटों, बैंकों/डाकघरों में जमा के रुप में रखे गए। इसमें से 49.75 लाख रु0 जुलाई 1994 तक अप्रयुक्त पड़े थे। इस सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण परिशिष्ट-V में दिया गया है।

वास्तविक आवश्यकता से पूर्व आहरित की गईं ऐसी निधियों के कारण सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ तथा वे सरकारी लेखे से बाहर रही। इसके अतिरिक्त सरकार को 1992-94 के दौरान 4.51 करोड़ रु0 (1992-93: 1.55 करोड़ रु0 तथा 1993-94: 2.96 करोड़ रु0) के पर्याप्त ब्याज दायित्व भुगतान से सम्बद्ध ओवरड्राफटों का सहारा लेना पड़ा था।

मामला जुलाई 1994 में सरकार को सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

ग्रामीण विकास विभाग

3.1 जवाहर रोजगार योजना

3.1.1 परिचय

ग्रामीण क्षेत्रों में बेराजगार तथा अल्प-रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करके ग्रामीण गरीबी की जटिल समस्या को हल करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रुप में जवाहर रोजगार योजना को राज्य में अप्रैल 1989 में आरम्भ की गई। विद्यमान दो स्कीमें "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम" तथा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" को भी इस कार्यक्रम में मिला दिया गया। इस कार्यक्रम में परिकल्पित अन्य गौण उद्देश्य निम्नवत् थे:

-ग्रामीण आर्थिक ढांचे को मजबूत करके दीर्घकालिक रोजगार तथा ग्रामीण गरीबों के प्रत्यक्ष एवं निरन्तर लाभ के लिए परिसम्पत्तियों का सृजन करना;

-सामूहिक तथा सामाजिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना;

-मजदूरी के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तथा

-ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाना।

3.1.2 सगठनात्मक ढांचा

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक एवं अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग में निहित था जिसकी सहायतार्थ जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधीकारी थे। खण्ड स्तर पर यह कार्यक्रम खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। सर्वोपरि प्रशासनिक नियंत्रण अपर-मुख्य सचिव एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पास था।

3.1.3 लेखापरीक्षा-कार्यक्षेत्र

12 जिलों के 69 खण्डों में से 6 जिलों* के 27 खण्डों में वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक कार्यक्रम की कार्यान्विती की संमीक्षा मार्च 1994 से जून 1994 के मध्य लेखापरीक्षा में की गई तथा इसे क्रमिक रुप से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक एवं अपर-सचिव के अभिलेखों की समीक्षा में अनुपूरित किया गया। नमूना जांच के परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए जाते है:

3.1.4 मुख्य बातें

कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पहले इसके अन्तर्गत वर्गों की पहचान के लिए 1991-92 तक सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वर्ष 1991-92 में किया गया सर्वेक्षण अधूरा था क्योंकि इसमें मुक्त बंधुआ मजदूरों को शामिल नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.1.5)

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आरम्भ में "शैल्फ ऑफ प्रोजैक्ट" तथा वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.1.6)

जवाहर रोजगार योजना निधियों पर कुल 9.08 लाख रु0 का ब्याज 18 खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा पुनरावर्तन हेतु परियोजना अधिकारियों को प्रेषित नहीं किया गया था जैसा कि कार्यक्रम में परिकल्पित था।

5.63 लाख रु0 की सामग्री को अन्य कार्यों के लिए व्यपवर्तित कर दिया तथा जवाहर रोजगार योजना से सम्बंधित 3.28 लाख रु0 की निधियां जो अन्य कार्यों को हस्तांतरित की थी, उनकी पूर्ति नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.1.7)

---

* बिलासपुर (बिलासपुर, घुमारवीं तथा झण्डुता); हमीरपुर (भोरंज, बिजहड़ी, हमीरपुर, नदौन तथा सुजानपुर टीहरा); किन्नौर (कल्पा, निचार तथा पूह); मण्डी (चौंतड़ा, दरंग, गोहर, मंडी, रिवालसर तथा सुंदरनगर); शिमला (चिड़गांव, जुब्बल, मशोबरा, नारकंडा, रामपुर, रोहडू तथा ठियोग) तथा सोलन (कण्डाघाट, सोलन तथा धर्मपुर)

सृजित किए गये रोजगार का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था वह 50/60 प्रतिशत मजदूरी घटक को न्यूनतम मजदूरी दर से विभाजित किये जाने पर आधारित था। जिला सोलन के 3 खण्डों में प्रतिवेदित किए गये 1,26,438 कार्यदिवसों के प्रति वास्तविक रोजगार 77,961 कार्य दिवस निकला जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़ों में 62 प्रतिशत स्फीति से निहित थी। इस प्रकार सृजित रोजगार को बढ़ा-चढ़ा कर प्रतिवेदित किया गया था।

सामग्री घटक पर व्यय 50/40 प्रतिशत के निर्धारित मानकों के प्रति 69 से 78 प्रतिशत के मध्य था।

कार्यक्रम के उपबन्धों की अवहेलना करके चार खण्डों में 9.53 लाख रु0 की लागत से 20 कार्य ठेकेदारों क़े माध्यम से करवाये गये।

(परिच्छेद 3.1.8)

आबंटित किए गए 11,200 टन खाद्यान्नों के प्रति राज्य सरकार द्वारा केवल 4.820 टन खाद्यान्न उठाए गए, जिसमें से 3,506 टन खाद्यान्न श्रमिकों में वितरण हेतु उपयोग में लाए गए।

खाद्यान्नों पर 3.70 लाख रु0 का बिक्री कर अनिमियत रुप से कार्यक्रम को प्रभारित किया गया।

(परिच्छेद 3.1.9)

दो खण्डों में सिंचाई टैंको के निर्माण पर निर्धारित मान्य दरों से अधिक सहायता का भुगतान करने से 3.22 लाख रु0 की अधिक सहायता की अदायगी हुई।

पंचायत प्रधानों को जारी किए गए 5.19 लाख रु0 के उच्च घनत्व पॉलीथिन पाइपों के उपयोग का ब्यौरा खण्ड विकास अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं था।

(परिच्छेद 3.1.11)

शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर व्यय किए 6.95 लाख रु0 अनियमित रुप से इस कार्यक्रम को प्रभारित किये गये थे यद्यपि यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यान्वित किया जाना था। परिणामतः निधियों का व्यपवर्तन हुआ।

(परिच्छेद 3.1.13)

3.1.5 सर्वेक्षण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लक्ष्य में रखा गया था। रोजगार के लिए अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को अधिमान दिया जाना था। रोजगार के अवसरों में से 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित थे लेकिन विभाग द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वित करने से पूर्व लाभग्राहियों की पहचान के लिए 1991-92 तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके स्थान पर विभाग एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान किए गए सर्वेक्षण का उपयोग कर रहा था। कार्यक्रम के लिए लाभग्राहियों की पहचान के लिए 1991-92 में एक नया सर्वेक्षण किया गया लेकिन इसकी संवीक्षा से पता चला कि इस सर्वेक्षण में भी मुक्त बंधुआ मजदूरों के बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नही था, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गये थे।

3.1.6 "शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्रवाई योजना

वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं तथा परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता एवं वित्तीय सम्भाव्यता पर आधारित "शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्रवाई योजना का तैयार करना अपेक्षित था लेकिन यह देखा गया कि नमूना परीक्षित जिलों में से किसी में भी वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले "शैल्फ आफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। लेकिन इन्हें बाद में तैयार कर लिया गया।

3.1.7 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(i) कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 80:20 के आधार पर है। राज्य को केन्द्रीय सहायता देश में कुल ग्रामीण निर्धनों से राज्य के ग्रामीण निर्धनों के अनुपात के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है।

धन के लिए बजट प्रावधान राज्य के बजट में किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य द्वारा किए प्रावधान के अनुपात में धन देती है। केन्द्रीय सहायता दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से सहित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को एक सप्ताह के भीतर दिया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार से धन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा यह पंचायतों को संवितरित किया जाना अपेक्षित है।

1989-94 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय परिव्यय, दी गई राशियां तथा

निधियों का उपयोग निम्नवत् था:-

वर्ष	निधियों का आबंटन			दी गई निधियां			प्रयुक्त	आधिक्य(+)/ बचत(-)
	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	जोड़	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	जोड़		
				(लाख रुपयों में)				
1989-90	922.80	230.70	1153.50	922.80	230.70	1153.50	987.48	(-) 166.02
1990-91	908.22	227.06	1135.28	862.81	215.70	1078.51	1270.68	(+) 192.17
1991-92	908.22	227.06	1135.28	828.21	207.05	1035.26	1186.15	(+) 150.89
1992-93	885.81	221.45	1107.26	853.09	186.84	1039.93	1049.73	(+) 9.80
1993-94*	885.81	221.45	1107.26	1106.55	289.72	1396.27	1354.76	(-) 41.51
जोड़	4510.86	1127.72	5638.58	4573.46	1130.01	5703.47	5848.80	(+) 145.33

खण्ड तथा पंचायतों को दिया गया धन बैंकों तथा डाकघरों में रखना था। इन जमाराशियों पर अर्जित ब्याज को अतिरिक्त स्रोतों के रुप में जवाहर रोजगार योजना का एक हिस्सा समझा जाना था। 1990-94 की अवधि के दौरान 18 खण्डों द्वारा अर्जित 9.08 लाख रु0 का ब्याज मई 1994 तक पुनरावर्तन हेतु सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को प्रेषित नहीं किया गया था। पंचायतों द्वारा जमा राशियों पर ब्याज के विषय में लेखापरीक्षा को कोई सूचना नहीं दी गई।

(ii)(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों को करने के लिए 10 खण्डों में 1990-91 व 1993-94 के मध्य ग्राम पंचायत प्रधानों को 11.02 लाख रु0 दिए गए। मई 1994 मे इन अग्रिमों के समायोजन लेखे प्रधानों द्वारा नहीं दिए गए थे।

(ख) तीन जिलों** में 1990-91 व 1992-93 के मध्य जवाहर रोजगार योजना की निधियों में से खरीदे गए 5.63 लाख रु0 की सीमेंट व सी.जी.आई. शीटें जवाहर रोजगार योजना कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग में लाए गए। इसी तरह किन्नौर जिलें में 1990-91 व 1991-92 के मध्य 3.28 लाख रु0 जवाहर रोजगार योजना से अन्य स्कीमों को हस्तांतरित किए। इस राशि की पुन: पूर्ति मई 1994 तक नहीं की गई थी।

---

* वर्ष 1992-93 के लिए राज्यांश के रुप में 26.43 लाख रु0 1993-94 के दौरान दिए गए। 1106.55 लाख रु0 में भारत सरकार द्वारा मार्च 1993 तथा मार्च 1994 में उपलब्ध करवाए गए क्रमश: 117.94 लाख रु0 तथा 180 लाख रु0 शामेल हैं।

** बिलासपुर, मण्डी तथा शिमला

3.1.8 रोजगार सृजन

निदेशक एवं अपर-सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित रोजगार सृजन के लिए निर्धारित किए वर्षवार लक्ष्य तथा उनके प्रति उपलब्धियां निम्नवत् थीं:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (कार्यदिवस लाखों में)	आधिक्य(+)/कमियां(-)
1989-90	32.04	37.86	(+) 5.82
1990-91	33.68	35.86	(+) 2.18
1991-92	33.90	34.16	(+) 0.26
1992-93	29.77	28.39	(-) 1.38
1993-94	33.73	34.54	(+) 0.81

नमूना जांच से पता चला कि विकास खण्डों एवं पंचायतों में रोजगार पर लगाए व्यक्तियों की संख्या तथा कार्य दिवसों के रूप में सृजित रोजगार को दशनि वाला कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। रोजगार सृजन की उपलब्धियां कुल व्यय के 50/60 प्रतिशत मान्य (मजदूरी घटक) को न्यूनतम मजदूरी दर से विभाजित करके निकाली गई थी लेकिन यह पाया गया कि 1993-94 के दौरान सोलन जिले के धर्मपूर, कण्डाघाट तथा सोलन खण्डों में उनके द्वारा सृजित दशयि गए 1,26,438 के प्रति वास्तविक मजदूरी घटक 77,961 कार्यदिवस निकाला। इस प्रकार इन तीन खण्डों में उपलब्धियों को 62 प्रतिशत तक बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया था।

(i) सामग्री पर अतिरिक्त व्यय

कार्यक्रम में यह व्यवस्था थी कि जवाहर रोजगार योजना कार्यों पर हुए कुल व्यय में से वर्ष 1989-90 तक 50 प्रतिशत तथा उसके उपरान्त 60 प्रतिशत मजदूरी पर खर्च किया जाएगा लेकिन खण्डों में सम्बद्ध अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन जिलों* के 11 खण्डों में 1989-94 के दौरान मजदूरी पर व्यय 22 से 31 प्रतिशत के मध्य था जबकि सामग्री पर व्यय 50/40 प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक था जिसके कारण रोजगार सृजन का स्तर उतना ही घट

---

* बिलासपुर (घुमारवीं, झण्डूता): मंडी (चौंतड़ा, दरंग, गोहर, मण्डी, रिवालसर, सुंदरनगर) तथा सोलन (धर्मपुर, कण्डाघाट, सोलन)

गया जैसा कि नीचे वर्णित है:-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय (प्रतिशत)	सामग्री पर व्यय (प्रतिशत)
		(लाख रुपए)	
1989-90	3.38	0.92 (27)	2.46 (73)
1990=91	12.00	3.44 (29)	8.56 (71)
1991-92	9.84	3.05 (31)	6.79 (69)
1992-93	10.66	2.34 (22)	8.32 (78)
1993-94	9.49	2.35 (25)	7.14 (75)
जोड़	45.37	12.10(26.67)	33.27 (73.33)

इन भिन्नताओं के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी (जून 1994)।

(ii) **ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन**

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को लगाने की मनाही थी। इसके विपरीत चार खण्डों* में 9.53 लाख रु० के व्यय से 20 कार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किए गए।

(iii) **अपूर्ण मस्टर-रोल**

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों के लिए जारी मस्टर-रोलों में मजदूरों के सामाजिक स्तर के संदर्भ में ब्यौरा अर्थात क्या वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं, देना अपेक्षित है।

विकास खण्डों में की गई नमूना जांच से पता चला कि पंचायतों द्वारा जारी किए किसी भी मस्टर-रोल में ऐसा ब्यौरा अभिलिखित नहीं पाया गया। इस प्रकार सृजित रोजगार का कार्यबद्ध सत्यापन करना सम्भव नहीं था।

(iv) **बाहर के मजदूरों को रोजगार**

कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना था। जिला शिमला

---

* घुमारवीं, कल्पा, मण्डी, तथा पूह

के जुब्बल तथा नारकण्डा खण्डों में 1989-90 से 1993-94 में राज्य से बाहर के मजदूरों को अनियमता रुप से 2044 दिनों के लिए नियोजित किया गया और 0.46 लाख रु0 का भुगतान किया गया।

3.1.9 खाद्यान्नों का वितरण

कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लागू दरों से दो कि0ग्रा0 खाद्यान्न उपलब्ध करवाने थे। खाद्यान्नों का आबंटन भारत सरकार द्वारा किया जाना था और तब ये राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से उपार्जित किये जाने थे।

1991-92 तक राज्य को इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आबंटित नहीं किए थे। 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा आबंटित किए गए तथा राज्य सरकार द्वारा उठाये तथा उपयोग में लाये खाद्यान्नों की स्थिति निम्नवत थी:

वर्ष	आंबटित मात्रा	उठाई गई मात्रा	पिछले वर्ष का शेष	उपयोग की गई मात्रा	अन्तर आधिक्य(+) कमी (-)
			(टनों में)		
1992-93	4,500	2,986	--	366	(-) 2,620
1993-94	6,700	1,834	2,620	3,140	(-) 1,314
जोड़	11,200	4,820		3,506	

(i) यह देखा गया कि 11,200 टन खाद्यान्नों के आबंटन में से राज्य सरकार द्वारा 4820 टन खाद्यान्न ही भारतीय खाद्य निगम से उठाये गये। राज्य सरकार ने इस कमी का कारण मजदूरों द्वारा इन खाद्यान्नों का मजदूरी के हिस्से के रुप में स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त करना बताया।

(ii) कार्यक्रम में परिकल्पित था कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूरित किए गए खाद्यान्नों पर बिक्री कर एवं स्थानीय कर राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर जवाहर रोजगार योजना निधियों के बाहर से वहन किये जाएंगे।

इन उपबन्धों के विपरीत, नमूना-जांच किए गए 6 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारियों द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों पर 3.70 लाख रु0 का बिक्री कर का भुगतान किया गया तथा व्यय कार्यक्रम को प्रभारित किया गया।

3.1.10 इन्दिरा आवास योजना

योजना में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों में से गरीब व्यक्तियों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध करवाना परिकल्पित था। 1993-94 से सामान्य श्रेणी के गरीबों को भी इस स्कीम के अन्तर्गत लाया गया बशर्ते गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति (मुक्त बन्धुआ मजदूरों को छोड़कर) को उपलब्ध करवाया गया लाभ कुल आबंटन का 4 प्रतिशत से अधिक न हो। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों का 6 प्रतिशत (1993-94 से 10 प्रतिशत संशोधित) से संशोधित करके इस योजना के लिये उपलब्ध करवाया जाना था।

लेकिन राज्य सरकार प्रत्येक लाभग्राही को निर्मित घर की बजाय घरों के निर्माण के लिए निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार 3 किस्तों में 14,500 रु0 की नकद सहायता प्रदान कर रही थी जो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक मकान के लिए निर्धारित की गई अधिकतम लागत सीमा थी।

निम्नतालिका स्कीम के अन्तर्गत दी गई निधियों, उनके उपयोग, लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाती है:-

वर्ष	दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	लक्ष्य	उपलब्धियां
	(लाख रुपए)		(संख्या)	
1989-90	69.21	73.31	576	648
1990-91	50.94	60.46	351	463
1991-92	50.92	49.15	351	379
1992-93	49.68	52.08	343	351
1993-94	94.22	84.37	809	629
	314.97	319.37	2,430	2,470

सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्यों का पता चला:-

1989-93 के दौरान लक्ष्यों से अधिक उपलब्धियां पूर्वकालिक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां इसमें आ जाने के कारण थी।

(i) 1989-93 के दौरान 4 जिलों* के 18 खण्डों में घरों के निर्माण हेतु 212 लाभग्राहियों को 19.83 लाख रु0 उपलब्ध करवाए गए। मई 1994 तक इन घरों का निर्माण पूरा नहीं हुआ था।

---

* हमीरपुर, किन्नौर, मण्डी तथा शिमला

*

(ii) शिमला जिला के चार खण्डों द्वारा 1991-94 के दौरान 54 घरों के निर्माण के लिए 7.31 लाख रु० की स्वीकृत राशि में से 5.29 लाख रु० उपलब्ध करवाए गए। लेकिन 1991-92 में किए गए सर्वेक्षण के उपरान्त विभाग द्वारा बनाई गई लाभग्राहियों की सूची में इन लाभग्राहियों के नाम नहीं पाये गये।

3.1.11 "मिलियन वैल स्कीम"

(i) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधनों का 20 प्रतिशत (1993-94 से संशोधित करके 30 प्रतिशत्) तक "मिलियन वैल स्कीम" को राज्य स्तर पर कार्यान्वित करने के लिये जिलों में आबंटन हेतु निर्धारित किया जाना था। ये निधियां खुले कुएं के लिए ही उपयोग की जानी थी। जहां भौगोलिक कारणों से यह कुएं संभव नहीं थे वहां पर स्कीम के अन्तर्गत आबंटित राशियों को लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं जैसे सिंचाई टैंकों, पानी एकत्रित करने के लिए निर्माण कार्यों इत्यादि पर उपयोग में लाना अपेक्षित था। 1993-94 से स्कीम का लाभ गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब लघु एवं सीमांत किसानों को भी प्रदान किया गया बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति (मुक्त बंधुआ मजदूर वर्ग के लघु एवं सीमांत किसानों को छोड़कर) को दिया गया वित्तीय लाभ जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल आबंटन का 10 प्रतिशत् से अधिक न हो।

निधियों के बंटन तथा उपयोग का ब्यौरा निम्नवत था:-

वर्ष	निधियां बंटित	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपए)	शेष
1989-90	अलग से आबंटन नहीं	किया गया	
1990-91	215.71	128.59	87.12
1991-92	138.56@	189.15	36.53
1992-93	221.45	185.35	72.63
1993-94	262.72@	260.88	74.47

अभिलेखों में निधियों को उपयोग में न लाए जाने के कोई कारण नहीं दिए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 1991 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार एक हैक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाले सिंचाई टैंक की लागत को 0.10 लाख रु० तक सीमित रखना था। एक हैक्टैयर से कम कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाले मामले में, नकदी सहायता को वास्तविक लागत अथवा कृष्य कमांड क्षेत्र की अनुपातिक लागत तक सीमित किया जाना था।

---

* चिड़गांव, जुब्बल, रामपुर तथा रोहडू

@ अधिक निधियां, आगे ले जाने के कारण भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 में 70.80 लाख रु० तथा 1993-94 में 79.16 लाख रु० काट दिए।

लेकिन यह पाया गया कि जिला सोलन में 1991-94 के दौरान धर्मपुर व कण्डाघाट के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को 46 सिंचाई टैंकों के निर्माण हेतु 0.17 लाख रु० प्रति हैक्टेयर की समान दर से सहायता दी गई जबकि प्रत्येक मामले में कृषि योग्य कमांड क्षेत्र लगभग एक हैक्टेयर था। जिसके कारण 3.22 लाख रु० की अतिरिक्त अदायगी हुई।

इसी तरह, सोलन खण्ड में 1990-94 के दौरान 47 टैंकों के निर्माण हेतु 8.36 लाख रु० की सहायता इन टेंकों का कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र की जांच किए बिना ही दी गई।

(ii) 1992-93 व 1993-94 के दौरान जिला शिमला के चार खण्डों* द्वारा 5.51 लाख रु० की उच्च घनत्व वाली पॉलिथीन पाईप खरीदी गईं। इनमें से विभिन्न पंचायतों को पाइपें (लागत 5.19 लाख रु०) दी गई। विकास खण्डों के पास इन पाइपों को उपयोग करने के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। शेष पाइपें (लागत 0.32 लाख रु०) खण्डों के स्टोरों में पड़ी थीं।

3.1.12 सामाजिक वानिकी

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला स्तर की निधियों में से 25 प्रतिशत् को सामजिक वानिकी के कार्यों में इस तरह से उपयोग में लाया जाना था जिससे कि इसके लाभ ग्रामीण समुदाय और विशेष रुप से ग्रामीण गरीबों को मिलें।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्ष छादित क्षेत्र को बढ़ाना तथा ग्रामीण रोजगार का सृजन करना था। यदि सामुदायिक भूमि उपलब्ध न हों तो सड़कों के किनारे, नहरों के तटबन्धों तथा अपक्षीण वन भूमि में वृक्षों के रोपण की अनुमति थी। राज्य सरकार के सामान्य तथा विशेष आदेश के अंन्तर्गत, इस प्रकार की भूमि से प्राप्त पूर्ण उत्पाद सामुदायिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाना था। नमूना जांच किए गए जिलों में 1989-90 से 1993-94 में सामाजिक वानिकी पर निधियों के आबंटन तथा उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	आबंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां	शेष
		(लाख रुपए)		
1.	बिलासपुर	3.86	3.86	--
2.	हमीरपूर	7.14	5.00	2.14
3.	किन्नौर	3.15	1.90	1.25
4.	मण्डी	0.20	0.20	--
5.	शिमला	11.18	8.17	3.01
6.	सोलन	11.26	10.80	0.46
		36.79	29.93	6.86

* चड़गांव, रामुपर, रोहडू तथा ठियोग

स्कीम को कार्यान्वित करने में निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:-

(i) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर ने 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य मंडलीय वन अधिकारी, हमीरपुर,, सहायक भू-संरक्षण अधिकारी हमीरपुर तथा खण्ड विकास अधिकारियों बिजहड़ी और हमीरपुर को 7.14 लाख रु0 की अदायगी की गई। इसमें से 2.14 लाख रु0 वृक्ष लगाने के लिए उचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण मार्च 1990 तथा सितम्बर 1992 में परियोजना अधिकारी को वापिस कर दिए गए। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर के पास 5 लाख रुपयों के उपयोग के संदर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

(ii) 1991-92 तथा 1992-93 में परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बिलासपुर ने मण्डलीय वन अधिकारी बिलासपुर तथा हमीरपुर को 3.86 लाख रु0 अदा किए। सम्बद्ध मण्डलीय वन अधिकारियों द्वारा इस सम्पूर्ण राशि का वन भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए उपयोग किया गया। लेकिन, इन वृक्षों के सम्पूर्ण उत्पाद को समुदाय के लिए उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सरकारी आदेश जारी नहीं किए गये थे।

3.1.13 अन्य रुचिकर प्रसंग

(i) खण्ड विकास अधिकारी पूह द्वारा पूह विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत असंरंग (किन्नौर जिला) के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के 1.39 लाख रु0 का कथित दुरुपयोग का मामला अप्रैल 1994 में पुलिस अधीक्षक किन्नौर के सुपुर्द किया। लेखा परीक्षा को सम्बद्ध अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गए क्योंकि ये पुलिस की अभिरक्षा में बताए गए थे। मामले में आगे की गई प्रगति मई 1994 तक प्रतीक्षित थी।

(ii) जवाहर रोजगार योजना नियमावली के अनुदेशों के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ नियोजित करने सहित प्रशासन/आकस्मिकताओं पर कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक आबंटित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकता था।

यह पाया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित निधियों का 2 प्रतिशत तक, ऐसे खर्चों के लिए निदेशालय में रखा गया। इनमें से, कार्यक्रम के लिए नियुक्त कर्मचारियों के वेतन की अदायगी के लिए क्षेत्र कार्यालयों को निधियां उपलब्ध करवाई गई। लेकिन कार्यक्रम के अन्तर्गत आकस्मिक व्ययों के लिए क्षेत्र कार्यालयों को कोई निधियां उपलब्ध नहीं करवाई गई। 7 विकास खण्डों* तथा परियोजना अधिकारी, किन्नौर के कार्यालय में 1989-94 के दौरान पैट्रोल, वाहनों के

---

* चड़गांव (0.05 लाख रु0): जुब्बल (0.24 लाख रु0): कल्पा (0.34 लाख रु0): नारकण्डा (0.71 लाख रु0): रामपुर (0.40 लाख रु0): रोहडू (0.39 लाख रु0) तथा ठियोग (0.46 लाख रु0) तथा परियोजना अधिकारी किन्नौर (0.67 लाख रु0)

रख रखाव तथा मरम्मत, खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालयों में नियुक्त दिहाड़ीदारों की मजदूरी इत्यादि के लिए 2 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अतिरिक्त खर्च किये 3.26 लाख रु० अनियमित रुप से कार्यक्रम को प्रभारित किये थे।

(iii) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर द्वारा 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना की निधियों में से 0.50 लाख रु० एक श्रमिक की विधवा को मुआवजे के रुप में दिए गए जिसकी मृत्यु कार्यक्रम कार्यान्वित होने से पूर्व सितम्बर 1982 में हुई थी।

(iv) कार्यक्रम को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यान्वित किया जाना था तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित निधियों को बाहरी क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जाना था। लेकिन इस व्यवस्था के विपरीत 1984-94 के दौरान परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शिमला तथा पांच खण्ड विकास अधिकारियों* द्वारा 6.95 लाख रु० शहरी क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर व्यय किए गए।

(v) कार्यक्रम में अभि कल्पित था कि वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय, अधूरे कार्यों को नए कार्यों की तुलना में प्राथमिकता देनी थी। ऐसा कोई कार्य आरम्भ नहीं किया जाना था जो कि दो वित्तीय वर्षों के भीतर पूरा नहीं किया जा सके।

बिलासपुर तथा मण्डी जिलों के 9 खण्डों** में 37 कार्य जिन पर 10.25 लाख रु० का व्यय हुआ तथा जिनका निर्माण कार्य 1989-92 के मध्य आरम्भ कर दिया था, अधूरे पड़े थे।

चार खण्डों*** में भवन, सम्पर्क सड़कों, सिंचाई टैंकों इत्यादि जैसे 5 कार्यों के निर्माण, जिन पर 1.61 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था, को भूमि विवाद के कारण बीच में ही छोड़ दिया गया जिससे 1.61 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा।

(vi) कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन्हीं ग्रामों में प्राथमिक पाठशाला भवनों के निर्माण का प्रावधान था जहां पर भवनों के बिना विद्यालय स्वीकृत किए गए थे।

किन्नौर जिले के तीन खण्डों**** में 1991-92 (4.20 लाख रु०) तथा 1993-94 (9.00 लाख रु०) के दौरान 44 पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु 13.20 लाख रु० स्वीकृत किए गए। अपने भवन वाले 43 विद्यालय जो कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आने थे; इन स्वीकृतियों में शामिल थे जबकि बिना भवन वाले 25 विद्यालय इन स्वीकृतियों में शामिल नहीं किए गए थे।

---

* बंजार, कल्पा, रामपुर, रोहडू तथा सोलन।

** बिलासपुर (घुमारवीं, झण्डूता तथा सोलन); मण्डी (चौंतड़ा, दरंग, गोहर, सदर, सुंदरनगर तथा रिवालसर)

*** घुमारवीं, मण्डी, रिवालसर तथा ठियोग

**** निचार, कल्पा तथा पूह

इन 43 पाठशालाओं में से 14 पाठशाला भवनों में मई 1994 तक अतिरिक्त कमरों का निर्माण 4.20 लाख रु0 की लागत से पूरा किया गया था। शेष कार्य अभी पूर्ण किए जाने थे।

इसी प्रकार मण्डी जिले के चार खण्डों* में 46 पाठशाला भवनों के निर्माण पर 21.10 लाख रु0 व्यय किए गए जबकि इन विद्यालयों के पास पहले से ही अपने भवन थे।

3.1.14 निगरानी

राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1990 में, प्रत्येक पर्यवेक्षी अधिकारी के लिए कार्यों का निरीक्षण करने की समय सारणी निर्धारित की गई जो निम्नवत थी:-

क्रमसं0	अधिकारी का नाम	निरीक्षण की आवृति
1.	राज्य मुख्यालय	एक जिला प्रतिमास
2.	उपायुक्त/अतिरिक्त् उपायुक्त	5 निरीक्षण प्रतिमाह
3	परियोजना अधिकारी/ उप परियोजना अधिकारी/ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (पंचायत)	10 " "
4.	सहायक अभियन्ता (विकास)	12 " "
5.	खण्ड विकास अधिकारी	15 " "
6.	कनिष्ठ अभियन्ता	10 " "
		सभी पंचायतों को आवृत करने के लिए

अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों से सम्बन्धित कोई प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया। निदेशक एवं अपर-सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज, ने बताया (जून 1994) कि यद्यपि क्षेत्रीय अभिकरणों द्वारा अपने निरीक्षण तथा क्षेत्रीय दौरों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई फिर भी जिला व राज्य स्तर पर हुई बैठकों में कार्यों की प्रगति की संमीक्षा प्रतिमास की गई थी।

3.1.15 मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा जनवरी 1992 तथा जून 1992 की अवधि के लिए कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन किया गया। प्रशिक्षण न देने में अनियमितता, पंचायतों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के कार्यों पर कम व्यय, कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की नियुक्ति में कमी, कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब, श्रमिकों को वेतन का अनियमित भुगतान इत्यादि जो अनियमितताएं मूल्यांकन प्रतिवेदन में इंगित की गई थीं वे राज्य सरकार द्वारा, जिलाधीशों, ग्रामीण विकास अभिकरणों

---

* चौतड़ा, दरंग, रिवालसर तथा सुंदरनगर

के परियोजना अधिकारियों इत्यादि के बीच जुलाई 1993 को परिचालित की गयीं। लेकिन इन अनियमितताओं की पुनरावृति को रोकने के लिए किये गये उपचारी उपाय यदि कोई थे, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गये।

इन मामलों को अगस्त 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

3.2 निष्फल व्यय

उप-आयुक्त, ऊना द्वारा पटवारखाना भवन, चपरोह तथा प्राथमिक विद्यालय भवन मेरी (जिला ऊना) के निर्माण के लिए क्रमशः 1983-84 तथा 1988-89 में 0.45 लाख रु० तथा 0.52 लाख रु० की लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की स्वीकृतियां प्रदान की गई। इन भवनों का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी, अम्ब द्वारा किया जाना था और इसे प्राक्कलनों की स्वीकृति से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था।

पटवारखाना तथा प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य सितम्बर 1986 तथा अगस्त 1988 में आरम्भ किया गया तथा मार्च 1990 तक 0.92 लाख रु० का व्यय किया गया था। पटवारखाने का निर्माण कार्य निर्माण स्थल उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब से आरम्भ किया गया। ये दोनों कार्य क्रमशः जून 1989 तथा मार्च 1990 से धन के अभाव में रुके पड़े थे। खण्ड विकास अधिकारी, अम्ब ने बताया (जुलाई 1994) कि इन भवनों के निर्माण के पूरा करने के लिए 1.40 लाख रु० की जरुरत थी: जो जुलाई 1994 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसी बीच पटवारखाना चपरोह के किराए के रुप में जनवरी 1987 से जून 1994 के गध्य 0.03 लाख रु० का भुगतान किया गया।

इस प्रकार केवल इन भवनों पर हुआ व्यय 0.92 लाख रु० ही 4 से 5 वर्ष तक निष्फल नहीं रहा बल्कि पटवारी तथा स्कूल के बच्चों को आवास उपलब्ध करवाने का अभीष्ट उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका।

मामला सरकार को मई 1994 में प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

उद्यान विभाग

3.3 स्थानिक रोग क्षेत्र नियंत्रण स्कीम (सेब स्कैब)

3.3.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश में सेब एक मुख्य फल फसल है। यह राज्य के 12 में से 8 जिलों* में 70,000 हैक्टेयर क्षेत्र में ऊगाया जाता है तथा राज्य में प्रति वर्ष 3 लाख टन सेब का उत्पादन किया जा रहा है।

सेब के पौधों तथा फल में स्कैब रोग एक विश्वव्यापी घटना है। यह एक ज्ञात सत्य है कि सेब तथा स्कैब का अस्तित्व एक साथ है। इस रोग का उन्मूलन सम्भव नहीं है परन्तु नियंत्री उपायों को अपना कर इसकी रोकथाम की जा सकती है। सेब के स्कैब रोग का पहली बार 1977 में तीन जिलों** के 40 हैक्टेयर के सीमित क्षेत्र में पता चला था। धीरे-धीरे यह राज्य के सभी सेब उत्पादक क्षेत्रों में फैल गया। सेब में स्कैव रोग के नियंत्रण के लिए राज्य ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रुप में "स्थानीय रोग क्षेत्र नियंत्रण स्कीम (सेब स्कैब) 1977 में आरम्भ की गयी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे.

-सेब बागवानों के मार्गदर्शन के लिए सेब स्कैब स्प्रे की समय सारणी प्रतिवर्ष तैयार करना

-सेब बागवानों को समय पर नियंत्रण के ऊपाय अपनाने की सलाह देकर रोग को आर्थिक सीमा के अन्तर्गत रखना; तथा

-बागवानों को उपदान दरों (50 प्रतिशत) पर स्कैब प्रतिरोधी फफूंदनाशक उपलब्ध करवाना।

1991-92 तक सेब में स्कैब के नियंत्रण हेतु फफूंदनाशकों का उपार्जन तथा आपूर्ति उद्यान विभाग के द्वारा की जाती थी। तदनन्तर 1992-93 से फंफूदनाशकों, का उपार्जन राज्य सरकार के एक उपक्रम-हिमाचल प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित किया गया। लेकिन बागवानों को फफूंदनाशकों के विक्रय का काम उद्यान विभाग के क्षेत्रीय, पदाधिकारियों, हिमाचल प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन तथा राज्य सरकार के दो उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव मार्कीटिंग एण्ड कंज्यूमर फैडरेशन और हिमाचल प्रदेश हार्टीकलचर प्रोड्यूस मार्कीटिंग एण्ड प्रोसैसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विक्रय केन्द्रों को सौंपा गया। फंफूदनाशकों पर उपदान का भुगतान उद्यान विभाग द्वारा एग्रो-इण्डस्ट्रीजल कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जाता है।

---

* चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा सोलन।

** कुल्लू, मण्डी तथा शिमला

3.3.2 संगठनात्मक ढांचा

योजना का कार्यान्वयन निदेशक उद्यान के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन हुआ तथा जिला उद्यान अधिकारी वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी शिमला के परामर्श से इसे कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार थे। क्षेत्रीय स्तर पर स्कीम का कार्यान्वयन खण्डों में सहायक विकास अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा था। निदेशक उद्यान अपर मुख्य सचिव एवं संचिव (उद्यान विभाग) के प्रशानिक नियंत्रण में कार्य करता है।

3.3.3 लेखापरीक्षा-कार्यक्षेत्र

वर्ष 1989-90 से 1992-94 की अवधि में स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा लेखापरीक्षा में नवम्बर 1993 से मार्च 1994 के दौरान की गई जो छः जिला उद्यान अधिकारियों* के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित थी और इसकी अनुपूर्ति निदेशक उद्यान तथा वरिष्ठ पौधसंरक्षण अधिकारी शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा के द्वारा की गई थी।

नमूना जांच के परिणामस्वरुप देखे गए महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए जाते हैं।

3.3.4 मुख्य बातें

वर्ष 1991-92 तक देय 97.44 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं की गई थी। फफूंदनाशकों की आपूर्ति के लिए बागवानों से लाभग्राहियों के अंश के रुप में वास्तविक देय तथा प्राप्त राशि का समाधान विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.3.5.)

1989-90 से 1993-94 तक के पांच में से तीन वर्षों के दौरान सेब के स्कैब के नियंत्रण के लिए फफूंदनाशकों के छिड़काव के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र में भारी गिरावट आई यह गिरावट 34 से 44 प्रतिशत के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.3.6)

क्षेत्रीय इकाइयों को फफूंदनाशकों की आपूर्ति के लिए वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रभावी समन्वय स्थापित नहीं किया गया। इसके कारण कई इकाइयों के पास फफूंदनाशकों का संचय हो गया जिनकी भण्डारण अवधि उपयोग में लाने से पहले ही समाप्त हो गई।

36.09 लाख रु0 के फफूंदनाशकों का विक्रय लाभग्राहियों के हक का सत्यापन किए बिना किया गया।

(परिच्छेद 3.3.7)

स्कैबीसाईड जो कि एक विशेषप्रकार का फफूंदनाशक है, उपयोग हेतु अनुमोदित नहीं किया गया थां परन्तु एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा 54.50 लाख रु0 के मूल्य से उपार्जित किया गया। इस पर निगम को 27.25 लाख रु0 का उपदान भी दिया गया। इसके अलावा 1944 किलो फफूंदनाशक बागवानों को बेचा गया।

(परिच्छेद 3.3.8)

---

* चम्बा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला तथा सोलन

1990-94 के दौरान तीन जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा 1.32 लाख रु0 के फफूंदनाशक, जिनकी भण्डारण अवधि समाप्त हो चुकी थी या तो विभाग के फार्मों में उपयोग किए गए या फिर बागवानों को बेचे गए। पुन: ऐसे फफूंदनाशक, जिनकी भण्डारण अवधि समाप्त हो चुकी थी, आपूर्तिकर्ताओं को नि:शुल्क प्रतिस्थापन हेतु नहीं भेजे गए थे, जैसाकि करारनामें की शर्तों में निहित था।

(परिच्छेद 3.3.9)

15.34 लाख रु0 के फफूंदनाशकों की कमी का न तो समाधान किया गया और न ही इसकी वसूली की गई।

(परिच्छेद 3.3.10)

17 वर्षों से प्रचलित बीमारी के व्यापक प्रभाव को जानने हेतु कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.3.12)

3.3.5. वित्तीय निष्पादन

1991-92 तक स्कीम का वित्तपोषण राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा समान अंश के आधार पर किया जा रहा था। उसके बाद यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित की गई।

वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपदान हेतु उपलब्ध करवाए गए धन तथा उसके प्रति किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है:-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	अधिक्य(+)/बचत(-)
		(लाख रुपए)	
1989-90	100.00	100.00	--
1990-91	59.36	63.24	(+) 3.88
1991-92	105.00	91.30	(-)13.70
1992-93	150.99	151.00	(+)0.01
1993-94	122.00	123.02	(+)1.02
जोड़	537.35	528.56	(-)8.79

नमूना जांच के परिणामस्वरुप निम्न तथ्यों का पता चला:-

(i) 254.54 लाख रु0 के व्यय के प्रति वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान स्कीम के लिए 119 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। मार्च 1989 तक देय हुई 8.27 लाख

रु0 तथा 89.17 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता के शेष अंश की केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्च 1994 तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। लेकिन 1993-94 के दौरान स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1994 में 25 लाख रु0 दिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार यह राशि 1991-92 में दी गई राशि के बराबर थी।

(ii) सेब के स्कैब को नियंत्रित करने के लिए फफूंदनाशक उपार्जित किए गए तथा बागवानों को 50 प्रतिशत उपदान पर दिए गए। फफूंदनाशकों पर लाभग्राहियों द्वारा किए जाने वाले व्यय के हिस्से को पूरा करने के लिए पूंजीगत लेखाशीर्ष से धन निकाला गया। इस लेखाशीष को बाद में फफूंदनाशक लाभग्राहियों को बेचने से हुई राशियों से प्रतिपूर्ति करके चुकता किया गया।

वर्ष 1989-930 की अवधि के दौरान फफूंदनाशकों की 50 प्रतिशत लागत को पूरा करने के लिए विभाग ने 292.69 लाख रु0 निकाले जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

वर्ष	निकाली गई राशि	प्रतिपूरित राशि
	(लाख रुपए)	
1989-90	105.25	157.37
1990-91	67.77	133.44
1991-92	94.12	52.37
1992-93	25.55	12.46
जोड़	292.69	355.64

इस उद्देश्य हेतु निकाली गई राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा बागवानों से लाभग्राहियों के अंश की वसूली के पश्चात् की जानी थी। प्रतिपूरित की गई कुछ राशियां पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थीं । लेकिन लाभग्राहियों से देय राशि तथा उनसे वास्तव में वसूल की गई राशि का सही ब्यौरा विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी ने बताया (मई 1994) कि वर्ष 1986-87 तक समाधान को पूर्ण कर लिया गया, लेकिन लेखापरीक्षा को समाधान के निष्कर्ष उपलब्ध नहीं करवाये गये।

3.3.6 वास्तविक निष्पादन

फफूंदनाशकों की आपूर्ति हेतु विभाग ने विशेष लक्ष्य निर्धारित किए थे क्योंकि प्रत्येक फफूंदनाशक को उपयोग में लाने की मात्रा भिन्न-भिन्न थी। इसलिए लक्ष्यों का निर्धारण छिड़काव कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए जाने वाले क्षेत्रों के लिए किया गया जो पौधों की आयु, जलवायु की स्थिति इत्यादि के दृष्टिगत छिड़काव कार्यक्रम निर्णायक समिति के अनुमोदन पर किया गया था।

निम्न तालिका में वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान फफूंदनाशकों के छिड़काव हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा उनके प्रति उपलब्धियों को दर्शाया गया है:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमियां	कमी की प्रतिशतता
		(हैक्टेयर में)		
1989-90	50,607	33,262	17,345	34
1990-91	60,729	34,081	26,648	44
1991-92	32,389	32,361	28	--
1992-93	32,389	33,603	--	--
1993-94	48,583	29,184	19,399	40

छिड़काव क्रियाकलापों में कमी को मई 1994 में निदेशक उद्यान द्वारा फफूंदनाशकों की कम मांग से तथा जिला उद्यान अधिकारी, नाहन द्वारा (जनवरी 1994) बागवानों की निम्न क्रय क्षमता से सम्बद्ध किया गया।

3.3.7 फफूंदनाशकों को उपार्जन तथा बिकी

(i) स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय अभिकरणों की मांग के अनुसार फफूंदनाशकों का उपार्जन किया गया। परन्तु विभाग एक प्रभावी समन्वयक के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान 4 जिला उद्यान अधिकारियों* द्वारा, 21 मामलों में फफूंदनाशकों की आपूर्ति मांग से अधिक मात्रा में की गई तथा 56 मामलों में माल की आपूर्ति कम मात्रा में की गई। यद्यपि एक फफूंदनाशक की आपूर्ति एक जिला उद्यान अधिकारी द्वारा की गई मांग से अधिक मात्रा में की गई परन्तु वही फफूंदनाशक एक अन्य जिला उद्यान अधिकारी को मांग से कम मात्रा में दिया गया और अधिक विवरण परिशिष्ट VI में दिया गया है। यद्यपि पौध संरक्षण सामग्री की कम आपूर्ति के प्रभाव का पता नहीं चला सका लेकिन सामग्री की अधिक आपूर्ति से क्षेत्रीय इकाइयों के पास सामग्री का संचय हो गया। कुछ मामलों में फफूंदनाशकों की अधिक आपूर्ति के कारण फफूंदनाशकों की भण्डारण अवधि समाप्त हो गई थी जैसा कि परिच्छेद 3.3.9 में इंगित किया गया है।

(ii) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फफूंदनाशकों की बिक्री स्कैब-रोधक फफूंदनाशक वितरण कार्ड धारियों को उन निर्धारित विक्रय केन्द्रों पर की जानी थी जहां वे पंजीकृत थे ताकि उपदान के दुरुपयोग तथा कृमिनाशकों के अविवेकपूर्ण उपयोग को रोका जा सके।

---

* चम्बा, कुल्लू, नाहन तथा शिमला

लेकिन यह पाया गया कि 1989-94 के दौरान पांच जिला उद्यान अधिकारियों* ने वितरण कार्ड के बिना बागवानों को फफूंदनाशक (लागत: 13.21 लाख रु0) उपदान दरों पर बेचे।

इसी प्रकार तीन जिला उद्यान अधिकारियों** तथा वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, शिमला द्वारा 1989-94 के दौरान फफूंदनाशक औषधियां (लागत : 22.88 लाख रु0) बागवानों को सीधे विक्रय किए गए तथा निर्धारित विक्रय केन्द्रों के माध्यम से उपदान दरों पर नहीं किए गए।

इस प्रकार लाभग्राहियों में फंफूदनाशकों का उपदान दरों पर विक्रय(लागत: 36.09 लाख रु0) लाभग्राहियों का हक सत्यापन किए बिना किया गया था।

(iii) स्कीम के अन्तर्गत उपार्जित तथा उपदान दरों पर बागवानों को विक्रयार्थ अपेक्षित 1.10 लाख रु0 के मूल्य की स्कैब-विरोधी फंफूदनाशक चार जिला उद्यान अधिकारियों*** द्वारा अन्य सरकारी एजैंसियों को विक्रय किए गए थे जिन्होनें उनका प्रयोग सेबों की अपेक्षा अन्य पौधों के छिड़काव पर किया। इस प्रकार स्कैब विरोधी रोग के प्रयोजनार्थ फंफूदनाशकों का अनियमित व्यपवर्तन किया गया था।

3.3.8 अनिर्धारित फंफूदनाशक औषधियों की आपूर्ति

वर्ष के दौरान उपज की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की फंफूदनाशक औषधियों के छिड़काव की समय सारणी प्रतिवर्ष स्प्रे शैडयूल फाइनलाइजेशन कमेटी के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित की जाती है। वर्ष 1992 के दौरान फंफूदनाशक "स्कैबीसाईड" विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी। परन्तु हिमाचल प्रदेश स्टेट ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने सरकारी संस्वीकृति के अनुसार उद्यान विभाग द्वारा "डोडीन" के लिए प्रस्तुत मांगपत्रों की बजाय 1992-93 के दौरान 54.50 लाख रु0 मूल्य की स्केबीसाईड उपार्जित की। विभाग द्वारा 1992-93 के दौरान कॉर्पोरेशन को लागत का 50 प्रतिशत की दर से 27.25 लाख रु0 की उपदान राशि का निस्तारण भी किया गया था।

तदनुसार हिमाचल प्रदेश स्टेट ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा "डोडीन" के स्थान पर दो जिला उद्यान अधिकारियों**** को अप्रैल 1992 के दौरान 3,942 कि0ग्रा0 (लागत: 21.48 लाख रु0) स्कैबीसाईड आपूरित की गई थी।

---

* चम्बा, मण्डी, नाहन, शिमला तथा सोलन

** मण्डी, शिमला तथा सोलन

*** चम्बा, नाहन, शिमला तथा सोलन

**** कुल्लू: 1944 कि0ग्रा0 (लागत: 10.59 लाख रु0) तथा शिमला: 1998 कि0ग्रा0 (लागत: 10.89 लाख रु0)

वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी कुल्लू तथा शिमला को यह निर्देश दिया (अप्रैल 1992) कि वह बागवानों को स्कैबीसाईड आपूरित न करें क्योंकि उस फंफूदनाशक औषधि का पंजीकरण केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड के पास विवादग्रस्त था। जिला उद्यान अधिकारी, शिमला द्वारा प्राप्त मात्रा हिमालच प्रदेश द्वारा प्राप्त मात्रा हिमालच प्रदेश ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को वापिस की गई थी जबकि जिला उद्यान अधिकारी, कुल्लू द्वारा प्राप्त स्कैबीसाईड की समस्त मात्रा बागवानों को आपूरित कर दी गई थी (अप्रैल 1992: 1644 कि0ग्रा0 तथा अप्रैल 1993: 300 कि0ग्रा0)

कॉर्पोरेशन के पास शेष पड़ी अनिर्धारित फंफूदनाशक औषधि की प्रयुक्ति से संबंधित स्थिति विभाग को ज्ञात नहीं थी। कॉर्पोरेशन को दी गई 22.87 लाख रु0 (उपदान: 21.95 लाख रु0 तथा 50 प्रतिशत लागत का भाग: 0.92 लाख रु0) की अग्रिम राशि अभी वसूल होने को थी।

कॉर्पोरेशन को 27.25 लाख रु0 के अनियमित उपदान के भुगतान के अतिरिक्त कुल्लू जिले में बागवानों द्वारा अनिर्धारित फंफूदनाशक औषधि का प्रयोग किया गया था।

3.3.9 फंफूदनाशक औषधियों की भण्डारण की समाप्ति

दर संविदा के अनुसार बिक्री हेतु शेष अथवा अन्यथा भण्डारण अवधि समाप्त हुए स्टॉक की 15 प्रतिशत फंफूदनाशक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिना लागत के अपने खर्चे पर पुनर्स्थापित किए जाने अपेक्षित थे। यह बात ध्यान में आई थी कि:-

(i) 1982-85 के दौरान क्रय की गई 45.36 लाख रु0 के मूल्य की फफूंदनाशक विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ी थीं। जिनकी भण्डारण अवधि समाप्त हो चुकी थी। विभाग द्वारा ये समस्त फंफूदनाशक कुल्लू तथा मण्डी में संगृहीत की गई थीं। दर संविदा की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकताओं द्वारा लागत के बिना पुनर्स्थापित किए जाने वाले अपेक्षित फंफूदनाशक मार्च 1994 तक आपूर्तिकर्ताओं को पुनर्स्थापनार्थ नहीं भेजे गए थे।

(ii) फंफूदनाशक (लागत: 1.32 लाख रु0) जिनकी भण्डारण अवधि समाप्त हो चुकी थी, 1990-94 के बीच तीन जिला उद्यान अधिकारियों* द्वारा विभागीय फार्मों मे प्रयुक्त की गई थीं अथवा बागवानों को विक्रय की गईं थी।

3.3.10 फंफूदनाशकों का अभाव

लेखापरीक्षा में पांच जिला उद्यान अधिकारियों** के कार्यालयों के 1989-93 की अवधि से सम्बद्ध स्टॉक रजिस्टरों में फंफूदनाशकों (लागत: 12.25 लाख रु0) की अल्प लेखाबद्धता पाई गई थी।

---

* चम्बा: 0.16 लाख रु0, कुल्लू:0.04 लाख रु0 तथा शिमला: 1.12 लाख रु0

** चम्बा: 0.66 लाख रु0; कुल्लू: 9.16 लाख रु0; नाहन: 0.67 लाख रु0; शिमला: 1.70 लाख रु0 तथा सोलन: 0.06 लाख रु0

इसके अतिरिक्त जिला उद्यान अधिकारी, शिमला के कार्यालय के स्टोरकीपर ने नवम्बर 1992 में अपने स्थानान्तरण के समय कम फंफूदनाशक (लागत: 3.09 लाख रु0) सौंपें थे। सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मई 1993 में आरम्भ की गई थी। आगे की प्रगति मार्च 1994 से प्रतीक्षित थीं।

3.3.11 प्रबन्धन प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान

विभाग द्वारा लाभग्राहियों से फंफूदनाशक की बिक्री के प्रति 5 प्रतिशत की दर से प्रबंधन प्रभार वसूल किए गए थे। परन्तु जिला उद्यान अधिकारी, शिमला द्वारा 1992-93 तथा 1993-94 के बीच वसूल किए गए 0.69 लाख रु0 के प्रबंधन प्रभार हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को मार्च 1993 तथा सितम्बर 1993 के बीच दिए गए थे यद्यपि इन मामलों में बिक्रियों का प्रबन्धन कॉर्पोरेशन द्वारा नहीं अपितु विभाग द्वारा किया गया था। इस प्रकार यह भुगतान कॉर्पोरेशन का देय नहीं था।

3.3.12 निगरानी तथा मूल्यांकन

बिक्री एजैन्सियों से सरकार को विभिन्न फंफूदनाशकों की उपयोगिता तथा बिक्री से सम्बद्ध मासिक प्रतिवेदन भेंजे जाने अपेक्षित थे। ऐसे कोई प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से प्राप्त नहीं हुए थे जो कि फंफूदनाशकों के विक्रयार्थ स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय एजैन्सी है।

राज्य में इस स्कीम में समुचित मूल्यांकन व्यवस्था के निर्माण हेतु संयंत्र के सरंक्षण उपायार्थ संगठनात्मक मशीनरी को ठीक बनाये रखने का प्रावधान था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं/ पूर्ण कर लिए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ उद्यान निदेशालय, बागवानी विश्वविद्यालय तथा वनस्पति संरक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय प्रत्येक से एक प्रतिनिधि को समावेश करके एक दल का गठन किया जाना था। यद्यपि स्कीम के अधीन क्षेत्र से संबद्ध आवधिक प्रतिवेदन बागवानी विश्वविद्यालय तथा विभागीय अधिकारियों को मिलाकर उद्यान निदेशालय द्वारा प्रेषित किए जा रहे थे परन्तु 17 वर्षों से कार्य कर रही इस स्कीम के संपूर्ण प्रभाव को जानने हेतु समस्त राज्य का समेकित सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

ये तथ्य सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

राजस्व विभाग

3.4 जिला समाहर्तालयों में वित्तीय प्रबन्ध

जिला स्तर पर उप-आयुक्त सरकार का महत्वपूर्ण कार्य संचालक है। जिले के सामान्य प्रशासन की देखभाल के अतिरिक्त यह समहर्ता के रुप में भी कार्य करता है तथा जिले में कुछ विकासात्मक स्कीमों के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।

उपायुक्त कार्यालयों के वित्तीय प्रबन्धों से सम्बन्धित अभिलोखों की अप्रैल 1993 से जून 1994 के बीच की गई नमूना जांच के दौरान ध्यान में आई कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न परिच्छेदों में वर्णित हैं:-

(i) आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

राज्य के वित्तीय नियमों में यह उल्लिखित है कि कोषागार से किसी भी धनराशि का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जबकि उस की आवश्यकता तुरन्त संवितरण अथवा किसी स्थाई अग्रिम से निकाली गई निधियों की पुन: पूर्ति के लिए न हो। कोई भी अव्ययित शेष धनराशि एक दम कोषागार में वापस जमा की जानी अपेक्षित है। मई 1989 में वित्त विभाग ने यह आदेश दिया था कि जिला आयोजना, प्राकृतिक आपदाओं से हुए उत्पीड़न से सहायता, अहमदनगर प्रयोग आदि विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु आहरित समस्त निधियां व्यक्तिगत लैजर खातों में रखी जानी चाहिए जो सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कोषागारों में खोले जाने चाहिए।

यह पाया गया कि उपायुक्तों (लाहौल तथा स्पिति एवं किन्नौर के उपायुक्तों को छोड़कर) के अधीन कार्यरत विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सुखाराहत, स्थानीय जिला आयोजना तथा अहमदनगर प्रयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1992-93 तथा 1993-94 की अवधि के बीच आहरित निधियां वैयक्तिक लैजर खातों की बजाय बैंक खातों में रखी गई थी। इस अवधि में इन खातों में शेष रोकड़ 3.57 करोड़ रु0 तथा 13.26 करोड़ रु0 के मध्य था। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाना अपेक्षित राज्य का न्यूनतम शेष रोकड़ भी अनुरक्षित नहीं किया जा सका तथा राज्य सरकार को 232 तथा 218 दिवसों के ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ा और 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान क्रमश: 1.55 करोड़ रु0 व 2.96 करोड़ की ब्याज राशि देनी पड़ी। इस प्रकार निर्धारित कार्यविधि/वित्तीय नियमों का अननुपालन राज्य सरकार के शेष रोकड़ में कमी और अन्तत: ब्याज के भुगतान में परिणत हुआ।

(ii) प्राप्तियों का व्यय के लिए प्रयोग

वित्तीय नियम सरकार के व्यर्थ धन प्राप्तियों का प्रयोग निषिद्ध करते हैं। परन्तु

वित्तीय आयुक्त व सचिव (राजस्व) ने जून 1990 में हुई वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह स्पष्ट किया कि ब्याज की प्राप्तियां राहत कार्यों पर व्ययित की जा सकती हैं। यह वित्तीय नियमों में सन्निहित उपबंधों का उल्लंघन था।

उपायुक्त, कांगड़ा तथा शिमला ने 1986-87 तथा 1993-94 के दौरान बैंक की जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज के रुप में 30.54 लाख रु0 में से 26.83 लाख रु0 का व्यय किया तथा बैंक में केवल 3.71 लाख रु0 शेष रहें। इसी प्रकार उपायुक्त, चम्बा, किन्नौर तथा सिरमौर द्वारा 1991-92 से 1993-94 के बीच बैंक की जमाराशियों पर अर्जित 3.57 लाख रु0 की ब्याज राशि भी बैंक खातों में पड़ी हुई थी। ये राशियों कोषागारों में जमा नहीं कराई हैं।

(iii) **निधि व्यपवर्तन**

(क) वृष्टि क्षतियों की पुनर्स्थापना हेतु 3 उपायुक्तों* को 1991-92 तथा 1992-93 के बीच 44 लाख रु0 की राशि दी गई थी। राहत उपायों के कार्यान्वयन पर सरकारी अनुदेशों के अनुसार क्षतिग्रस्त निर्माणकार्यों की मरम्मतों तथा पुनर्स्थापना पर बल दिया जाना था। परन्तु यह पाया गया कि पुलिस आवासों, गोदामों, चौकीदार हट, विद्यालय भवनों आदि नए निर्माणकार्यों पर 21.15 लाख रु0 अनियमित रुप से व्यय किए गए थे।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल के परिवहनार्थ उप आयुक्त, सोलन को जुलाई 1992 में 2 लाख रु0 की राशि दी गई थी। इसमें से 0.62 लाख रु0 जल के परिवहनार्थ खर्च किए गए तथा 1.38 लाख रु0 की शेष राशि जल स्रोतों की मरम्मत तथा निर्माण, हैंड पंपों आदि के प्रतिष्ठापन पर व्यय की गई थी।

(iv) **युद्ध जागीर का असंवितरण**

हिमाचल प्रदेश युद्ध अधिनिर्णय अधिनियम 1972 के अनुसार उन माता-पिता को वर्ष में दो बार (फरवरी तथा अगस्त) 300 रु0 प्रतिवर्ष की दर से युद्ध जागीर देय है जिनके बच्चों ने सशस्त्र सेनाओं में सेवा की थी अथवा सेवारत हों; उपायुक्त कांगड़ा, सोलन तथा ऊना द्वारा फरवरी 1985 तथा फरवरी 1992 के बीच 3.36 लाख रु0 का आहरण किया गया था। प्राप्तकर्ताओं को यह राशि संवितरित नहीं की गई थी। उप आयुक्त सोलन तथा ऊना ने बताया कि कुछ व्यक्तियों के पता-ठिकानों की अनुपलब्धता के कारण राशियां संवितरित नहीं की जा सकीं तथा कुछ मामलों में मृत्यु-प्रमाणपत्रों का अभाव था जिससे विभाग उनके कानूनी वारिसों को राशियां संवितरित नहीं कर सका।

---

* किन्नौर (19 लाख रु0), लाहौल तथा स्पीति (10 लाख रु0) तथा सोलन (15 लाख रु0)

(v) **निधियों का संदिग्ध उपयोग**

उपायुक्त, कांगड़ा ने 3 प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों के निर्माणार्थ खण्ड विकास अधिकारी इंदौरा को जनवरी 1990 तथा मई 1991 के बीच 2.39 लाख रु० दिए तथा उसने 2.39 लाख रु० के उपयोगिता प्रमाणपत्र अक्तूबर 1992 में प्रस्तुत किए। परन्तु अतिरिक्त उप आयुक्त, कांगड़ा द्वारा 1993 में किए गए निर्माणकार्यों के स्थल-निरीक्षण से प्रकट हुआ कि तीन स्थानों में से दो स्थानों पर कोई विद्यालय भवन निर्मित नहीं किया गया था जिस पर 1.59 लाख रु० का व्यय किया हुआ बताया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त ने खण्ड विकास अधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने के लिए अगस्त 1993 में अनुरोध किया। अगामी प्रगति अप्रैल 1994 तक प्रतीक्षित थीं।

(vi) **अनियमित व्यय**

समाहर्तालयों में अहमदनगर प्रयोग के कार्यान्वयन हेतु प्रदत्त निधियां राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ठ मदों पर व्ययित की जानी थीं। परन्तु 5 उप-आयुक्तों* द्वारा टंकण मशीनों, डुप्लिकेटिंग मशीनों, पर्दे का कपड़ा, गलीचों आदि जैसी अविशिष्ट मदों को अर्जित करने पर 1990-93 के बीच 3.20 लाख रु० की राशि खर्च की गई थी।

(vii) **कथित दुर्विनियोजन**

(i) फरवरी 1992 तथा अप्रैल 1992 में की गई लेखापरीक्षा में उप-आयुक्त चम्बा के कार्यालय की रोकड़ पुस्तकों के अनुरक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं इंगित की गई थीं:-

(क) संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टियों को प्रमाणित न करना;
(ख) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मासांत में शेष रोकड़ को सत्यापित न करना;
(ग) रोकड़ पुस्तकों के गलत योग;
(घ) अधिक मात्रा में शेष रोकड़ रखना ; तथा
(ड) मासांत में असंवितरित राशियों के ब्यौरे संगणित न करना।

यह बात भी ध्यान में आई थी कि उपायुक्त चम्बा के कार्यालय द्वारा रोकड़ पुस्तकों के अनुरक्षण मे निर्धारित क्रिया विधियों का अनुपालन न करना कथित दुर्विनियोजनों में परिणत हुआ जैसा कि नीचे चर्चित है:

---

* किन्नौर, कुल्लू, शिमला, सोलन तथा ऊना

(क) उपायुक्त चम्बा के कार्यालय की राहत शाखा द्वारा उसी कार्यालय के जिला नाजिर के नाम 2 मई 1992 को 1.50 लाख रु० का चैक उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल) डलहौजी (1 लाख रु०) तथा पांगी (0.50 लाख रु०) को बैंक ड्राफटों के माध्यम से राशी के हस्तान्तरण हेतु जारी किया। बैंक ड्राफटों को संबंधित उप मण्डलीय अधिकारियों के नाम बनाने की बजाय जिला नाजिर ने 20 जुलाई 1992 को चैक भुनाया। जिला नाजिर ने न तो रोकड़ पुस्तक में रोकड़ लेखाबद्ध किया न ही राशि का हस्तान्तरण संबद्ध उप मण्डलीय अधिकारियों को किया।

(ख) उप-आयुक्त चम्बा ने जिला नाजिर को कार्यालय में नजारत शाखा से अन्य शाखा को स्थानान्तरण के परिणामस्वरुप में आदेश दिया कि वह दिसम्बर 1992 में आदेश दिया कि वह 23 दिसम्बर 1992 से 4 फरवरी 1993 तक अवकाश के पश्चात 5 फरवरी 1993 को रोकड़ का प्रभार सौंप दें। उसने प्रभार सौंपने की तारीख को रोकड़ पुस्तक में प्रदर्शित 6,75,435.14 रु० के शेष रोकड़ के प्रति केवल 187.13 रु० सौंपे। लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर अक्तूबर 1993 में रोकड़पुस्तक की संवीक्षा से भी यह पता लगा कि 5 फरवरी 1993 को वास्तविक शेष रोकड़ 6,75,435.14 रु० की बजाय 6,91,948.14 रु० बनता था। इस प्रकार जिला नाजिर ने अपने उत्तराधिकारी को फरवरी 1993 में 6,91,761.01 रु० कम सौंपें।

(ग) बैंक ड्राफट तथा चैक रोकड़ हैं। उप-आयुक्त चम्बा द्वारा प्राप्त चैकों/बैंक ड्राफटों को रोकड़ पुस्तकों में लेखांकित करने की बजाय इन मूल्यवान वस्तुओं को लेखाबद्ध करने हेतु एक पृथक रोकड़ पुस्तक आरंभ की गई थी। यह पुस्तक जनवरी 1991 से दिसम्बर 1992 तक नहीं लिखी गई थी। उप आयुक्त, चम्बा के कार्यालय द्वारा तैयार की गई इन मूल्यवान वस्तुओं की सूचिओं में इस अवधि के बीच 8.47 लाख रु० के 137 बैंक ड्राफट/चैक प्राप्त हुए दर्शाए गए थे। इनमें से 7.28 लाख रु० के 67 बैंक ड्राफट/ चैक इन सूचिओं में निपटाए गए प्रदर्शित किए थे। 1.19 लाख रु० के शेष 70 बैंक ड्राफटों/चैकों का निपटान सूचिओं में भी उपलब्ध नहीं था।

विभागीय जांच के आधार पर जिला नाजिर को जुलाई 1993 में सेवा से हटा दिया गया। यह मामला भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को भी जनवरी 1993 में संदर्भित किया गया था। आगे की प्रगतियों प्रतीक्षित थीं (अप्रैल 1994)।

(घ) नायब तहसीलदार, सिहुंता (चम्बा जिला) द्वारा रखी गई रोकड पुस्तक 4 फरवरी 1993 तक लिखी गई थीं। रोकड़ को संभालने तथा रोकड़ पुस्तक को रखने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी 18 जून 1993 से फरार था। नायब तहसीलदार द्वारा इस मामले की रिर्पोट पुलिस को जुलाई 1993 में की गई थी। रोकड़ वाली अलमारी रोकड़िये ने 23 अगस्त 1993 को तोड़कर खोली जिसमें केवल 6,332.50 रु० मिले। लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर-अक्तूबर 1993 में लेन देनों के अनुसार संगणित वास्तविक शेष रोकड़ कुल 35,842 रु० था। इस प्रकार 23 अगस्त 1993 को 29,509.50 रु० कम पाए गए। इस मामले की भावी प्रगति प्रतीक्षित थीं (अप्रैल 1994)।

(ii) नवम्बर 1993 के मध्य उप आयुक्त, शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल), चौपाल तथा खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल एवं मशोबरा द्वारा जुलाई 1992 और जुलाई 1993 के बीच दिए गए 9.93 लाख रु० उप आयुक्त, शिमला के कार्यालय में लेखांबद्ध नहीं किए गए थे।

इसी प्रकार उप आयुक्त शिमला, खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा, नारकंडा तथा रामपुर को दिसम्बर 1992 से जुलाई 1993 तक के मध्य प्रेषित 3.66 लाख रु० का लेखांकन उनकी रोकड़ पुस्तकों में न किया हुआ पाया गया था।

विसंगतियों का समाधान मई 1994 तक नहीं किया गया था।

ये मामले सरकार को अगस्त 1994 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.5 उपस्कर की अवप्रयुक्ति

नार्कोटिक्स, मादक द्रव्यों, विषों, चिकित्सा औषधियों, खाद्य वस्तुओं, मद्य आदि के नमूनों के उचित रुप से तथा तीव्रता से विश्लेषण हेतु 13.91 लाख रु० की कुल लागत से दो अत्याधुनिक मशीने जनवरी 1990 में आयात की गई थीं तथा कंपोजिट टेस्टिंग लैबोरेटरी, कण्डाघाट (सोलन जिला) में दिसम्बर 1990 में प्रतिष्ठापित की गई थीं। यद्यपि मद्य के 5,000 तथा नार्कोटिक्स के 100 से अधिक नमूने वार्षिक रुप से प्रयोगशाला में प्राप्त किए गए थे परन्तु इन मशीनों का प्रयोग दिसम्बर 1990 से नवम्बर 1991 के बीच मद्य तथा नार्कोटिक्स के केवल क्रमशः 25 तथा 35 नमूनों के विश्लेषण के लिए किया गया था। मशीनों का उपयोग दिसम्बर 1991 से मार्च 1994 तक बिल्कुल नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (अगस्त 1993 तथा अप्रैल 1994) कि मशीनों का उपयोग स्टाफ की कमी तथा संदर्भ मानकों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। निदेशक. स्वास्थ्य सेवाएं ने भी बताया (अगस्त 1994) कि पद तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता तथा सरकार द्वारा नई भर्ती पर लगाई गई रोक के कारण नहीं भरे जा सके।

13.91 लाख रु० का निवेश इस प्रकार व्यर्थ रहा और प्रयोगशालाओं में नमूनों के विश्लेषण का अभीष्ट प्रयोजन भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.6 भवन पर निरर्थक निवेश

जिला चिकित्सालय, धर्मशाला में इसके क्षेत्रीय चिकित्सालय के रुप में उन्नयन पर अतिरिक्त आवास व्यवस्था करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा 167.98 लाख रु0 की लागत से चिकित्सा भवन का चरण-II, ब्लॉक "सी" का निर्माण मार्च 1992 में पूर्ण किया गया। भवन का भूतल, प्रथम तल तथा दूसरे तल का आधा भाग शिशुओं, स्त्रियों तथा विशेष कक्षों के रुप में प्रयोग किए जा रहे थे। दूसरे तल का अन्य आधा भाग तथा तीसरा तल जो लगभग 62.99 लाख रु0 की लागत से पूर्ण किये गये थे, लोक निर्माण विभाग द्वारा अप्रैल 1992 में सौंपा गया था परन्तु ये रिक्त पड़े थे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला ने बताया (जून 1994) कि भवन का यह भाग इसलिए प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी धर्मशाला द्वारा अपेक्षा की गई सीमा तक स्टाफ की संस्वीकृति न करने तथा उपस्कर के अभाव के कारण क्षेत्रीय चिकित्सालय में अतिरिक्त बिस्तरे आरंभ नहीं किए जा सके। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (अगस्त 1994) कि अपेक्षा किए गए 44 वर्गों के 165 पदों के प्रति सरकार ने 7 वर्गों के 30 पद संस्वीकृत किए थे। परिणामतः 62.99 लाख रु0 का निवेश निरर्थक रहा।

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.7 निष्कार्य स्टाफ पर व्यय

सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय, कुल्लू के लिए धोबियों के दो पद नवम्बर 1968 में संस्वीकृत किए गए थे। ये पद फरवरी 1986 तक कार्य में नहीं लाए गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा एक धोबी की भर्ती मार्च 1986 में की गई थी। परन्तु उसकी सेवाएं धोबीघाट, बहते पानी तथा सूखाने के स्थान जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सालय के लिनेन धोने के लिए मई 1994 तक उपयोग में नहीं लाईं जा सकीं। इसी बीच धोबी को मार्च 1986 से मार्च 1994 तक की अवधि के लिए 1.39 लाख रु0 का वेतन देने के अतिरिक्त गैर-सरकारी धोबियों से अप्रैल 1986 से मार्च 1994 तक चिकित्सालय के वस्त्र धुलाने पर 1.82 लाख रु0 का व्यय भी किया गया। धोबी को किसी अन्य आवश्यकता वाली इकाई को स्थानान्तरित करने अथवा इसकी सेवाओं का उपयोग करने हेतु सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू ने बताया (मई 1994) कि धोबी की सेवाएं परिवार नियोजन कैंपों के दौरान आप्रेशन थियेटर में तथा अंशतः चिकित्सालय के सामान्य बाह्यरोगी विभाग में प्रयुक्त लिनेन धुलाने के लिए उपयोग की गई थीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह तर्क युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि वस्त्र धुलाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तथा यह कार्य गैर-सरकारी धोबियों से करवाया गया था।

इस प्रकार अपेक्षित सुविधाओं को उत्पन्न किए बिना धोबी की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं था। इस नियुक्ति के परिणामस्वरुप वेतन पर 1.39 लाख रु0 का निष्फल व्यय हुआ तथा इसके अतिरिक्त वस्त्रों की धुलाई पर 1.82 लाख रु0 का व्यय हुआ।

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.8 दोषपूर्ण योजना के कारण परिहार्य व्यय

ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मशोबरा (शिमला जिला) के अधीन मार्च 1989 में दो उप-केन्द्र* संस्वीकृत किए गए थे जिनके लिए स्वास्थ्य सेविकाओं के दो पद अप्रैल 1989 में संस्वीकृत किए गए थे। इन दोनों उप-केन्द्रों में से एक ने बुशेल (मोतीबाग) में जून 1992 में कार्य करना आरम्भ कर दिया तथा दूसरे क्षेत्र में उचित आवास व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल 1994 तक आरंभ नहीं किया जा सका। इसी बीच इन दो उपकेन्द्रों के प्रति जून 1989 में तैनात स्वास्थ्य सेविकाओं को एक मामले में जून 1989 से मई 1992 तक तथा दूसरे मामले में जून 1989 से मार्च 1994 तक कुल 2.59** लाख रु0 का वेतन दिया गया था।

लेखापरीक्षा में (दिसम्बर 1993) इस बात को इंगित करने पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी ने दिसम्बर 1993 बताया कि इन स्वास्थ्य सेविकाओं की सेवाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, मशोबरा में उपयोग में लाई गई थीं। परन्तु अधिकारी की यह दलील तर्कसंगत नहीं थी क्योंकि उस केन्द्र मे उस अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेविका की कोई रिक्ती नहीं थी।

उप केन्द्र के आरंभ करने में विलम्ब तथा उचित आवास का सृजन करने से पूर्व स्टाफ तैनात करने के परिणामस्वरुप ग्रामीणों को अभीष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान नहीं की गई और इसके अतिरिक्त स्टाफ पर 2.59 लाख रु0 का परिहार्य व्यय हुआ।

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

---

* बुशेल (मोती बाग) तथा धार (टूटी कण्डी)

**बुशेल: 0.90 लाख रु0; धार : 1.69 लाख रु0

उद्योग विभाग

3.9 व्यर्थ निवेश

विभाग द्वारा उद्योगपतियों को आबंटन हेतु 44.21 लाख रु० (प्लॉट : 33.35 लाख रु० तथा शैड : 10.86 लाख रु०) की कुल लागत से 1987-89 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र, ताहलीवाला (ऊना जिला) में 86 औद्योगिक प्लॉट तथा 10 शैड विकसित किए गए थे।

86 औद्योगिक प्लॉटों में 40 प्लॉट 20 उद्यमियों को 1988-94 के मध्य आबंटित किए गए। इस प्रकार 17.84 लाख रु० की लागत से विकसित 46 प्लॉट रिक्त पड़े थे परिणामत: यह निवेश निरर्थक रहा।

10 शैडों में से केवल 3 का आबंटन फरवरी 1991 से अक्तूबर 1992 के मध्य किया गया। इनमें से 2 शैडों का आंबटन शर्तों का अनुपालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया (दिसम्बर 1992 तथा फरवरी 1994)। तीसरी इकाई समुचित रुप से कार्य नहीं कर रही थी तथा औद्योगिक इकाई से जून 1991 से मार्च 1994 तक की अवधि से संबंधित 0.45 लाख रु० के किराये की राशि वसूल नहीं की गई थी। इस प्रकार 9.77 लाख रु० की लागत से निर्मित 9 औद्योगिक शैड रिक्त पड़े थे।

महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना ने बताया (जून 1994) कि औद्योगिक प्लॉट/शैड उद्योगपतियों से मांग प्राप्ति पर आबंटित किए जा रहे थे। मांग को उत्पन्न करने के लिए किए गए प्रयास सूचित नहीं किए गए थे।

कांगड़ा जिले में संसारपुर टैरेस औद्योगिक क्षेत्र में 39.85 लाख रु० की लागत से विकसित 124 प्लॉटों में से 14 औद्योगिक प्लॉट आबंटित नहीं किए जा सके क्योंकि उन पर से हाई-टैंशन विद्युततार गुजर नहीं थी। उन प्लाटों को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लाने का प्रस्ताव, यदि कोई था, लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.10 अपूर्ण कार्य

उद्योग निदेशक ने पालमपुर में दो टाईप-III स्टाफ क्वार्टर के निर्माणार्थ मार्च 1989 में 1.96 लाख रु० का प्रशासनिक अनुमोदन दिया। यह राशि तकनीकी अधिकारी (चाय), पालमपुर ने मार्च 1989 में आहरित की तथा कार्य के निष्पादनार्थ बैंक ड्राफट द्वारा खण्ड विकास अधिकारी पंचरुखी को प्रेषित की। खण्ड विकास अधिकारी ने स्टाफ की कमी के कारण कार्यारम्भ

नहीं किया तथ बैंक ड्राफट जून 1989 में तकनीकी अधिकारी (चाय) को वापिस कर दिया।

तदुपरांत यह राशि लोक निर्माण मण्डल के पास नवम्बर 1989 में जमा कर दी। मण्डल अधिकारी ने जुलाई 1994 में निविदाएं आमंत्रित की परन्तु जुलाई 1994 तक कार्य नहीं सौंपा। मण्डल अधिकारी ने अक्तूबर 1993 में देर से कार्य आरम्भ करने का कारण विभाग द्वारा स्थान सौंपने में विलंब तथा स्थल योजना का अनुमोदन न करना बताया।

कार्यपूर्णता में विलम्ब के फलस्वरुप न केवल स्टाफ ही उचित आवास व्यवस्था से वंचित रहा अपितु निधियां भी 5 वर्षों से भी अधिक तक अवरुद्ध रहीं।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

शिक्षा विभाग

3.11 रोकड़ प्रबन्ध में कमियां

राज्य के वित्तीय नियमों में यह व्यवस्थित है कि सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में रोकड़ पुस्तक रखे तथा समस्त वार्षिक लेन-देन जैसे ही वे घटित हों, उसमें लिखे जाने चाहिए । कार्यालयध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि यह रोकड़ पुस्तक के योगों, की जांच स्वयं करे अथवा रोकड़ पुस्तक के लेखक से भिन्न किसी अन्य जिम्मेदार अधीनस्थ कर्मचारी से करवाए। उससे यह भी अपेक्षित है कि वह मासांत में शेष रोकड़ को सत्यापित करे तथा इस आशय का प्रमाणपत्र अभिलिखित करे।

खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, नाहन की रोकड़ पुस्तक की जनवरी-फरवरी 1994 के दौरान की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्न अनियमितताएं उद्घाटित की:

(i) सितम्बर से दिसम्बर 1993 तक कोषागार से आहरित 7,84,833 रु0 की राशि जनवरी 1994 तक रोकड़ पुस्तक में दर्ज नहीं की गई थी।

इसी प्रकार अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक के बीच केन्द्र मुख्य अध्यापकों (2.801 रु0) चुनाव विभाग (1526 रु0) तथा सरकारी खजाने (1068 रु0) से प्राप्त 5,395 रु0 का लेखांकन रोकड़ पुस्तक में जनवरी 1994 तक नहीं किया गया था।

(ii) दिसम्बर 1993 की समाप्ति पर रोकड़ पुस्तक में प्रदर्शित अन्तशेष (100 रु0) तथा लेखापरीक्षा द्वारा संगणित अन्तशेष के बीच 1,14,890 रु0 का अन्तर था।

(iii) जनवरी 1993 में खजाने से आहरित राशि से 938 रु० अधिक संवितरित किए गए प्रदर्शित थे (आहरित राशि 73,773 रु० दी गई 74,711 रु०)

(iv) कुछ व्यक्तियों के संबंध में वेतन तथा मजदूरियां दो बार आहरित की गई थी और जाली व्यक्तियों के प्रति अक्तूबर 1992 एवं नवम्बर 1993 के बीच 13,372 रु० के आहरण किए गए थे। रोकड़िये से दोहरे आहरणों के प्रति 1875 रु० की वसूली की गई थी। 11,398 रु० की शेष राशि वसूल नहीं की गई थी।

(v) सेवा निवृत कर्मचारियों को आवास किराया भत्ते की बकाया राशियों के कारण खजाने से 1993 के दौरान आहरित 17,048 रु० के प्रति बिल की कार्यालय प्रतिलिपि तथा संवितरणों के ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाएं गए थे।

(vi) "पे रोल सेविंग स्कीम" के अन्तर्गत 5 व्यक्तियों के वेतन से दिसम्बर 1992 से जून 1993 तक काटै गए 4300 रु० की राशि डाकघर में उनके खातों में जमा नहीं की थी।

(vii) खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अगस्त 1992 से अक्तूबर 1992 तक, दिसम्बर 1992 से अप्रैल 1993 तक तथा जून 1993 का संगणित तथा प्रमाणित अंतशेष रोकड़ पुस्तक के लेनदेनों के अनुसार इन महीनों के दौरान के वास्तविक अंतशेषों से मेल नहीं खाता था। इसलिए शेष रोकड़ों का प्रमाणन उचित नहीं था।

(viii) जनवरी 1994 की रोकड़ पुस्तक लेखापरीक्षा की तारीख (फरवरी 1994) तक नहीं लिखी गई थी।

खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने फरवरी 1994 में बताया कि उसकी पदोन्नति अध्यापक से हुई थी तथा उसे लेखाओं का ज्ञान नहीं था। रोकड़ लेन-देनों के समाधान तथा रोकड़ की कम राशियों यदि कोई हो, को वसूल करने हेतु लेखापरीक्षा में फरवरी 1994 के दौरान इन अनियमिततओं की ओर संकेत करने के पश्चात भी विभाग द्वारा जून 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया। अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.12 आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान

शिक्षा निदेशक द्वारा "विद्यालयों की विज्ञान शिक्षा में सुधार" स्कीम के अन्तर्गत उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकें आपूर्ति करने हेतु अन्तिम रुप दी गई शर्तों के अनुसार पुस्तकें गंतव्य स्थान पर आपूरित की जानी थी। पुस्तकें विकल्पत: ढुलाई व्यय पूरा करने के

लिए आपूर्ति आदेश में समाविष्ट राशि का 3 प्रतिशत काटकर विभाग के आंचिलिक कार्यालयों को आपूरित की जा सकती थी। यह पाया गया कि कांगड़ा तथा शिमला के आंचलिक कार्यालयों में 1987-88 के बीच 44.25 लाख रु० के मूल्य की पुस्तक-आपूर्तियां प्राप्त की गई थीं। परन्तु शिक्षा निदेशक ने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय ढुलाई प्रभारों के रुप में कम की जानी अपेक्षित 1.33 लाख रु० की राशि वसूल नहीं की। वसूली मार्च 1994 तक नहीं की गई थी। इसी प्रकार शिक्षा उप-निदेशक, धर्मशाला (0.21 लाख रु०) तथा शिमला (0.09 लाख रु०) द्वारा पुस्तक आपूर्तियों के प्रति परिवाहकों को 1988-93 के मध्य दी गई 0.30 लाख रु० की राशि आपूर्तिकर्ताओं से वसूल की जानी अपेक्षित थी, परन्तु मई 1994 तक वसूल नहीं की गई थी। शिक्षा निदेशक, ने बताया (जून 1994) कि विभाग व्यय की प्रतिपूर्ति करने के प्रयास कर रहा था।

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.13 जनशक्ति का कुप्रबन्ध

राजकीय उच्च विद्यालय, चंडी (सोलन जिला) का उन्नयन करके उसे 1989 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया गया। राज्य सरकार ने इसमें विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने की संस्वीकृति 1993 में दी। परन्तु विभाग ने इस विद्यालय में ये कक्षाएं 1994 से आरम्भ करने का निर्णय लिया। जिला शिक्षा अधिकारी, सोलन द्वारा विद्यालय में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने की प्रत्याशा में अप्रैल 1990 (2 परिचर) तथा मई 1990 (1 परिचर) के मध्य उन्नयनीकृत विद्यालय में तीन प्रयोगशाला परिचर नियुक्त किए। परन्तु विज्ञान कक्षाएं 1993-94 के शिक्षा सत्र तक आरंभ नहीं की जा सकी। इसी बीच इन परिचरों को इनकी सेवाएं अभीष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाकर, अप्रैल 1990 से मई 1994 तक वेतन के रुप में कुल 3.04 लाख रु० की राशि का भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में (फरवरी 1993) इस बात को इंगित किए जाने पर स्कूल के प्राधानाचार्य ने बताया (जून 1994) कि परिचरों की सेवाएं विद्यालय में अन्य संबद्ध कार्यों के लिए उपयोग में लाईं गईं थीं और विज्ञान-कक्षाएं 1994-95 के शिक्षा सत्र से आरंभ की जाएंगी क्योंकि विज्ञान अध्यापक अप्रैल 1994 में तैनात किए गए थे।

कक्षाओं के आरंभ होने से चार वर्ष पूर्व प्रयोगशाला परिचरों को तैनात करने का कोई औचित्य नहीं था, फलतः 3.04 लाख रु० का निष्फल व्यय हुआ।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

वन खेती तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग

3.14 भू-अर्जन न करने के कारण निष्फल व्यय

ट्रकों द्वारा वनोत्पाद के परिवहनार्थ सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से चुराहन वन मण्डल ने 14 किलोमीटर लम्बी किलोड़ लोहानी-सलूनी जीपयोग्य सड़क को चौड़ा करने का कार्य 1985-86 में आरंभ किया। 1 से 14 कि0मी0 तक की 13 किलोमीटर लम्बी सड़क का कार्य 1985-86 से 1990-91 तक 5.56 लाख रु0 के व्यय से पूर्ण किया गया। परन्तु 0/0 से 1 कि0मी0 तक सड़क का प्रारंभिक भाग भूमि विवाद के कारण चौड़ा नहीं किया गया था। इस हिस्से में पड़ने वाली निजी भूमि सड़क चौड़ा करने के लिए अर्जित नहीं की गई थी। अरण्यपाल, चम्बा ने बताया (जुलाई 1994) कि इस भाग में निर्माण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भूमि अर्जित नहीं कर ली जाती तथा भू-स्वामियों को मुआवजे नहीं दिए जाते। यह भी बताया कि भू-अर्जन तथा निर्माण के लिए सड़क के इस भाग को लोक निर्माण विभाग को सौंपने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही थी। 5.56 लाख रु0 के व्यय से चौड़ी की गई 13 कि0मी0 लम्बी सड़क प्रारम्भिक बिन्दु पर कार्य की अपूर्णता के कारण ट्रक चलाने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। इसके अतिरिक्त सड़क के रख रखाव पर 1985-92 के मध्य 1.40 लाख रु0 व्यय किए गए।

भू-अर्जन के बिना किया गया 5.56 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा तथा अभीष्ट लाभ नहीं मिले।

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.15 खच्चरों पर व्यर्थ व्यय

वन मण्डल अधिकारी (वन्य प्राणी), सराहन ने रामपुर के लवी मेले में लाहौल तथा स्पिती जिला के पिन-वैली नेशनल पार्क, ताबों में यात्रा लिए नवम्बर 1988 में 0.26 लाख रु0 की कुल लागत से चार खच्चरों का क्रय किया। उन खच्चरों को ताबों भेजने की बजाय नवम्बर 1988 से अगस्त 1989 तक दोफदा परिक्षेत्र में तथा सितम्बर 1989 से लेखापरीक्षा की तारीख तक (अगस्त 1993) सांगला में वन्य प्राणी मण्डल सराहन के अधीन रहा।

दोफदा में इन खच्चरों को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाया गया जबकि विभाग अधिकारियों ने इन खच्चरों को जनगणना एवं कार्य निरीक्षण के लिए केवल 33 दिन उपयोग में लाया। खच्चरों को प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों तथा चारे व आश्रय की अनुपलब्धता के कारण ताबों स्थानान्तरित नहीं किया गया था। खच्चरों के रख रखाव पर नवम्बर 1988 से जून 1994 तक की अवधि के बीच 1.79 लाख रु0 का व्यय किया गया था। निदेशक पिन वैली नैशनल पार्क ने इन खच्चरों को किसी अन्य मण्डल को स्थानान्तरित करने अथवा उनके निवर्तन का अनुरोध अतिरिक्त

मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) से जून 1993 में किया। भावी प्रगति जून 1994 तक प्रतीक्षित थीं।

इस प्रकार जानवरों को प्राप्त न करने की स्थिति वाले पिन वैली नैशनल पार्क, ताबों के लिए खच्चरों का क्रय कुविचारित था फलतः 2.05 लाख रु० का व्यय व्यर्थ हुआ।

यह मामला सरकार को मई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

कृषि विभाग

3.16 आलू-बीज के उत्पादन पर हानि

कृषकों को आलू-बीज की उन्नत किस्म प्रदान करने हेतु चार* आलू-बीज विकास स्टेशन स्थापित किए गए हैं। आलू विकास स्टेशन, खड़ापत्थर (शिमला जिला) में आलू का औसत उत्पादन वर्ष 1992 के दौरान 54 क्विंटल प्रति एकड़ था तथा क्षेत्र के अन्य स्टेशनों में यह 49 तथा 59 क्विंटल प्रति एकड़ के बीच भिन्न था।

परन्तु लेखापरीक्षा (अप्रैल 1994) में यह बात ध्यान में आई कि आलू विकास स्टेशन, खड़ापत्थर में वर्ष 1993 के बीच प्रति एकड़ औसत पैदावार (कुल बीजा गया क्षेत्रः 10 एकड़) केवल 24 क्विंटल संगणित की गई। ग्राम विस्तार अधिकारी ने स्टेशन विस्तार अधिकारी ने स्टेशन में रखे गए फसल के रजिस्टर में वर्णित इसका कारण समयोचित फफूंदनाशकों की अनुपलब्धता बताया। फफूंदनाशकों के छिड़काव में परिणामी विलम्ब के फलस्वरूप बीमारी से फसल को क्षति पहुंची। आलू स्टेशन में आलू की 300 क्विंटल कम पैदावार के परिणामस्वरूप 1.35 लाख रु० (विभाग द्वारा निश्चित की गई आलू के बीज की बिक्री दर के आधार पर संगणित की गई) की हानि हुई।

क्षेत्रीय आलू विकास अधिकारी, शिलारु ने बताया (अप्रैल 1994) कि आलू विकास स्टेशन, खड़ापत्थर में आलू की कम पैदावार का कारण केवल फफूंदनाशकों का विलम्ब से छिड़काव करना ही नहीं हो सकता है क्योंकि फफूंदनाशक उसी समय सभी आलू विकास स्टेशनों को प्रदान की गई थीं। उसने यह भी बताया कि इसके अन्य कारण हो सकते है जैसे यथासमय पौधे न लगाना, खराब अंकुरण, सूखे की परिस्थितियां, समय पर फफूंदनाशकों का छिड़काव न करने में फील्ड स्टाफ की लापरवाही आदि। परन्तु विभाग द्वारा इस मामले की छानबीन नहीं की गई थी।

आलू विकास स्टेशन के कुप्रबन्ध के फलस्वरूप 1.35 लाख रु० की हानि हुई।

यह मामला सरकार को मई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.17 विविध अनियमितताएं

कृषि विभाग की विभिन्न इकाइयों की मई 1993 तथा मई 1994 के बीच की गई नमूना जांच ने निम्नलिखित बातें उद्घाटित की:

(i) वित्तीय नियमों में यह उल्लिखित है कि कोषागार से किसी भी धनराशि का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता तुरन्त संवितरण अथवा किसी स्थाई अग्रिम से निकाली गई निधियों की पुनः पूर्ति के लिए न हो। कोषागार से ऐसे कार्यों के निष्पादनार्थ अग्रिम सशियों का आहरण करना भी स्वीकार्य नहीं है जिनकों पूर्ण करने में पर्याप्त समय लगने की संभावना हो। कोई भी अव्ययित शेष धनराशि एकदम कोषागार को वापस की जानी आवश्यक है।

5 इकाइयों * में विभिन्न स्कीमों तथा विकास कार्यों के निष्पादनार्थ मई 1992 तथा मार्च 1994 के मध्य आहरित 318.70 लाख रु0 की समग्र निधियां बैंक के पास चालू खाते में रखी गई थीं। इनमें से 292.70 लाख रु0 केवल कृषि निदेशक द्वारा 31 मार्च 1994 को आहरित किए गए थे।

(ii) 1980-81 से 1993-94 के मध्य 10 इकाइयों** द्वारा विभिन्न अधिकारियों/फर्मों को कार्यों के निष्पादनार्थ दी गई 99.52 लाख रु0 की कुल निधियां मई 1994 तक न तो समायोजित की गई थीं न ही वसूल की गई थी।

(iii) तीन इकाईयों*** में 1991-92 से 1992-93 के दौरान विभागीय कर्मचारियों को कार्यों के निष्पादनार्थ दिए गए 11.95 लाख रु0 के लेखे नवम्बर 1993 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

---

* कृषि निदेशक: 292.70 लाख रु0
कृषि उप निदेशक, बिलासपुर : 11.73 लाख रु0
कृषि उप निदेशक, , पालमपुर : 8.21 लाख रु0
सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, हमीरपुर: 4.59 लाख रु0 तथा
सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, रामपुर : 1.47 लाख रु0

** कृषि उपनिदेशक : हमीरपुर, मण्डी, पालमपुर, शिमला, सोलन तथा ऊना; सहायक परियोजना अधिकारी, काजा: जिला कृषि अधिकारी, धर्मशाला: सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, पालमपुर तथा अधीक्षक ड्रिलर, जैसूर

*** जिला कृषि अधिकारी, सिरमौर : 3.82 लाख रु0; शिमला: 2.38 लाख रु0 तथा सोलन 5.75 लाख रु0

(iv) 1985-86 से 1992-93 तक परियोजना अवधि के दौरान यू एस एड स्कीम के अन्तर्गत 1001.71 लाख रु0 के सकल आबंटन में से विभाग ने केवल 923.73 लाख रु0 का व्यय किया तथा 77.98 लाख रु0 की राशि अव्ययित होने के कारण समाप्त हो गई।

कृषि निदेशक ने बताया (जून 1993) कि आंबटन की अव्ययिता का मुख्य कारण राज्य सरकार से वित्तीय संस्वीकृति का विलंब से प्राप्त होना था।

(v) वन सम्पति संरक्षण उपस्कर तथा कृषि उपकरणों की आपूर्ति हेतु भंडार नियंत्रक द्वारा की गई दर संविदा के अनुसार प्रति इकाई दर में बिक्री कर भी समाविष्ट था जहां हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत ऐसे उपस्कर/उपकरणों की बिक्री पर कोई बिक्री कर देय नहीं था।

तीन इकाइयों* में विभाग द्वारा 1991-92 तथा 1993-94 के दौरान 196.70 लाख रु0 की लागत से कृषि उपस्करों का क्रय किया गया। उन पर 8.03 लाख रु0 का समग्र बिक्री कर दिया गया फलतः आपूर्तिकर्ताओं को अतिरिक्त परिहार्य भुगतान हुआ। इस गलत भुगतान का वहन कृषकों द्वारा किया गया जिन्हें वे वस्तुएं बेची गई थीं।

यह मामला सकरार को अगस्त 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.18 उपदान का अनियमित भुगतान

बीज उन्नत उपकरण तथा वनस्पति संरक्षण सामग्रियों जैसे कृषि निवेश अंतोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचान किए गए कृषकों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों को 50 प्रतिशत उपदान दरों पर आपूरित किए जाते हैं। कृषि विभाग की भिन्न भिन्न इकाइयों के लेखाओं की नमूना जांच ने निम्न मामलों में उपदान का अनियमित भुगतान उद्घाटित किया।

(i) विद्युत चालित बहुफसली थ्रैशरों की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्की तथा बाजरा" पर जारी किए गए मार्गदर्शक अनुदेशों के अनुसार 0.05 लाख रु0 प्रति थ्रैशर तक सीमित 25 प्रतिशत उपदान किया जाना था। उपदान दरों पर मक्की के शैलर आपूरित करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी।

परन्तु बिलासपुर तथा ऊना जिलों में 12.79 लाख रु0 की लागत वाले 465 मक्की के शैलर कृषकों को 50 प्रतिशत उपदान दरों पर आपूरित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 6.39 लाख रु0 के समग्र उपदान का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

---

* कृषि उप निदेशक, मण्डी, बिलासपुर तथा पालमपुर

(ii) कृषि मशीनीकरण को उन्नत करने हेतु केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत 18 अश्व शक्ति से कम से ट्रैक्टर क्रय किए जाने थे। ये 6 से 8 एकड़ प्रति कृषक के निरन्तर सिंचित भू क्षेत्रों वाले पहचान किए गए कृषकों में वितरित किए जाने थे। प्रत्येक कृषक को अधिकतम 0.30 लाख रु० प्रति ट्रैक्टर की शर्त पर तीस प्रतिशत उपदान दिया जाता था। अनूसूचित जातियों/जनजातियों तथा उनके समुदायों से संबंधित समाल के कमजोर वर्गों के कृषकों को उपदान की मंजूरी में अधिमान दिया जाना था। स्कीम के अन्तर्गत यथासंभव, 22 प्रतिशत बजट कृषकों को इन श्रेणियों तक पहुंचना चाहिए। शेष राशि पूर्ण करने हेतु बैंकों से ऋण जुटाए जाने थे।

ट्रैक्टरों के क्रय हेतु 3 कृषि उप निदेशकों ने 19 लाभग्राहियों को 5.70 लाख रु० (कृषि उपनिदेशक, ऊना : 4 लाभग्राही 1.20 लाख रु०; कृषि उपनिदेशक, मण्डी: 4 लाभग्राही 1.20 लाख रु० कृषि उपनिदेशक, सोलन : 11 लाभग्राही 3.30 लाख रु०) 1992-93 से 1993-94 तक के दौरान दिए। उपदान की मंजूरी हेतु लाभग्राहियों का हक न तो सत्यापित किया गया था, जैसा कि स्कीम में अपेक्षित था, न ही कोई अभिलेख रखे गए थे कि 22 प्रतिशत बजट वस्तुतः कमजोर वर्गों के कृषकों तक पहुंचा था। कृषि उप निदेशक, सोलन ने 3.30 लाख रु० की उपदान राशि यथा अपेक्षित अर्द्ध स्थाई संगठनों की बजाय बैंकों को दिया।

यह मामला सरकार को अगस्त 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

गृह विभाग

3.19 जनजातीय क्षेत्रों में अग्नि शमन केन्द्रों की व्यवस्था न होना

लाहौल और स्पिति तथा किन्नौर जनजातीय जिलों के दूरवर्ती क्षेत्र सर्दियों के दौरान राज्य के अन्य भागों से कटे रहते हैं। अतः जनजातीय क्षेत्रों में आग लगने की स्थिति में अन्य निकटस्थ अग्निशमन केन्द्रों से अग्नि बुझाने हेतु सहायता प्रदान करना संभव नहीं था। इसलिए सरकार ने लाहौल और स्पिति (केलांग) तथा किन्नौर (रिकांग पिओ) के जिला मुख्यालयों में उप अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया (जुलाई 1988) इन उप अग्निशमन केन्द्रों के पदों के सृजन हेतु संस्वीकृति विभाग द्वारा अगस्त 1988 में मांगी गई थी जो मई 1994 तक प्राप्त हुई थी।

इसी बीच इन उप केन्द्रों के लिए अग्निशमन उपस्करों के क्रय हेतु सरकार द्वारा 17.88 लाख रु० की संस्वीकृति फरवरी 1991 (17 लाख रु०) तथा मार्च 1993 (0.88 लाख रु०) में दी गई थी। 17.11 लाख रु० की राशि उपस्कर के क्रय, उनके बनाने तथा सहायक वस्तुओं पर खर्च की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्न तथ्य उद्घाटित किए:

(क) पानी के टैंकों के लिए दो चैसियां मार्च 1991 में (6.43 लाख रु0) तथा अप्रैल 1993 में (0.21 लाख रु0) प्रदत्त् 6.64 लाख रु0 में जुलाई 1991 के दौरान क्रय कीं। इन पर निर्माण कार्य 2.81 लाख रु0 की लागत पर दिल्ली की एक फर्म को मार्च 1991 में दिया गया। फर्म को ये चैसियां वस्तुतः अगस्त 1991 के मध्य सुपुर्द की गई थीं। यद्यपि फर्म ने चैसियों को सौंपने में विलंब तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा कार्य के निरीक्षण पर विवाद के कारण कार्य करना अस्वीकार कर दिया परन्तु अनुबन्ध में चैसियों को सौंपने की कोई तारीख वर्णित नहीं थी। तदुपरांत यह कार्य दिल्ली की एक अन्य फर्म को सितम्बर 1992 में दिया गया तथा 3.68 लाख रु0 की लागत से फरवरी मार्च 1993 के बीच पूर्ण हुआ। इसके परिणामस्वरुप 0.87 लाख रु0 का अतिरिक्त व्यय हुआ। अनुबंध में अर्थदण्ड की कोई शर्त न होने के अभाव में फर्म पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया जा सका।

(ख) दो जीपों की अग्नि इंजन चैसियां 3.41 लाख रु0 मई 1991 में खरीदी गई थीं जिनका निर्माण 0.98 लाख रु0 से जनवरी 1992 के दौरान किया गया था।

(ग) अग्निशमन उपस्कर के सहायक कलपुर्जे 2.40 लाख रु0 की लागत से मई 1991 तथा मई 1994 के बीच प्राप्त किए गए थे।

लेकिन सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में उप-केन्द्रों की स्थापना का अभीष्ट उद्देश्य अगस्त 1994 तक 17.11 लाख रु0 के व्यय के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया जा सका। सरकार ने बताया (दिसम्बर 1993) कि राज्य द्वारा पालन किए जा रहे अर्थसंकट के कारण अभिप्रेत प्राप्त नहीं किया जा सका।

पुलिस महानिदेशक एवं महाआदेशक गृह सुरक्षा व निदेशक नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन केन्द्र ने अगस्त 1994 में बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए खरीदे गए उपस्कर पहले शिमला में रखे गऐ थे तथा अब ये 13 अग्निशमन केन्द्रों* को प्रदान कर दिए गए थे।

यह मामला सकरार को पुनः जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

---

* बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू मनाली, मण्डी, नाहन परवाणू, रामपुर, रोहडू, शिमला तथा ऊना

भू-अभिलेख विभाग

3.20 निधियों का अवरोधन

भारत सरकार ने राम्य में भू-अभिलेख को अद्यतन बनाने तथा राजस्व व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु 220 लाख रु0 की लागत वाली एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को मार्च 1991 में अनुमोदन दिया। यह स्कीम समान रुप से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित की जानी थी। केन्द्रीय सरकार की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित मदों पर ही ये प्रदत्त निधियां पूर्णतः खर्च की जानी थी और केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था।

राज्य सरकार से संस्वीकृति प्राप्त होने पर भू-अभिलेख निदेशक द्वारा 220 लाख रु0 आहरित (मार्च 1992: 120 लाख रु0) तथा (मार्च 1993: 100 लाख रु0) किए गए और बैंक में जमा कराए गए। उनमें से 170.45 लाख रु0 की राशि मार्च 1993 तक खर्च की गई थी तथा तत्पश्चात् कोई व्यय नहीं किया गया था। भू-अभिलेख निदेशक के अभिलेखों की जुलाई 1993 में की गई नमूना जांच ने निम्नलिखित अनियमितताएं उद्घाटित की।

(i) स्कीम में 50 लाख रु0 की लागत का राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रावधान था जिसमें से 4.50 लाख रु0 संस्थान के लिए फर्नीचर की खरीद पर खर्च किए जाने थे। परन्तु यह पाया गया था कि 4.45 लाख रु0 जिला कार्यालयों के लिए फर्नीचर की खरीद पर वर्ष 1992-93 में खर्च किए गए थे तथा 45.55 लाख रु0 की शेष राशि जुलाई 1994 तक खर्च नहीं की गई थी क्योंकि संस्थान ने निर्माणार्थ स्थान का चयन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरुप 45.55 लाख रु0 की निधियों का अवरोधन तथा 4.45 लाख रु0 तक की निधियों का व्यपवर्तन हुआ।

(ii) स्कीम में 28 लाख रु0 की लागत वाली चार थ्योडोलाइट मशीनें क्रय करने का प्रावधान भी था। शिमला तथा कांगड़ा के प्रत्येक बंदोवस्त अधिकारी को सितम्बर 1992 में 14 लाख रु0 प्रेषित किए गए थे। ये मशीनें उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में उनके द्वारा नहीं खरीदी गई। इसलिए निधियां अव्ययित पड़ी रही (जुलाई 1994)।

(iii) चार इंजिनियर प्लान प्रिंटरों के क्रय हेतु 12 लाख रु0 प्रदान किए गए थे। केवल एक प्रिंटर (मूल्य: 3.25 लाख रु0) 1991-92 में क्रय किया गया तथा 5.69 लाख रु0 ई.पी.बी.ए. एक्स के प्रतिष्ठापन, इलैक्ट्रानिक टंकण मशीनें, रगंदार टेलीवीजन, वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसटों आदि पर व्ययित किए गए थे जो स्कीम के अन्तर्गत प्रावधित नहीं थे। 3.06 लाख रु0 की शेष राशि जुलाई 1994 तक अव्ययित पड़ी रही।

(iv) विभिन्न मदों के क्रय हेतु जिला कार्यालयों को दिए गए 12.52 लाख रु0 के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे (जुलाई 1994)।

(v) 49.55 लाख रु0 बैंकों में अव्ययित पड़े हुए थे (जुलाई 1994)।

इस प्रकार स्कीम केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पूर्णतः क्रियान्वित नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (अगस्त 1994) कि राजस्व प्रशिक्षण स्थान हेतु स्थान के अव्ययित राशि का उपयोग किया जाएगा।

सामान्य

3.21 शेष निरीक्षण प्रतिवेदन

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई वित्तीय अनियमितताओं की तथा लेखाओं के रख रखाव में दोषों की पूर्णउत्तरों के अभाव में निपटाई न गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां विभिन्न कार्यालयध्यक्षों तथा उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सम्प्रेषित की जाती हैं। गंभीर तथा अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताएं भी विभागों तथा सरकार के अध्यक्षों को प्रतिवेदित की जाती हैं। छः मास से भी अधिक के शेष पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों के अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन उनके शीघ्र निपटान हेतु सरकार को अग्रेषित किए जाते हैं।

जून 1994 के अन्त में लोकनिर्माण (भवन एवं सड़क), सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य तथा वन खेती और पर्यावरण संरक्षण विभागों को मिलाकर विभिन्न सिविल विभागों के संबंध में दिसम्बर 1993 तक जारी किए गए 5,505 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 19868 परिच्छेद निपटाने हेतु शेष हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन (संख्या में)	परिच्छेद
1.	सिविल विभाग	4,295	15,128
2.	लोक निर्माण (भवन एवं सड़क)	449	1,720
3.	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	291	1,168
4.	वन खेती और पर्यावरण संरक्षण	470	1,852
	जोड़	5,505	19,868

इन में से उद्योग, समाज तथा महिला कल्याण और कला एवं संस्कृति विभागों से संबंधित, जो विस्तृत विश्लेषण के लिए चयनित किए गए थे, दिसम्बर 1993 तक जारी किए गए परन्तु जून 1994 तक न निपटाये गए शेष पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का वर्षवार ब्यौरा

निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	अवधि	उद्योग विभाग		समाज एवं महिला कल्याण विभाग		कला एवं संस्कृति विभाग	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद (संख्या)	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	मार्च 1988 तक	65	138	22	93	5	17
2.	1988-89	12	14	8	12	1	6
3.	1989-90	13	41	18	29	7	19
4.	1990-91	13	46	11	13	2	8
5.	1991-92	17	53	23	47	7	26
6.	1992-93	13	44	23	103	1	4
7.	1993-94 (दिसम्बर 1993 तक)	16	112	26	117	7	42
	जोड़	149	448	131	414	30	122

संबंधित कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर उनकी प्राप्ति के एक मास के भीतर दिए जाने अपेक्षित हैं। पूर्वोक्त तीन विभागों में से उद्योग विभाग द्वारा एक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 3 परिच्छेदों के प्रथम उत्तरों के देने में भी दो वर्ष का विलंब किया गया था।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणीकृत कुछ विशेष अनियमितताएं मोटे तौर पर नीचे श्रेणीकृत की गई हैं:-

क्रम सख्यां	आपत्ति की श्रेणी	निरीक्षण प्रतिवेदन (संख्या में)	परिच्छेद	राशि (लाख रुपए)
1.	आवश्यकताओं से पूर्व निधियों का आहरण/ निधियों का अवरोधन	79	104	889.06
2.	क्वोटेशनों को आमंत्रित न करने, संस्वीकृति के के अभाव आदि में अनियमित व्यय	14	25	41.35
3.	अधिक भुगतान/किराये तथा अग्रिम राशियों की की वसूली न करना विविध वसूलियां	86	201	342.95
4.	अलेखाबद्धता/भण्डार वस्तुओं की कमी	14	46	77.88
5.	दुर्विनियोजन, हानियां चोरियां आदि	13	58	161.06
6.	वास्तविक प्राप्तकर्ताओं की रसीदें उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना	6	30	449.56
7.	बेकार मशीनरी/स्टाफ	3	16	19.46
8.	निर्माण कार्यों पर व्यर्थ व्यय	2	20	425.90

क्रम संख्या	आपत्ति की श्रेणी	निरीक्षण प्रतिवेदन (संख्या में)	परिच्छेद	राशि लाख रुपए)
9.	वाहनों की अनियमित मरम्मत	10	31	5.27
10.	कोषागार से आंकड़ो को न मिलाना	1	4	0.10
11.	लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना	6	19	32.52
12.	निर्माणकार्यों का दोषपूर्ण निष्पादन	1	2	43.90
13.	शेष ऋण	9	53	450.26
14.	निधियों का व्यपवर्तन	2	5	29.94
15.	आवास उपदान का अनियमित भुगतान	5	19	17.51
16.	परिहार्य व्यय	9	57	459.41
17.	आकस्मिक अग्रिम राशियों का असमायोजन	5	30	74.20
18.	संबद्ध वाहनों के कारण वसूली न करना	12	42	11.07
19.	अविवेकपूर्ण/अनियमित क्रय	10	67	22.39

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुछ रुचिकर बातें संक्षेपत: निम्नवर्णित हैं:-

उद्योग विभाग

(i) वाहनों की मरम्मत तथा रखरखाव पर अनियमित व्यय

वित्तीय नियम वित्त विभाग की विशेष संस्वीकृति के बिना वाहनों की मरम्मत पर उनके क्रय मूल्य से अधिक व्यय करने का निषेध करते हैं। परन्तु उद्योग निदेशक ने तीन वाहनों की मरम्मत पर दिसम्बर 1993 तक 3.42 लाख रु0 का व्यय किया जो सितम्बर 1976 अगस्त 1985 तथा अप्रैल 1986 में क्रमश: 0.35 लाख रु0, 0.80 लाख रु0 तथा 0.97 लाख रु0 में खरीदे गए थे। वित्त विभाग के अनुमोदन बिना किया गया 1.30 लाख रु0 का यह अधिक व्यय दिसम्बर 1993 तक नियमित नहीं किया गया था। इनमें से एक का निपटान कंडम करने के पश्चात कर दिया था तथा एक और भी कंडम करने की प्रक्रियाधीन था। छोटी मरम्मत की अपेक्षा तीसरे की मरम्मत अगस्त 1994 तक नहीं की गई थी।

(ii) समाज एवं महिला कल्याण विभाग
सिलाई मशीनों का अनियमित वितरण

अन्तोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपनी आजीविका अर्जन करने में समर्थ बनाने हेतु उन्हें निम्न अधिमान क्रम में सिलाई मशीने आपूरित की जाती हैं।

(क) जिन व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा मान्य संस्थाओं से प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र हों।

(ख) जिन व्यक्तियों ने स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए गए केन्द्रों में नियमित प्रशिक्षण लिया हो।

(ग) जिन व्यक्तियों ने ऐसे किन्ही संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो परन्तु व्यापार से सुपरिचित हों।

तहसील कल्याण अधिकारी भरमौर (चम्बा जिला) ने लाभग्राहियों द्वारा पूर्ण की जानी अपेक्षित शर्तों का सत्यापन किए बिना 0.75 लाख रु0 की 110 सिलाई मशीने 1990-91 तथा 1991-92 के बीच जारी कीं।

यह मामला सकरार को अगस्त 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.22 बेकार उपस्कर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह विभागों द्वारा दिसम्बर 1982 और जनवरी 1992 के बीच 20.23 लाख रु0 की कुल लागत से अधिक उपस्कर की भिन्न भिन्न वस्तुएं उन्हें चलाने वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात न करने तथा मरम्मतों में विलंब आदि जैसे कारणों से लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में नहीं लाई गई थीं। इस संबंध में सम्बद्ध ब्यौरे परिशिष्ट-VII में प्रस्तुत किए गए हैं। उपस्कर का उपयोग न करने के कारण सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ तथा आम समुदाय भी उनकी सेवाओं से वंचित रहा जिसके लिए वे उपार्जित की गई थीं।

यह मामला सकरार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

3.23 दुर्विनियोजन, गबन आदि

मार्च 1994 तक लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित तथा जून 1994 तक अन्तिम कार्रवाई के लिए लंबित सरकारी धन के कथित दुर्विनियोजनों, गबनों आदि के मामलों की स्थिति

निम्नवत् थी:-

ब्यौरे	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
31 मार्च 1993 तक प्रतिवेदित तथा 30 सितम्बर 1993 को बकाया मामले	119	52.53
1993-94 के दौरान प्रतिवेदित मामले	6	2.46
जून 1994 तक निपटाए गए मामले	8	0.90
30 जून 1994 को बकाया मामले	117	54.09

इनमें से 20 मामले (अन्तः ग्रस्त राशि : 4.74 लाख रु0) 20 वर्षोपरि थे। 36.48 लाख रु0 के पचास मामले लोकनिर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) से, 8.96 लाख रु0 के 45 मामले सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से 1.35 लाख रु0 के 5 मामले वन खेती तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग से संबंधित थे। इन तीन विभागों में शेष पड़े 100 मामलों में से 76 मामले (अन्तः ग्रस्त राशि : 36.42 लाख रु0) विभागीय छानबीन की पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे थे।

चौथा अध्याय

निर्माणकार्य व्यय

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

4.1 सिंचाई स्कीमों पर निष्फल व्यय

(क) अम्बोटा गांव (जिला ऊना) के कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र की 95.14 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए शिवबाड़ी लिफट सिंचाई स्कीम का निर्माण कार्य मार्च 1970 में 1.77 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया। स्कीम का स्रोत रिसाव-कुआं था। यह स्कीम 4.14 लाख रुपये के व्यय के पश्चात् 1976-77 के दौरान चालू की गई। लेकिन तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

ऊना के सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल नं0-II के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 1993) कि जब स्कीम अनुमोदित की गई उस समय हिमाचल प्रदेश में तकनीकी विशेषज्ञ ऐजेंसी नहीं थी। स्थान का चयन करते समय केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, चण्डीगढ़ से परामर्श नहीं लिया गया था। रिसाव कुएं का निर्माण 1976-77 के दौरान किया गया था परन्तु इसमें पानी का निसारण पर्याप्त नहीं पाया गया। इसलिए स्वां नदी से 0.63 लाख रुपये की लागत से 2 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण करके जल पूर्ति करनी पड़ी। नहर के निर्माण से 2.5 क्यूसेकस (70.23 लीटर प्रति सैकिंड) जल की आवश्यकता के प्रति 1.5 क्यूसेकस (42.12 लीटर प्रति सैकिंड) जल के निस्सारण में सहायता प्राप्त हो सकी। स्रोत से पानी के कम निस्सारण के परिणामस्वरुप वर्ष 1976-77 और 1991-92 के मध्य रबी की फसल में 0.48 से 31.77 प्रतिशत और खरीफ की फसल में 0 से 2.82 प्रतिशत कम सिंचाई उपलब्ध करवाई जा सकी।

अधिशासी अभियन्ता ऊना ने देखा (अप्रैल 1989) कि कुएं से पानी के सीमित निस्सारण के कारण स्कीम सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रही थी। इसके अतिरिक्त स्वां नदी से 2 किलोमीटर नहर निर्मित करके पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था प्रति वर्ष मार्ग के बारम्बार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मंहगी सिद्ध हो रही थी और उसमें समय की भी अधिक खपत हो रही थी। स्कीम के अनुरक्षण पर 1982-83 से 1992-93 तक 6.46 लाख रुपये व्यय किया गया था। अधीक्षण अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता को शिवबाड़ी पुल के समीप तालाब जिसमें वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता था, से जल जुटाने के लिए संवर्धन प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निदेश दिए (जून 1989)। संवर्धन प्राक्कलन नवम्बर 1993 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

गगरेट उप मण्डल के सहायक अभियन्ता, ने बताया (नवम्बर 1993) कि 1988 में आई बाढ़ के दौरान स्वां नदी के जल का प्रवाह नदी के बाएं तट की ओर परिवर्तित हो जाने के

कारण रिसाव कुएं के निस्सारण में कमी हुई। जबकि यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंक स्कीम प्रारम्भ से ही उचित रुप से कार्य नहीं कर रही थी।

स्रोत के चयन के लिए समुचित छानबीन करने में विभाग कि विफलता के परिणामस्वरुप इस लक्ष्य के अन्तर्गत जनसंख्या इन सुविधाओं से वंचित रही और 10.60 लाख रुपये (निर्माण लागत: 4.14 लाख रुपये; अनुरक्षण: 6.46 लाख रुपये) का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

(ख) खूरिक गांव के लिए 15.38 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अभिकल्पित लिफट सिंचाई स्कीम, खूरिक (स्पीति घाटी) मार्च 1985 में 5.56 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक रुप से अनुमोदित की गई। यह कार्य प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में काजा मण्डल द्वारा मार्च 1984 में पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका था। मुख्य जलारोहण तथा वितरण प्रणाली के लिए वितरण टैंक, पम्प हाऊस के निर्माण (2.94 लाख रुपये) तथा लोहे की नालियों और अन्य सामग्री की व्यवस्था करने पर (3.54 लाख रुपये) जून से 1992 तक 6.48 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था।

1988-89 तक वितरण टैंक तथा पम्प हाऊस का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् मार्च 1991 तक निर्माण स्थल पर वास्तविक रुप से कोई कार्य नहीं किया गया था। कार्यकारी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1992) कि निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था क्योंकि लिफ्ट सिंचाई स्कीम को प्रवाह स्कीम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। यह भी बताया गया (अगस्त 1994) कि स्पीति घाटी में पहले से निर्मित लिफ्ट सिंचाई स्कीमें कई कारणों से असफल रहीं थी। अगस्त 1994 तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था।

इस प्रकार लिफ्ट सिंचाई स्कीम की उपयुक्तता सुनिश्चत करने में विफल रहने के परिणाम स्वरुप अगस्त 1994 तक स्कीम पर किया गया 6.48 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

(ग) सुमलिंग गांव की 14.17 हैक्टैयर भूमि को सिंचाई तथा निवासियों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्पीति घाटी में सुमलिंग जल आपूर्ति एवं सिंचाई स्कीम फरवरी 1980 में 1.32 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक रुप से अनुमोदित की गई जिसका प्राक्कलन मार्च 1982 में संशोधित करके 3.02 लाख रु० किया गया, लेकिन यह कार्य काजा मण्डल द्वारा 1978-79 के दौरान आरम्भ किया गया था और 3.29 लाख रुपये की लागत से 1983-84 में पूर्ण कर दिया गया था।

मण्डल के अभिलेख की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (जुलाई 1992) कि अत्यधिक ठण्डे जलवायु के कारण जस्तीकृत लोहे की पाइपें फट जाने के कारण स्कीम कार्य नहीं कर सकी। क्योंकि स्कीम वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही थी, अत: पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोत से पानी एकत्रित करने पर अलग से जलापूर्ति स्कीम निर्मित करके इसे नया रुप देने का निर्णय लिया गया (अगस्त 1989)। पेय जल अलग से उपलब्ध करवाने हेतु

पुनर्निर्माण कार्य के लिए विद्यमान स्कीम से उखाड़ी गई जी आई पाइपों की 1 लाख रु० की लागत को हिसाब में लेकर 0.19 लाख रुपये की संस्वीकृति (अगस्त 1989) प्रदान की गई। कार्य अक्तूबर 1989 में प्रारम्भ किया गया परन्तु स्रोत पर झगड़ा हो जाने के कारण दिसम्बर 1989 में बन्द कर दिया गया। उच्च घनत्व की पॉलिथिन पाइपें बिछाने पर 1.39 लाख रुपये का व्यय हुआ। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1994) कि झगड़े का समाधान समझौते के माध्यम से कर दिया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गांव वालों से लिखित सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। पुनर्निर्माण कार्य की स्थिति के विषय में भी सूचित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, जी, आई पाइपों की जलवायु के प्रभावों के प्रति सहनशीलता को सुनिश्चत किए बिना तथा विवादग्रस्त स्रोत से स्कीम पुनर्निर्माण करने के परिणामस्वरुप 4.68 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हुई थी।

(घ) राज्यों के पुनर्गठन (1966) से पूर्व पंजाब सरकार द्वारा 1.24 लाख रु० के प्रशासनिक अनुमोदन के प्रति 1.64 लाख रु० की लागत से 1968-69 के दौरान पूर्ण की गई जयसिंहपुर (जिला कांगड़ा) लिफट सिंचाई स्कीम के हौज को भरने वाली नहर 1978-79 के दौरान मलबे से भर गई थी जिससे स्कीम बंद हो गई। स्कीम में सुधार करने और उसे क्रियाशील बनाने के लिए, फरवरी 1986 में 9.95 लाख रु० की लागत से 6 मास की निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने के लिए एक प्राक्कलन प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया। सुधार कार्य पालमपुर मण्डल द्वारा मार्च 1986 में आरम्भ किया गया और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान (2.10 लाख) तथा पम्प हाऊस के निर्माण और प्रथम चरण के पम्प हाऊस के लिए स्थल के विकास (2.12 लाख रु०) पर मार्च 1992 तक 4.22 लाख रुपये का व्यय किया गया। अप्रैल 1992 में थुरल मण्डल का सृजन होने पर यह स्कीम उसे हस्तांतरित की गई और स्कीम पर मई 1992 और अगस्त 1993 के मध्य किसी वास्तविक प्रगति केबिना 0.21 लाख रुपये का और व्यय हुआ। लेकिन तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी (सितम्बर 1993)।

थुरल मण्डल की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ (सितम्बर 1993) कि हौज के निर्माण के लिए स्थान के अविवेकपूर्ण चयन तथा ब्यास नदी का स्तर हौज के स्तर से नीचे गिरने के कारण, आगामी कार्य निष्पादन स्थगित करना पड़ा। मुख्य अभियन्ता, धर्मशाला ने अधीक्षण अभियन्ता धर्मशाला को उसी समय जारी किए गए निर्देशों के आधार पर स्कीम के सुधार हेतु एक महीने के अन्दर संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निदेश (जून 1993) दिए। अधिशासी अभियन्ता ने अप्रैल 1992 से मण्डल द्वारा कार्य में कोई वास्तविक प्रगति न करने का कारण संशोधित प्रस्ताव को अन्तिम रुप न दिया जाना और पण्डोह डैम के निर्माण तथा स्कीम के लिए निर्मित हौज से जल स्तर के नीचे गिरने के कारण ब्यास नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर में निरन्तर उतार-चढ़ाव बताया।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जनवरी 1994) कि मुख्य अभियन्ता की सिफारिशों के आधार पर नया प्रस्ताव जनवरी 1994 में उच्च प्राधिकारियों को भेजा जा चुका था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 1994)।

इस प्रकार, वर्ष 1978-79 से बंद पड़ी स्कीम का सुधार कार्य लगभग 8 वर्षों की अवधि के पश्चात् भी अधूरा पड़ा था जिससे 4.43 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

(ड.) 50.20 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए, लिफट सिंचाई स्कीम, भडयात (जिला बिलासपुर) 3.85 लाख रुपये की लागत से (मार्च 1980) में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित की गई। कार्य, जो दो वर्षों की अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना था, वास्तव में बिलासपुर मण्डल द्वारा तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ही मार्च 1984 में प्रारम्भ किया गया जो कि जुलाई 1994 तक प्राप्त नहीं की गई थी।

नवम्बर 1985 तक स्कीम के लिए पम्प हाऊस और हौज के निर्माण पर 1.57 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था। इसके पश्चात् कोई निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया गया और स्कीम परित्यक्त अवस्था में पड़ी रही।

अगस्त 1987 में, विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना का कार्य निष्पादित करने का प्रस्ताव किया गया जबकि इस प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता, पर्वत क्षेत्र भू एवं जल विकास परियोजना, शिमला, ने इस तर्क पर अस्वीकार कर दिया (अप्रैल 19 89) कि संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों की अपेक्षा प्रति हैक्टैयर लागत बहुत अधिक थी। योजना का निष्पादन कार्य स्पष्ट रुप से राज्य क्षेत्र पर छोड़ दिया गया। अधिशासी अभियन्ता ने (अक्तूबर 1993) बताया कि 1985-86 के पश्चात् निर्माण कार्य का स्थगन निधियां प्राप्त न होने के कारण किया गया था। जबकि, 1979-80 से 1985-86 तक निर्माण कार्य के लिए 3.63 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए थे, जिसके प्रति 1.57 लाख रुपये व्यय किए गए। इस प्रकार कार्य के स्थगन तक उपलब्ध करवाई गई निधियों की प्रयुक्ति करने में विभाग विफल रहा।

निधियों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी स्कीम का निर्धारित समय में कार्य पूरा न होने के परिणामस्वरुप 1.57 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा और लाभग्राहियों को अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा।

ये मुद्दे सरकार को जुलाई 1994 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.2 तकनीकी सर्वेक्षण के बिना निर्माण के कारण निष्फल व्यय

1076 व्यक्तियों व 195 छात्रों की कुल जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्लासला तलाओ तथा आसपास के गांवों (जिला बिलासपुर) को 2.54 लाख रु0 की लिफ्ट जलापूर्ति स्कीम प्रशासनिक रुप से अनुमोदित (मार्च 1979) की गई। स्कीम तकनीकी रुप से उसी

राशि के लिए फरवरी 1982 में संस्वीकृत की गई। स्कीम का स्रोत प्लासला नाला था। स्कीम का निर्माण दो वर्षों में पूरा किया जाना था जो 3.66 लाख रु0 के व्यय के पश्चात् वर्ष 1982-83 के दौरान चालू की गई।

प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार यह स्कीम स्रोत, जहां से 65 मी. मी. व्यास की 150 मीटर लम्बी जस्तीकृत लोहे की पाईप द्वारा पानी को तलछटन टैंक तथा फिल्टर बैड तक ले जाना था, पर अर्न्तग्राही कार्य उपलब्ध करवाने तथा उसके बाद इसे स्वच्छ जल हेतु बनाए हौज एवं भण्डार टैंक तक पहुंचाने हेतु अभिकल्पित थी जबकि विस्तृत प्राक्कलन में 6 मीटर व्यास के 6 मीटर गहरे अन्तःस्रवण कुएं के निर्माण का प्रावधान था। कमी के समय के निस्सारण का माप उष्णतम महीनों में (मई-जून 1978) किया जाना था, वास्तव में उसे अगस्त 1978 में मापा गया। अल्प निस्सारण वाले महीनों में पर्याप्त निस्सारण की उपलब्धता के बारे में स्थानीय पूछताछ पर यकीन करते हुए नालों का स्रोत के रुप में चयन किया गया था।

घुमारवीं मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अक्तूबर 1993) कि प्राक्कलन के उपबन्धों का अनुसरण करने की बजाय स्थल पर 3 मीटर व्यास का अन्तःस्रवण कुआं उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन अथवा भू-जल संगठन, ऊना के परामर्श के बिना ही निर्मित किया गया। निर्माण होने पर कुआं पर्याप्त मात्रा में पानी देने में विफल रहा। जून 1992 में पानी के निस्सारण की मात्रा को मापा गया जो 102.05 लीटर प्रति मिनट की आवश्यकता के प्रति 16.5 लीटर प्रति मिनट पाया गया। भू जल संगठन, ऊना के वरिष्ठ जल वैज्ञानिक ने सीमित जलग्रहण क्षेत्र और पानी के कम रिसाव को कुएं की विफलता का कारण बताया (फरवरी 1992) तथा यह भी बताया कि वहां पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की कोई सम्भावना नहीं थी। इसी दौरान एक अन्य स्कीम जिसमें 91 मीटर की अतिरिक्त लिफ्ट का लगाया जाना सम्मिलित था, से पानी लेकर इस स्कीम में वृद्धि करने तक इसके पुनःनिर्माण के लिए जून 1988 में प्रस्तुत 15.49 लाख रु0 का प्राक्कलन अधिक प्रारम्भिक लागत तथा तत्पश्चात् अनुरक्षण पर अधिक लागत होने के कारण विभाग द्वारा मितव्ययी नहीं पाया गया (दिसम्बर 1992)। विभाग द्वारा अनुमोदित अभिकल्प तथा सामान्य प्रक्रिया से विचलन को भी स्कीम की विफलता का कारण बताया गया। अनुमोदित अभिकल्प से विचलन का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जुलाई 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः स्कीम पर 3.66 लाख रुपये का व्यय अधिकतर निष्फल रहा तथा लाभग्राही अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रहे।

अधिशासी अभियन्ता ने बतया (अगस्त 1994) कि जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विस्तृत प्राक्कलन से कोई विचलन नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विस्तृत प्राक्कलन में 6 मीटर व्यास के 6 मीटर गहरे अन्तः स्रवण कुएं के निर्माण की व्यवस्था थी जिसके प्रति वास्तव में स्थल पर 3 मीटर व्यास के 4.5 मीटर गहरे अन्तःस्रवण कुएं का निर्माण किया गया।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में भेजा गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

4.3 लिफ्ट सिंचाई स्कीम, बोहलियों

लिफ्ट सिंचाई स्कीम बोहलियों (जिला सिरमौर) का निर्माण 5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से जून 1988 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया। सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाने वाला प्रस्तावित भू-क्षेत्र 38.80 हैक्टेयर और 24.47 लीटर प्रति सैकिण्ड से जल की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। चूंकि उस क्षेत्र में पानी का कोई स्थाई स्रोत नहीं था, इसलिये 6 मीटर व्यास के 6 मीटर गहरे अन्तःस्रवण कुएं का निर्माण प्रस्तावित था। प्राक्कलन के विवरण में अन्तःस्रवण कुएं के निर्माण कार्य से पूर्व केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का परामर्श प्राप्त किया जाना परिकल्पित था।

नाहन मण्डल ने अन्तःस्रवण कुएं का निर्माण कार्य फरवरी 1989 में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से अपेक्षित परामर्श लिए बिना ही प्रारम्भ कर दिया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिसम्बर 1990 में अधीक्षण अभियन्ता को दी सूचना के अनुसार संस्वीकृत प्राक्कलन में 0.52 लाख रुपये प्रावधान के प्रति 1.67 लाख रुपये की लागत से 8 मीटर गहरे अन्तःस्रवण कुएं के निर्माण के पश्चात् 4.50 लीटर प्रति सैकिण्ड जल निस्सरण की प्राप्ति हुई। अधिशासी अभियन्ता ने निस्सरण में वृद्धि करने के लिए अन्तःस्रवण कुएं की खुदाई और 2-3 मीटर गहराई तक करने की सिफारिश की (दिसम्बर 1990) लेकिन, अधीक्षण अभियन्ता ने स्वयं दिसम्बर 1990 में अधिशासी अभियन्ता को आगामी कार्रवाई करने से पहले जल वैज्ञानिक का मत प्राप्त करने का परामर्श दिया। जल वैज्ञानिक का मत जनवरी 1994 तक प्राप्त नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित करने (जनवरी 1994) पर अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जनवरी 1994) कि अन्तःस्रवण कुआं लिफ्ट जलापूर्ति स्कीम, शम्बुवाला के अन्तःस्रवण कुएं के समीप ही निर्मित किया गया था। अधिशासी अभियन्ता का यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि स्थल का चयन करने तथा अन्तःस्रवण कुएं के निर्माण से पूर्व केन्द्रीय भू जल बोर्ड का मत प्राप्त करना अनिवार्य था।

इस प्रकार स्थान की उपयुक्तता तथा अपेक्षित पानी की मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भू जल बोर्ड का मत लेने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप 1.67 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। लाभग्राही अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रहे।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.4 सिंचाई क्षमता की अवप्रयुक्ति

12 मण्डलों* के अभिलेखों की मई 1993 और जनवरी 1994 के मध्य की गई नमूना जांच से पता चला कि 177.80 लाख रुपये की लागत से 1980-81 तथा 1990-91 के मध्य सम्पूर्ण की गई तथा प्रति फसल 1,073 हैक्टैयर भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित 15 सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता की अवप्रयुक्ति हुई। इन स्कीमों को चलाने और इनके अनुरक्षण पर भी 54.55 लाख रुपये का व्यय हुआ। 1987 से 1992 तक के वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता के उपयोग में गिरावट 93 और 96 प्रतिशत (रबी) तथा 96 व 98 प्रतिशत (खरीफ) के मध्य थी जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:-

वर्ष	सिंचित क्षेत्र		गिरावट प्रतिशतता	
	रबी	खरीफ (हैक्टेयर)	रबी	खरीफ
1987	50	34	95	97
1988	53	22	95	98
1989	39	20	96	98
1990	72	44	93	96
1991	51	37	95	97
1992	39	18	96	98

अधिशासी अभियन्ताओं ने सिंचाई क्षमता की अवप्रयुक्ति को मुख्यतः लाभग्राहियों द्वारा उचित फसल पद्धति न अपनाने के कारण सिंचाई हेतु पानी की कम मांग, नलकूप के तलछट में मिट्टी भरने से पानी की कम प्राप्ति, चक विकास के कार्य का निष्पादन न करने तथा निधियों के अभाव में स्कीम को हुई क्षतियों की मरम्मत न करने से सम्बद्ध किया (मई 1993 से जनवरी 1994)। अधिशासी अभियन्ताओं का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि पानी के उपलब्ध स्रोतों के अनुकुलतम उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु कृषि विभाग के परामर्श से उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी। चक विकास कार्यों को उपलब्ध करवाने और क्षतिग्रस्त स्कीमों की मुरम्मत के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था करने हेतु की गई कार्रवाई से अवगत नहीं करवाया गया था।

इस प्रकार इन स्कीमों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किया गया 232.35 लाख रुपये का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

---

* आनी, बड़सर, धर्मशाला, घुमारवी, इन्दौरा, कुल्लू, मण्डी, पालमपुर, सुन्दनगर, थुरल, नाहन और रोहडू

4.5 परित्यक्त नलकूप

ऊना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 16.11 लाख रुपये की लागत से 10 नलकूपों के निर्माण कार्य को दिसम्बर 1974 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया। टीहरा गांव स्थित नलकूप नं0 53 के वेधन व विकास कार्य को फरवरी 1981 में 0.81 लाख रुपये की लागत से नलकूप मण्डल, नालागढ़ (अब गगरेट) द्वारा पूर्ण किया गया परन्तु सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। नलकूप मार्च 1983 में चालू किया गया। मार्च 1993 तक नलकूप के सिविल कार्यों (3.16 लाख रु0), पम्पिग मशीनरी (0.25 लाख रु0) तथा मरम्मत और अनुरक्षण (0.51 लाख रु0) पर 3.92 लाख रुपये का व्यय किया गया। 39.27 हैक्टेयर का कृष्य कमाण्ड क्षेत्र नलकूप के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया।

नवम्बर 1993 में ऊना मण्डल नं0-II के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1983 से 1985 के दौरान औसतन 10.62 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र सिंचित किया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता को (अगस्त 1993) सूचित किया कि पाइपों के जोड़/फिलटर पाइपें टूटने के परिणामस्वरुप पम्पिग मशीनरी में कीचड़ और रेत भर रहा था जिसके कारण नलकूप 1985 में विफल हो गया था। यह भी बताया गया कि (जुलाई 1994) नलकूप को अप्रैल 1985 में अन्ततः परित्यक्त कर दिया गया था।

नवम्बर 1991 में 4.70 लाख रुपये की लागत से एक नया नलकूप परित्यक्त नलकूप से 12 मीटर की दूरी पर वेधित एवं विकसित किया गया। नए नलकूप से स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए तथा पुराने नलकूप की जलारोहण एवं वितरण प्रणाली की विशेष मरम्मत करवाने के लिए 1.14 लाख रुपये का प्राक्कलन अधीक्षण अभियन्ता को मार्च 1994 में प्रस्तुत किया गया जिसे जुलाई 1994 तक संस्वीकृत नहीं किया गया था।

इस प्रकार मूल नलकूप के वेधन एवं विकास (0.81 लाख रु0), पम्पिग मशीनरी (0.25 लाख रु0) मरम्मत एवं अनुरक्षण (0.51 लाख रुपये) पर 1.57 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, पुराने नलकूप के सिवल निर्माण कार्य (3.16 लाख रु0) और नये नलकूप के वेधन एवं विकास कार्य (4.70 लाख रु0) पर 7.86 लाख रुपये के व्यय से अभीष्ट सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई और जुलाई 1994 तक व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को अगस्त 1994 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

4.6 प्रवाह सिंचाई स्कीम पर निरर्थक व्यय

गांव भण्डा, जुसू तथा नानन की 29.71 हैक्टेयर कृष्य भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित प्रवाह सिंचाई स्कीम, भण्डा (जिला चम्बा) 1.02 लाख रुपये की लागत से मार्च 1981

में अनुमोदित की गई थी। 1.03 लाख रुपये की तकनीकी संस्वीकृति भी सितम्बर 1981 में दी गई थी। स्कीम का स्रोत घराट नाला था, जिसमें कमी के समय 0.47 क्यूसैक की आवश्यकता के प्रति 0.95 क्यूसैक का जल निस्सरण था। यह कार्य डलहौजी मण्डल द्वारा जनवरी 1981 में प्रारम्भ किया गया था तथा अप्रैल 1986 में सलूनी मण्डल के सृजन पर इसे हस्तान्तरित कर दिया गया। यह स्कीम 2.14 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात् वर्ष 1986-87 के दौरान पूर्ण हुई।

मण्डल की नमूना जांच (अक्तूबर 1993) करने पर पता चला कि स्कीम की मुख्य लाइन कंकरीट मिश्रित ढीली चिकनी मिट्टी से युक्त ढलवां पहाड़ी से गुजरती थी। खुली नहर के निर्माण पर तथा सुरक्षा कार्यों पर होने वाले अधिक व्यय को बचाने के लिए की 2,740 मीटर लम्बी ग्रेविटी मैन (आर. सी. सी. पाइपें, 2,200 मीटर तथा जस्तीकृत लोहे की पाइपें: 540 मीटर) बिछाई गई लेकिन स्कीम अगस्त 1989, जुलाई 1990 और दिसम्बर 1990 में हुई भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। मण्डल द्वारा बताया गया (अक्तूबर 1993) कि 1500 मीटर लम्बी क्षतिग्रस्त मुख्य लाईन की मरम्मत मितव्ययी नहीं थी जिससे स्कीम अगस्त 1989 से कार्य नहीं कर रही थी। इससे पूर्व 29.71 हैक्टेयर प्रति फसल के योजनाबद्ध क्षेत्र के प्रति 1986-87 और अगस्त 1989 के मध्य रबी और खरीफ फसल सहित 18 हैक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष इस स्कीम के अन्तर्गत सिंचित की जा सकी थी। क्षतिग्रस्त स्थान पर प्रयोज्य सामग्री के बचाव अथवा विशेष मरम्मत करवा कर स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए जुलाई 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

अधिशासी अभियन्ता ने (अगस्त 1994) बताया कि स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए उपचारी उपाय सुझाने हेतु सरकार द्वारा जनवरी 1994 में एक समिति गठित की गई थी। जुलाई 1994 तक समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

इस प्रकार कच्ची सतह के कारण अव्यवहार्य स्कीम निम्नस्तर पर 2.14 लाख रुपये का व्यय निरर्थक रहा।

मामला सरकार को जून 1994 में प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1994)।

लोकनिर्माण विभाग

4.7 दोषपूर्ण आयोजना के कारण कार्यों पर व्यर्थ व्यय

(क) करयूनी गांव (पांगी घाटी) में एक शीतकालीन स्वास्थ्य चौकी का निर्माण कार्य 1.49 लाख रु0 की लागत से प्रशासनिक रुप से मार्च 1991 में अनुमोदित किया गया। किल्लार मण्डल द्वारा तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में तथा राज्य के वैज्ञानिक से स्थल का निरीक्षण करवाए बिना ही यह कार्य जून 1991 में आरम्भ किया गया। कार्य 3.90 लाख रुपये के व्यय से दिसम्बर 1991 में पूरा किया गया। लागत की अधिकता के कारण अभिलेख में नहीं थे। न तो विस्तृत प्राक्कलन (तकनीकी संस्वीकृति हेतु) और न ही संशोधित प्राक्कलन तैयार किये गये थे।

सितम्बर 1993 में मण्डल के अभिलेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ग्लेशियरज गिरने के कारण भवन फरवरी 1992 में ढह गया। कार्य स्थल पर केवल 0.51 लाख रुपये की विखंडित सामग्री ही बचाई जा सकी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 1993) कि कार्य स्थल का चयन लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के पदाधिकारियों एवं आवासीय आयुक्त द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के पश्चात ही किया गया था। यह भी बताया गया कि स्थानीय जनता के कथनानुसार चयनित स्थान पर ग्लेशियर का कोई खतरा नहीं था लेकिन यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि उपयुक्त स्थान के चयन के लिए उचित तकनीकी एजेन्सी का सहयोग नहीं लिया गया था।

इस प्रकार उपयुक्त स्थान के चयन को सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरुप 3.39 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

(ख) चन्द्रभागा नदी (पांगी घाटी) के दाहिने तट पर स्थित मकोली और री गावों के निवासियों को किल्लार के तहसील मुख्यालय पहुंचने के लिए निकटतम मार्ग की सुविधा देने, उनके पशु धन को नदी के दूसरे किनारे पार करने की सुविधा देने तथा वन उत्पादों के लाभ प्राप्त करने के लिए मकोली में चन्द्रभागा नदी पर एक पैदल चलने के पुल के निर्माण कार्य को 24.46 लाख रुपये की लागत से मार्च 1987 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया लेकिन यह कार्य किल्लार मण्डल द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा तथा तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ही जुलाई 1986 में प्रारम्भ कर दिया गया और बाएं तट के आधार हेतु चट्टान को काटने के लिए इस कार्य पर मार्च 1987 तक 2.49 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था। मार्च 1987 के पश्चात आगे कोई कार्य नहीं किया गया था।

मण्डल के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान में देखा गया (सितम्बर 1993) कि सीमा सड़क के महा-निदेशक द्वारा चन्द्रभागा नदी के दाहिने तट के साथ लाहौल सीमा से जम्मू सीमा तक सड़क निर्माण से मकोली और री गावों को जीप योग्य सड़क से जोड़ दिया गया था। पुनः मकोली में पैदल चलने योग्य पुल के स्थल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर अजोग में चन्द्रभागा नदी पर जीप योग्य झूला-पुल के निर्माण का कार्य सितम्बर 1990 में 18.54 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक रुप से अनुमोदित होने के उपरान्त प्रगति पर था (सितम्बर 1993) तथा इस पर अगस्त 1993 तक 18.81 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था। अजोग में पैदल चलने योग्य पुल भी विद्यमान था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया (सितम्बर 1993) कि वर्तमान में मकोली में पैदल चलने योग्य पुल की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, उसने यह बताया कि पैदल चलने योग्य पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करते समय, लाहौल सीमा जम्मू सीमा सड़क के संरेखण को अन्तिम रुप नहीं दिया गया था तथा ग्रामीण पैदल चलने योग्य पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे लेकिन यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग अगस्त 1986 में कथित सड़क के संरेखण से अवगत था और अजोग में पैदल चलने योग्य पुल पहले ही विद्यमान था।

इस प्रकार मकोली में पैदल चलने योग्य पुल के आधार के निर्माण, जिसे कि मार्च 1987 में स्थगित कर दिया गया था पर किया गया, 2.49 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ हुआ।

ये मामले सरकार को जून 1994 में प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्तूबर 1994)।

4.8 निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय

(क) सिचालिंग से माने पोमरंग (स्पीति घाटी) के लिए 5 किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य इकतरफा सड़क का निर्माण कार्य 11.65 लाख रुपये की लागत से मई 1979 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया और जून 1982 में 12.22 लाख रुपये की तकनीकी संस्वीकृति दी गई। तीन वर्षों में पूरा किया जाने वाला यह कार्य लाहौल एवं स्पीति मण्डल, काजा द्वारा 1979-80 के दौरान प्रारम्भ किया गया और दिसम्बर 1986 तक 4 किलोमीटर लम्बी सड़क के निर्माण पर 9.89 लाख रुपये का व्यय हुआ। इसके पश्चात कोई आगामी कार्य नहीं किया गया था।

मण्डल के अभिलेख की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (सितम्बर 1993) कि सड़क को यातायात हेतु खोलने और इसे रंगरीक समधू मार्ग से जोड़ने के लिए स्पीति नदी पर सड़क के 0/0 कि0 मी0 पर 55 मीटर फैलाव वाला लोहे का पुल निर्मित किया जाना था। पुल का निर्माण कार्य 19.08 लाख रुपये की लागत से मई 1980 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया जिसे 6 कार्य मौसमों में पूरा किया जाना था। 1983-84 के दौरान विभागीय तौर पर पुल की उप-संरचना के निर्माण के पश्चात् अधिरचना का कार्य 18 लाख रुपये की एक मुश्त बोली पर जम्मू की फर्म को 2 वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए दिया गया (जून 1984)। कार्य को सभी तरह से पूरा करने की अपेक्षा फर्म जुलाई 1993 तक केवल पुल को ही अवतरित कर सकी, पक्का करने तथा डैक बनाने का कार्य किया जाना शेष था। कार्य को पूरा करने में हुए विलम्ब के लिए दिसम्बर 1987 में फर्म से उद्गृहीत 1.35 लाख रुपयें का मुआवजा जुलाई 1994 तक वसूल नहीं किया गया था। जुलाई 1993 तक पुल पर 20.07 लाख रुपये का व्यय हो चुका था जिसमें जुलाई 1993 तक ठेकेदार को किया गया 13.32 लाख रुपये का भुगतान भी सम्मिलित था।

इस प्रकार संविदा करारनामें को समाप्त करके पुल के शेष बचे कार्य को फर्म की जोखिम तथा लागत पर विभागीय तौर पर पूर्ण करने में विभाग की विफलता के कारण सड़क (9.89 लाख रु0) तथा पुल (20.07 लाख रुपये) के निर्माण पर किए गए 29.96 लाख रुपये के व्यय से अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुआ तथा जुलाई 1994 तक व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त् फर्म से उद्गृहीत मुआवजे की वसूली न करने के कारण उसे 1.35 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

(ख) 5 किलोमीटर लम्बी पुलवाहल सरैन (जिला शिमला) सड़क का निर्माण कार्य 9.32 लाख रुपये की लागत से सितम्बर 1980 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया था। तीन

वर्षों में पूरा किए जाने वाला कार्य, ठियोग मण्डल द्वारा तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा मे 1980 में प्रारम्भ किया गया और अप्रैल 1986 में चौपाल मण्डल के सृजन पर उसे हस्तान्तरित किया गया। जून 1993 तक 19.75 लाख रुपये (सड़क निर्माण: 18.17 लाख रु0 और वर्षा से क्षति की मरम्मत: 1.58 लाख रुपये) व्यय करने के पश्चात् विभिन्न स्थलों पर 4.61 किलोमीटर की लम्बाई की वाहन योग्य सड़क का कार्य पूरा किया गया था।

चौपाल मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जुलाई 1993) कि 0/0 कि0मी0 से 4/430 कि0मी0 सड़क का प्रथम भाग, जो कि अविछिन्न रुप से बनाया गया था 0/435 कि00मी0 दूर पाश्ल खड्ड पर पुल न बनाए जाने के कारण यातायात के लिए नहीं खोला जा सका। अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत, शिमला ने बताया (नवम्बर 1993) कि पुल का निर्माण कार्य 15.41 लाख रुपये की लागत से नवम्बर 1993 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया था और कार्य का प्रारम्भ मार्च 1993 में मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत किए गए अभिकल्प/नक्शों के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा जबकि, प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने तथा अभिकल्प/ नक्शों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे।

इस प्रकार सड़क तथा पुल के एक साथ निर्माण में हुई विफलता के परिणामस्वरुप 19.75 लाख रुपये लागत से बनी सड़क का उपयोग नहीं हुआ और उस क्षेत्र के निवासी अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रहे (नवम्बर 1993)।

(ग) नाड्डी (जिला मण्डी) में ज्यूनी खड्ड पर 55 मीटर फैलाव वाले हवाई-रज्जु मार्ग पैदल चलने योग्य पुल का निर्माण कार्य 2.52 लाख रुपये की अनुमानित लागत से जून 1979 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया था, जो तदनन्तर जून 1984 में संशोधित करके 5.68 लाख रुपये किया गया। सुन्दरनगर मण्डल द्वारा कार्य 1981-82 के दौरान प्रारम्भ किया गया तथा दोनों तरफ के आधार 0.67 लाख रुपये की लागत से जून 1983 में बनाए गये। बाद में, अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत, मण्डी ने पैदल चलने योग्य पुल की बजाय जीप योग्य स्तर के 2.75 मीटर वाहनमार्ग पुल के निर्माण का निर्णय लिया। तदनुसार 55 मीटर लम्बे जीप योग्य स्तर के पुल का निर्माण कार्य मण्डल द्वारा संशोधित अनुमति प्राप्त किए बिना ही आरम्भ किया गया। यह कार्य 6.48 लाख रुपये के व्यय के पश्चात् फरवरी 1992 में पूरा किया गया।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (दिसम्बर 1993) कि नाड्डी ग्राम समूह के निवासियों को अपना कृषि उत्पाद मुख्य सड़क तक ले जाने की सुविधा देने तथा सड़क की व्यवस्था करके पुल से जोड़ने हेतु चैल-गोहर पण्डोह सड़क के 22/0 कि0मी0 से नाड्डी गांव तक 2 कि0 मी0 लम्बी जीप योग्य सड़क का निर्माण कार्य 2.75 लाख रुपये की लागत से जून 1988 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया था जिसे दो वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना था। सडक निर्माण के कार्य को दिसम्बर 1993 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। सड़क न बनाए जाने के परिणामस्परुप 6.48 लाख रुपये की लागत से फरवरी 1992 में बने हुए पुल को उपयोग में नहीं लाया जा सका। ग्रामीण भी यत्रंचालित यातायात की सुविधाओं से वंचित रहे। अधिशासी अभियन्ता

ने बताया (दिसम्बर 1993) कि धन के अभाव के कारण जीप योग्य सड़क के निर्माण का कार्य नहीं किया जा सका। अधिशासी अभियन्ता का यह तर्क लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस कार्य के लिए 1988-89 व 1992-93 के मध्य उपलब्ध करवाई गई 0.29 लाख रुपये की सकल राशि सड़क निर्माण (अनुमानित लागत: 1.30 लाख रु0) के 25 प्रतिशत को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि सड़क के मध्य पड़ने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण, जिसके लिए 0.51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, के लिए भी मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(घ)(i) बैजनाथ (जिला कांगड़ा) में 4.32 लाख रुपये की लागत से स्टेडियम का निर्माण कार्य मार्च 1987 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया था। इस कार्य को एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना था। बैजनाथ मण्डल द्वारा यह कार्य फरवरी 1987 में प्रारम्भ किया गया और कटाई कार्य (75 प्रतिशत) तथा स्थल को समतल करने पर मार्च 1990 तक 1.85 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जनवरी 1994) कि जिस भूमि पर स्टेडियम के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाना था उसे 1977 में एक ईंट-भट्टा मालिक ने पट्टे पर ले लिया था जिसने माननीय उप न्यायाधीश पालमपुर के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे। स्थगन आदेश की प्राप्ति की वास्तविक तिथि अभिलेख में नहीं थी।

मण्डल द्वारा निदेशक, युवा सेवाएं और खेल, हिमाचल प्रदेश जिसकी ओर से कार्य निष्पादन किया जा रहा था, से न्यायालय में मामले का प्रतिवाद करने और राजस्व विभाग के माध्यम से उचित निशानदेही के पश्चात् भूमि का अधिकार देने का अनुरोध किया गया (मई 1990)। माननीय न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित (जनवरी 1994) था और मार्च 1990 से आगामी कार्य रुका हुआ था। प्रत्यक्षत: मण्डल द्वारा स्टेडियम का निर्माणकार्य भूमि के स्वामित्व का सत्यापन किए बिना ही प्रारम्भ कर दिया गया था। इस प्रकार जनवरी 1994 तक हुआ 1.85 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

(ii) जयसिंहपुर (जिला कांगड़ा) में 4.97 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्टेडियम का निर्माण मार्च 1987 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया था। इस कार्य को 2 वर्षों की निर्दिष्ट अवधि में पूरा किया जाना था। पालमपुर मण्डल द्वारा 1986-87 के दौरान प्रारम्भ किया गया यह कार्य बाद में जयसिंहपुर उपमण्डल के नियंत्रण सहित बैजनाथ मण्डल को हस्तांतरित कर दिया गया (जून 1990)। प्रति ब्लॉक 6 बैठक पंक्तियों वाले पांच ब्लॉक के निर्माण तथा मण्डप को प्लिंथ स्तर तक बनाने के लिए 3.50 लाख रुपये का व्यय किया गया था। आगामी कार्य निधियों के अभाव में मार्च 1991 से रुका हुआ था। अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता, पांचवां वृत्त, पालमपुर को सूचित किया (फरवरी 1992) कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपये की आवश्यकता थी परन्तु पर्याप्त निधियों के प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाया गया जिसके लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे। इस प्रकार कार्य पर किए गये 3.50 लाख रुपये के व्यय से अभीष्ट सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई तथा जनवरी 1994 तक यह निष्फल रहा।

(ड.) सेरी बटवारा (जिला मण्डी) में 5.50 लाख रुपये की लागत से आयुर्वैदिक औषधालय भवन का निर्माण कार्य मार्च 1991 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया। सुन्दरनगर मण्डल द्वारा 6.27 लाख रुपये की लागत से भवन के एक भाग का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को दिया गया (मार्च 1992) जो कि एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि में पूरा किया जाना था। दिसम्बर 1992 तक लिंटल स्तर तक के कार्य पर 2.16 लाख रुपये (1.07 लाख रुपये के दायित्व सहित) का व्यय किया जा चुका था।

मण्डी जिले के आयुर्वैदिक अधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया (जनवरी 1993) कि मण्डल ने ऐसे स्थान पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था जहां आयुर्वैदिक विभाग की कोई संस्था कार्य नहीं कर रही थी तथा निर्माण कार्य विभाग को विश्वास में लिए बिना ही प्रारम्भ कर दिया गया था। तदनुसार लिंटल स्तर से ऊपर भवन निर्माण कार्य स्थगित किया गया था तथा दिसम्बर 1993 तक कार्य पुनः आरम्भ नहीं किया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने इस मामले को आयुर्वैदिक विभाग के साथ पत्राचार के अन्तर्गत बताया (दिसम्बर 1993)।

इस प्रकार दोनों विभागों के मध्य समन्वय के अभाव के परिणामस्परुप 2.16 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

ये तथ्य सरकार को जुलाई 1994 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

4.9 अनुचित आयोजना के कारण निरर्थक व्यय

चलोली गांव को धारवास (पांगी घाटी) से जोड़ने के विचार से विद्यमान 6 फुट चौड़ी धारवास-चलोली सड़क को 1 लाख रुपये की लागत से 0/0 कि0मी0 से 4/0 कि0मी0 तक जीप योग्य बनाने के लिए निर्माण कार्य अगस्त 1976 में प्रशासनिक रुप से अनुमोदित किया गया। दो वर्षों की निर्दिष्ट अवधि में पूरा किए जाने वाला यह कार्य चुराह मण्डल, चम्बा द्वारा 1976 के दौरान आरम्भ किया गया। इसे जुलाई 1979 के दौरान पांगी मण्डल, किल्लार को हस्तांतरित कर दिया गया।

सितम्बर 1993 में पांगी मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पता चला कि 1986-87 तक किए गए 2.79 लाख रुपये के व्यय से 2.850 किलोमीटर लम्बी सड़क (जीप योग्य: 0.900 कि0मी0 तथा खच्चर मार्ग: 1.950 कि0मी0) निर्मित करने के पश्चात् सड़क का आगामी निर्माण कार्य बन्द कर दिया था।

किल्लार, उप मण्डल नं0 1 के सहायक अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया (दिसम्बर 1989) कि धारवास-चलोली सड़क के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चलोली गांव पहले ही जीपयोग्य लुजी घाटी सड़क द्वारा जोड़ दिया गया था। अभिलेख की

संवीक्षा से पुनः यह पता चला कि विभाग द्वारा 28 किलोमीटर लम्बी लुजी घाटी जीप योग्य सड़क जो कि धारवास से ही आरम्भ होती है, का निर्माण कार्य 1972-73 के दौरान आरम्भ किया गया था तथा चलोली गांव को आवृत करके 15.799 किलोमीटर सड़क का निर्माण अगस्त 1993 तक कर दिया गया था जिस पर 30.21 लाख रुपये का व्यय हुआ।

सितम्बर 1993 में लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (सितम्बर 1993) कि 0/0 किलोमीटर से 28/0 किलोमीटर तक सड़क की पूरी लम्बाई के संरेखण को अन्तिम रुप न देने के कारण इस तथ्य का पहले पता नहीं चल सका कि गांव चलोली को लूजी घाटी सड़क के द्वारा जोड़ा जा रहा था। पुनः बताया गया कि जब इन दोनों सड़कों का निर्माणकार्य एक साथ चल रहा था तो यह पाया गया कि गांव चलोली सड़क को लूजी घाटी सड़क द्वारा जोड़ा जाना था और इस तरह धारवास-चलोली सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तथापि यह तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि गांव चलोली धारवास से, जहां से दोनों सड़के आरम्भ होती हैं, केवल 4 किलोमीटर के फासले पर स्थित है।

विभाग की इन दोनों सड़कों के निर्माण की उचित योजना बनाने में विफलता के कारण धारवास-चलोली सड़क को चौड़ा करने पर खर्च किया गया 2.79 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को जून 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अक्तूबर 1994)।

4.10 पुल पर निष्फल व्यय

मनाली-लेह उच्चमार्ग के साथ लाहौल घाटी में चन्द्रा दरिया के बाएं किनारे पर स्थित गांव यांगली को जोड़ने के उद्देश्य से चिनाब घाटी मण्डल, उदयपुर ने यांगली पर चन्द्रा दरिया के ऊपर 2.44 मीटर दुलाई मार्ग सहित 76.21 मीटर लम्बे हवाई रज्जू मार्ग पुल का निर्माण मार्च 1980 में आरम्भ किया तथा इसे मुख्य अभियन्ता द्वारा अगस्त 1979 में यांगली, लिंगर तथा झूलिंग स्थित तीन पुलों के निर्माण हेतु दिए गए 33.36 लाख रु० के प्रशासकीय अनुमोदन के प्रति 19.95 लाख रु० की लागत पर सितम्बर 1987 में पूर्ण किया गया। आकलन के वृत्तपत्र के अनुसार यांगली में छः फुट पैदल का रास्ता बनाया जाना था। अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (अगस्त 1993)कि आठ फुट चौड़ा हवाई रज्जू मार्ग पुल अधीक्षण अभियन्ता, जनजातीय वृत्त, कुल्लू द्वारा अनुमोदित रेखाचित्रों के आधार पर यांगली गांव के लोगों की नकदी फसलों के परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।

मण्डल के अभिलेखों की अगस्त 1993 में की गई नमूना जांच से पता चला कि कार्य तकनीकी संस्वीकृति तथा संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किए बिना पूर्ण किया गया था। यहां तक कि उसके बाद भी अगस्त 1993 तक इन्हें प्राप्त नहीं किया गया था। अधिशासी अभियन्ता

ने बताया (अगस्त 1993) कि कार्य की शीघ्रता को देखते हुए निर्माण को तकनीकी संस्वीकृति के बिना पूर्ण कराया गया था। यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि मण्डल द्वारा मार्च 1980 में कार्य आरम्भ के बाद से सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विस्तृत अनुमान तैयार करने हेतु भी पग नहीं उठाए गए थे।

पुल का उपयोग करने की दृष्टि से 6 किलोमीटर लम्बे खंसार-यांगल-मूलिंग लिंक सड़क के निर्माण के लिए जनवरी 1989 में 21.83 लाख रु0 का प्रशासकीय अनुमोदन किया गया था। सड़क का कार्य अगस्त 1993 तक आरम्भ नहीं किया जा सका था क्योंकि खंसार, थोरंग तथा गोदंला गांवों के लोगों ने सड़क के संरेखण में कृषि भूमि तथा वृक्षों के आने के कारण आपत्ति कर दी जिसका निर्णय अगस्त 1993 तक नहीं हो पाया था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1993) कि पुल का प्रयोग यांगल तथा मूलिंग गांवों के पैदल चलने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा था।

पैदल मार्ग पुल के स्थान पर जीपयोग्य पुल के निर्माण से अतिरिक्त लागत आई। इसके अतिरिक्त जीप वाले पुल का लिंक मार्ग के अभाव में 6 वर्षों से अधिक की अवधि से अपेक्षित उपयोग नहीं किया जा सका।

मामला सरकार को जून 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.11 कवार गांव को लिंक सड़क

पांच मुख्य गांवों* को मिलाकर डोडरा-कवार क्षेत्र (शिमला जिला) शेष राज्य से मार्ग से जुड़ा नहीं है। यह क्षेत्र या तो उत्तर प्रदेश अथवा रोहडू की ओर से मार्ग द्वारा जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले नटवार से ही सारा वर्ष चलने वाली सड़क सम्भव है, किन्तु नटवार से सेवा डोगरी को कोई सड़क नहीं है जो दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। अन्य विकल्प रोहडू की ओर से है जो उच्च पर्वतों में से होकर गुजरता है और वर्ष के अधिक भाग तक बर्फ से ढका रहता है।

राज्य सरकार के प्रमुख अभियन्ता एवं सचिव (लोकनिर्माण) के निर्देशों पर अधिशासी अभियन्ता, जुब्बल मण्डल ने सितम्बर 1980 में डोडरा-कवार क्षेत्र का दौरा किया तथा अक्तूबर 1980 में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही रुपन दरिया (दरिया टौंस की एक सहायक नदी) के दांये किनारे पर नटवार से सेवा डोगरी तक खच्चर मार्ग का निर्माण किया जा चुका था। यह सिफारिश की गई कि सेवा डोगरी से

---

* डोडरा, जाखा, जिस्किन, कवार तथा पान्धार ।

कवार तक कुल 16 किलोमीटर लम्बाई वाली सड़क बनाई जाए। कवार को लिंक सड़क बनाने हेतु

रोहडू मण्डल द्वारा 58.53 लाख रु० का आकलन तैयार किया गया तथा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, शिमला ने प्रमुख अभियन्ता को फरबरी 1985 में प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जो जुलाई 1994 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

इसी दौरान रोहडू मण्डल ने प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किए बिना वर्ष 1983-84 में सेवा डोगरी से कवार तक के मार्ग का निर्माण आरम्भ कर दिया और 5.37 लाख रु० की लागत से मार्च 1985 तक 4.900 किलोमीटर लम्बाई की एक मीटर चौड़ी पटरी बना दी गई। तत्पश्चात् कोई कार्य नहीं किया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (नवम्बर 1993) कि वाहन योग्य लिंक तभी संभव हो सकता था यदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ने वाले भाग को वाहन योग्य बनाया जाता।

इन परिस्थितियों में प्रशासकीय अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्राप्त किए बिना 5.37 लाख रु० की लागत से सेवा डोगरी से कवार तक 4.900 किलोमीटर लम्बाई वाली एक मीटर चौड़ी पटरी का निर्माण अनियमित था तथा इससे अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। अतः इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा (जुलाई 1994)।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.12 सांविदिक प्रावधानों की अननुपालना के कारण अतिरिक्त व्यय

चण्डीगढ़-मण्डी-मनाली राष्ट्रीय उच्चमार्ग संख्या-21 का 217/0 से 221/460 किलोमीटर तथा 231/600 से 242/0 किलोमीटर तक सड़क की परत पक्का करने का कार्य राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल, पण्डोह ने आकलित लागत 8.87 लाख रु० तथा 23.68 लाख रु० के प्रति क्रमशः 22.99 लाख रु० तथा 64.48 लाख रु० में दो ठेकेदारों को अप्रैल 1986 तथा मार्च 1988 में दिया। संविदा करारनामों में निर्धारित एक विशेष शर्त के अनुसार तैयार तरल स्प्रे की मरम्मत हेतु तह बिछाने तथा तैयार तरल स्प्रे की पक्की तह बिछाना एक साथ किया जाना था ताकि उनके मध्य टैक परत बिछाने का कार्य न करना पड़े।

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1992) कि अप्रैल 1986 तथा अक्तूबर 1991 के मध्य कार्य निष्पादन करते हुए इन दो तहों को एक साथ नहीं बिछाया गया था। इसके बदले संविदा करारनामों में विहित अनुसूचित प्रमात्रा के अनुसार इन दो तहों के मध्य एक और परत बिछाई गई थी। संविदा करारनामों की विशेष शर्त की अवमानना के परिणामस्वरूप परत बिछाने पर 2.36 लाख रु० का अपरिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में अनियमितता बताने पर अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (दिसम्बर 1992) कि इस व्यस्त राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर वाहनों की अधिकता के कारण एक साथ दो तहों को बिछाना सम्भव नहीं था। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यातायात को बनाए जाने वाले मार्ग की आधी चौड़ाई तक अस्थाई रुप से रोका जा सकता था। किसी भी मामले में इस प्रश्न पर विशेष सांविदिक प्रावधान संभवत: विभाग के अंतिम विचारों को प्रस्तुत करते हैं।

मामला सरकार को जून 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.13 मूल्यवृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान

धर्मपुर (मण्डी जिला) के निकट सुजानपुर-टिहरा संधोल-मड़ही-धर्मपुर-कोटली-मण्डी मार्ग में सून खड्ड के ऊपर 100 मीटर के फैलाव का पूर्व प्रतिबलित बजरी के पुल का निर्माण एक ठेकेदार को जुलाई 1988 में सरकाघाट मण्डल ने 60.99 लाख रु० की एकमुश्त लागत पर किया गया। करारनामे तथा ठेकेदार के समझौता, पत्र की शर्तों के अनुसार सामग्री मूल्यों में प्रथम 10 प्रतिशत की वृद्धि (करारनामे की शर्तों के अनुसार भण्डार प्रभारी अभियन्ता से सामग्री की आपूर्ति नहीं) तथा सरकारी अधिसूचना अथवा विधानमण्डल द्वारा नियत श्रमिकों की दिहाड़ी ठेकेदार द्वारा वहन की जानी थी। उससे केवल 10 प्रतिशत से अधिक की शेष वृद्धि की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

फरवरी-मार्च 1994 के दौरान मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि ठेकेदार को सितम्बर 1988 से अगस्त 1992 की अवधि के दौरान मूल्यवृद्धि प्रभारों का भुगतान करते समय उक्त करारनामें के प्रावधानों की अनदेखी की गई। मूल्यवृद्धि (सामग्री: 1.86 लाख रु०; श्रमिक दिहाड़ी: 4.74 लाख रु०) से सम्बद्ध 6.60 लाख रु० के स्वीकार्य भुगतान के प्रति वास्तव में ठेकेदार को 9.71 लाख रु० (सामग्री : 3.38 लाख रु०; श्रमिक दिहाड़ी: 6.33 लाख रु०) का भुगतान किया गया। इस प्रकार 3.11 लाख रु० (सामग्री: 1.52 लाख रु०; श्रमिक दिहाड़ी: 1.59 लाख रु०) का अधिक भुगतान हुआ।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.14 ठेकेदार को अनुचित सहायता

182/0 से 190/0 किलोमीटर तक के शिमला-वांगटू मार्ग के सुधार का कार्य ठियोग मण्डल द्वारा एक ठेकेदार को मार्च 1992 में दिया गया। संविदा करारनामें के अनुसार कार्यस्थल पर लाई गई मशीनरी पर यांत्रिक मण्डल, ढली द्वारा मशीनरी के मूल्य का निर्धारण करने और विभाग के नाम मशीनरी को बन्धक रखने के पश्चात् ही ठेकेदार को 75 प्रतिशत का अग्रिम

भुगतान किया जाना था। ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द करने की स्थिति में विभाग को बन्धक मशीनरी नीलाम करके अग्रिम राशि वसूल करने का अधिकार था। मण्डल ने मई 1992 में एक ऐक्सकेवेटर लोडर के प्रति 10.14 लाख रु० का अग्रिम भुगतान यथा अपेक्षित बन्धपत्र तथा यांत्रिक मण्डल से मूल्य निर्धारण के बिना ही कर दिया। ठेकेदार ने जून 1992 में कार्य आरम्भ किया किन्तु जून 1993 में अधूरा छोड़ दिया तथा मशीनरी को भी किसी अन्य स्थान को स्थानान्तरित कर दिया जैसा कि सहायक अभियंता, ठियोग उप-मण्डल ने जून 1993 में बताया। संविदा करारनामे के खण्ड-2 के अनुसार मुआवजे के 9.11 लाख रु० उद्ग्राह्य थे। ठेकेदार कार्य पुनः आरम्भ करने में विफल रहा, इसलिए दिसम्बर 1993 में ठेके को पूर्णतः रद्द कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने जून 1993 में विभाग को तब तक मुआवजे की राशि वसूलने से रोक दिया जब तक कि चल रही न्यायिक कार्रवाई पूर्ण न हो जाए।

संविदा करारनामे की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को प्रमुख अभियन्ता के निर्देशों पर कार्य को किसी एक स्थान से आरम्भ करके लगातार किया जाना अपेक्षित था। किए गए कार्य का भुगतान ठेकेदार को भूभाग के 200 मीटर के युनिटों में तब किया जाना था, जब वह ब्लास्टिंग सहित भूतल कार्य, भू प्रतिधारक संरचना तथा पुलियों, यदि कोई है, को पूर्ण कर लेता।

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, शिमला ने सूचित किया (मार्च 1994) कि ठेकेदार ने 8 किलोमीटर की समूची लम्बाई के किसी भी 200 मी० लम्बे भू भाग को पूर्ण नहीं किया। संविदा करारनामें की शर्तों तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सूचित स्थिति को देखते हुए ठेकेदार को कोई भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं था। इसके बावजूद मण्डल ने ठेकेदार द्वारा अलग-थलग क्षेत्रों में किए गए कार्य को मापा (जनवरी 1994) और जनवरी 1994 में दूसरे तथा अन्तिम बिल को समायोजित कर दिया। बिल की संवीक्षा से पता चला कि किए गए कार्य के 7.78 लाख रु० के कुल मूल्य में से मशीनरी हेतु किए गए अग्रिम भुगतान के भाग से सम्बद्ध 6.06 लाख रु० का समायोजन किया गया। शेष 1.72 लाख रु० को अन्य वसूलियों (ठेकेदार को आपूरित सामग्री मूल्य, जमा प्रतिभूति, आयकर, श्रमिक शिकायत आदि से सम्बद्ध रोकी गई राशि) के प्रति समायोजित किया गया। अग्रिम की शेष राशि (4.08 लाख रु०) को ठेकेदार के अन्य संविदा करारनामे (संख्या-105 वर्ष 1991-92) के प्रति समायोजित किया गया बताया गया।

जनवरी 1994 में करारनामा संख्या 105 वर्ष 1991-92 के प्रति अन्तिम रुप दिए गए ठेकेदार के बिल की संवीक्षा से पता चला कि पूर्व बिल से अब तक किए गए कार्य की 10.64 लाख रु० की कुल लागत में से 8 लाख रु० की विभिन्न वसूलियां (आपूरित की गई सामग्री, जमा प्रतिभूति, आयकर, रॉयल्टी, श्रमिक शिकायत, मुआवजा आदि की लागत) ठेकेदार से की जानी थी जिससे 2.64 लाख रु० शेष रहे। अतः 4.08 लाख रु० के बकाया अग्रिम का 2.64 लाख रु० तक समायोजन करना सम्भव था। मण्डल ने अन्तिम बिल को 1.44 लाख रु० की ऋण राशि के रुप में सामयोजित किया।

अतः स्पष्ट है कि ठेकेदार को कार्यस्थल पर मशीनरी लाने के लिए दिए गए कुल 10.14 लाख रु0 के अग्रिम में से वस्तुतः 8.70 लाख रु0 ही वसूल किए गए और 1.44 लाख रु0 का बकाया शेष रहा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को किए गए कार्य का भुगतान अनुमत करने पर 7.78 लाख रु0 का अनुचित लाभ दिया गया, जबकि करारनामे में ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें 200 मी0 के प्रत्येक भूखण्ड में कार्य पूर्ण होने पर ही भुगतान निश्चित था।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.15 परिहार्य हानि

पठानकोट-जालन्धर राष्ट्रीय उच्चमार्ग संख्या 1-ए के 103/560 किलोमीटर पर मोहटली (जिला कांगड़ा) पर स्थित पुल सितम्बर 1988 में हुई भारी वर्षा के कारण अंशतः क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतियों को पूरा करने तथा बचाव कार्य जुटाने हेतु फतेहपुर मण्डल ने 9.57 लाख रु0 का आकलन तैयार किया तथा जून 1989 में 11.20 लाख रु0 की लागत पर क्षतियों को पूरा किया गया।

वर्ष 1991 तथा 1992 की भारी वर्षा के दौरान 1989 में कराया गया समूचा बचाव कार्य बह गया। जुलाई 1992 में कार्य के निरीक्षण के दौरान भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता ने यह पाया कि नीचे दरिया की ओर रोक दीवार के पीछे करेट कार्य बह जाने के कारण तल स्तर एकाएक लगभग 3 मीटर नीचे बैठ गया। पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रोक दीवार को शीघ्र बचाने का परामर्श दिया गया। उन्होंने ने यह भी बताया (अगस्त 1992) कि उनके परामर्श पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। क्षतियों को दूर करने के लिए मण्डल ने 9.08 लाख रु0 का आकलन तैयार किया। मार्च 1993 में भूतल परिवहन मंत्रालय ने 6.76 लाख रु0 का आकलन तकनीकी रुप से स्वीकृत किया। मण्डल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1993) कि मंत्रालय के अनुमोदन मिलने पर कार्य को शीघ्र आरम्भ करवाने के स्थान पर इसके ढेड़ महीने के भीतर पूर्ण करने की शर्त सहित एक ठेकेदार को जुलाई 1993 में दे दिया गया। इसी समय दरिया के नीचे की आवरण दीवार बह गयी और जुलाई 1993 के दौरान पुल पायों को बचाने वाले सीमेंट-रोड़ी के पट्ट अंचल भी क्षतिग्रस्त हो गए। हानि 15 लाख रु0 आकलित की गई। सितम्बर 1993 तक मण्डल में पुल हेतु अतिरिक्त करेट कार्य जुटाने के लिए 10.30 लाख रु0 के आकलन पर कार्रवाई की जा रही थी। अतः ठेकेदार बचाव कार्य स्थल के बह जाने के कारण कार्य निष्पादित नहीं कर सका।

वर्ष 1991 की बरसात में क्षतियों के शीघ्र पश्चात तथा तदनंतर जुलाई 1992 में भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता के परामर्श पर बचाव कार्य न करवाने में विभाग की विफलता और वर्ष 1993 की बरसात से पूर्व बचाव कार्यों को आरम्भ करवाने में विलम्ब से भी 15 लाख रु0 की परिहार्य हानि हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1989 में क्षतियों की मरम्मत हेतु किए गए

11.20 लाख रु० का व्यय भी व्यर्थ गया।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.16 प्रतिधारक दीवार टूटने से क्षति

जालन्धर-होशियारपुर-धर्मशाला मार्ग (जिला ऊना) के 72/0 किलोमीटर पर (आर.डी. 72/050 से 72/075) पर 35 वर्ष पूर्व बनाई गई 25 मीटर लम्बी तथा 6 मीटर ऊंची प्रतिधारक दीवार भारी वर्षा के कारण टूट गई (अगस्त 1990) जिससे मार्ग की चौड़ाई 7.5 मीटर से घटकर 5 मीटर रह गई। भरवाईं मण्डल ने क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का कार्य तकनीकी अनुमोदन की प्रत्याशा में आरम्भ किया (मई 1991) तथा 1.23 लाख रु० की लागत पर 15 प्रतिशत प्लम सहित प्लम बजरी 1:5:10 (सीमेंट : 1: रेत: 5 : बजरी : 10) से पूर्ण किया गया (जून 1991)। इसमें सामग्री मूल्य (0.90 लाख रु०) तथा ठेकेदार का भुगतान (0.33 लाख रु०) सम्मिलित था। आकलन के अनुमोदन तथा कार्य आदेशों के अभाव में ठेकेदार का भुगतान अभी तक (मार्च 1994) नहीं किया गया था। मार्च 1991 में प्रस्तुत किए गए 1 लाख रु० के आकलन पर तकनीकी अनुमोदन प्रतीक्षित था। कार्यकारी अभियंता ने अधीक्षण अभियंता, आठवां वृत्त, हमीरपुर को सूचित किया (अगस्त 1991) कि कार्य के महत्व तथा इस मार्ग पर चलने वाले यातायात को देखते हुए अनुमोदन की प्रत्याशा में आकलन के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शे के अनुसार ही दीवार को बना दिया गया।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 1993 तथा मार्च 1994) से पता चला कि जून 1991 में निर्मित प्रतिधारक दीवार अगस्त 1991 में भारी वर्षा के कारण पुन: टूट गई। दिसम्बर 1991 में क्षतियों की मरम्मत हेतु प्रस्तुत किए गए 1.79 लाख रु० के आकलन का मार्च 1994 तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। इस आकलन में शिलाखण्डों से भरी जस्तयुक्त लोहे की तार की करेट उपलब्ध करवाकर दीवार को निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता को सूचित किया (अप्रैल 1992) कि यह प्रावधान भूमि की कम वहन क्षमता तथा घाटी में गहरे जलमार्ग को देखते हुए किया गया था। आकलन के अनुमोदन की अनुपस्थिति में 0.66 लाख रु० की लागत से प्रतिधारक दीवार की मरम्मत जुलाई 1992 में पूर्ण की गई जिससे प्रयोजन सिद्ध हो रहा था तथा वह संतोषजनक हालत में बताई गई थी। प्रत्यक्षत: पत्थरों से भरी तार करेट की प्रतिधारक दीवार स्थलानुसार उपयुक्त थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1994) कि जुलाई 1992 में विभाग द्वारा निर्मित प्रतिधारक दीवार यातायात खोलने के लिए अस्थाई संरचना थी। जून 1991 के दौरान प्लम बजरी में दीवार के निर्माण के सम्बन्ध में उसने बताया (अप्रैल 1993) की उस समय पंजाब राज्य द्वारा बनाई गई इसी भांति की दीवार अपने पूर्ण कार्यकाल तक विद्यमान रही तथा मिट्टी की प्राकृति के प्रति अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता। तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि लोक धन खर्च करने से पूर्व मिट्टी की श्रेणी का अनुमान तथा विश्लेषण करना आवश्यक था।

तकनीकी अनुमोदन के अभाव में, विशेषकर जब मिट्टी की विस्तृत छानबीन के बिना प्रस्ताव रखे गए थे, कार्य निष्पादन के कारण 1.23 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को अगस्त 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

4.17 भू अर्जन कार्यालय, कुल्लू का कार्यचालन

कुल्लू जिले में सरकार के लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले राष्ट्रीय उच्चमार्ग संख्या -21 सहित सार्वजनिक कार्यों हेतु भू अर्जन कार्यों की देख-रेख के लिए वर्ष 1984 में भू अर्जन अधिकारी कुल्लू का कार्यालय गठित किया गया। कार्यालय का कार्यप्रभार दिसम्बर 1992 तक उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, कुल्लू के पास तथा उसके पश्चात् समाहर्ता, वन बंदोबस्त के पास था।

फरवरी 1993 में कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:-

(क) मुआवजे की प्राप्ति तथा संवितरण

नियमों में परिकल्पित है कि खजाने से तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक पैसा शीघ्र संवितरण हेतु अपेक्षित न हो अथवा पहले ही स्थायी अग्रिम से न दिया गया हो।

यह देखा गया कि भू अर्जन अधिकारी, कुल्लू ने मार्च 1986 तथा मार्च 1990 के मध्य भवन तथा मार्ग मण्डल संख्या -ii, कुल्लू से राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-21 हेतु अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए 136.29 लाख रु0 की अग्रिम राशि का आहरण किया, जिसके प्रति केवल 69.65 लाख रु0 के अधिनिर्णय घोषित किए गए। 69.65 लाख रु0 के अधिनिर्णयों में से 63.59 लाख रु0 का मुआवजा अगस्त 1994 तक संवितरित किया गया और 72.70 लाख रु0 शेष रह गए। 72.70 लाख रु0 की बकाया राशि की स्थिति निम्नलिखत थी:-

		लाख रुपये
(i)	भूमि से सम्बद्ध मामलों में दिसम्बर 1991 तथा अक्तूबर 1994 के मध्य मण्डी तथा कुल्लू के विभिन्न न्यायालयों में जमा राशि	46.46
(ii)	अगस्त 1994 तथा सितम्बर 1994 के दौरान खजाने में जमा राशि	9.21
(iii)	भू- अर्जन अधिकारी के पास बकाया राशि	17.03
	जोड़	72.70

अतः अधिनिर्णयों की प्रत्याशा में तथा आवश्यकताओं से अधिक निधियों का आहरण अनियमित था।

भू अर्जन अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 1994) कि अप्रयुक्त राशि को खजाने में जमा करवाने के पग उठाए जाएंगे।

(ख) **मुआवजे का अधिक भुगतान**

भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अधिनिर्णय के पश्चात्, भू अर्जन अधिकारी इच्छुक व्यक्तियों को जो अधिनिर्णय के अनुसार हकदार हों, मुआवजे का भुगतान करेगा।

राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 के निर्माण के लिए जिला के फाटी-हार में भू अर्जन हेतु समाहर्ता ने 79 लोगों के हक में 6.84 लाख रु0 के मुआवजे का अधिनिर्णय दिया (फरवरी 1992)। इसमें इच्छुक व्यक्तियों में से एक को देय 2.20 लाख रु0 सम्मिलित हैं जिसे अप्रैल 1989 तथा अप्रैल 1992 के मध्य पांच किस्तों में 5.48 लाख रु0 की कुल राशि का भुगतान किया गया था। परिणामतः 3.28 लाख रु0 का अधिक भुगतान हुआ। इसमें से 1.60 लाख रु0 प्राप्तकर्ता से वसूल कर लिए गए (नवम्बर 1992) तथा उसे दी जाने वाली 1.16 लाख रु0 की अनुपूरक अधिनिर्णय राशि को उसे किए गए पूर्व अधिक भुगतान के प्रति समायोजन कर दिया गया। इस प्रकार अधिक भुगतान किए गए 0.52 लाख रु0 वसूली हेतु शेष थे। भू अर्जन अधिकारी ने सूचित किया (जून 1994) कि सम्बद्ध व्यक्ति को दो मास के भीतर अधिक भुगतान की गई राशि को वापिस करने के निदेश दिए गए थे।

(ग) भूमि के बाजार भाव (मूल्य) का अधिक मूल्यांकन अधिनियम की धारा 4, उप धारा (i) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना तिथि पर भूमि के बाजार भाव को मुआवजा राशि निश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 के निर्माण हेतु जिले फाटी के फाटी-बजौड़ा में 34-1-1 बीघा भूमि को अधिगृहीत करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सितम्बर 1986 में प्रकाशित की गई तथा सरकार ने 22.78 लाख रु0 के अधिनिर्णय का अनुमोदन अगस्त 1988 में किया। समाहर्ता ने साथ के गांव/स्थान के मूल्य को देखते हुए भूमि का बाजार भाव 8.93 लाख रु0 निश्चित किया, जबकि अधिनियम के प्रावधानों (धारा 23) की शर्त के अनुसार इसका मूल्य 6.54 लाख रु0 बनता था, जिसकी दर समाहर्ता के पास उपलब्ध थी। भूमि का बाजार भाव 2.39 लाख रु0 अधिक निश्चित करने से 3.53 लाख रु0 के अधिक मुआवजे का अधिनिर्णय देना पड़ा।

भू अर्जन अधिकारी ने बताया (जून 1994) कि भूमि में कुछ वृद्धि भूमि के मूल्यों में लगातार वृद्धि के कारण अनुमत की गई। भू अर्जन अधिकारी का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि फाटी

बजौड़ा में भूमि के बाजार मूल्य, जो उसके पास उपलब्ध थे, को ध्यान में रखा जाना चाहिए था न कि साथ के गांव/स्थान की भूमि के मूल्य को।

मामला सरकार को अगस्त 1994 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

4.18 नकद समाधान उचन्त लेखा

4.18.1 एक मण्डल द्वारा दूसरे मण्डल के किए गए कार्य या की गई आपूर्ति पर व्यय पश्चादुक्त मण्डल से प्राप्त चैक/बैंक ड्राफ्ट निपटान के समाशोधन तक प्रारम्भ में उचन्त लेखा, "नकदी समाधान उचन्त लेखा" को प्रभारित किया जाता है। लेन-देन को दावों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निपटाना अपेक्षित है। वर्ष की समाप्ति पर सामान्यत: शीर्ष के अन्तर्गत बकाया नहीं होना चाहिए। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष ही अन्तिम शीर्षों के अधीन नहीं लाए गए विभाग के असमायोजित दायित्व दर्शाते हैं यदि मदों को दीर्घावादी तक असमायोजित रखा जाता है, तो समय बीतने के साथ धोखा धड़ी पकड़ना, सामग्री आदि की रसीदों का सत्यापन करना आदि कठिन हो जाता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1984-85 (सिविल) के प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.21 में लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों से सम्बद्ध वर्ष 1977-78 से 1983-84 की अवधि हेतु नकदी समाधान उचन्त लेखे के अन्तर्गत बकाया शेषों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। लोक लेखा समिति ने 16 दिसम्बर 1993 को सदन के पटल पर प्रस्तुत अपने 105 वें प्रतिवेदन में (7 वीं विधान सभा) यह अनुभव किया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग से सम्बद्ध जून 1988 के अन्त तक 23.61 लाख रु0 की बकाया राशि का निपटान शीघ्र किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के बकायों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने कोई सिफारिश नहीं की।

4.18.2 शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशियों की समीक्षा 13 मण्डलों* के विशिष्ट संदर्भ में मई-जून 1994 के दौरान की गई। विभाग का वर्ष 1983-84 की समाप्ति पर 1015.21 लाख रु0 का समस्त बकाया वर्ष 1993-94 की समाप्ति पर बढ़कर 2129.42 लाख रु0 (110 प्रतिशत) हो

---

* धर्मशाला,धर्मशाला (यांत्रिक), हमीरपुर, कुल्लू-I, कुल्लू-II, कुल्लू (यांत्रिक), मण्डी-I, मण्डी-II, शिमला-I, शिमला-II, शिमला-III, ठियोग तथा शिमला (यांत्रिक)

गया। वर्षानुसार स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्तियां (निपटान) (लाख रुपये)	संवितरण (जमा)	इति शेष
1984-85	1015.20	1006.97	1025.34	1033.57
1985-86	1033.57	1262.49	1284.06	1055.14
1986-87	1055.14	1578.29	1704.53	1181.38
1987-88	1181.38	1810.14	1961.67	1332.91
1988-89	1332.91	1454.49	1735.73	1614.15
1989-90	1614.15	1077.06	1695.85	2232.94
1990-91	2232.94	999.94	1590.53	2823.53
1991-92	2870.05**	869.82	829.36	2829.59
1992-93	2829.59	4581.08	3758.91	2007.42
1993-94	2007.42	1742.00	1864.00	2129.42

वर्ष 1984-85 से 1993-94 की अवधि के बकायों की प्रवृति निम्नलिखित चार्ट में दर्शाई गई है:-

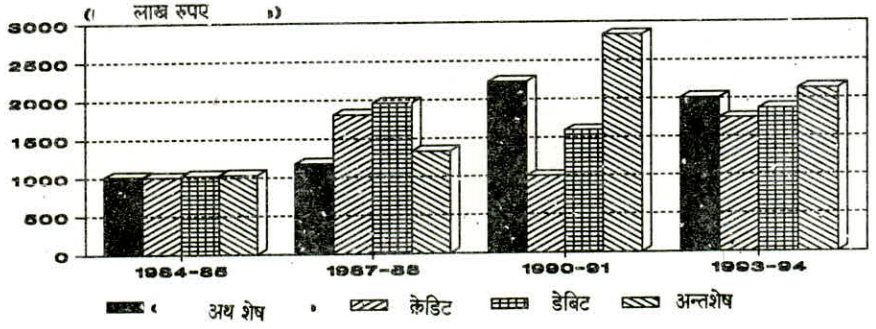

* महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब द्वारा छोड़ने पर 46.52 लाख रु० की प्रोफार्मा वृद्धि।

4.18.3 प्रवृत्ति विश्लेषण

पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान नमूना जांच किए गए 13 मण्डलों के सम्बन्ध में इस शीर्ष के अन्तर्गत बकायों की प्रवृति निम्नलिखित थी:-

वर्ष	पहली अप्रैल को अथ शेष	वर्ष के दौरान ऋण	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च को इति शेष
		(लाख रुपयों में)		
1990-91	376.31	165.86	82.19	459.98
1991-92	459.98	204.86	115.92	548.92
1992-93	548.92	226.35	155.79	619.48
1993-94	619.48	420.60	282.61	757.47

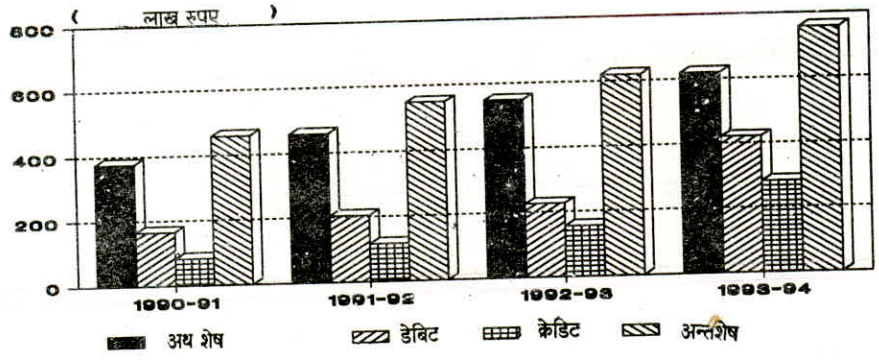

यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक बकायों में 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 647.42 लाख रु0 का इति शेष तीन यांत्रिक मण्डलों (धर्मशाला : 102.41 लाख रु0; कुल्लू: 201.70 लाख रु0 तथा शिमला: 343.31 लाख रु0) से सम्बंधित था। अधिशासी अभियंता, यांत्रिक मण्डल, शिमला ने बताया (मई 1994) कि बकाया का बिलानुसार तथा मदानुसार विवरण मण्डल के पास उपलब्ध नहीं था। इन विवरणों के अभाव में दावों के अप्राप्य बनने की सम्भावना से मना नहीं किया जा सकता।

धर्मशाला तथा कुल्लू मण्डलों के अधिशासी अभियंताओं ने बताया (मई-जून 1994) कि सम्बद्ध मण्डलों से बकाया भुगतानों को वसूलने के पग उठाए जा रहे थे।

नमूना जांच किए आरम्भिक एवं प्रतिवादी मण्डलों में समायोजन हेतु लम्बित बकाया प्रस्तुत दावों (आवक) तथा प्राप्त दावों (जावक) का वर्षानुसार विवरण निम्नलिखित था:-

वर्ष	प्रस्तुत दावों (आवक) की बकाया राशि	प्राप्त दावों (जावक) की बकाया राशि
1989-90	269.81	23.56
1990-91	92.83	15.57
1991-92	79.89	5.11
1992-93	81.40	20.02
1993-94	233.54	91.22
जोड़	757.47	155.48

दावों के लम्बित होने का मुख्य कारण (i) पुराने दायित्वों को निपटाने के लिए बजट की अनुपलब्धता (ii) उप मण्डलों में सत्यापनाधीन बिल (iii) मण्डल/उप मण्डलों के पुनर्गठन के कारण पुराने अभिलेखों की अनुपलब्धता (iv) विवादित दावों का सत्यापन न होना (v) दावों के विवरणों की अनुपलब्धता तथा (vi) प्रतिवादी मण्डलों से प्रतिक्रिया का अभाव बताया गया।

अधिशासी अभियंता, हमीरपुर मण्डल ने यांत्रिक मण्डल, बिलासपुर से सम्बद्ध 21.05 लाख रु0 के बिलों के भुगतान न करने के कारण सम्बद्ध वित्तीय वर्षों के दौरान समय पर बिलों की प्राप्ति न होना बताया (मई 1994), जिसके परिणामस्वरुप पुराने दायित्वों को निपटाने हेतु साख पत्र उपलब्ध नहीं हुआ।

यांत्रिक मण्डल, कुल्लू ने मार्च 1991 में कुल्लू मण्डल संख्या -1 के प्रति भुन्तर गडसा मार्ग पर हुरला खड्ड के ऊपर इस्पात कड़ियों के पुल बनाने के लिए 3.58 लाख रु0 का बिल प्रस्तुत किया गया। मई 1994 तक कुल्लू मण्डल संख्या -1 ने बिल का निपटान नहीं किया था। अधिशासी अभियंता, कुल्लू मण्डल संख्या -1 ने बताया (जून 1994) कि भुगतान न किए जाने के कारणों की छानबीन की जा रही थी। यांत्रिक मण्डल, कुल्लू के अभिलेखों में कार्य की समाप्ति के

शीघ्र पश्चात् जून 1987 में बिल प्रस्तुत न करने के कारण नहीं दिए गए थे।

4.18.4 प्रवर्त्तक तथा प्रत्यर्थी मण्डलों के मध्य बकायों में भिन्नता

प्रवर्त्तक मण्डलों की पुस्तकों में आने वाले नकद समाधान उचन्त लेखे (आवक) के बकाया शेषों को प्रत्यर्थी मण्डलों के अभिलेखों में आने वाले शेषों के बराबर होना चाहिए। नमूना जांच किए गए 13 मण्डलों में से 11 मण्डलों (हमीरपुर तथा कुल्लू-1 को छोड़कर) के आवक तथा जावक शेषों की सम्बद्ध प्रत्यर्थी मण्डलों से प्रतिपरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि मार्च 1994 के अन्त तक प्रवर्त्तक मण्डलों के अभिलेखों में बकाया 355.16 लाख रु0 के प्रति प्रत्यर्थी मण्डलों के अभिलेखों में तत्सम्बंधी शेष की राशि 118.99 लाख रु0 थी। अत: परिशिष्ट-VIII के विवरण के अनुसार 236.17 लाख रु0 का अन्तर था। कुछ मुख्य भिन्नताओं की नीचे चर्चा की गई है:-

(i) यांत्रिक मण्डल, शिमला (ढ़ली) के अभिलेखों के अनुसार शिमला मण्डल संख्या -II से 19.53 लाख रु0 वसूल किए जाने थे (मार्च 1994)। मण्डल में दावों के मदवार/बिलवार विवरण उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 1993-94 तक राशि वर्ष 1990-91 से पूर्व अवधि से इकट्ठी हो रही थी। अधिशासी अभियंता, शिमला मण्डल संख्या-II ने बताया (मई 1994) कि यांत्रिक मण्डल, शिमला (ढ़ली) का मार्च 1994 की समाप्ति पर भुगतान हेतु लम्बित कोई बिल नहीं था।

(ii) यांत्रिक मण्डल, शिमला के खातों में ठियोग मण्डल से 95.48 लाख रु0 की बकाया वसूली के प्रति पूर्वोक्त मण्डल द्वारा उनके अभिलेखों के अनुसार भुगतान राशि केवल 27.05 लाख रु0 थी। 68.43 लाख रु0 के अन्तर का मई 1994 तक समाधान नहीं किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पुन: पता चला कि 95.48 लाख रु0 में 9 डोजरों के वर्ष 1990-91 से 1993-94 की अवधि के (1990-91: 19.04 लाख रु0; 1991-92: 18.26 लाख रु0; 1992-93: 25.10 लाख रु0 तथा 1993-94: 23.48 लाख रु0) मुरम्मत प्रभारों से सम्बद्ध 85.88 लाख रु0 सम्मिलित थे। अधिशासी अभियंता, ठियोग मण्डल ने बताया (जून 1994) कि उपरोक्त् 9 डोजरों की मुरम्मत का 62.56 लाख रु0 का भुगतान पहले ही किया जा चुका था तथा केवल 1.38 लाख रु0 के बिल ही मण्डल में सत्यापन हेतु लम्बित थे। यह भी बताया गया कि 21.94 लाख रु0 की शेष राशि के बिल मण्डल में उपलब्ध नहीं थे। अत: यांत्रिक मण्डल, शिमला द्वारा प्राप्त भुगतानों के गलत वर्गीकरण की संभावना से मना नहीं किया जा सकता।

4.18.5 लेखा कार्यालय के साथ अन्तर का समाधान न करना

नकद समाधान उचन्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत मण्डलीय शेष सामान्यत: लेखा कार्यालय के शेषों के साथ मिलने चाहिए। तथापि नमूना जांच किए गए मण्डलों के सम्बंध में मार्च 1994 की समाप्ति पर बकायों की राशि लेखा कार्यालय के शेषों के साथ नहीं मिली। तुलना करने पर छ: मण्डलों के शेष 74.86 लाख रु0 उच्चतर पाए गए, जबकि शेष सात मण्डलों के शेष 36.28

लाख रु0 निम्नतर पाए गए, जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

क्रमांक	मण्डल का नाम	मण्डलीय अभि-लेखानुसार राशि	लेखा व हकदारी की खातानुसार राशि	मण्डलीय अभिलेखों में अन्तर/भिन्नता (+)/(-)
		(लाख रुपये)		
1.	धर्मशाला	6.38	8.74	(-) 2.36
2.	धर्मशाला (यांत्रिक)	102.41	63.17	(+)39.24
3.	हमीरपुर	0.55	0.59	(-) 0.04
4.	कूल्लू-I	7.99	8.61	(-)0.62
5.	कुल्लू-II	16.28	34.64	(-)18.36
6.	कुल्लू (यांत्रिक)	201.70	178.43	(+)23.27
7.	मण्डी-I	25.72	25.14	(+) 0.58
8.	मण्डी-II	25.83	22.84	(+) 2.99
9.	शिमला-I	4.08	0.35	(+) 3.73
10.	शिमला-II	8.39	12.84	(-) 4.45
11.	शिमला-III	9.07	9.59	(-) 0.52
12.	शिमला (यांत्रिक)	343.31	338.26	(+) 5.05
13.	ठियोग	5.76	15.69	(-) 9.93
	जोड़	757.47	718.89	

मण्डलीय अधिकारियों द्वारा मई 1994 तक अन्तर समाधान की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

4.18.6 निगरानी तथा मूल्यांकन

लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकायों के निपटान न करने की समस्या से निपटने के लिए अक्तूबर 1991 में एक राज्य स्तर की स्थायी समिति का गठन किया गया था। समिति में राज्य सरकार तथा कार्यालय वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। जुलाई 1992 तथा दिसम्बर 1993 के मध्य समिति की तीन बैठकें हो चुकी थी। प्रथम दो बैठकों में मुख्य अभियंता ने समिति को सूचित किया कि शीर्ष के अन्तर्गत बकाया मुख्यत: भण्डारों/यांत्रिक मण्डलों में लम्बित समायोजनों के कारण थे तथा पुरानी बकाया मदों में पर्याप्त कमी करने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। समिति ने अपनी तीसरी बैठक में शीर्ष के अन्तर्गत अत्यधिक बकायों को गम्भीरता से लिया। अतिरिक्त् संचिव (वित्त) मण्डलों पर सीमा

लगाने को तथा प्रचलित स्थिति में सुधार हेतु रास्ता निकालने पर सहमत हो गए। समिति की सिफारिशों की अनुपालना हेतु की गई प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 1994)।

मामला सरकार को अगस्त 1994 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

4.19 अपूर्ण कार्य

(i) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भारत सरकार की अनुमति के बिना गैर वन्य उद्देश्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग को रोकता है।

9 मण्डलों* में 28 सड़क कार्य जो (अनुमानित लागत 420.90 लाख रु०) परिशिष्ट-IX के विवरणानुसार उनके आरम्भ होने की तिथि से 1 से 9 वर्षों की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने निश्चित हुए थे, वे इन सड़कों की सीमाओं में पड़ने वाली वन भूमि के उपयोग की भारत सरकार से अनुमति लिए बिना मार्च 1974 तथा जनवरी 1991 के मध्य आरम्भ किए गए थे। ये कार्य, जिन पर 127.55 लाख रु० व्यय किया गया, वन भूमि स्थानांतरण न होने के कारण अपूर्ण रहे। प्रत्येक मामले में मार्च 1994 तक 12 से 216 महीने तक का अधिक समय लिया गया। 5 मण्डलों** के अन्तर्गत इन सड़क कार्यों में से 21 के सम्बन्ध में भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मामला प्रस्तुत करने की कार्रवाई भी नहीं की गई।

(ii) 10 मण्डलों*** में 12 सड़क कार्यों तथा 1 पुल कार्य (अनुमानित लागत: 129.64 लाख रु०) जो परिशिष्ट-X के अनुसार निष्पादनार्थ मार्च 1982 से दिसम्बर 1989 के मध्य आरम्भ किए गए थे वे उनकी क्रमानुसार आरम्भ होने की तिथियों से 2 से 5 वर्षों के भीतर पूर्ण करने निश्चित हुए थे। ये कार्य निजी भूमि के अनधिग्रहण के कारण सड़क के संरेखण के विवादों (7 मामले), निधियों की कमी (4 मामले) तथा संरेखण पर पुलों का निर्माण न करने (2 मामले) के कारण 42.86 लाख रु० व्यय करने के पश्चात् भी अपूर्ण पड़े थे। मार्च 1994 तक इन कार्यों के पूर्ण करने में 13 से 109 महीनों तक का विलम्ब हुआ।

---

* चौपाल, देहरा, धर्मशाला, फतेहपुर, कुल्लू-I, कुल्लू-II, निरमंड, सोलन तथा ऊना

** देहरा, फतेहपुर, कुल्लू-I, सोलन तथा ऊना

*** बैजनाथ, हमीरपुर, जैसूर, जुब्बल, किलार, कुल्लू-II, निरमंड, रोहडू, सरकाघाट तथा ठियोग।

(iii) 6 मण्डलों * में परिशिष्ट-XI में दिए गए विवरणानुसार छः भवनों तथा एक खेल स्टेडियम के निर्माण (अनुमानित लागत: 30.10 लाख रु0) का कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना मार्च 1986 तथा फरवरी 1990 के मध्य आरम्भ किया गया। इन कार्यों को एक से तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था, किन्तु मार्च 1990 तथा मार्च 1992 के मध्य रोक दिया गया तथा इन्हें पूर्ण नहीं किया गया अथवा केवल आंशिक रुप से पूर्ण किया गया। इनके निलम्बन तक कुल 19.31 लाख रु0 का व्यय किया जा चुका थज्ञ।

सम्बद्ध मण्डलों ने कार्य अपूर्णता का कारण निधियों की कमी (छः मामले) तथा ठेकेदार द्वारा काम को छोड़ना (एक मामला) बताया। विभाग ने कार्य को अन्य ठेकेदार द्वारा अथवा विभागीय रुप से करवाने के लिये कार्रवाई नहीं की थी।

निधियों की पर्याप्त उपलब्धता की सुनिश्चितता किए बिना कार्यों के निष्पादन से 19.31 लाख रु0 का व्यय निष्फल हुआ।

मामला सरकार को अगस्त 1994 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)

4.20 ब्याज का परिहार्य भुगतान

भू अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा तथा सोलन के अभिलेखों की दिसम्बर 1993 तथा मार्च 1994 के मध्य की गई नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:-

(i) 1984 में यथासंशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधान है कि मुआवजे की राशि पर 29 अप्रैल 1982 तक 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से तथा भूमि अधिग्रहण करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक प्रथम वर्ष हेतु 9 प्रतिशत तथा अनुवर्ती वर्षों हेतु 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अप्रैल 1988 (एक अधिनिर्णय) तथा नवम्बर 1991 (तीन अधिनिर्णय) के दौरान भू अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा द्वारा घोषित चार अधिनिर्णयों की संवीक्षा से पता चला कि इन मामलों में प्रक्रिया 3 वर्षों की अनुमत अवधि के प्रति 134 से 155 महीनें बीत जाने के बाद आरम्भ की गई तथा इसे पूर्ण करने में 33 से 40 महीने और लगे। प्रक्रिया आरम्भ करने तथा पूर्ण करने में विलम्ब के कारण 8.53 लाख रु0 के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

---

* बैजनाथ, बड़सर, उदयपुर स्थित चिनाब वैली, धर्मशाला, कुल्लू-I तथा शिमला-I.

(ii) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया हो, समाहर्ता को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि मामला समाहर्ता द्वारा न्यायालय के निर्धारण हेतु भेजा जाए, भले ही उसकी आपत्ति भूमि मापने की, मुआवजा राशि की, व्यक्ति जिसे राशि दी जानी है अथवा इच्दुक व्यक्तियों में मुआवजे संविभाजन से सम्बन्धित हो। ऐसे आवेदन जो अधिनियम में उल्लिखित अवधि के भीतर समाहर्ता को दिए जाने हों, में अधिनिर्णय पर आपत्तियों के आधार दिए जाने चाहिए। वह अवधि जिसके भीतर आवेदनों को समाहर्ता द्वारा न्यायालय को भेजा जाना है, का उल्लेख अधिनियम में नहीं किया गया है तथापि यह लोक हित में होगा कि ऐसे आवेदनों को उपयुक्त अवधि में न्यायालय को इस तथ्य को देखते हुए भेजे कि इच्दुक व्यक्ति समाहर्ता को मामला न्यायालय में भेजने के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह अधिकतम छः महीने की अवधि के भीतर समाहर्ता के अधिनिर्णय से सन्तुष्ट नहीं होता।

अधिनियम की धारा 28 में यह भी प्रावधान हैं कि उन मामलों में जहां समाहर्ता द्वारा अधिनिर्णित मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा बढ़ाई जाती है तो न्यायालय का अधिनिर्णय समाहर्ता को यह निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे आधिक्य पर भूमि अधिग्रहण की तिथि से उसके न्यायालय में भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करे। उक्त धारा में यह प्रावधान भी है कि यदि ऐसे आधिक्य की राशि भूमि अधिग्रहण की तिथि से एक वर्ष के भीतर न्यायालय में जमा नहीं करवाई जाती तो 15 प्रतिशत् वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

भू अर्जन समाहर्ता, सोलन के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इच्छुक व्यक्तियों के मई 1983 तथा मार्च 1990 के मध्य 117 भूमि के मामले प्राप्त हुए थे। मार्च 1985 तथा मई 1992 के मध्य इन मामलों को समाहर्ता ने न्यायालय को भेजा। इन मामलों को न्यायालय में भेजने में 11 तथा 96 महीनों के मध्य का समय लगा। छः महीनों को उपयुक्त समय मानकर मामलों को न्यायालय भेजने में 5 तथा 90 महीनों तक का विलम्ब हुआ। इन मामलों का निर्णय न्यायालय ने मई 1991 तथा अप्रैल 1994 के मध्य किया। यद्यपि 9 मामले न्यायालय ने अस्वीकृत किए तथा 9 लम्बित थे लेकिन 99 मामलों को अन्तिम रूप से निपटाया गया था। न्यायालय को मामले भेजने में विलम्ब के कारण ब्याज की परिहार्य राशि 12.60 लाख रु0 बनती थी।

यदि समाहर्ता ने मामलों को उपयुक्त समय में न्यायालय को भेज दिया होता तो ब्याज का भुगतान न्यूनतम किया जा सकता था।

भू अर्जन समाहर्ता ने बताया (मार्च 1994) कि मामला अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत, सोलन तथा उपायुक्त, नाहन के ध्यान में लाया गया क्योंकि न्यायालय को मामले भेजने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारी उपायुक्त, नाहन में था। यह भी बताया गया कि कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जा चुका था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 1994)।

ये मामले सरकार को अगस्त 1994 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

लोकनिर्माण विभाग

5.1 मशीनरी एवं कार्यशालाओं का कार्यचालन

5.1.1 परिचय

विभाग का यान्त्रिक संभाग सड़कों एवं भवनों के निर्माणार्थ मशीनरी की मरम्मत व अनुरक्षण की देखभाल करता है।

5.1.2 संगठनात्मक ढांचा

इस संभाग में 17 कार्यशालाओं वाले पांच यांत्रिक मण्डल* हैं। बिलासपुर एवं शिमला के यांत्रिक मण्डल अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक), शिमला के नियन्त्रणाधीन हैं जबकि धर्मशाला कुल्लू तथा रामपुर मण्डलों की देखभाल सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ताओं (सिविल) द्वारा की जा रही है। इन 17 कार्यशालाओं के अतिरिक्त 9 अन्य कार्यशालाएं 9 सिविल मण्डलों से सम्बद्ध की गई हैं। ये सभी मण्डल व कार्यशालाएं प्रमुख अभियन्ता, शिमला तथा आंचलिक मुख्य अभियन्ता, धर्मशाला के समग्र नियंत्रणाधीन हैं। विभाग का समग्र नियन्त्रण लोकनिर्माण विभाग के आयुक्त व सचिव के पास है।

5.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्तमान समीक्षा में सितम्बर 1993 तथा मई 1994 के मध्य 5 यांत्रिक तथा 19 सिविल मण्डलों** के अभिलेखों की नमूना जांच तथा 3 अन्य मण्डलों*** में पाए गए तथ्यों के परिणामों पर आधारित वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि में मशीनरी व कार्यशालाएं का कार्यचालन शामिल है। इसे प्रमुख अभियन्ता द्वारा दी गई सूचना से अनुपूरित किया गया। समीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लिखित हैं।

---

* बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर तथा शिमला स्थित ढली

** चम्बा, चुराह, देहरा, धर्मशाला, जस्सूर, जुब्बल, कसौली, राष्ट्रीय राजमार्ग सोलन, निरमण्ड, नूरपुर, पालमपुर, रामपुर, रोहडू, सरकाघाट, शिमला-II, शिमला-III, सोलन, सुन्दरनगर तथा ठियोग

*** भरवाईं, काजा तथा मण्डी-II

5.1.4 मुख्य बातें

कार्यशाला व्यय की तुलना में स्थापना पर होने वाले व्यय के मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। विभाग ने वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक यान्त्रिक वृत्त व पांच यान्त्रिक मण्डलों की स्थापना के वेतन व भत्तों पर 581.82 लाख रु० का व्यय किया जो किएँ गए काम का 33 प्रतिशत था।

(परिच्छेद 5.1.5)

7 मशीनों की खरीद पर किया गया 16.50 लाख रु० का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि मशीनों का अभीष्ट उपयोग नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा मार्च 1979 मे सरकारी स्वीकृति के बिना 45.68 लाख रु० की लागत से आठ बुल्डोजरों की खरीद 15 वर्ष से अधिक समय तक नियमित नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.1.6)

विभिन्न कारणों से ठेकेदारों द्वारा किराए पर ली गई मशीनरी के 30.00 लाख रु० के किराया प्रभार या तो वसूल नहीं किए गए थे या कम वसूल किए गए थे।

(परिच्छेद 5.1.7)

विभिन्न प्रकार की मशीनरी की प्रयुक्ति में वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक 13 से 99 प्रतिशत गिरावट आई।

(परिच्छेद 5.1.8)

स्टोन क्रशरों की 65 से 82 प्रतिशत अवप्रयुक्ति के परिणामस्वरुप पत्थरों की रोड़ी का कम उत्पादन हुआ और 4 मण्डलों को विभिन्न निर्माणकार्यों पर प्रयुक्ति हेतु 33.40 लाख रु० की पत्थर की रोड़ी बाजार से खरीदनी पड़ी। वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक 15.48 लाख रु० के उत्पादन के प्रति 3 स्टोन क्रशरों को चलाने व उनके अनुरक्षण पर 22.17 लाख रु० का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरुप 6.69 लाख रु० की परिचालन हानि हुई।

(परिच्छेद 5.1.9)

6 मण्डलों में जनवरी 1989 तथा अक्तूबर 1993 के मध्य परिचालन कर्मियों के वेतन व भत्तों पर किया गया 9.44 लाख रु० का व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ क्योंकि मशीनरी उस अवधि में या तो निष्क्रिय रही या उसकी मरम्मत चल रही थी।

(परिच्छेद 5.1.10)

5 यान्त्रिक मण्डलों ने प्रमुख अभियन्ता के अनुदेशों का उल्लघंन करके तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधिक्य में 283.80 लाख रु० के पुर्जे बाजार से खरीदे।

(परिच्छेद 5.1.11)

83.64 लाख रु0 की सोलह मशीनों की काफी लम्बे समय से मरम्मत नहीं हुई थी।

प्रमुख अभियन्ता के अनुदेशों के विपरीत वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य 125.71 लाख रु0 की मरम्मतें निजी अभिकरणों के माध्यम से करवाई गई।

(परिच्छेद 5.1.13)

वर्ष 1993-94 के अन्त में कार्यशालाओं/मशीनरी को चलाने में हुई संचित हानियां 776.07 लाख रु0 थी। हानियों की छानबीन की कार्रवाई नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.1.15)

5.1.5 बजट प्रावधन व व्यय

वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि के लिए मशीनरी व उपस्कर की नई आपूर्ति तथा मरम्मत व दुलान आदि के लिए कुल बजट प्रावधान तथा उसके प्रति व्यय के ब्यौरे निम्नवत् थे:-

	बजट	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)
		(लाख रुपए)	
जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर			
राजस्व प्रवर्ग	268.30	274.62	(+) 6.32
पूंजी प्रवर्ग	542.68	431.71	(-)110.97
जोड़	810.98	706.33	(-)104.65
जनजातीय क्षेत्र			
राजस्व प्रवर्ग	19.85	8.89	(-)10.96
पूंजी प्रवर्ग	153.95	254.20	(+)100.25
जोड़	173.80	263.09	(+) 89.29
कुल जोड़	984.78	969.42	(-)15.36

इसके अतिरिक्त यांत्रिक संभाग (केवल 5 यांत्रिक मण्डलों) ने वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक विभाग के अन्य मण्डलों की 1761.86 लाख रु0 मूल्य की सेवाएं कीं। विभाग ने कार्यशाला उत्पादन की तुलना में नियमित स्थापना पर व्यय के मापदण्ड निर्धारित नहीं किए। यांत्रिक वृत्त कार्यालय तथा पांच यांत्रिक मण्डलों की नियमित स्थापना पर इस अवधि में 581.82 लाख रु0

का व्यय हुआ जो किए गए काम के मूल्य (1761.86 लाख रु0) का 33 प्रतिशत था। इस प्रकार स्थापना व्यय अधिक प्रतीत होता है।

5.1.6 मशीनरी का उपार्जन/कार्यचालन

(i) प्रमुख अभियन्ता ने कलकत्ता स्थित एक फर्म को 2.12 लाख रु0 (करों तथा कलकत्ता से रामपुर बुशहर तक परिवहन सहित) मूल्य के में मैक्सीमिक्स वाईब्रेटरी टेण्डम प्रकार के रोड रोलर की आपूर्ति हेतु मई 1988 आपूर्ति आदेश दिया। 2 टन तोल की यह मशीन 8-10 टन के स्थिर रोड़ रोलर की तुलना में कम्पन पद्धति द्वारा कम चक्करों में मिट्टी तथा एस्फाल्ट दोनों परतों को उच्च घनत्व तक सुगठित करने के लिए बनी थी। यह मशीन जून 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर में प्राप्त हुई और उसी मास प्रयोग में लाई गई। रामपुर 11वें वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता ने कार्यस्थल पर मशीन की कार्यकुशलता देखने के पश्चात जुलाई 1988 में प्रमुख अभियन्ता को बताया कि ऊषा एटलस रोड रोलर की तुलना में मैक्सीमिक्स रोड़ रोलर बेहतर था।

अधीक्षण अभियन्ता के प्रतिवेदन के आधार पर 6.36 लाख रु0 की कुल लागत से उसी मार्के आकार-प्रकार के 3 अन्य रोड़ रोलरों की आपूर्ति के लिए अगस्त 1988 में उसी फर्म को एक अन्य आपूर्ति आदेश दिया गया। ये मशीनें राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर में सितम्बर 1988 में प्राप्त हुई थी तथा इनकी एक वर्ष की गारण्टी थी लेकिन मशीनों के उपयोग में लाए जाने पर कुछ विनिर्माण दोषों के कारण उनकी कार्यकुशलता सन्तोषजनक नहीं पाई गई।

यान्त्रिक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर के अधिशासी अभियन्ताओं ने सूचित किया (मई 1994) कि उपार्जन की अल्पावधि में ही चारों रोड़ रोलरों की द्रवीय कम्पन प्रणाली खराब हो गई और विनिर्माता के यात्रिक भी इन्हें ठीक नहीं कर पाए। यह भी बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये मशीनें बहुत उपुयक्त नहीं थी। मशीनों की महत्वपूर्ण क्रिया के विफल होने के दृष्टिगत कम भार के साथ वाले सुगठन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए कि मशीन के महत्वपूर्ण कार्य विफल रहे। इतने में दो रोड रोलर तो पूर्णतः खराब हो गए और पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण ये क्रमशः जून 1992 तथा फरवरी 1993 से यान्त्रिक कार्यशाला, रामपुर में बेकार पड़े थे। शेष दो को तत्पश्चात प्रयोग में लाया गया लेकिन इनसे कम भार द्वारा सुगठन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार इन अनुपयुक्त रोड रोलरों पर किया गया 8.48 लाख रु0 का निवेश अविवेकपूर्ण था।

(ii) विभिन्न पुलों के निर्माण सर्वेक्षण कार्यों में काम आने वाली 1.50 लाख रु0 की एक विद्युत अभ्यान्तर वेधन मशीन वर्ष 1974 में नूरपुर मण्डल से प्राप्त हुई तथा वह जुलाई 1977 से धर्मशाला की मण्डलीय कार्यशाला में बेकार पड़ी थी। मशीनरी उपयोग में नहीं लाई जा सकी जिसका कारण क्षेत्र में विद्युत कनैक्शन का उपलब्ध न होना बताया गया था। धर्मशाला यान्त्रिक मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (जून 1994) कि मशीन को बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यान्त्रिक मण्डल, धर्मशाला के अभिलेखों की जांच से पता चला (सितम्बर 1993) कि जून 1974 में 1 लाख रु0 की लागत से उपार्जित एक अन्य वेधन मशीन ने विहित 17,100 घण्टों के प्रति जून 1993 तक केवल 7,405 घण्टे काम किया। अधिशासी अभियन्ता ने अवप्रयुक्ति को कम काम तथा मरम्मतों से सम्बद्ध किया। यद्यपि काम के अभाव में वर्तमान मशीन की पूर्ण प्रयुक्ति नहीं हुई लेकिन 5.52 लाख रु0 की लागत से एक अन्य मशीन खरीदी गई (अक्तूबर 1989)। यह 3,375 घण्टों के प्रति नवम्बर 1989 तथा सितम्बर 1993 के मध्य केवल 744.5 घण्टे ही काम कर सकी। इस प्रकार इन मशीनों की खरीद अविवेकपूर्ण थी तथा 8.02 लाख रु0 के व्यर्थ निवेश में परिणत हुई। अधिशासी अभियन्ता ने अतिरिक्त वेधन मशीन की खरीद को कुल्लू मण्डल सं0-II के अन्तर्गत पुल कार्यों के सर्वेक्षण व अन्वेषण के लिए उपलब्ध निधियों की प्रयुक्ति से सम्बद्ध किया (जून 1994)। ये मशीने अभीष्ट कार्यों के उपयोग में नहीं लाई गई।

(iii) राज्य भण्डार नियंत्रक ने मुख्य अभियन्ता (पुल एवं भवन), शिमला से अक्तूबर 1978 में प्राप्त मांग पत्र के आधार पर 68.52 लाख रु0 की लागत से 12 बुलडोजरों की आपूर्ति हेतु मार्च 1979 में एक फर्म को आदेश दिया। मशीनरी के क्रयार्थ सरकारी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त पहले अक्तूबर 1978 में दिए गए एक आपूर्ति आदेश के मामले में उसी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रति मशीन दी गई 0.06 लाख रु0 की छूट भी प्राप्त नहीं की गई जिसके कोई कारण अभिलेखों में मौजूद नहीं थे।

धर्मशाला के यान्त्रिक मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (सितम्बर 1993) कि 12 बुलडोजरों की खरीद के प्रति सरकार ने अक्तूबर 1979 में केवल 4 बुलडोजरों के क्रयार्थ संस्वीकृति दी। 8 बुलडोजरों की खरीद के नियमानुकूलन की कार्रवाई 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं की गई। जनवरी 1992 में सरकार ने 45.68 लाख रु0 की लागत के 8 बुलडोजरों की अधिक खरीद के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के आदेश दिए जिस पर सितम्बर 1993 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

5.1.7 किराया प्रभारों की कम वसूली

30 लाख रु0 के किराया प्रभार ठेकेदारों से या तो वसूल नहीं किए गए अथवा कम वसूल किए गए जैसा कि निम्नांकित है:

(i) निरमण्ड मण्डल द्वारा बजीर बावड़ी झाकड़ी सम्पर्क सड़क के निर्माणार्थ ठेकेदारों को 1988-89 तथा 1992-93 के मध्य एअर कम्प्रेशर जैसी मशीनरी उपलब्ध करवाई गई। अनुबन्धों में वसूली वर्ष 1988-89 के दौरान निर्धारित 137 रु0 प्रति घण्टा के किराया प्रभारों की वसूली नियत थी/निर्धारित की गई जबकि ब्याज व परीक्षण प्रभार जोड़ने के बाद इसे 153 रु0 की दर से वसूल किया जाना चाहिए था। इन ठेकेदारों से 28,469 घण्टे तक कम्प्रेशर का प्रयोग किया और उनसे 4.56 लाख रु0 की राशि कम वसूल की गई। इस प्रकार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किराया प्रभार निर्धारित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप ठेकेदारों से अल्प वसूली हुई

तथा सरकार को घाटा हुआ।

अनुबन्धों के अनुसार किराया प्रभार संयंत्र व मशीनरी को ठेकेदारों को सौपनें की तिथि से उनकी वापसी की तिथि तक प्रभार ठेकेदारों से वसूल किए जाने थे भले ही किसी मुख्य बाधा को छोड़कर व किसी भी अन्य कारण से काम नहीं कर पा रही हो। इस प्रकार निष्क्रिय घण्टों के लिए अनुबन्ध में नियत दर पर वसूली की जानी थी। इन उपबन्धों के विपरीत रामपुर वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता, ने अक्तूबर 1990 में 46 रु० प्रति निष्क्रिय घण्टे की दर निर्धारित की जबकि ये कार्य वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान ठेकेदारों को दिए गए थे। अधीक्षण अभियन्ता की कार्रवाई का पर्याप्त औचित्य नहीं था और इस प्रकार यह पहले ही तय किए संविदा अनुबन्धों के उपबन्धों के विरुद्ध थी।

ठेकेदारों को दिए गए कम्प्रेशर वर्ष 1988-89 तथा 1992-93 के मध्य 4,5८० घण्टों के लिए अप्रयुक्त रहे और वसूली 137 रु० प्रति घण्टे की नियत दर के प्रति 46 रु० प्रति घण्टे की दर से की गई जिससे ठेकेदार को 4.15 लाख रु० का अनुचित लाभ पहुंचा। 46 रु० प्रति घण्टे की दर में ब्याज व पर्यवेक्षण प्रभार शामिल नहीं थे जिससे 0.73 लाख रु० की अल्प वसूली हुई।

(ii) संविदा अनुबन्धों में प्रत्येक दिन आठ घण्टे के लिए किराया प्रभारों की वसूली की व्यवस्था थी। किसी ठेकेदार को एक बार दिया गया संयंत्र व मशीनरी, श्रम व सामग्री आदि की व्यवस्था के अभाव में लौटाई नहीं जानी थी।

विभिन्न कार्यपंजियों की संवीक्षा से निम्नांकित तथ्यों का पता चला:

(क) निरमण्ड मण्डल में किराया प्रभारों की वसूली नियत 8 घण्टे के प्रति 5 घण्टे प्रति दिन की दर से की गई जिससे अप्रैल 1990 तथा अक्तूबर 1992 के बीच 1,092 घण्टों के लिए 1.50 लाख रु० की कम वसूली हुई।

(ख) जनवरी 1986 से मार्च 1994 तक के 45 मामलों में 16,628 घण्टों के किराया प्रभार वसूल किए जाने थे जबकि 4 मण्डलों* में 5083 कार्य के लिए वसूली की गई जिससे श्रम/सामग्री की अनुपलब्धता, लघु मरम्मतों, वर्षा, कार्यस्थल की अवरुद्धता जैसे कारणों से प्रयुक्त न हुए कम्प्रेशरों व डोजरों के लिए हिसाब में कम लिए गए 11545 घण्टों के प्रभारों के रुप में 18.40 लाख रु० की अल्प वसूली हुई। ये कारण संविदाओं के अन्तर्गत नहीं थे और किसी मुख्य बाधा को छोड़कर वसूली 8 घण्टे प्रति दिन की दर से की जानी थी। 5.39 लाख रु० की कुल वसूली में से अकेले राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, पण्डोह में ही केवल 1.02 लाख रु० की वसूली हुई थी और 4.37 लाख रु० की शेष राशि की वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन बताई गई (मार्च 1992)। दूसरे अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (अक्तूबर 1993 से मई 1994) कि मामलों की छानबीन की जाएगी।

---

* जस्सूर (1.38 लाख रु०), राष्ट्रीय राजमार्ग पण्डोह (5.39 लाख रु०), निरमण्ड (3.60 लाख रु०) तथा रामपुर (8.03 लाख रु०)

(ग) संविदा अनुबन्धों के मानक खण्ड में नियत है कि ठेकेदारों को सौंपे गए तथा विभागीय भण्डार में वापिस लिए गए संयंत्र व मशीनरी की दुलाई का खर्च ठेकेदार उठाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें लौटाने में विफलता के कारण हुई हानि के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। निरमण्ड मण्डल में एक एअर कम्प्रेशर (नं0 1600759) तीस अप्रैल 1990 तक ठेकेदार "क" के पास रहा। तत्पश्चात् इसे 30 सितम्बर 1990 तक ठेकेदार "ख" के कार्य हेतु पारगमन में प्रदर्शित किया गया। 153 दिनों की पारगमन अवधि के 1224 घण्टों के किराया प्रभारों की वसूली हेतु ठेकेदारों का दायित्व निर्धारित नहीं किया गया। इस प्रकार 1.68 लाख रु0 की राशि वसूली नहीं की गई।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्तूबर 1993) कि मामले की छानबीन की जाएगी जबकि जुलाई 1994 तक कोई छानबीन नहीं की गई।

5.1.8 मशीनरी का उपयोग

[illegible] प्रैल 1982 के अनुदेशों के अनुसार विभिन्न मशीनों की वांछित वार्षिक प्रयुक्ति [illegible] र्धारित की गई।

क्रमांक	मशीन का नाम	वार्षिक प्रयुक्ति की क्षमता (घण्टे)
1.	एअर कम्प्रेशर	1,200 से 1,500
2.	रोड रोलर	1,000 से 1,200
3.	बुलडोजर	800 से 1,200
4.	हॉट मिक्स प्लाण्ट	800 से 1,200

13 मण्डलों* में अनुरक्षित विभिन्न मशीनों के निष्पादन की समीक्षा से पता चला कि मशीनों ने वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान 4,63,200 घण्टों के वांछित न्यूनतम कार्य के प्रति केवल 1,63,317 घण्टे काम किया। इस अवधि में मशीनरी की प्रयुक्ति में 13 से 99 प्रतिशत की गिरावट आई जैसा कि निम्नांकित है:-

क्रमांक ब्यौरे	अवप्रयुक्ति सीमा									
	1989-90		1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
1. एअर कम्प्रेशर	68	21-2[illegible]	[illegible]	30-98	49	42-[illegible]6	48	26-99	9	4[illegible]
2. रोड़ रोलर	[illegible]	30-9	28	13-86	27	28-30	28	21-84	11	29-74
3. डोजर	1[illegible]	13-79	17	13-83	14	18-97	11	21-86	2	15-95

---

* चम्बा, चुराह, देहरा, जस्सूर, निरमण्ड, पालमपुर, रामपुर, रोहड़ू, सरकाघाट, शिमला-II, सोलन, सोलन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा ठियोग

वर्ष 1973 में 1.02 लाख रु0 की लागत से उपार्जित हॉट मिक्स प्लाण्ट-129 ने जस्सूर मण्डल में अप्रैल 1992 में फालतू घोषित होने तक केवल 585 घण्टे काम किया। यह संयंत्र अभी भी (दिसम्बर 1993) नूरपुर कार्यशाला में बेकार पड़ा था। वर्ष 1977 में 1.02 लाख रु0 की लागत से खरीदे गए एक अन्य हॉट मिक्स प्लाण्ट-131 ने इस मण्डल में काम के अभाव में मार्च 1993 तक केवल 1,142 घण्टे काम किया। ये संयंत्र अधिकांशतः बेकार रहे और उपार्जन से लेकर उनकी प्रयुक्ति केवल 7 प्रतिशत रही। इन तथ्यों के दृष्टिगत विभाग अन्यंत्र उनकी प्रयुक्ति की सामयिक कार्रवाई में विफल रहा अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जनवरी 1994) कि ये मशीने जरुरतमन्द मण्डलों को हस्तान्तरित कर दी जाएंगी।

मशीनरी की अवप्रयुक्ति को मण्डलों द्वारा सामान्यतः इनके पुरानेपन, मशीनरी की मरम्मत, काम की अल्पावधि तथा निधि/पुर्जों/कामों की अनुपलब्धता से सम्बद्ध किया गया।

5.1.9 स्टोन क्रशरों की अवप्रयुक्ति

चार लोकनिर्माण मण्डलों* मने चूरे की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 1979-80 तथा 1991-92 के मध्य उपार्जित 4 स्टोन क्रशर (प्रत्येक मण्डल एक-एक) अनुरक्षित किए थे। प्रत्येक क्रशर एक वर्ष में 1000 घण्टे चलना था और वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य 20,000 न्यूनतम उपलब्ध घण्टों में 1 से 3 घन मी0 प्रति घण्टे की दर से 46,075 घन मी0 का चूरा बनाना था लेकिन इसे विहित 20,000 घण्टों के प्रति 4,748 घण्टे ही प्रयुक्त किया गया और 9,817 घन मी0 चूरा तैयार हुआ। स्टोन क्रशरों की 65 से 82 प्रतिशत अवप्रयुक्ति से 36,258 घन मी0 चूरा कम तैयार हुआ। इन मण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य विभिन्न निर्माणकार्यों पर प्रयोगार्थ 33.40 लाख रु0 का 32,594 घन मी0 चूरा बाजार से खरीदना पड़ा। स्टोन क्रशरों की अवप्रयुक्ति को सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ताओं ने विद्युत की अवधगति से न हुई आपूर्ति तथा स्टोन क्रशरों के पुराने होने व पत्थर उपलब्ध न होने से सम्बद्ध किया।

चम्बा, चुराह तथा रामपुर मण्डलों ने 3 क्रशरों को चलाने व उनके अनुरक्षण पर वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य 22.17 लाख रु0 खर्च किए जबकि उत्पादन 15.48 लाख रु0 का था जिससे 6.69 लाख रु0 की परिचालन हानि हुई। यदि इन क्रशरों के अनुरक्षण व प्रतिष्ठापन की समुचित व्यवस्था की गई होती और अन्य अन्तर्विष्ट सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था हुई होती तो निष्क्रिय घण्टों व परिणामी हानि को काफी कम किया जा सकता था।

---

* चम्बा, चुराह, निरमण्ड व रामपुर

5.1.10 परिचालन कर्मियों पर अनुत्पादक व्यय

6 मण्डलों* में मशीनरी पर लगाए गए कर्मियों के वेतन व भत्तों पर जनवरी 1989 तथा अक्तूबर 1993 के मध्य 9.44 लाख रु0 का व्यय किया गया जबकि यह मशीनरी 3 से 21 मास तक मरम्मत के अभाव में या काम के बिना बेकार पड़ी रही। विभाग या तो शीघ्र मरम्मत करवाने में या फिर परिचालन कर्मियों की अन्यंत्र प्रयुक्ति की संभावना का पता लगाने में विफल रहा। इस प्रकार यह व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ।

5.1.11 पुर्जों का अनियमित/अविवेकपूर्ण उपार्जन

(i) कार्यशालाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा मुख्य विनिर्माता से प्रतियोगी दरों पर सही पुर्जे खरीदने के लिए प्रमुख अभियन्ता ने नवम्बर 1986 में पुर्जों के न्यूनतम व अधिकतम स्तर को निर्धारित करने के अनुदेश जारी किए। यह भी व्यादिष्ट था कि स्थानीय खरीददारियां कम से कम की जाएं। नवम्बर 1993 में प्रमुख अभियन्ता ने सूचित किया कि इन अनुदेशों को अनुसरित नहीं किया जा रहा था और नकली पुर्जे भण्डारों में रखे जा रहे थे। अनुदेशों की अनुपालना न होने से अविवेकपूर्ण क्रय हुए जैसा कि निम्नांकित है:

(क) वर्ष 1971-89 के दौरान खरीदे गए 2.06 लाख रु0 के पुर्जे समय बीतने के साथ अप्रचलित हो गए क्योंकि जिन मशीनों/वाहनों के लिए इन्हें खरीदा गया था वे ही प्रचलन में नहीं रहे। अविवेकपूर्ण ढंग से खरीदे गए इन पुर्जों की 7 मण्डलों** में निष्प्रयोज्यता/निपटान अभी तक (मई 1994) प्रतीक्षित था।

(ख) 10 मण्डलों*** द्वारा सितम्बर 1976 तथा मार्च 1991 के मध्य खरीदी गई 10.24 लाख रु0 की मशीनरी/वाहनों के पुर्जे मण्डलों ने अपनी आवश्यकता से फालतू घोषित कर दिए गए थे। यद्यपि 4 मण्डलों (चुराह, जस्सूर, यान्त्रिक शिमला तथा राष्ट्रीय राजमार्ग, सोलन) ने फालतू पुर्जों की सूची बिना कोई प्रतिक्रिया प्राप्त किए परिचालित कर ली थी लेकिन शेष 6 मण्डलों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इससे निधि का अवरोधन हुआ।

---

* चम्बा, काजा, निरमण्ड, पालमपुर, शिमला-III तथा ठियोग

** यांत्रिक बिलासपुर, चुराह, देहरा, धर्मशाला, जस्सूर, रामपुर तथा सोलन

*** बिलासपुर (यान्त्रिक), चुराह, देहरा, धर्मशाला (यांत्रिक), जस्सूर, जुब्बल, राष्ट्रीय राजमार्ग सोलन, रामपुर (यांत्रिक), शिमला (यांत्रिक) तथा सोलन

(ii) अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को क्रमशः 0.50 लाख रु0/1 लाख रु0 की वार्षिक सीमा की शर्त पर पुर्जों की स्थानीय खरीददारी करने का अधिकारी प्राप्त है। पांच यान्त्रिक मण्डलों* में वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य 283.80 लाख रु0 के पुर्जे स्थानीय रुप से खरीदे गए थे। विहित सीमा से अधिक की गई खरीददारियों का मई 1994 तक नियमन नहीं किया गया था।

यह भी पाया गया कि 8.50 लाख रु0 के पुर्जे यद्यपि दर संविदा पर लिए गए थे लेकिन इन्हें 4 यान्त्रिक मण्डलों** में वर्ष 1990-91 तथा 1993-94 के मध्य स्थानीय रुप से उच्च दरों पर उपार्जित किया गया था जिससे 3.64 लाख रु0 का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त 2 यान्त्रिक मण्डलों*** द्वारा वर्ष 1990-91 तथा 1993-94 के मध्य की गई 19.60 लाख रु0 की स्थानीय खरीददारियों पर प्राधिकृत व्यापारियों ने 7-8 प्रतिशत अधिभार भी अतिरिक्त रुप से प्रभारित किया था जिससे 1.95 लाख रु0 का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

यान्त्रिक मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (मई/जून 1994) कि स्थानीय खरीददारियां करनी पड़ी क्योंकि प्रमुख विनिर्माताओं को/से प्रेषित प्रस्ताव/प्रबन्धित आपूर्तियां समय पर प्राप्त नहीं हुई। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि पुर्जों की खरीद के मामलों पर सामयिक कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय खरीदों के परिहार व प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग ने सही पुर्जों की समेकित खरीद के लिए समुचित क्रियाविधि भी नहीं बनाई थी।

5.1.12 विखण्डित/अनुपयोगी पुर्जों का निपटारा न करना

वर्ष 1974 से 12 मण्डलों**** में 60.72 लाख रु0 के विखण्डित/अनुपयोगी पुर्जे, टायर आदि संचित हो गए थे और इनकी निष्प्रयोज्यता/निपटारा प्रतीक्षित था (मई 1994)। सामग्री के निपटान हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी जिससे भण्डारों में भी अनावश्यक रुप से पर्याप्त जगह नहीं थी।

---

* बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर तथा शिमला (ढली)

** बिलासपुर, धर्मशाला, रामपुर तथा शिमला (ढली)

*** रामपुर व शिमला

**** यांत्रिक मण्डल-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर व शिमला; सिविल मण्डल- चुराह, जस्सूर, जुब्बल, कसौली, रोहडू व सोलन व सोलन राष्ट्रीय राजमार्ग

कार्यशालाएं

5.1.13 मशीनों की मरम्मत

(i) कार्यशालाओं की मरम्मत के विभिन्न कार्यों को करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और 5 यान्त्रिक मण्डलों की मशीनों की मरम्मत के 203 मामलों में 1 से 24 मास का विलम्ब था। सोलह मशीनें (लागत: 83.64 लाख रु0) अप्रैल 1986 से जनवरी 1994 तक कार्यशालाओं में मरम्मत हेतु पड़ी थी। इससे परिचालनकर्मी काफी लम्बे समय तक बेकार बैठे रहे। मरम्मतों में विलम्ब को पुर्जों के उपार्जन में लिए गए समय से सम्बद्ध किया गया।

(ii) प्रमुख अभियन्ता ने नवम्बर 1987 में अनुदेश जारी किए कि मशीनरी की मरम्मत (मशीन कार्यों को छोड़कर) विभाग की यान्त्रिक कार्यशालाओं द्वारा की जाए। इसके विपरीत पम्पों का कायाकल्प, पुर्जों को लगाने व उनकी उपलब्धता, ढांचे को गढ़ने जैसे 125.71 लाख रु0 मूल्य के कार्य 7 मण्डलों* ने वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य निजी ऐजेन्सियों के माध्यम से करवाए जबकि इन मण्डलों की अपनी यांत्रिक कार्यशालाएं थीं। अधिशासी अभियन्ताओं ने बाहर से करवाई गई मरम्मतों को कार्यशालाओं में अपेक्षित सुविधाओं की अनुपलब्धता से सम्बद्ध किया लेकिन कार्यशालाएं सज्जित करने की कारवाई नहीं की गई थी। निजी ऐजेन्सियों से पुर्जे लगवाने जैसे नित्य प्रति के कार्यों को करवाने का औचित्य उपलब्ध नहीं करवाया गया।

(iii) 12 मण्डलों** में वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक 325.13 लाख रु0 की संस्वीकृत राशि के प्रति 428 मामलों में 1244.49 लाख रु0 का व्यय किया गया था। 919.36 लाख रु0 के अधिक व्यय के नियमन हेतु संशोधित आकलन मई 1994 तक तैयार नहीं किए गए थे। 7 मण्डलों*** में 1170.78 लाख रु0 के 27,384 कार्य आकलन तैयार किए बिना व संस्वीकृति प्राप्त किए बिना किए गए। इस व्यय का मई 1994 तक नियमन नहीं किया गया था।

(iv) निम्नांकित मामलों में मरम्मतों पर खर्च किए गए 7.23 लाख रु0 मुख्य मरम्मतों के बाद मशीने न चलने से निष्फल हो गए।

---

* यांत्रिक मण्डल-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर तथा शिमला (ढली); सिविल मण्डल जुब्बल तथा रोहडू

** यांत्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर, शिमला (ढली); सिविल- कसौली, निरमण्ड, रामपुर, सरकाघाट, शिमला-II, राष्ट्रीय राजमार्ग सोलन तथा ठियोग

*** यांत्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर, शिमला (ढली); सिविल- चुराह व जस्सूर

(क) इंजन की खराबी के कारण बिलासपुर कार्यशाला में अगस्त 1987 से बेकार पड़े व्हील डोजर (4035/189) की मरम्मत की गई थी और 1.35 लाख रु0 की लागत से मई 1989 में मशीन के इंजन का कायाकल्प किया गया। मई 1989 में इकाई चालू करते समय यह केवल 40 घण्टे काम कर सकी और इंजन असेम्बली की विफलता से यह खराब हो गई। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (मई 1994) कि अचानक मुख्य खराबी आ गई और सिवाय इसके इसका कोई विशेष कारण नहीं था कि यह खराबी असम्बद्ध संयोजन रौड़ या अचानक खराबी या पिस्टन पिन लॉक खोलने के कारण आई हो।

(ख) कुमारसैन मण्डल के मिशीगन डोजर 191 के इंजन का मार्च 1983 में 0.91 लाख रु0 की लागत से ढली कार्यशाला में कायाकल्प किया गया। यह मशीन फरवरी 1986 तक 4,000 घण्टे काम करने के बाद इंजन की विफलता के कारण खराब हो गई। इंजन का कायाकल्प किया गया और 1.22 लाख रु0 की लागत से क्रैंक शाफट को बदला गया। 71 घण्टे चलने के बाद इंजन फिर विफल हो गया। यान्त्रिक मण्डल, ढली के अधिशासी अभियन्ता ने इस विफलता को क्रैंक शाफट में विनिर्माण दोषों से सम्बद्ध किया (मार्च 1994)। विभाग विनिर्माण दोषों के प्रति कोई भी गारण्टी प्राप्त नहीं कर सका।

(ग) जुब्बल मण्डल का डोजर-8933 मरम्मत/इंजन के कायाकल्प हेतु दिसम्बर 1993 में ढली कार्यशाला में प्राप्त हुआ और अपेक्षित कार्य 1.80 लाख रु0 लागत से उसी मास पूरा किया गया। जनवरी 1994 में डोजर को प्रयोग में लाने पर यह कथित रुप में पलट गया और इंजन खराब हो गया। इंजन की समय से पूर्व विफलता की अपेक्षित जांच अधीक्षण अभियन्ता, दूसरा वृत्त, शिमला के पास प्रक्रियाधीन बताई गई (मार्च 1994)।

(घ) रामपुर मण्डल के डोजर - 8913 को जून 1987 में 11.27 लाख रु0 की लागत से उपार्जित किया गया। इंजन की कायापलट जैसी मुख्य मरम्मतें 0.63 लाख रु0 से यान्त्रिक कार्यशाला, रामपुर में की गई। परिचालन कर्मियों की कथित लापरवाही से अप्रैल 1991 में इंजन खराब हो गया। रामपुर स्थित यान्त्रिक मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (मई 1991) कि परिचालन कर्मी की सावधानी से इंजन बचाया जा सकता था। पुनः मई 1991 में 1.32 लाख रु0 की लागत से इंजन की मुख्य मरम्मतें/कायापलट की गई और जून 1991 तथा फरवरी 1992 के मध्य केवल 528 घण्टे काम करने के बाद पुनः लापरवाही के कारण इंजन खराब हो गया बताया गया (मार्च 1992)। भवन व सड़क मण्डल, रामपुर के अधिशासी अभियन्ता ने लापरवाही का खण्डन करते हुए (मई 1994) 11वें वृत्त, रामपुर के अधीक्षण अभियन्ता से मरम्मतों की समय से पूर्व विफलता के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच करवाने का अनुरोध किया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी।

5.1.14 बकाया देय राशियां

मशीनरी की मरम्मत पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उस मण्डल ने करनी थी जिसकी ओर से मरम्मत की गई थी।

यह पाया गया कि 7 मण्डलों* में वर्ष 1980-81 से अनुगामी वर्षों की मशीनरी की मरम्मतों पर खर्च की गई 1135.52 लाख रु0 की राशि का अन्य मण्डलों/कार्यालयों से समायोजन प्रतीक्षित था।

5.1.15 कार्यशालाओं/मशीनरी चलाने में हानियां

संचालन व उत्पादन के अन्तर को विनिर्माण लेखे संवृत्त करने से पहले समायोजित करना अपेक्षित है। यह पाया गया कि 23 मण्डलों** में विनिर्माण लेखे संवृत्त नहीं किए गए थे और कार्यशालाओं/मशीनरी को मार्च 1994 तक चलाने में 776.07 लाख रु0 की संचित हानियां प्रदर्शित करने वाले नामे शेषों का समायोजन नहीं हुआ था। मशीनरी/कार्यशाला चलाने में हुई हानियों की छानबीन करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।

मजदूरों को लगाने तथा मरम्मत के लिए श्रम-दरें निर्धारित करने के लिए दैनिक कार्यचालन घण्टों के मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। मशीनरी की मरम्मत के लिए लगाए गए कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के दैनिक कार्यचालन घण्टों तथा मजदूरी की प्रति घण्टा दरों में कोई एकरूपता नहीं थी। विभिन्न कार्यशालाओं में दैनिक कार्यचालन घण्टे चार से सात घण्टे प्रति दिन थे। सभी कार्यशालाओं में मजदूरों को प्रदत्त मजदूरी समान थी लेकिन कार्य की विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान 10 मण्डलों*** में मजदूरी दरें विभिन्न दरों से प्रभारित की गई थीं। अन्तर 62 से 755 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार विनिर्माण लेखे मरम्मत कार्यों की विभिन्न व अविश्लेषित श्रम दरों को अपनाने के कारण वास्तविक चित्रण प्रस्तुत नहीं करते थे।

कार्य के अभाव में श्रमिकों की सेवाओं का भी पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सका। यान्त्रिक मण्डल, ढली में वर्ष 1993-94 में अपेक्षित 1,65,381 कार्यचालन घण्टों के प्रति 71,144 घण्टे ही कार्य किया जा सका। बेकार घण्टों के कारण ही कार्यशालाएं चलाने में हानियां हुई थी। मानव शक्ति के सम्पूर्ण उपयोग हेतु समय कार्ड भी अन्य यांत्रिक मण्डलों में अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे।

---

* यांत्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर, शिमला (ढली); सिविल- चुराह तथा जस्सूर

** यांत्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर, शिमला (ढली); सिविल- चम्बा, चुराह, देहरा, जस्सूर, जुब्बल, कसौली, निरमण्ड, नूरपुर, पालमपुर, रामपुर, रोहडू, सरकाघाट, शिमला-II, शिमला-III, सोलन, राष्ट्रीय राजमार्ग-सोलन, सुन्दरनगर तथा ठियोग

*** यांत्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर, शिमला(ढली); सिविल-चुराह, जस्सूर, जुब्बल, रोहडू तथा सोलन

5.1.16 अनुपयोगी/बेकार मशीनरी

(i) विभाग के यांत्रिक संभाग का एक कार्य विभिन्न मण्डलों के पास पड़ी पुरानी व निष्प्रयोज्य मशीनरी के निपटान की व्यवस्था करना भी है। यंत्राधार, कारों, जीपों, डीजल इंजनों, एअर कम्प्रेशरों, डोजरों जैसी 68.97 लाख रु० मूल्य की 54 मशीने 1966-67 से अनुगामी वर्षों में निपटान हेतु विभिन्न मण्डलों/कार्यशालाओं में अनुपयोगी होकर पड़ी थी। कुछ मामलों में सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किए गए थे तथा अन्य मामलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

(ii) यान्त्रिक मण्डल, ढली ने वर्ष 1979 में 0.80 लाख रु० की लागत से एक स्पीड क्राफट रोड रोलर-7909173 खरीदा। दुर्लभमार्का वाली यह मशीन उपार्जन के समय से ही बाधा उत्पन्न कर रही थी और मार्च 1989 से बेकार पड़ी थी। अधिशासी अभियन्ता ने इसको समय से पूर्व निष्प्रयोज्य घोषित करने की सलाह दी (फरवरी 1991) क्योंकि इसकी मरम्मत आर्थिक दृष्टि से मित्व्ययी नहीं पाई गई। इसके निपटान की कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी (मार्च 1994)।

(iii) शिमला मण्डल सं० II में 80.50 लाख रु० की लागत से वर्ष 1970 तथा 1988 के मध्य खरीदी गई 6 मशीनें (गैतियां, टिप्पर तथा डोजर) यान्त्रिक दोषों के कारण तथा काम के अभाव में मार्च 1988 से जून 1991 तक बेकार पड़ी थीं। इन मशीनों की मरम्मत या आर्थिक दृष्टि से मरम्मत मितव्ययी न होने पर उनके अनुपयोगी घोषित करने की कार्रवाई नहीं की गई थी।

(iv) सरकार ने उन निष्प्रयोज्य वाहनों को प्रयोग में न लाने के अपने निर्णय को दोहराया (जनवरी 1994) जो अमितव्ययी तथा असुरक्षित समझे गए। कुल्लू व रामपुर यान्त्रिक मण्डलों में निष्प्रयोज्यता बोर्ड ने वर्ष 1968 व 1979 के माडल की 2 जीपे जनवरी 1985 व जनवरी 1992 में निष्प्रयोज्य घोषित की लेकिन फिर भी इन्हें मई 1994 तक उपयोग में लाया जाता रहा।

(v) प्रमुख अभियन्ता द्वारा दी गई सूचनानुसार (सितम्बर 1993) 43 अनुपयोगी वाहन नीलाम किए गए तथा 12.18 लाख रु० की बिक्री लब्धियां वसूल की गईं। यह पाया गया कि नीलामी धन पर उद्ग्राह्य 1.34 लाख रु० का बिक्री कर वसूल नहीं किया गया था। सांविधिक उपबन्धों का भी पालन नहीं किया गया था। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जून 1994) कि मामला क्षेत्र कार्यालयों के साथ पत्राचाराधीन था।

---

* यांत्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर, शिमला (ढली); सिविल- चुराह, जस्सूर, जुब्बल, रोहडू तथा सोलन

5.1.17 भण्डार-न्यूनताएं

1.83 लाख रु0 की भण्डार सामग्री मार्च 1986 तथा सितम्बर 1992 के मध्य तीन कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा धर्मशाला (दो कनिष्ठ अभियन्ता) तथा रामपुर (एक कनिष्ठ अभियन्ता) यान्त्रिक मण्डलों से अपने स्थानान्तरण के समय या तो सौंपी नहीं गई या कम सौंपी गई। वे या तो अपने अनुभागों का कार्यभार सौंपे बिना या फिर अपूर्ण कार्यभार सौंपने के बाद कार्यभार मुक्त कर दिए गए। यद्यपि 1.24 लाख रु0 की न्यूनताओं के लिए दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोपपत्र के प्रारूप प्रक्रियाधीन थे, लेकिन तीसरे मामले में 0.59 लाख रु0 की न्यूनताओं का समाधान/भरपाई नहीं की गई थी।

5.1.18 निगरानी

मशीनरी, वाहन तथा कार्यशालाओं के निष्पादन पर समुचित नियंत्रण रखने की दृष्टि से विभाग ने इनके कार्यचालन की कभी समीक्षा नहीं की थी। विभाग में वस्तु सूची नियंत्रण की व्यवस्था भी नहीं थी।

5.1.19 ये तथ्य जुलाई 1994 में सरकार को प्रेषित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 1994)।

5.2 ईंधनकाष्ठ की अधिक खपत

सड़क की सतह पर रोड़ी बिछाने के लिए तारकोल/गिट्टियां/रेत गर्म करने हेतु ईंधनकाष्ठ की खपत के मापदण्ड विभाग ने प्रारम्भिक रुप से मई 1974 में निर्धारित किए थे। अनुभव तथा कार्यस्थलों की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए इन्हें दिसम्बर 1980 व जनवरी 1987 में पुनः संशोधित किया गया था। संशोधित मापदण्डों में शरद ऋतु, वायुमण्डल के दबाव तथा नमी के लिए उचित छूट दी गई थी।

जुलाई 1993 तथा अगस्त 1993 में चौपाल व कुल्लू-II मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 28 सडक निर्माण कार्यों पर 10,412 क्विंटल ईंधनकाष्ठ की अनुमत्य मात्रा के प्रति मई 1990 तथा मई 1993 के मध्य वास्तव में 13,830 क्विंटल की खपत की गई थी जिससे 3.92 लाख रु0 की लागत की 3,418 क्विंटल ईंधनकाष्ठ की अधिक खपत हुई।

लेखापरीक्षा में यह सूचित करने पर कुल्लू मण्डल सं0 II के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1993) कि वर्ष 1987 में निर्धारित मापदण्ड कम थे और प्रमुख अभियन्ता से इन्हें संशोधित करने का अनुरोध किया जा रहा था। पुनः यह बताया गया (अगस्त 1994) कि वास्तव में मामला पहले ही मार्च 1991 में मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया गया था और मापदण्डों का संशोधन प्रतीक्षित था। यह तर्क लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ईंधनकाष्ठ की अधिक खपत की

संगणना करते समय इन कारणों के लिए उचित छूट दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त वास्तविक खपत की पुष्टि के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता को अग्रेषित खपत की विवरणी 1981-82 से 1983-84 तथा 1990-91 वर्षों से सम्बद्ध थी। वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के मामलों का उल्लेख प्रासंगिक नहीं था क्योंकि मुख्य अभियन्ता ने मापदण्ड जनवरी 1987 में संशोधित किए थे। कुल्लू मण्डल सं0 II की 2,374 क्विंटल की अधिक खपत में से 580 क्विंटल वर्ष 1990-91 से सम्बन्धित थी और 1,794 क्विंटल की शेष मात्रा मार्च 1991 में मुख्य अभियन्ता को किए गए सन्दर्भ में शामिल नहीं थी। इस बीच मण्डल ने अधिक खपत के नियमन हेतु जुलाई 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

द्वितीय वृत्त, शिमला के अधीक्षण अभियन्ता ने बताया (जून 1994) कि चौपाल जैसे उन स्थानों पर ईंधनकाष्ठ की खपत निश्चित रुप से निर्धारित मापदण्डों से अधिक थी जहां घने जंगलों तथा अधिक नमी के कारण तापमान आमतौर पर सामान्य से कम रहता है। यह भी बताया गया कि सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ताओं से अधिक खपत का समाधान करने के लिए कहा गया था। अधिक खपत के समाधान हेतु अधीक्षण अभियन्ता की सलाह पर कार्रवाई करने की सूचना अक्तूबर 1994 तक नहीं दी गई थी।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

5.3 भण्डार-न्यूनताएं

नवम्बर 1993 तथा जनवरी 1994 में दो मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि दो कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा 4.27 लाख रु0 की सामग्री सितम्बर 1991 तथा दिसम्बर 1991 में अपने स्थानान्तरण के समय अपने उत्तराधिकारियों को या तो सौंपी ही नहीं गई थी या फिर कम सौंपी गई थी।

बैजनाथ मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1994) कि कर्मचारी को अप्रैल 1993 में निलम्बित कर दिया गया था। यह भी बताया गया कि सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को नवम्बर 1993 में दिए गए आरोपपत्र पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी का अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित था।

शिमला मण्डल सं0 II के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1994) कि जुलाई 1994 में सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को न्यूनताओं की आधी राशि के बराबर रकम जमा करने का अन्तिम नोटिस दिया गया था। शेष राशि को उसके वेतन में से किस्तों में वसूल करना प्रस्तावित था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 1994)।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

---

* बैजनाथ तथा शिमला-II

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

5.4 अप्रयुक्त मशीनरी

(क) चम्बा मण्डल ने लिफट सिंचाई स्कीम, क्यानी (चम्बा जिला) पर प्रतिष्ठापन हेतु सम्बद्ध साधित्रों सहित प्रत्येक 80 अश्वशक्ति क्षमता के 2 अपकेन्द्री पम्पों की आपूर्ति व प्रतिष्ठापन का कार्य 1.80 लाख रु0 की लागत से दिसम्बर 1985 में दिल्ली की एक फर्म को दिया गया था। यह कार्य जून 1986 तक पूर्ण किया जाना था। तदनन्तर स्कीम का कार्यक्षेत्र अप्रैल 1986 में सलूणी मण्डल का सृजन होने पर हस्तान्तरित किया गया था।

अक्तूबर 1993 में सलूणी मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि फर्म ने यह मशीनरी मार्च 1986 व सितम्बर 1986 में आपूरित की तथा प्रतिष्ठापन प्रभारों व साधित्रों की लागत को छोड़कर फर्म को 1.67 लाख रु0 का कुल भुगतान किया गया था लेकिन फर्म ने मशीनरी प्रतिष्ठापित नहीं की। इसकी बजाय यह स्कीम वर्ष 1988-89 में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण कार्यक्रम में शामिल की गई थी। स्कीम का कार्यक्षेत्र व डिजाइन भी बदल दिया गया तथा प्रत्येक 65 अश्वशक्ति क्षमता के दो पम्पिंग सैटों का प्रतिष्ठापन उपलब्ध करवाया गया। यह स्कीम वर्ष 1991-92 में परिवर्तित कार्यक्षेत्र के अनुसार चालू की गई थी।

वर्ष 1986 में खरीदे गए 80 अश्वशक्ति के पम्प सैट मण्डल के भण्डार में अप्रयुक्त पड़े थे। इन पम्प सैटों के अन्य स्कीमों पर प्रतिष्ठापन की सम्भावना का पता लगाने या इन्हें जरुरतमन्द मण्डलों को हस्तान्तरित करने की कार्रवाई जुलाई 1994 तक नहीं की गई थी। इससे 7 वर्ष से अधिक समय तक 1.67 लाख रु0 की लोक निधि अवरुद्ध रही।

(ख) सलूणी मण्डल ने चम्बा जिले में विभिन्न ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीमों पर प्रतिष्ठापनार्थ मार्च 1989 तथा अक्तूबर 1990 के मध्य एक मास व दो मास के भीतर डमटाल (कांगड़ा जिला) स्थित दो फर्मों से 13 विविध प्रवाह वाले फिल्टर खरीदे। 7.42 लाख रु0 की कुल निविदा राशि के प्रति फर्म को नब्बे प्रतिशत भुगतान कर दिया गया लेकिन फर्मों द्वारा फिल्टरों का प्रतिष्ठापन न करने के कारण शेष 10 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया। जून 1990 में 6 मामलों में संविदा अनुबन्धों के खण्ड 2 के अन्तर्गत 0.33 लाख रु0 की क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की गई थी लेकिन वसूली नहीं की गई थी। शेष 7 मामलों में जुलाई 1994 तक कार्रवाई नहीं की गई थी।

अक्तूबर 1993 में मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि फर्म द्वारा आपूरित 13 फिल्टरों में से 5 फिल्टर जून 1992 व अक्तूबर 1992 के मध्य विभाग ने स्वयं विभिन्न जलापूर्ति स्कीमों पर प्रतिष्ठापित कर दिए थे तथा शेष 8 फिल्टर अक्तूबर 1993 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्तूबर 1993) कि सम्बद्ध फर्मों से शेष फिल्टरों के प्रतिष्ठापन का कई बार अनुरोध किया गया था लेकिन इस कथन के समर्थन में मण्डल में कोई अभिलेख नहीं थे।

इन परिस्थितियों में उद्दिष्ट जलापूर्ति स्कीमों पर प्रतिष्ठापित न किए गए 8 फिल्टरों के क्रय पर व्यय की गई 4.12 लाख रु० की राशि चार वर्ष से अधिक समय तक अवरुद्ध रही जबकि लाभग्राहियों को फिल्टर जल की आपूर्ति के लाभ से वंचित होना पड़ा।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

5.5 सामग्री का दुर्विनियोग

जलापूर्ति स्कीम, देवी कोठी (चम्बा जिला) में एल०डी०पी०ई०/एच०डी०पी०ई० बिछाने का कार्य पांच कार्यादेशों के प्रति 1983-84 में चम्बा मण्डल द्वारा एक ठेकेदार को सौंपा गया था। इस ठेकेदार ने अक्तूबर 1983 में कार्य आरम्भ किया तथा मार्च 1985 में पूर्ण किया। इस स्कीम का कार्यक्षेत्र अप्रैल 1986 में सलूणी मण्डल के सृजन पर उसे हस्तान्तरित कर दिया गया। इस ठेकेदार को दिसम्बर 1991 तथा फरवरी 1992 के मध्य 0.61 लाख रु० के भुगतान किए गए।

जनवरी 1992 में सलूणी मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न ब्यासों के 15,400 प्रवाही मीटर पाइप ठेकेदारों को दिए गए थे जिनके प्रति 6,100 प्रवाही मीटर बिछाए हुए प्रदर्शित किए गए लेकिन यह पाया गया कि ठेकेदार को दिए गए 40 मि०मी० ब्यास के 1200 प्रवाही मीटर एच०डी०पी०ई० पाइपों के प्रति अभिलेखों में 1900 प्रवाही मीटर पाइपों की खपत प्रदर्शित की गई थी जिससे 700 प्रवाही मीटर एच०डी०पी०ई० पाइपों को बिछाने की जाली प्रविष्टि हुई। इस अन्तर के समाधान हेतु जुलाई 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि ठेकेदार ने वास्तव में 5400 प्रवाही मीटर पाइप बिछाए।

इस प्रकार कार्य निष्पादन में विहित जाच करने तथा 10,000 प्रवाही मीटर पाइपों (लागत : 1.21 लाख रु०) की शेष मात्रा का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरुप सामग्री का दुर्विनियोग हुआ।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्तूबर 1993) कि ठेकेदार से कई बार शेष पाइपों का पता सूचित करने का अनुरोध किया गया था लेकिन उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पुन: यह बताया गया कि सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को मामले का समाधान करने के लिए कहा गया है अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 1994)।

यह मामला जुलाई 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

5.6 भण्डार न्यूनताएं/जाली खपत

(क) तीन मण्डलों* में तीन कनिष्ठ अभियन्ताओं ने अक्तूबर 1989 तथा सितम्बर 1992 के मध्य अपने उत्तराधिकारियों को भण्डार सामग्री (लागत: 2.95 लाख रु0) या तो सौंपी ही नहीं या कम सौंपी।

सलूणी मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1993) कि सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता अक्तूबर 1993 में सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुका था। यह भी बताया गया कि जुलाई 1994 में नियुक्त जांच अधिकारी के निष्कर्ष प्रतीक्षित थे।

पधार मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1994) कि यह राशि वसूली हेतु पालमपुर मण्डल के अधिशासी अभियन्ता को सूचित कर दी जाएगी जहां कर्मचारी स्थानांतरित हुआ है।

तीसरे मामले में सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को जारी किए जाने हेतु आरोपपत्र मई 1992 में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य वृत्त, सुन्दरनगर के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सरकाघाट मण्डल के अधिशासी अभियन्ता को भेज दिया गया था। आगामी प्रगति जून 1994 तक सूचित नहीं की गई थी।

(ख) चम्बा मण्डल में 15 मि0 मी0 ब्यास के 9,490 प्रवाही मीटर जस्तीकृत लौह पाईप मार्च 1991 में जलापूर्ति स्कीम, थेड़ा-पटेड़ा तथा चलियारा-बनेडा (चम्बा जिला) पर खपत हेतु कार्यस्थल लेखे से दिए गए थे और अभिलेखों में इनकी इन निर्माणकार्यों पर खपत दर्शाई गई थी। जनवरी 1992 मे चम्बा पुलिस ने किसी निजी ट्रक में ले जाए जा रहे 15 मि0मी0 ब्यास के 588 प्रवाही मीटर जस्तीकृत लौह पाइप जब्त किए। मामला अधिशासी अभियन्ता को प्रतिवेदित किए जाने पर इन दो स्कीमों में वास्तव में बिछाई गई पाइपों की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई (जनवरी 1992)। पुष्टि करने पर समिति ने पाया कि केवल 7,525 प्रवाही मीटर पाइप बिछाए गए और परिणामतः 1965 प्रवाही मीटर जस्तीकृत जौह पाइप (लागत: 0.46 लाख रु0) की जाली खपत हुई।

नवम्बर 1992 मे सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया लेकिन पुलिस छानबीन जुलाई 1994 तक पूरी नहीं हुई थी।

यह मामला जुलाई 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

---

* पधार, सलूणी तथा सुन्दरनगर

5.7 भण्डार सामग्री के अधिक क्रय के कारण व्यर्थ निवेश

सरकार के वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि भण्डार-सामग्री को जन सेवा की निश्चित आवश्यकताओं के अनुरुप खरीदा जाना चाहिए और इन्हें वास्तविक आवश्यकताओं से अतीव अधि नहीं खरीदा जाना चाहिए।

मार्च 1993 तथा अक्तूबर 1993 के मध्य चार मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मार्च 1985 तथा जून 1993 के मध्य 22.46 लाख रु0 की सामग्री जैसे जस्तीकृत लौह पाइप तथा फिटिंग, क्लोरीनेटर, ढलवां लोहे के पाइप आदि खरीदे गए थे। इसमें से 15.97 लाख रु0 की सामग्री जुलाई 1994 तक भण्डार (3.61 लाख रु0) तथा कार्यस्थल सामग्री के लेखे (12.36 लाख रु0) में पड़ी थी। इसमें से 5.28 लाख रु0 की सामग्री संस्वीकृत प्राक्कलनों में किसी प्रावधान के अभाव में (3 निर्माणकार्य : 2.11 लाख रु0) तथा कार्य की पूर्णता के पश्चात (3.17 लाख रु0) निर्माणकार्य लेखे में अप्रयुक्त पड़ी थी।

इस प्रकार इन मामलों में सामग्री की अप्रयुक्ति के फलस्वरुप 15.97 लाख रु0 का व्यर्थ निवेश हुआ।

यह मामला जुलाई 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

5.8 सामग्री देने में अनियमितताएं

नियमों में जाली स्टॉक समायोजन जैसे अनपेक्षित या आवश्यकता से अधिक सामग्री की लागत निर्माणकार्य के नामे डालना, कोई आवण्टन संस्वीकृत न हुए किसी अन्य निर्माणकार्य पर प्रयुक्ति हेतु अभिप्रेत सामग्री के मूल्य के लिए उपलब्ध निधि हेतु किसी विशेष निर्माणकार्य के नामे डालना या विनियोग पर अधिक परिव्यय के परिहार हेतु किसी निर्माणकार्य पर प्रयुक्त सामग्री के मूल्य का पुनरांकन वर्जित है।

इन नियमों के विपरीत फरवरी 1992 तथा मार्च 1993 के मध्य 5 मण्डलों** द्वारा 36 निर्माणकार्यों के प्रति बुक की गई 75.72 लाख रु0 की सामग्री अगस्त 1992 तथा दिसम्बर 1993 के मध्य स्टॉक में पुनरांकित की गई। इसमें 3 मण्डलों*** द्वारा 16 निर्माणकार्यों के प्रति आवश्यकता के बिना या संस्वीकृत आकलनों के प्रावधानों से अधिक बुक की गई 41.08 लाख रु0 मूल्य की सामग्री भी शामिल थी।

---

* चम्बा, कुल्लू, सलूणी तथा सोलन

** अर्की, नाहन, पांवटा साहब, ऊना-I तथा ऊना-II

*** अर्की, ऊना-I तथा ऊना-II

देहरा मण्डल में वर्षान्त में प्राप्त बजट अनुदान को प्रयुक्त करने के लिए 16 निर्माणकार्यों के प्रति बुक किए गए 25.87 लाख रु० के जस्तीकृत लौह पाइपों, परस्पर जुड़ी जंजीरों तथा टॉर इस्पात जैसी सामग्री अप्रैल 1993 तथा जुलाई 1993 के मध्य स्टॉक में पुनरांकित की गई।

इसी प्रकार इन्दौरा मण्डल में 19.81 लाख रु० मूल्य की सामग्री जैसे जस्तीकृत लौह पाइपें, प्रबलित सीमेण्ट कंकरीट पाइपें, टॉर इस्पात तथा नालीदार जस्तीकृत लौह शीटें मार्च 1993 में एक निर्माणकार्य के लिए बुक की गई थी जबकि ये वहां अपेक्षित नहीं थी। इसमें से 1.40 लाख रु० की सामग्री मई 1993 तथा दिसम्बर 1993 के मध्य अन्य निर्माणकार्यों को हस्तान्तरित कर दी गई और 18.41 लाख रु० की शेष सामग्री जनवरी 1994 तक कार्यस्थल लेखे में अप्रयुक्त पड़ी थी।

इस प्रकार इन सभी मामलों में सामग्री की बुकिंग प्राथमिक रुप से प्रयुक्ति के उद्देश्य से की गई थी और अनियमित थी।

यह मामला अगस्त 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

5.9 सामग्री की अविवेकपूर्ण खरीद

सरकार के वित्तीय नियमों में नियत है कि भण्डार सामग्री निश्चित आवश्यकता के अनुरुप खरीदी जानी चाहिए और वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक नहीं खरीदी जानी चाहिए।

लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य राज्य कार्यशाला, नाहन ने लोकनिर्माण विभाग, रामपुर के 11वें वृत्त के अन्तर्गत छः पुलों की गढ़ाई हेतु जनवरी 1989 तथा फरवरी 1991 के मध्य विभिन्न आकार व विनिर्देश का 79.505 टन इस्पात (लागत: 7.64 लाख रु०) खरीदा। इसमें से 17.070 टन इस्पात बठेड़ा (किन्नौर जिला) में नागली खड्ड के ऊपर 32/28 मीटर पाट के पुल की गढ़ाई पर प्रयुक्त हुआ तथा 62.435 टन दिसम्बर 1993 तक अप्रयुक्त पड़ा रहा।

कार्यशाला के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जनवरी 1994 तथा जून 1994) कि अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर से जून 1992 में दूसरे पुल की गढ़ाई हेतु प्राथमिकता सूचित करने का अनुरोध किया गया था लेकिन कोई प्राथमिकता प्राप्त नहीं हुई थी। इतने में 33.475 टन इस्पात (लागत : संचालन तथा भण्डारण प्रभारों सहित 3.45 लाख रु०) जनवरी 1994 तथा जून 1994 के मध्य यान्त्रिक मण्डल, धर्मशाला, भण्डार उपमण्डल, ढली तथा ठियोग उपमण्डल को बेचा गया था लेकिन 28.960 टन (लागत : 2.77 लाख रु०) जून 1994 तक अप्रयुक्त पड़ा था।

इस प्रकार सामग्री की खरीद विशिष्ट आवश्यकताओं को निर्धारित किए बिना की गई थी और परिणामतः 2.77 लाख रु0 की निधियां अवरुद्ध रहीं।

यह मामला जुलाई 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

कृषि विभाग

5.10 कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री की आपूर्ति

कृषि विभाग राज्य में किसानों को कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री जैसे बीजों कृमिनाशकों तथा औजारों की पर्याप्त व समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। नियमों में परिकल्पित है कि स्टोर/स्टॉक मदों की बिक्री लब्धियां तुरन्त निर्धारित करके वसूल की जानी चाहिए और खजाने में जमा की जानी चाहिए। भण्डार सामग्री भी वास्तविक आवश्यकता से अधिक नहीं खरीदी जानी चाहिए। मई 1993 से मई 1994 तक विभाग के लेखाओं की नमूना जांच से निम्न अंकित तथ्यों का पता चला:

(i) सब्जियों, फलों, तिलहनों, फसलों तथा खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए बेंजीन हेक्सा क्लोराईड (बीएचसी) के प्रयोग पर भारत सरकार ने अक्तूबर 1990 से प्रतिबन्ध लगा दिया था क्योंकि इससे मनुष्यों, पशुओं तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता था।

इस प्रतिबन्ध के बावजूद भी विभाग ने नवम्बर 1990 तथा नवम्बर 1992 के दौरान खरीदे गए 431.55 क्विंटल बी0एच0सी0 (लागतः 1.34 लाख रु0) को नवम्बर 1990 से नवम्बर 1992 तक कृषकों को बेचा।

(ii) भारत सरकार ने अप्रैल 1992 में ऐल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग सीमित कर दिया। यह कृमिनाशक पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा भारत सरकार को अनुमोदित विशेषज्ञता वाले कृमिनाशक नियंत्रण ऑपरेटर या सरकारी विशेषज्ञ के कड़े पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम/संगठन आदि को ही बेचा जाना था।

इन अनुदेशों के विपरीत विभाग ने अप्रैल 1992 से सितम्बर 1993 तक खरीदे गए 18.52 लाख रु0 के 18,694 टिन ऐल्यूमिनियम फॉस्फाइड वर्ष 1992-93 से 1993-94 के दौरान कृषकों को बेचे थे।

(iii) कृषि उपनिदेशक, चम्बा ने 4.80 लाख रु0 की 180 क्विंटल केसरिया मक्की खरीदी (जून 1993)। इसमें से 120 क्विंटल भरमौर के किसानों को तथा 60 क्विंटल पांगी के किसानों को दोनों स्थानों पर 75 प्रतिशत उपदान पर दी जानी थी।

विभाग द्वारा निर्धारित सूची के अनुसार इस फसल को बोने का सही समय जुलाई है लेकिन सितम्बर 1993 से जनवरी 1994 तक 107 क्विंटल केसरिया मक्की भरमौर क्षेत्र के कृषकों को बेची गई थी और शेष मात्रा (13 क्विंटल ; मूल्य : 0.39 लाख रु0) फरवरी 1994 तक भरमौर के भण्डार में पड़ी थी।

पांगी के निमित्त रखी गई 60 क्विंटल केसरिया मक्की (लागत: 1.80 लाख रु0) में से फरवरी 1994 तक लेखे उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। ऐसी भी सूचना नहीं थी कि पांगी मण्डल में यह कब बेची गई थी।

(iv) कृषि उपनिदेशक, ऊना ने 1.92 लाख रु0 में 800 कि0ग्रा0 तृणनाशक "इसोहित" खरीदा (दिसम्बर 1990)। इस कृमिनाशक की समाप्ति अवधि सितम्बर 1991 थी लेकिन इसे क्षेत्र संगठनों को कृषकों के लिए विक्रयार्थ नवम्बर 1991 तक नहीं दिया गया था।

इसमें से 500.80 कि0ग्रा0 नवम्बर 1991 से दिसम्बर 1993 के दौरान कृषकों को बेच दिया गया था और 0.75 लाख रु0 की शेष 299.20 कि0ग्रा0 की मात्रा जनवरी 1994 तक भण्डार में पड़ी थी। विभाग ने समाप्त अवधि के कृमिनाशकों को बेचने के कारण नहीं बताए। कृषि उपनिदेशक, ऊना ने बताया (सितम्बर 1994) कि कृषक तृणनाशकों की सस्ती किस्म को खरीदना चाहते थे और यही किस्म उनमें लोकप्रिय भी थी। कृषकों ने निजी व्यापारियों से भी तृणनाशक खरीदे।

(v) लेवी सीमेण्ट के भाड़ा उपदान दावे प्रतिपूर्ति हेतु सम्बद्ध सीमेण्ट विनिर्माताओं को छः मास के अन्दर प्रस्तुत किए जाने थे।

बायोगैस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1982 से 1986 तक विभाग को 8900 टन सीमेण्ट आवण्टित किया गया था। इसमें से 8,435 टन सीमेण्ट उठाया गया थे जिस पर कुल 5.37 लाख रु0 का भाड़ा स्वीकार्य था। इसमें से केवल 3.50 लाख रु0 की प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई और 1.87 लाख रु0 के दावे सीमेण्ट कम्पनियों ने अस्वीकृत कर दिए क्योंकि ये कालातीत थे।

कृषि निदेशक ने बताया (जून 1993) कि क्षेत्र इकाइयों से ये दावे निदेशालयों में विलम्ब से प्राप्त हुए जिसके कारण फर्मों को समेकित दावे प्रस्तुत नहीं किए जा सके। निदेशक का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्बद्ध कृषि उपनिदेशक प्रेषिती थे, उनके द्वारा आपूर्तियों के भुगतान भी किए गए थे और दावे समय पर प्रस्तुत करने के पग उठाए जाने चाहिए थे।

(vi) भारत सरकार ने आपूर्तियों में विलम्ब होने पर सीमेण्ट के उपार्जनार्थ कृषि निदेशक द्वारा दी गई राशियों पर एक सीमेण्ट फर्म को 14 प्रतिशत ब्याज भुगतान हेतु अनुदेशित किया (अक्तूबर 1989)।

*

पांच इकाइयों में कम्पनी को वर्ष 1984-85 तथा 1988-89 के मध्य 69.11 लाख रु० का भुगतान किया गया लेकिन कम्पनी ने केवल 57.34 लाख रु० के सीमेण्ट की आपूर्ति की। 11.77 लाख रु० या तो प्रत्यर्पित किए गए या फिर अनुवर्ती आपूर्तियों में समायोजित किए गए। यद्यपि विभाग ने 5 से 100 मास तक अनापूर्ति/विलम्बित आपूर्ति के लिए ऐसी अग्रिम राशियों पर 6.05 लाख रु० का ब्याज अर्जित किया लेकिन ब्याज की यह राशि जून 1994 तक कम्पनी से वसूल नहीं की गई। कृषि निदेशक ने बताया (जुलाई 1994) कि यह मामला जून 1993 में कम्पनी के साथ उठाया गया था।

(vii) 11 इकाइयों** में वर्ष 1978-79 से 1993-94 के दौरान वसूल कुल 104.63 लाख रु० की विभिन्न कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री की भण्डार/स्टॉक मदों की बिक्री लब्धियां मार्च 1994 तक खजाने में जमा नहीं की गई थीं। इसमें से 13.17 लाख रु० कृषि उपनिदेशक, बिलासपुर के कार्यालय में सहायक विकास अधिकारियों से सम्बद्ध थे जिन्हें अप्रैल 1993 में सरकार के निदेशानुसार वसूल नहीं किया गया था जबकि संशोधित वेतनमान की 1.97 लाख रु० की बकाया राशि का उन्हें भुगतान किया जा चुका था। बिक्री लब्धियों की वसूलन होने के कारण सूचित नहीं किए किए।

(viii)(क) वर्ष 1991-92 के दौरान लक्ष्य के अनुसार कृषि निदेशक द्वारा राज्य में अन्य जिलों को पुन: वितरणार्थ पंजीकृत उत्पादकों से बिलासपुर जिले में मटरों की विभिन्न किस्मों के 1100.73 क्विंटल बीज उपार्जित किए गए।

इसमें से 444 क्विंटल विभिन्न कृषि उपनिदेशकों द्वारा उठाए गए, 456.45 क्विंटल बिलासपुर जिले में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता के अन्तर्गत बेचे गए तथा 3.20 लाख रु० मूल्य की शेष 200.28 क्विंटल मात्रा 1600 रु० प्रति क्विंटल की वास्तविक बिक्री दर के प्रति अप्रैल 1993 में 750 रु० प्रति क्विंटल की दर से नीलामी में बेची गई। इस प्रकार विभाग को 1.71 लाख रु० की हानि हुई। कम दरों पर बिक्री के कारण सूचित नहीं किए गए (जून 1994)।

(ख) बिलासपुर जिले में वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान मटर के बीजों की औसत खपत 38 क्विंटल (1989-90: 38 क्विंटल; 1990-91: 36 क्विंटल तथा 1991-92: 41 क्विंटल) थी। इसके प्रति कृषि उपनिदेशक ने वर्ष 1992-93 के दौरान संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता के अन्तर्गत 456.45 क्विंटल बीज मुफ्त वितरित किए। जिले में बीजों की औसत खपत पर 6.70 लाख रु० मूल्य के 418.45 क्विंटल बीजों का वितरण काफी ज्यादा था। इसके कारणों की जून 1994 तक न तो छानबीन की गई थी और न ही इन्हें सूचित किया गया था।

---

* कृषि निदेशक, शिमला, कृषि उपनिदेशक, चम्बा, कुल्लू तथा मण्डी और सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, हमीरपुर

** कृषि उपनिदेशक बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना, जिला कृषि अधिकारी, धर्मशाला, केलांग तथा किन्नौर और ए0पी0ओ0 काजा

(ix) एक ग्राम विस्तार अधिकारी द्वारा मई 1993 में काजा से मण्डी स्थानान्तरण पर 1.35 लाख रु० की कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री नहीं सौंपी गई थी। विभाग ने न्यूनताओं के समाधान या कम सौंपी गई सामग्री की लागत वसूल करने के लिए सितम्बर 1993 तक कोई कार्रवाई नहीं की।

(x) कृषि उपनिदेशक, मण्डी ने 1992-93 की रवि फसल के लिए जुलाई-सितम्बर 1992 में कृषि उपनिदेशक, शिमला को 585 क्विंटल (मूल्य: 3.22 लाख रु०) सोनालिका गेहूं बीज (एल0पी0) की आपूर्ति की। बीज की सम्पूर्ण मात्रा कीड़ों से ग्रस्त थी तथा बुवाई के योग्य न थी लेकिन 1992 की रबी फसल के समय सम्पूर्ण मात्रा कृषकों को बेच दी गई।

(xi) सहायक विकास अधिकारी, अम्ब ने मई-जून 1993 में एक स्थानीय उत्पादक से 115 क्विंटल उन्नत गेहूं का बीज (एच0डी0-2380) (मूल्य: 2.09 लाख रु०) खरीदा। सरकारी श्रेणीकरण केन्द्र, पेखूबेला में श्रेणीकरणार्थ भेजे जाने पर बीज पूर्णत: क्षतिग्रस्त व खराब पाया गया और इसका श्रेणीकरण नहीं किया जा सका। इसके बावजूद 49 क्विंटल ऊना जिले के कृषकों को बेचा गया, 40 क्विंटल कृषि उपनिदेशक, हमीरपुर को भेजा गया और 26 क्विंटल सहायक विकास अधिकारी, अम्ब को लौटाया गया। 2.09 लाख रु० की सम्पूर्ण लागत दिसम्बर 1993 तक वसूल नहीं की गई और खजाने में जमा नहीं की गई।

(xii) कृषि उपनिदेशक, नाहन ने मई 1991 में जिला कृषि अधिकारी, कांगड़ा से 0.60 लाख रु० का 50 क्विंटल मक्की का बीज (जी0के0-444) खरीदा। यद्यपि सम्पूर्ण मात्रा कीड़ो से ग्रस्त थी और कुछ बोरे (5 कि0ग्रा0 पैकिंग वाले) बुरी तरह से कीड़ों ने खा रखे थे और अनाज पूर्णत: क्षतिग्रस्त था, लेकिन खरीफ-1991 के दौरान 32.90 क्विंटल कृषकों को बेचा गया तथा शेष 17.10 क्विंटल (मूल्य: 0.21 लाख रु०) धौलाकुआं स्थित केन्द्रीय भण्डार में पड़ा था (दिसम्बर 1993)। 32.90 क्विंटल (मूल्य: 0.41 लाख रु०) की बिक्री लब्धियां खजाने में जमा नहीं की गई थीं (दिसम्बर 1993)।

(xiii) 3 इकाइयों* में बीज, कृषि औजारों तथा पौध संरक्षण सामग्री के स्टॉक रजिस्टरों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के मध्य 1.87 लाख रु० की सामग्री केन्द्रीय भण्डार से क्षेत्र संगठनों को प्रदत्त प्रदर्शित की गई। अभिलेखों में ऐसे निर्गम भक प्रति न कोई मांगपत्र और न ही कोई पावती मौजूद थी।

(xiv) कृषि उपनिदेशक, मण्डी ने फरवरी 1993 से जनवरी 1994 के दौरान ऋण के आधार पर 3.91 लाख रु० मूल्य के सीमेण्ट के 3583 बोरे तथा 0.22 लाख रु० मूल्य के सीमेण्ट के 200 बोरे सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, मण्डी तथा बायोगैस पर्यवेक्षक, सुन्दरनगर/गोपालपुर को दिए। मार्च 1994 तक न तो इनकी लागत और न इनकी मात्रा ही वापिस प्राप्त हुई।

---

* जिला कृषि अधिकारी, केलांग : 0.58 लाख रु०; कृषि उपनिदेशक, सोलन: 1.24 लाख रु० तथा ए0पी0ओ0, काजा: 0.05 लाख रु०

ये तथ्य अगस्त 1994 में सरकार को प्रेषित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5.11 दवाइयों की अधिक खरीद से हानियां

पैथीडीन का नियतांश भारत के औषधि नियंत्रक द्वारा राज्यों को आवण्टित किया जाता है। आवण्टित नियतांश के प्रति प्राप्त औषधि इन्जैक्शनों के विनिर्माणार्थ राज्य लाईसैन्सधारी औषधि विनिर्माताओं को आपूरित की जाती है। तत्पश्चात इन विनिर्माताओं से पैथीडीन के ये इन्जेक्शन स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा खरीदे जाते हैं और स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अनुदेशानुसार विभिन्न अस्पतालों को दिए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन को आपूरित किए जाते हैं।

मार्च 1988 के अन्त में पैथीडीन के 2.33 लाख ऐम्प्यूल्स मूल्य: 3.27 लाख रु0का स्टॉक शेष था। वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान सम्बद्ध मुख्य चिकित्साधिकारियों और अस्पताल प्राधिकारियों से आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना 4.39 लाख रु0 की लागत से स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा क्रमश: 1.57 लाख रु0 तथा 1.50 लाख ऐम्प्यूल्स की आपूर्ति आदेशित की गई। मुख्य चिकित्साधिकारी, सोलन द्वारा आपूर्ति जून 1989 तक प्राप्त की गई थी लेकिन अप्रैल 1988 से जनवरी 1994 तक की अवधि में केवल 3.14 लाख ऐम्प्यूल्स ही विभिन्न मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिए गए और 3.17 लाख रु0 की लागत के 2.26 लाख ऐम्प्यूल्स शेष बच गए। इन ऐम्प्यूल्स की परिरक्षण अवधि जनवरी 1994 में समाप्त हो गई। 7 इकाइयों में 0.55 लाख ऐम्प्यूल्स अप्रयुक्त पड़े रहे। इन ऐम्प्यूल्स की परिरक्षण अवधि भी समाप्त हो गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन द्वारा 1985-87 के वर्षों में विभिन्न चिकित्साधिकारियों तथा अस्पतालों को औसतन 1.32 लाख ऐम्प्यूल्स पैथीडीन वार्षिक रुप से दी गई। इस प्रकार 1988-90 के वर्षों में स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा यथादेशित 3.07 लाख ऐम्प्यूल्स की खरीद का कोई औचित्य नहीं बनता था जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी, सोलन के पास 2.33 लाख ऐम्प्यूल्स शेष बचे थे।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने बताया (जुलाई 1994) कि पैण्टाजोसीन (फोर्टीविन) नामक नए इन्जेक्शन की खोज से चिकित्सकों ने यकायक पैथीडीन इन्जेक्शनों का प्रयोग बन्द कर दिया। विभाग का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि अधिक इन्जेक्शनों की खरीद का कोई औचित्य नहीं था जबकि वर्ष 1988 में विभाग के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध था।

इस प्रकार क्षेत्र इकाइयों से वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना पैथीडीन इन्जेक्शनों के अधिक क्रय के परिणामस्वरुप 3.17 लाख रु0 की हानि हुई।

यह मामला मई 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

वन कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग

5.12 भण्डार-न्यूनताएं

चौपाल वन मण्डल में सितम्बर 1988 में भण्डारों के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय 1.27 लाख रु0 की सामग्री कम पाई गई।

इसके अतिरिक्त वन मण्डल, रोहडू के भण्डार रक्षक द्वारा नवम्बर 1992 में स्थानान्तरण के समय 0.54 लाख रु0 की वर्दियां कम सौंपी।

अप्रैल 1994 तक न्यूनताओं के समाधान/वसूली की कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों व अन्य को वित्तीय सहायता

6.1 सामान्य

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार समेकित निधि से अनुदानों तथा ऋणों द्वारा पर्याप्त रुप से वित्तपोषित निकायों एवं प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 15 में विहित है कि समेकित निधि से जहां भी अनुदान या ऋण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाता है तो नियंत्रक- महालेखापरीक्षक उस प्रक्रिया की संवीक्षा करेगा जिसके द्वारा संस्वीकृति प्राधिकारी ने उन शर्तों को पूरा करने के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट किया हो जिसके अन्तर्गत ये अनुदान तथा ऋण दिए गए थे। अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा सांविधिक नियम के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौपी जा सकती है।

1993-94 के दौरान सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पंचायतों, नगर पालिकाओं, सहकारी समितियों-शैक्षणिक संस्थाओं आदि को 7514.52 लाख रुपये के अनुदान वितरित किए:-

		राशि (लाख रुपए)
क.	**सामान्य सेवाएं**	
(क)	न्यायिक प्रशासन	5.00
(ख)	सचिवालय सामान्य सेवाएं	0.48
ख.	**सामाजिक सेवाएं**	
(क)	सामान्य शिक्षा	670.15
(ख)	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	344.62
(ग)	खेल तथा युवा सेवाएं	77.03
(घ)	कला और संस्कृति	65.86
(ड.)	तकनीकी शिक्षा	30.00
(च)	शहरी विकास	10.00

ग. आर्थिक सेवाएं

(क)	परिवहन	2250.00
(ख)	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1400.18
(ग)	ग्रामीण विकास .	1147.14
(घ)	क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	348.49
(ड.)	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	282.85
(च)	उद्योग	239.89
(छ)	डेरी विकास	157.00
(ज)	सड़कें और पुल	114.57
(झ)	वन	102.00
(ळ)	सहकारिता	87.00
(ट)	कल्याण	55.00
(ठ)	पशु पालन	45.77
(ड)	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	43.00
(ढ)	पर्यटन	21.57
(ण)	अन्य कृषि कार्यक्रम	6.50
(त)	मत्स्य पालन	5.42
(थ)	विज्ञापन तथा प्रौद्योगिकी	5.00
	जोड़	7514.52

वित्तीय नियमों के अन्तर्गत, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, जिनमें अनुदान सशर्त दिए जाते हैं, अनुदानों के वितरण के एक वर्ष के भीतर विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय को इस आशय के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं कि अनुदानों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए यह दिए गए थे। लोक लेखा समिति ने प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की धीमी प्रगति पर बारम्बार असंतोष व्यक्त किया था तथा क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से असाधारण विलम्ब के मामलों की विधिवत जांच की सिफारिश की थी।

वर्ष 1978-79 से 1992-93 तक प्रदत्त 6785.55 लाख रुपये के कुल अनुदानों से संबद्ध 2207 बकाया प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों के प्रति 30 सितम्बर 1994 तक 2925.27 लाख रुपये के केवल 425 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए और 3860.28 लाख रुपये की कुल राशि के 1782

प्रमाणपत्र बकाया थे। बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्रों का विभागबद्ध विवरण निम्नलिखित है:-

क्रमांक	विभाग	प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1.	शिक्षा	794	1808.88
2.	स्थानीय स्वशासन	712	850.70
3.	ग्रामीण विकास	122	707.15
4.	उद्योग	42	186.19
5.	कृषि	14	171.79
6.	पर्यटन	8	32.00
7.	पशुपालन	4	31.34
8.	खेल और युवा सेवाएं	26	29.67
9.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	28	22.96
10.	मत्स्य पालन	12	10.77
11.	सहकारिता	13	5.94
12.	न्यायिक प्रशासन	2	2.00
13.	सामान्य प्रशासन (सामाजिक सामुदायिक सेवायें)	4	0.82
14.	सचिवालय सामान्य सेवाएं	1	0.07
	जोड़	1,782	3860.28

प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की सीमा का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में किया गया है:-

विलम्ब की सीमा	प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
तीन वर्षों तक	1105	2762.74
तीन वर्षों से अधिक परन्तु पांच वर्षों तक	229	391.54
पांच वर्षों से अधिक किन्तु, दस वर्षों से कम	384	421.55
दस वर्षों से अधिक	64	284.45
जोड़	1,782	3860.28

6.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

6.2.1 सामान्य

भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक को अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उन सभी निकायों तथा प्राधिकरणों, जो पूर्ववर्ती वर्षों के अप्रयुक्त बकाया, यदि कोई हो, सहित सरकार से एक वर्ष में 25 लाख रुपये (1983-84 से पूर्व 5 लाख रु0) की वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 मास के भीतर लेखापरीक्षा कार्यालय को अपने लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जिन मामलों में धारा 14(1) के अन्तर्गत एक विशेष वर्ष में किसी निकाय/ प्राधिकरण की लेखा परीक्षा करना अपेक्षित है तो अगले दो वर्षों में भी उस निकाय/ प्राधिकरण की लेखापरीक्षा अनुवर्ती दो वर्षों में से किसी में निर्धारित शर्तें पूरी न होने के बावजूद पूर्वोक्त् अधिनियम की धारा 14(3) के अन्तर्गत की जानी है।

तथापि लेखाओं की प्राप्ति में 2 से 74 मास तक का पर्याप्त विलम्ब था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

लेखाओं का वर्ष	निकायों/ प्राधिकरणों की संख्या	प्राप्त लेखाओं की संख्या						
		अप्रैल 1987 तथा सितम्बर 1990 के मध्य	अक्तूबर 1990 तथा सितम्बर 1991 के मध्य	अक्तूबर 1991 तथा सितम्बर 1992 के मध्य	अक्तूबर 1992 तथा सितम्बर 1993 के मध्य	अक्तूबर 1993 तथा मार्च 1994 के मध्य	जोड़	31 मार्च 1994 तक प्रतीक्षित लेखाओं की सं0
1986-87	38	35	1	-	1	1	38	शून्य
1987-88	38	25	3	-	3	7	38	शून्य
1988-89	38	2	18	7	3	8	38	शून्य
1989-90	34	--	5	10	8	11	34	शून्य
1990-91	34	--	--	11	6	17	34	शून्य
1991-92	34	--	--	2	6	14	22	12
1992-93	33	--	--	--	--	13	13	20

33 निकायों/प्राधिकरणों में से 13 निकायों के वर्ष 1992-93 के लेखे प्राप्त हुए, इनमें से 11 अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों को आकर्षित करते थे और तद्नुसार 1993-94 के दौरान लेखा परीक्षा हेतु इनका चयन किया गया। शेष 20 निकायों/प्राधिकरणों जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे उनमें से 11 का भी अधिनियम की धारा 14(3) की शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। शेष 9 निकायों/प्राधिकरणों के मामले में उनके लेखे प्राप्त न होने के कारण अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के लागू होने का निश्चय नहीं किया जा सका।

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ रोचक मामले अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित हैं।

उद्यान विभाग

6.2.2 डा0 वाई0 एस0 परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन)

6.2.2.1 परिचय

बागवानी तथा सम्बद्ध विज्ञानों के विकास हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार, बागवानी तथा वानिकी, विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) की स्थापना 1 दिसम्बर 1985 को हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से अलग करने के पश्चात की गई।

6.2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय की समस्त कार्यप्रणाली की व्यवस्था प्रबन्ध मण्डल, शैक्षणिक परिषद, संकायों तथा विश्वविद्यालय की संविधियों के अन्तर्गत इस उद्देश्य हेतु घोषित अन्य निकायों के द्वारा की जाती है। कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी और प्रबन्ध मण्डल तथा शैक्षणिक परिषद का पदेन अध्यक्ष है। उसके कर्तव्य पालन में महाविद्यालयों के संकाय अध्यक्ष निदेशक, अनुसंधान और शिक्षा प्रसार, रजिस्ट्रार, लेखा नियंत्रक, सम्पदा अधिकारी आदि उनका सहयोग करते हैं।

6.2.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के वर्ष 1988-89 से 1992-93 तक की अवधि के लेखाओं तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच नवम्बर 1993 से फरवरी 1994 तक समय-समय पर संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत की गई।

6.2.2.4 मुख्य बातें

विश्वविद्यालय ने वर्ष 1985 में इसकी स्थापना से ही तुलन-पत्र तैयार नहीं किया।

(परिच्छेद 6.2.2.5)

सात वर्षों (जुलाई 1986 से जून 1993) तक कुल 483 विद्यार्थियों ने तीन शैक्षणिक कार्यक्रमों (स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी.) में प्रवेश किया था जिनमें से 112 विद्यार्थी (23 प्रतिशत) छोड़ गए।

(परिच्छेद 6.2.2.6)

बीज के अंकुरण तथा कलम करके लगाए पौधों की नश्वरता/उत्तरजीविता के कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा में 1.71 लाख रुपये के पौधे सफलतापूर्वक अंकुरण/कलम लगाने के पश्चात् भी सूखे हुए पौधों के रुप में दर्ज किए गए थे। पुन: विश्वविद्यालय से असम्बंधित जमीन पर 1.25 लाख रुपये की लागत से लगाई गई एक नर्सरी को स्थानीय निवासियों द्वारा क्षति पहुंचाई गई।

(परिच्छेद 6.2.2.7)

विश्व बैंक से राज्य वन विभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त 24.87 लाख रुपये के अनुदान में से केवल 19.80 लाख रुपये छतरी सामाजिक तथा वानिकी परियोजना के अन्तर्गत खर्च किए गए।

(परिच्छेद 6.2.2.8)

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "घरेलू स्तर पर फलों और सब्जियों का संरक्षण" के अन्तर्गत बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय ने मनमाने ढंग से प्रशिक्षण कैंपों की अवधि को 5 दिनों से घटा कर 1-2 दिन कर दिया। वर्ष 1987-88 से 1992-93 के दौरान 5 दिवसीय अवधि के 1200 कैंपों में 36,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के प्रति बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय 1-2 दिवसीय अवधि के केवल 464 कैंप ही आयोजित कर सका और 22,272 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित कर सका। कैम्पों के आयोजम में कमी 61 प्रतिशत तथा प्रशिक्षथ्त व्यक्तियों के मामले में यह 38 प्रतिशत थी।

(परिच्छेद 6.2.2.9)

वर्ष 1989-90 तथा 1992-93 के मध्य धर्माथ, वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए फोर्ड फांऊडेशन से प्राप्त 28.74 लाख रुपये के अनुदान में से 14.83 लाख रुपये मशीनरी और उपकरणों के उपार्जन पर खर्च किए गए जिसका स्कीम में प्रावधान नहीं था।

(परिच्छेद 6.2.2.10)

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के स्रोत खुम्ब के बीजोत्पादन की उच्च लागतऔर खूम्ब की कम पैदावार के कारण 6.21 लाख रुपये के वित्त से अधिक भारयुक्त थे।

(परिच्छेद 6.2.2.11)

क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा में वायुमण्डलीय नियंत्रण चैम्बर का भवन 2.78 लाख रुपये की लागत से नवम्बर 1988 में तैयार हो गया था जो कि उपकरणों के अभाव में पिछले पांच वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा था।

क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, सेओबाग (कुल्लू) में 4.89 लाख रुपये की लागत से मार्च 1992 में बना प्रयोगशाला ब्लाक और 3.53 लाख रुपये के मूल्य के प्रयोगशाला उपकरण आदि विद्युत संयोजन के अभाव में अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 6.2.2.12)

फरवरी 1994 तक 42.59 लाख रुपये की मशीनरी और उपकरण मुरम्मत में विलम्ब, कच्चे माल के उपार्जन न करने इत्यादि के कारण बेकार पड़े थे।

(परिच्देद.6.2.2.13)

6.2.2..5 वित्तीय परिव्यय

निम्नलिखित तालिका बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा 1988-89 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान आन्तरिक आय सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों तथा

उसके प्रति किए गए व्यय को दर्शाती है:-

ब्यौरे	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
			(लाख रुपए)		
आदिशेष	111.53	354.62	277.68	277.19	240.41
प्राप्त अनुदान					
राज्य सरकार	541.04	391.59	456.92	542.36	527.40
केन्द्रीय सरकार	9.02	53.65	36.82	43.98	51.27
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	159.42	178.12	179.12	193.40	255.45
विविध	81.75	44.36	72.76	328.86	113.67
विविध प्राप्तियां					
आंतरिक	29.07	42.97	40.80	47.44	42.44
अन्य प्राप्तियां	3.53	5.99	6.48	5.40	3.57
जोड़	935.36	1071.30	1070.58	1483.63	1234.21
व्यय	580.74	793.62	793.39	1198.22	923.40
अन्तशेष	354.62	277.68	277.19	240.41	310.81

विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही तुलन-पत्र तैयार नहीं किया जा रहा था, जबकि अधिनियम की धारा 45 (3) में बोर्ड के प्रबन्ध मण्डल को लेखाओं तथा तुलना-पत्र के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था है। प्राधिकारी ने बताया (जनवरी 1994) कि बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय के वाणिज्यिक संगठन न होने के कारण उससे सामान्य नियमों के अन्तर्गत तुलनपत्र बनाना अपेक्षित नहीं था।

विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:-

(i) बागवानी, वानिकी तथा ज्ञान की अन्य समबद्ध शाखाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था करना,

(ii) मौलिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के अनुसंधान के ज्ञान तथा आगे बढ़ाने में और प्रगति करना,

(iii) विज्ञान के विस्तार के लिए वचनबद्धता, विशेषतया राज्य के ग्रामीण लोगों के लिए।

6.2.2.6 शैक्षिक क्रियाकलाप

विश्वविद्यालय के शैक्षिक विनियम राज्य विधानसभा के अधिनियम के अन्तर्गत पहली जनवरी 1986 से लागू हुए। विश्वविद्यालय की संविधियों के अनुसार बागवानी महाविद्यालय तथा वानिकी महाविद्यालय दोनों में से प्रत्येक के लिए अध्ययन बोर्ड की व्यवस्था थी। विभिन्न शैक्षिक सत्रों की कालावधि निम्नांकित थी:-

(क)	स्नातकपूर्व	4 वर्ष	8 सत्र
(ख)	स्नातकोत्तर	2 वर्ष	4 सत्र
(ग)	पी.एच.डी.कार्यक्रम	3 वर्ष	6 सत्र

अभिलेख की संवीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य ध्यान में आये:

(i) जुलाई 1986 से जून 1993 के दौरान 483 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया जिनमें से 112 (23 प्रतिशत) छोड़कर चले गये। पूर्वोक्त् तीन अध्ययन कार्यक्रमों छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता 13 से 41 के मध्य थी जबकि कुल मिलाकर यह प्रतिशतता क्रमशः 20,24 तथा 28 थी। कार्यक्रम छोड़कर लिये विद्यार्थियों का चला जाना (46) तथा सामान्य ग्रेड की कम औसत के कारण विद्यार्थियों को निकाल देना (66) कारण के रुप में अभिलेखबद्ध थे। छोड़कर चले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को न्यूनतम करने के प्रयासस्वरुप कोई मूल्यांकन/समीक्षा नहीं की गई थी।

(ii) यह भी ध्यान में आया कि विश्वविद्यालय ने बागवानी एवं वानिकी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के रोजगार तथा कल्याण पर निगरानी रखने के लिये संविधियों में अपेक्षित, जनशक्ति तथा योजना कक्ष की स्थापना नहीं की थी। विद्यार्थी कल्याण अधिकारी ने उन 371 विद्यार्थियों (बागवानी 227 तथा वानिकी 144) के रोजगार के विषय में अभिलेख नहीं रखा था जो जुलाई 1986 तथा जून 1993 के मध्य तीन अध्ययन कार्यक्रमों में उत्तीर्ण घोषित किए गये थे। विद्यार्थी कल्याण अधिकारी ने बताया (जनवरी 1'994) कि कक्ष को खोलने के लिए कदम उठाये जा रहे थे।

(iii) उन 74 तथा 38 विद्यार्थियों (स्नातक पूर्व कार्यक्रम 17 तथा 16, स्नातकोत्तर कार्यक्रम: 41 तथा 14 और पी.एच.डी. कार्यक्रम: 16 तथा 8) जो इस अवधि के दौरान बागवानी कॉलेज तथा वानिकी कॉलेज को छोड़कर चले गये को छात्रवृतियों/वृतिकाओं के भुगतान पर किया गया 0.71 लाख रु0 (बागवानी: 0.60 लाख तथा वानिकी 0.11 लाख) का व्यय निष्फल रहा।

6.2.2.7 नर्सरियों का कार्य-निष्पादन

विश्वविद्यालय ने उत्पादकों को नवीनतम किस्मों के स्वस्थ पौधों की आपूर्ति करने के लिये नर्सरियां स्थापित की हैं। मार्च 1993 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में पांच नर्सरियों पर किया गया व्यय तथा उनसे प्राप्त आय नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित है:-

क्रम संख्या	नर्सरी का नाम	व्यय	आय	हानि
		(लाख रुपए)		
1.	क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, बजौरा	3.98	1.71	2.27
2.	क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा	7.15	1.54	5.61
3.	फल संवर्धन एवं बागवानी प्रबन्ध, नौणी	6.13	3.85	2.28
4.	क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, धौलाकुआं	2.62	0.36	2.26
5.	क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, जाछ	9.86	2.09	7.77
	जोड़	29.74	9.55	20.19

यह अवलोकित होगा कि सभी पौधशालाएं भारी हानियां उठा रही थीं। अभिलेखों की नमूना जांच से पुन: निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:-

(i) विश्वविद्यालय ने बीज अंकुरण हेतु मानक निर्धारित नहीं किए थे। मार्च 1993 को समाप्त गत पांच वर्षों में फर्म में विभिन्न प्रजातियों के सफल अंकुरण के स्तर में व्यापक भिन्नताए थीं, जैसा कि निम्नतालिका में दर्शाया गया है:-

क्रम संख्या	प्रजातियां	प्रजनन प्रतिशतता			
		न्यूनतम		अधिकतम	
		फार्म स्थल	प्रतिशतता	फार्म स्थल	प्रतिशतता
1.	सेब	बजौरा	5	मशोबरा	17
2.	बैहमी	मशोबरा	8	बजौरा	67
3.	चूली	मशोबरा	5	बजौरा	12
4.	कैथ	बजौरा	4	नौणी	12
5.	खट्टी	धौलाकुआं	7	जाछ	14
6.	आम	धौलाकुआं	13	जाछ	33
7.	आड़ू	धौलाकुआं	शून्य	बजौरा	17
8.	अखरोट	बजौरा	10	नौणी	29

पौधशालाओं के सह-निदेशकों ने जनवरी 1994 में बीज अंकुरण की विफलता का मुख्य कारण अप्रत्याशित सूखा पड़ना तथा अच्छे भण्डार आदि के चयन में बीज की गुणवत्ता आंकने के लिए सुविधाओं का अभाव बताया। पौधशालाओं के निदेशकों द्वारा दिए गए कारण मान्य नहीं थे क्योंकि अंकुरण प्रत्येक स्थान पर समान नहीं था जबकि सूखे की स्थिति अधिकाशंतः समूचे राज्य में एक समान थी। अच्छे भण्डार के चयन में सुविधाओं के अभाव से सम्बद्ध कारण भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के पास उत्तम तकनीक है।

(ii) कलम किए गए पौधों के नश्वरता/उत्तरजीविता के मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। विभिन्न प्रजातियों की उत्तरजीविता दर कम है तथा वर्ष 1988-89 से 1992-93 के दौरान एक पौधशाला से दूसरी पौधशाला में ऐसे पौधों की उत्तरजीविता दर में बहुत भिन्नता थी जैसा कि नीचे विवरण दिया जाता है:-

क्रम संख्या	प्रजाति	फार्म स्थल	न्यूनतम प्रतिशतता	फार्म स्थल	अधिकतम प्रतिशतता
1.	सेब	नौणीं	65	मशोबरा	96
2.	बादाम	नौणीं	53	मशोबरा	95
3.	खुमानी	नौणीं	36	मशोबरा	100
4.	नींबू	धौलाकुआं	49	जाछ	65
5.	आडू	नौणीं	61	बजौरा	100
6.	प्लम	नौणीं	47	मशोबरा	100
7	नाशपाती	नौणीं	56	मशोबरा	99

सम्बद्ध पौधशालाओं के सह निदेशकों ने पौधों के सूखने के लिए राज्य में सूखे की स्थिति तथा पाला आदि प्राकृतिक घटकों को कारण के रुप में बताया।

(iii) क्षेत्रीय फल अनुसधान केन्द्र, मशोबरा में 1988-89 से 1992-93 के दौरान 39,076 पौधे (लागत : 1.71 लाख रु0) सफल अंकुरण तथा कलम करने के पश्चात सूख गए। सफल अंकुरण/कलम करने के पश्चात सूखे पाए गए पौधों के सम्बन्ध में कभी छान-बीन नहीं की गई। सह निदेशक ने बताया (जनवरी 1994) कि पौध/कलम किए पौधे सजीव पौधों के रोगग्रस्त होने के कारण सूख गए थे।

(iv) अंन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा अनुसंधान केन्द्र कनाडा द्वारा वित्तपोषित "भारत में पापुलर का सुधार" नामक परियोजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय ने वर्ष 1989-90 तथा 1992-93 के मध्य इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 14.40 लाख रु0 प्राप्त किए। वन विभाग ने दिसम्बर 1989 में कोसाल (कुल्लू) में 1.5 हैक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई थी। भूमि को अपने नाम पर करवाए बिना ही विश्वविद्यालय ने जनवरी 1990 तथा अगस्त 1992 के मध्य पापुलर पौधशाला के विकास तथा बाढ़ लगाने, रखवाली करने आदि पर 1.25 लाख रु0 व्यय किए। जुलाई 1992 में

स्थानीय निवासियों ने समूचे पौधशाला क्षेत्र को टैक्टर से खोदकर तथा वहां बलपूर्वक एक कमरा बनवा कर पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया। पौधशाला क्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम न होने के कारण बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने मामला पुलिस को सूचित नहीं किया। तथापि इसे वन विभाग को सूचित किया (जुलाई 1992) जिसने पौधशाला के लिए भूमि उपलब्ध करवाई थी। आगे की गई प्रगति की सूचना फरवरी 1994 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

इस प्रकार विश्विद्यालय के नाम पर भूमि न होने से पौधशाला बनाने पर किया गया 1.25 लाख रु0 का व्यय व्यर्थ चला गया।

6.2.2.8 छतरी परियोजना

राज्य में छतरी सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 35 लाख रु0 की लागत से विश्वविद्यालय में सामाजिक वानिकी के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्य चलाने के लिए दिसम्बर 1988 में छः योजनाए बनाई गई थीं।

1988-89 से 1992-93 तक 5 वर्षों के अनुसंधान कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए थे। राज्य वन विभाग के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियां तथा व्यय निम्नलिखित था:-

वर्ष	प्राप्ति	किया गया व्यय				अव्ययित शेष
		वेतन	यात्रा भत्ता	आकस्मिक	जोड़	
		(लाख रुपए)				
1988-89	9.25	-	-	-	-	9.25
1989-90	--	0.44	0.01	6.01	6.46	2.79
1990-91	8.01	0.40	--	4.68	5.28	5.52
1991-92	7.61	0.63	0.09	2.60	3.32	9.81
1992-93	--	0.46	0.12	4.16	4.74	5.07
जोड़	24.87	1.93	0.22	17.65	19.80	

परियोजना के अभिलेख की नमूना जांच से का पता चला कि सभी छः अनुसंधान योजनाएं कुल 35 लाख रु0 की लागत से मार्च 1993 तक पूर्ण की जानी थी। विश्वविद्यालय मार्च 1993 में परियोजना की निर्धारित चरम सीमा तक केवल 24.87 लाख रु0 का आहरण ही कर पाया। इसमें से 19.80 लाख रु0 खर्च किए गए तथा 5.07 लाख रु0 मार्च 1993 तक अव्ययित पड़े थे।

6.2.2.9 घरेलू स्तर पर फल तथा सब्जियों के संरक्षण का प्रशिक्षण -विशेष उप-परियोजना

अगस्त 1987 में भारत सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर फल तथा सब्जियों के संरक्षण हेतु प्रशिक्षण की विशेष उप-परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50 लाख रु० स्वीकृत किए। इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना था। परियोजना को 71.02 लाख रु० के परिव्यय सहित 1993-94 तक बढ़ाया गया (अक्तूबर 1993)। व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना था। योजना पर मार्च 1993 तक 49.14 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था।

स्कीम में राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित करके समूचे राज्य को आवृत करने की व्यवस्था थी जिसके प्रत्येक क्षेत्र का मुख्यालय शारबो, मशोबरा, बजौरा तथा जाछ में स्थापित विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र पर था। प्रत्येक क्षेत्र द्वारा 5 दिनों की अवधि के 50 पाठ्यक्रम संचालित किए जाने थे तथा प्रत्येक वर्ष 1500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना था। निर्धारित लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

क्षेत्र	1987-88 से 1992-93 के लक्ष्य		1987-88 से 1992-93 तक के लिए उपलब्धियां		कमी (-) अधिक्य (+)	
	लगाए जाने वाले कैम्प	प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्ति (अवधि 5 दिन)	लगाए गए कैम्प (1 से 2 दिन की अवधि)	प्रशिक्षित व्यक्ति	कैम्प लगाने में	व्यक्तियों का प्रशिक्षण
जाछ	300	9,000	177	12,601	(-)123	(+)3601
मशोबरा	300	9,000	94	2,563	(-)206	(-)6.437
बजौरा	300	9,000	103	3,684	(-)197	(-)5.316
शारबो	300	9,000	90	3,424	(-)210	(-)5.576
	1,200	36,000	464	22,272	(-)7.36	(-)13.728

योजना के अभिलेख की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

(i) लगाए गए कैम्पों की संख्या में कुल 61 प्रतिशत तथा प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों में 38 प्रतिशत कमी थी।

(ii) विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों की अवधि मनमाने ढंग से घटाकर 5 दिनों से 1-2 दिन कर दी।

(iii) विश्वविद्यालय ने योजना का मूल्यांकन/निगरानी नहीं की तथा मासिक/आवधिक प्रतिवेदन सरकार को नहीं भेजे थे।

विश्वविद्यालय ने उपलब्धियों में कमी का कारण राज्य में विभिन्न आन्दोलनों का होना ऊंचाई वाले स्थानों का हिमाच्छादित होना तथा पिक-अप वैनों की अनुपलब्धता बताया (जनवरी 1994)। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि 1990 तथा 1991 के दौरान आन्दोलन सीमित अवधि के लिए था; तीन पिक-अप वैनों की खरीद 1988 तथा एक की 1990 में की गई और केवल एक क्षेत्र ही हिमबंधित क्षेत्र में था।

6.2.2.10 फोर्ड फॉऊण्डेशन परियोजना

फोर्ड फॉऊण्डेशन ने दिसम्बर 1986 में 2.72 की अमरीकी डालर का अनुदान अनुमोदित किया। इसमें से 1.40 लाख अमरीकी डालर समुन्द्रपार सुविधा विकास पर फॉऊण्डेशन द्वारा स्वंय खर्च किए जाने थे तथा शेष 1.32 लाख अमरीकी डालर विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान (0.70 लाख अमरीकी डालर), ग्रीष्म संस्थान (0.20 लाख अमरीकी डालर), पुस्तकालय अधिग्रहण करने (0.30 लाख अमरीकी डालर) तथा वाहन पर (0.12 लाख अमरीकी डालर) खर्च किए जाने थे। अनुदान का उपयोग केवल धर्मार्थ, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था तथा महिलाओं और समाज के अहित वर्गों की आवश्यकता तथा उनके फॉऊण्डेशन समर्थित कार्यक्रमों में भाग लेने पर विशेष ध्यान दिया जाना था। फाऊण्डेशन की पूर्व अनुमति के बिना बजट में अधिक परिवर्तन नहीं किया जाना था।

फॉऊण्डेशन ने 1989-90 तथा 1992-93 के मध्य 28.74* लाख रु० जारी किए जिसमें से 2.51 लाख रु० वाहन खरीदने के लिए थे। शेष 26.23 लाख रु० दिसम्बर 1986 में फॉऊण्डेशन द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अनुसार अनुसंधान, ग्रीष्म संस्थान तथा पुस्तकालय अधिग्रहण हेतु क्रमशः 7:2:3 के अनुपात में विभाजित किए जाने थे। योजना के अनुसार आबंटन तथा वास्तविक संविभाजन और विश्वविद्यालय द्वारा किया गया व्यय निम्नलिखित था:-

मदों का विवरण	अनुमत आबंटन	यूएचएफ द्वारा आबंटन	अन्तर अधिक(+)/ कम (-)	वास्तविक व्यय
1. अनुसंधान	15.30	15.51	(+)0.21	15.57
2. ग्रीष्म संस्थान	4.37	3.00	(-)1.37	2.35
3. पुस्तकालय	6.56	8.77	(+)2.21	9.11
4. वाहन	2.51	1.46	(-)1.05	1.58
जोड़	28.74	28.74		28.61

* 1989-90: 10.07 लाख रु०; 1991-92: 5.92 लाख रु० तथा 1992-93: 12.75 लाख रु०

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

(i) अनुसंधान पर खर्च किए गए 15.57 लाख रु0 में से 5.12 लाख रु0 अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अनुमोदित मदों पर प्रयुक्त किए गए तथा शेष 10.45 लाख रु0 मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर खर्च किए गए जिनकी परियोजना में व्यवस्था नहीं थी।

(ii) इसी भांति पुस्तकालय अधिग्रहण पर खर्च किए गए 9.11 लाख रु0 में से 4.38 लाख रु0 मशीनरा तथा उपकरणों की खरीद पर खर्च किए गए जिनका योजना में प्रावधान नहीं किया गया था।

(iii) निधियों के विभाजन में अदल-बदल को फॉऊण्डेशन से अनुमोदित नहीं करवाया गया था।

6.2.2.11 खुम्ब अनुसंधान प्रयोगशाला/फार्मों की कार्यप्रणाली

(i) खुम्ब अनुसंधान प्रयोगशाला चम्बाघाट में खुम्ब बीज की 53,075 बोरियों के उत्पादन पर वर्ष 1988-89 तथा 1992-93 के मध्य 4.08 लाख रु0 खर्च किए गए, जबकि आय इससे अर्जित 3.19 लाख रु0 थी। इसके कारण 0.89 लाख रु0 अधिक खर्च हुए। विश्वविद्यालय ने हानियों को दूर करने के लिए पग नहीं उठाए थे।

(ii) विश्वविद्यालय ने मानक निश्चित किए थे कि एक बोरी खुम्ब बीज से 6 किलोग्राम खुम्ब तैयार होगा, तथापि विभागीय फार्म, चम्बाघाट में खुम्ब बीज की 3,534 बोरियां बीजी गई तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 21,204 किलोग्राम खुम्ब के स्थान पर 5,792 किलोग्राम खुम्ब की पैदावार हुई थी। परिणामस्वरुप 3.08 लाख रु0 के 15,412 किलोग्राम खुम्ब का कम उत्पादन हुआ। पुन: विभाग ने 5,792 किलोग्राम खुम्ब के उत्पादन पर 3.34 लाख रु0 खर्च किए जिसके प्रति केवल 1.10 लाख रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ, परिणामत: 2.24 लाख रु0 अधिक खर्च हुए।

खुम्ब बीजों के उत्पादन, खुम्ब पैदावार में कमी तथा उत्पादन लागत को देखते हुए विक्रय दर निश्चित न करने के कारण सूचित नहीं किए गए (फरवरी 1994)।

6.2.2.12 निर्माण कार्यकलाप

(क) सिविल तथा विद्युत कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न ठेकेदारों के साथ किए गए करारनामों के ठेकेदारों के लिए आवश्यक था कि वह नियमानुसार 2 लाख रु0 से अधिक परन्तु 5 लाख रु0 से कम के कार्यों हेतु एक प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी (ओवरसीयर) वाले व्यक्ति को तथा 5 लाख रु0 से अधिक के कार्यों के लिए स्नातक इन्जीनियर को नियुक्त करें।

कार्य प्रभारी अभियन्ता द्वारा जब भी अपेक्षित हो, तकनीकी कर्मियों का कार्यस्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य था। पूर्वोक्त अनुसार यदि ठेकेदार तकनीकी कर्मियों को नियुक्त नहीं करता तो उसे डिप्लोमाधारी व्यक्ति को नियुक्त न करने के लिए प्रतिमास 1,000 रु० तथा स्नातक अभियन्ता के लिए 2,000 रु० देने थे। नियुक्त किए गए अभियन्ता का नाम तथा जीवनवृत्त देना ठेकेदार के लिए आवश्यक था। ठेकेदार को बिलों पर इस आशय का प्रमाणपत्र देना आवश्यक था कि अभियन्ता/डिप्लोमाधारी व्यक्ति पूर्णतः उसके पास कार्यरत था।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 48 निर्माणकार्यों में ठेकेदारों ने ऐसे तकनीकी कर्मियों को नियुक्त नहीं किया। उनकी नियुक्ति प्रमाणित करने के लिए कार्यस्थल की आदेश पुस्तक में तकनीकी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने अनुदेशों को अभिलेखाबद्ध नहीं किया। करारनामे की शर्त के अनुसार तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति का प्रमाणपत्र भी ठेकेदारों ने बिलों तथा माप पुस्तकों में अंकित नहीं किया। इस सम्बन्ध में ठेकेदारों से मई 1988 तथा फरवरी 1994 के मध्य 48 मामलों में 15.61 लाख रु० की वसूली बनती थी, जिसे वसूल नहीं किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 1994) कि ठेकेदारों द्वारा नियुक्त तकनीकी कर्मियों के नाम जबानी याद रखे गए थे। तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता का कोई संकेत न होने के दृष्टिगत यह उत्तर मान्य नहीं है।

(ख) क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा के अनुसंधान कार्यकलापों को प्रबलित करने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि परियोजना क्षेत्र-III के अन्तर्गत वायुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष के निर्माण हेतु अप्रैल 1988 में 2.78 लाख रु० स्वीकृत किए। यह कार्य ठेकेदार के माध्यम से स्वीकृत लागत पर नवम्बर 1988 में पूर्ण किया गया था। लेकिन निधि अभिकरण (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) द्वारा ऐसे निर्मित भवन को वायुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष में परिवर्तित करने के लिए सरक्षण सुविधाओं का प्रावधान नहीं किया गया था। निदेशक ने बताया (अगस्त 1994) कि नवम्बर 1990 में विश्व बैंक दल ने अपने मशोबरा दौरे के दौरान मशीनरी की खरीद के लिए 25.00 लाख रु० की सिफारिश की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अगस्त 1994 तक निधियां जारी न करने के कारण भवन निर्माण पर 5 वर्षों से अधिक समय तक 2.78 लाख रु० की निधियों का अलाभकारी अवरोधन हुआ।

(ग)(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र-II के अन्तर्गत सेओबाग/बजौरा में सिविल कार्यों के लिए सितम्बर 1988 में 38.28 लाख रु० स्वीकृत किए। कार्य को चार वर्षों में पूर्ण किया जाना था। इस राशि में से 4.27 लाख रु० से क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र सेओबाग का प्रयोगशाला ब्लॉक मार्च 1992 में बनाया गया तथा बिजली (लागत: 0.62 लाख रु०) अगस्त 1993 में लगाई गई। परियोजना में अलग रखे गए 3.88 लाख रु० के प्रावधान में से 1989 तथा 1993 के मध्य प्रयोगशाला उपकरण (लागत: 3.53 लाख रु०) भी खरीदे गए थे।

अधिशासी अभियन्ता (सी) ने फरवरी 1994 में बताया कि अगस्त 1993 में

विद्युतीय प्रतिष्ठापन के पश्चात बिजली कनैक्शन देने के लिए टैस्ट रिपोर्ट सहायक निदेशक क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, बजौरा को भेजी थी। बिजली कनैक्शन प्राप्त करने के लिए मामला विद्युत बोर्ड के साथ न तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा और न ही क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र के प्रभारी द्वारा उठाया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपेक्षित विद्युत भार की अनुपलब्धता के कारण कनैक्शन नहीं दिया गया, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने प्राक्कलन में व्यवस्था नहीं की थी। इस प्रकार 8.42 लाख रु0 की लागत के भवन तथा प्रयोगशाला उपकरण फरवरी 1994 तक बिजली कनैक्शन न मिलने के कारण अप्रयुक्त पड़े हुए थे। विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 1994) कि बिजली कनैक्शन मिलने की संभावित तिथि उनके कार्यालय को ज्ञात नहीं थी।

(ii) क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र बजौरा/सेओबाग में बाड़ लगाने तथा विकास हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से सितम्बर 1988 में 2.50 लाख रु0 प्राप्त किए गए थे। सह-निदेशक (अनुसंधान), क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र बजौरा ने अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) को अगस्त 1990 में सूचित किया कि क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, सेओबाग का क्षेत्र पहले सीमा दीवार से आवृत्त था तथा बाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि ने बताया कि बजौरा के क्षेत्र को बाड़ लगाना आवश्यक था। अनुसंधान केन्द्र की आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुए अधिशासी अभियन्ता ने जून 1992 में सेओबाग क्षेत्र की बाड़ हेतु 2.42 लाख रु0 का प्राक्कलन तैयार किया और जून 1992 में प्राक्कलित लागत पर कार्य आंबटित करने का निर्णय लिया। ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व सह-निदेशक ने दिसम्बर 1993 में अधिशासी अभियन्ता को अपनी योजना पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया किन्तु अधिशासी अभियन्ता इस तर्क पर सहमत नहीं हुआ कि बाड़ लगाने की आवश्यकता के औचित्य का प्राक्कलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था। फरवरी 1994 तक कार्य प्रगति पर था तथा 0.51 लाख रु0 व्यय किए जा चुके थे। अनुसंधान केन्द्र, जहां सीमा दीवार पहले से ही विद्यमान थी, बाड़ लगाने पर व्यय व्यर्थ है।

(घ) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान केन्द्र, धौलाकुंआ के लिए स्रवण सिंचाई उपस्कर के प्रतिष्ठापन सहित सिंचाई सुविधाएं प्रदानार्थ सितबंर 1988 में 3 लाख रु0 संस्वीकृत किये। परियोजना दिसबंर 1992 में बंद कर दी गई तथापि सिंचाई स्कीम का निर्माण कार्य जारी रहा तथा मार्च 1993 तक जलाशय का निर्माण मुख्य जलारोहण प्रणाली बिछाना तथा जल निमग्न पंप का प्रतिष्ठापन 1.53 लाख रु0 की लागत से पूर्ण कर दिया गया। स्कीम के बंद होने पर 1.47 लाख रु0 की निधि-समाप्ति के कारण स्रवण सिंचाई उपस्कर के क्रय तथा प्रतिष्ठापन एवं निमग्न नलकूप का भावी कार्य नहीं किया गया। वरिष्ठ उद्यानविद् क्षेत्रीय उद्यान अनुसन्धान केन्द्र धौलाकुआं ने बताया (जनवरी 1994) कि आजकल (वर्तमान समय में) विद्यमान कूप से जल उठाया जा रहा है यद्यपि स्टेशन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था।

स्कीम की पूर्णता में विलम्ब तथा निधि-अभ्यर्पण के कोई भी कारण उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं बताए गए थे।

(ड.) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को आवास-सुविधा प्रदान करने हेतु आरंभ किये

गए 7 निर्माण-कार्य (अनुमानित लागतः 38.71 लाख रु0) 31.63 लाख रु0 का व्यय करने के पश्चात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी जाने वाली निधियों के अभाव में नवम्बर 1993 से रोक दिए गए थे।

(च) अधिशासी अभियन्ता द्वारा 1976-77 तथा 1992-93 के बीच विभिन्न फर्मों को निर्माण-सामग्री यथा इस्पात सीमेंट आदि के क्रयार्थ कुल 9.41 लाख रु0 की अग्रिम राशियां प्रदान की गई थी। यद्यपि इनका समायोजन फरवरी 1994 तक नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय-प्राधिकारियों ने बताया (जनवरी 1994) कि इसीलिए अपर्याप्त स्टाफ के कारण दी गई अग्रिम राशियों के सम्बंध में सामग्री की वास्तविक प्राप्ति का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

6.2.2.13 निष्कार्य उपस्कर

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा अगस्त 1986 तथा नवंबर 1992 के बीच 42.59 लाख रु0 से अर्जित मशीनरी तथा उपस्कर की भिन्न मदें कच्चे माल को उपार्जित न करने, दोषपूर्ण भागों की मरम्मत तथा पुन स्र्थापना आदि में विलम्ब जैसे कारणों से या तो प्रतिष्ठापित नहीं की गई थीं या उनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया गया था (फरवरी 1994)। इस सम्बंध में प्रासंगिक ब्यौरे परिशिष्ट-XII में प्रस्तुत किए गए हैं।

मशीनरी तथा उपस्कर को चालू न करने/उपयोग में न लाने के फलस्वरूप, उन उद्देश्यों को पूर्ण न करने जिनके लिए उपार्जित की गई थी के अतिरिक्त निष्फल निवेश हुआ।

सरकार को यह मामला जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

मत्स्य विभाग

6.2.3 मत्स्य बीज फार्म, दियोली

राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य-पालन की दृष्टि से भारत सरकार ने ऊना में मत्स्य कृषक विकास एजेंसी की स्थापना को मार्च 1982 में अनुमोदित किया। संस्वीकृति में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित था कि राज्य सरकार मत्स्य कृषक विकास एजेंसी में 10 लाख आंगुलिक उत्पन्न करने की क्षमता वाला एक मत्स्य बीज फार्म रखेगी। राज्य सरकार ने तद्नुसार 16.81 लाख रु0 की अनुमानित लागत से दियोली (ऊना जिला) में 50 लाख आंगुलिक की वार्षिक क्षमता वाले एक मत्स्य बीज फार्म को स्थापित करने की योजना जनवरी 1984 में भारत सरकार को प्रस्तुत की जो छः जिलों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य हो। यद्यपि भारत सरकार ने 12.40 लाख रु0 का कुल परिव्यय केवल अगस्त 1984 में अनुमोदित किया। तत्पश्चात् परियोजना की अनुमानित लागत दिसम्बर 1987 में संशोधित करके 43.87 लाख रु0 कर दी गई।

कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु मत्स्य कृषक विकास एजेंसी को सौंपा गया था (मार्च 1983) तथा उसे 1982-83 तथा 1992-93 के बीच 24.75 लाख रु0 का सहायता अनुदान प्रदान किया गया। मत्स्य कृषक विकास एजेंसी ने फरवरी 1984 में निष्पादन आरंभ किया तथा 46 जलाशयों का निर्माण प्रशासनिक भवन तथा संरक्षण कार्य सदृश केवल 25 प्रतिशत निर्माण कार्य अगस्त 1986 तक 15.86 लाख रु0 की लागत से पूर्ण किए। तद्नंतर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया था। सितंबर 1988 में स्वान नदी में बाढ़ से फार्म-जलाशय, पोषक प्रणालियां बाढ़ तथा बाढ़ संरक्षण के निर्माण-कार्य क्षतिग्रस्त हो गए थे और समस्त कार्य-क्षेत्र जल निमग्न हो गया था। 2.58 लाख रु0 की क्षतियां आंकी गई थी। क्षतियां मई 1994 तक पुनर्स्थापित नहीं की गई हैं। मत्स्य निदेशक ने मई 1994 में बताया कि क्षतियों की पुनर्स्थापनार्थ आकलन तैयार किए जा रहे थे।

फार्म को जलापूर्ति प्रदान करने हेतु परिस्रवण कूप का निर्माण (अनुमानित लागतः 8.78 लाख रु0) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को मई 1992 में निक्षेप् निर्माण कार्य के रूप में सौंपा गया था। मई 1994 तक केवल 5 प्रतिशत कूप- निर्माणकार्य किया जा चुका था।

विभाग के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चल सके कि उसने निष्पादन हेतु निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व भू-संरक्षण तथा नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर से सम्बंधित उचित छान-बीन की थी। मत्स्य बीज फार्म दियोली के प्रभारी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास एजेंसी को प्रतिवेदित किया (मार्च 1988) कि जनवरी तथा फरवरी 1988 में किए गए परीक्षणों के अनुसार फार्म की मिट्टी में जल संरक्षण अत्यल्प था तथा 6.68 लाख रु0 की लागत से निर्मित जलाशयों में जल संरक्षण नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा रिसाव को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मत्स्य निदेशक ने बताया (मई 1994) कि जलाशयों में रिसाव सितम्बर 1988 में बाढ़ द्वारा स्वान नदी का तल नीचे हो जाने के कारण था। निदेशक का यह तर्क युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि रिसाव जलाशायों के परीक्षणों के दौरान जनवरी/फरवरी 1988 में ध्यान में आया तथा बाढ़ केवल सितम्बर 1988 में आई।

फार्म निर्माण-कार्यों को बाढ़ से हुई क्षतियों के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका जो उचित स्थल की छानबीन के बिना तथा नियमित जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु परिस्रवण कूप के निर्माण कार्य को आरंभ करने में विलम्ब के कारण निष्पादित किया गया था। इस प्रकार इन निर्माण-कार्यों पर किया गया 15.86 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा तथा लाभ ग्राही उद्दिष्ट लाभों से वंचित रहे।

मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

6.2.4 निर्माण कार्यों पर कर का अस्वीकार्य भुगतान

शिमला आयोजना क्षेत्र की जल आपूर्ति स्कीम कसुम्पटी खण्ड की मुख्य जलारोहण पुराली बिछाने तथा शिमला जलापूर्ति स्कीम के आवर्धन से सम्बंधित 122.95 लाख रु० का निर्माण कार्य शिमला विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च 1988 में एक ठेकेदार को दिया गया। इसकी पूर्णता बारह मास में की जानी निश्चित थी परंतु यह कार्य फरवरी 1992 में पूर्ण किया गया तथा ठेकेदार को सितम्बर 1991 तक 199.22 लाख रु० दिए गए।

संविदा अनुबंध-पत्र के अनुसार समस्त कर तथा शुल्क केन्द्रीय राज्य अथवा स्थानीय निकायों द्वारा यथानुप्रयोज्य अतिरिक्त देय थे परंतु निर्माण-कार्यों पर कर ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था। संविदा अनुबंध पत्र के इन उपबंधों के बावजूद निर्माण कार्यों पर कर लगने के कारण राज्य आबकारी तथा कराधान विभाग को देय 4.92 लाख रु० की राशि एक ठेकेदार को सितम्बर 1991 तक बिक्री कर के रुप में प्रतिपूरित की गई जो अस्वीकार्य थी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी व मुख्य अभियंता शिमला विकास प्राधिकरण ने बताया (जनवरी 1994) कि भुगतान संविदा अनुबंध-पत्र के खण्डानुसार हीं किया गया था। यह तर्क युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों पर कर ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था तथा निर्माण कार्य संविदाओं पर उद्‌गृहीत कर बिक्री कर से भिन्न और कोई नहीं है।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

ग्रामीण विकास विभाग

6.2.5 लोअर पूह कूहल के निर्माण पर निष्फल व्यय

परियोजना निदेशक, मरुभूमि विकास परियोजना, पूह द्वारा बहाव सिंचाई स्कीम, लोअर पूह कूहल के निर्माणार्थ 12.53 लाख रु० का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। कूहल के संरक्षण में वृद्धि के कारण संस्वीकृति को मार्च 1990 में संशोधित करके 12.68 लाख रु० कर दिया। 20 हैक्टेयर भूति कि सिंचाई के विचार से यह स्कीम टिंकू नाले के झरने के स्त्रोत पर आधारित थी जिसका निस्सारण 0.77 क्यूसक की आवश्यकता के प्रति मन्दी के समय जनवरी 1988 में 1.15 क्यूसक था। कूहल का निर्माण कार्य 1988-89 में प्रारंभ किया गया तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल पूह द्वारा निक्षेप कार्य के रुप में 19.83 लाख रु० की लागत से अगस्त 1993 में पूर्ण किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य ने परियोजना निदेशक को सूचित किया (जुलाई 1993) कि स्त्रोत में जल की अत्यल्पता के कारण निकट भविष्य में स्कीम का

नियमित कार्य करना संभव नहीं होगा। सहायक परियोजना निदेशक, जिसने स्थल-अभियंता के साथ कूहल का निरीक्षण किया था, ने भी पाया (सितम्बर 1993) कि स्त्रोत में जल की अनुपलब्धता के कारण यह स्कीम चालू नहीं की जा सकी।

इससे यह स्पष्ट है कि स्कीम का निष्पादन स्त्रोत की पर्याप्त छानबीन के बिना किया गया था। इस प्रकार 19.83 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा जिससे लाभग्राही सिंचाई के उद्दिष्ट लाभों से वंचित रहे।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

6.2.6 निष्फल व्यय

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-स्कीम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं शिशु विकास, में प्रत्येक खण्ड में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का प्रावधान था क्योंकि महिलाओं को सामान्य कार्यस्थल की आवश्यकता थी जहां ये एकत्रित हो सकें तथा अपने क्रिया कलापों को चला सकें।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा के अभिलेखों की फरवरी 1994 में की गई नमूना-जांच से यह प्रकट हुआ कि कांगड़ा खण्ड के तियारा में एक बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र का निर्माण 2.30 लाख रु0 की लागत से 1989-90 के दौरान किया गया। 0.55 लाख रु0 मूल्य की सहायक सामग्रियों सहित हथकरघे इस केन्द्र को जून 1992 में प्रदान किये गए थे तथापि यह केन्द्र अप्रैल 1994 तक कार्य नहीं कर रहा था तथा भवन एवं उपस्कर अप्रयुक्त पड़े थे। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कांगड़ा ने बताया (अगस्त 1994) कि केन्द्र नल्की, हुक, शटल गोट राच्छ, सूई तथा वुड कीपर आदि जैसी हथकरघे की सहायक सामग्रियों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त रहा।

इस प्रकार भवन (2.30 लाख रु0) एवं उपस्कर (0.55 लाख रु0) पर किया गया 2.85 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा तथा स्कीम में यथापरिकल्पित सुविधाये महिला-समुदायों को प्रदान नहीं की गई।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

6.2.7 पंजीरी संयंत्र की स्थापना पर निष्फल व्यय

राज्य सरकार तथा शिशु कल्याण राज्य परिष्द द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोषण-आहार कार्यक्रमों की पोषण वस्तुओं की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए परिषद ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सोलन जिले के परवाणू में एक पंजीरी संयत्र (अनुमानित लागत 12 लाख रु0) के स्थापनार्थ जुलाई 1982 में एक प्रस्ताव तैयार किया जिसकी कुल क्षमता प्रत्येक आठ घंटों की दो पारियों में 4 टन थी। भारतीय दुग्ध निगम बड़ौदा ने अप्रैल 1984 में इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से 12 लाख रु0 संस्वीकृत किये।

सचिव कल्याण विभाग ने बताया (सितम्बर 1985) कि यह परियोजना 0.30 लाख रु0 की आवश्यकता की तुलना में 0.69 लाख रु0 प्रतिदिन के मूल्य का स्फूर्ति आहार अनुपूरक का उत्पादन करेगी जिससे विपणन समस्या पैदा हो सकती है। परिषद ने उत्तर में बताया (अक्तूबर 1988) कि संयंत्र-क्षमता में मांग के अनुसार वृद्धि या ह्रास किया जा सकता है तथा इसलिए विपणन समस्या नहीं होगी।

परिषद द्वारा परवाणू में संयंत्र के प्रतिष्ठापनार्थ भू-अर्जन से सम्बंधित मामला, उपायुक्त सोलन के साथ जुलाई 1984 में उठाया गया परंतु परिपक्व नहीं हुआ। परिषद् ने संयंत्र के लिए मई 1988 में शिमला जिले के हीरा नगर में भूमि की व्यवस्था कर दी। परिषद् को अक्तूबर 1987 में 12 लाख रु0 का अनुदान निस्तारित किया गया था परंतु इसी दौरान संयंत्र-लागत बढ़कर 18 लाख रु0 हो गई।

संयंत्र- प्रतिष्ठापन तथा भवन निर्माण कार्य थाने (बम्बई) स्थित फर्म को 21.03 लाख रु0 की लागत से सद्यप्रवर्तित आधार पर अगस्त 1988 में सौंप दिया गया।

कार्य, संविदा की प्रभावी तारीख से 12 मास के बीच पूर्ण किया जाना निश्चित था। संविदा की शर्तों के अनुसार 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के समय तथा 25 प्रतिशत उसके पश्चात् पांच मास के भीतर किया जाना था। इसके प्रति 6 लाख रु0 फर्म को दिए गए (3 लाखरु0 अगस्त 1988 में तथा 3 लाख रु0 मार्च 1989 में)। फर्म ने थाने में स्थित अपनी कार्यशाला में संयंत्र का विनिर्माण जनवरी 1989 में किया तथा परिषद से भवन-निर्माणार्थ स्थान सौंपने का अनुरोध किया। परिषद फर्म के बार-बार अनुस्मरण कराने के बावजूद भी ऐसा करने में विफल रही। परिषद ने सूचित किया (अगस्त 1994) कि जब सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर थे तो एक स्थानीय निवासी ने स्थल खण्ड पर स्वामित्व विवाद उठा दिया।

परिषद ने अगस्त 1991 में हुई अपनी महासभा की बैठक में इस परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि इसका कार्य-चालन राज्य में पंजीरी के उपभोक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण-लाभदायक नहीं समझा गया। संयंत्र की स्थापना से संबद्ध मामलों की विस्तृत जानकारी के लिए कल्याण सचिव, वित्त सचिव तथा निदेशक, कल्याण विभाग से निर्मित एक समिति का गठन किया गया। समिति ने फरवरी 1992 में हुई अपनी बैठक में फर्म को दी गई राशि वापिस लेने के सम्बंध में विधि विभाग की राय प्राप्त करने का निर्णय लिया। फर्म ने राशि वापिस नहीं की तथा सूचित किया (दिसम्बर 1991) कि परिषद अनुबंध पत्र की शर्तों तथा मदों को पूर्ण करने में विफल रही है अतः उसके द्वारा प्राप्त पूर्ण भुगतान जब्त समझा जाए। परिषद् के महासचिव ने बताया (अगस्त 1994) कि दो अधिकारियों के एक दल ने फर्म से सितम्बर 1992 में बातचीत की तथा यह सहमति हुई थी कि फर्म तथा परिषद के दावों तथा प्रतिदावों पर पहुंचने के लिए मशीनरी के मेहताना मूल्य से सम्बंधित प्रलेख फर्म आपूरित करेगी। जुलाई 1994 तक ये प्रलेख प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिषद खुले बाजार से प्रतिवर्ष औसतन 3 लाख से भी अधिक के मूल्य की पोषक वस्तुएं उपार्जित कर रही है।

इस प्रकार कार्य को संस्वीकृति देने/सौंपने से पूर्व परियोजना की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने में विभाग/परिषद की विफलता के परिणामस्वरुप 6 लाख रु० का निष्फल व्यय हुआ तथा इसके अतिरिक्त लाभग्राही उद्दिष्ट लाभों से वंचित रहे।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रापत नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

कृषि विभाग

6.2.8 11 के वी फीडर के निर्माण पर निष्फल व्यय

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अनुरोध पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय को विपुल विद्युदापूर्ति प्रदानार्थ 11 के वी फीडर के निर्माण हेतु फरवरी 1978 में 1.57 लाख रु० का आकलन बनाया। विश्वविद्यालय ने बोर्ड के पास फरवरी 1979 में 1.08 लाख रु० जमा कराये परंतु विश्वविद्यालय ने शेष राशि जमा नहीं कराई तथा इसकी बजाय बोर्ड से अक्तूबर 1979 में यह अनुरोध किया कि वह न्यूनीकृत कार्य क्षेत्र (प्रथम चरण) वाला सशोधित आकलन तैयार करे। तदनुसार 0.95 लाख रु० का आकलन दिसम्बर 1979 में तैयार किया गया जिसके प्रति बोर्ड ने अगस्त 1981 तक 1.03 लाख रु० का व्यय किया। केवल 3.91 किलोमीटर उच्च विद्युतभार लाइन (36 खंभे) के प्रावधान के प्रति 1.75 किलोमीटर विद्युतभार लाइन (20 खम्बे) बिछाई गई। शेष कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय से निधियों की प्राप्ति के अभाव में नहीं हो सका तथा लाईन कार्य-चालन में नहीं है। चूंकि किए गए कार्य से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, बोर्ड ने विश्वविद्यालय के अनुरोध पर कार्य से स्टेज II के निर्माणार्थ सितम्बर

1986 में 2.12 लाख रु0 का अस्थाई आकलन प्रस्तुत किया जिसे जून 1990 में 3.80 लाख रु0 तक संशोधित किया गया।

मार्च 1994 में विश्वविद्यालय के लेखाओं की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि विश्वविद्यालय ने निधियों के अभाव के कारण राशि बोर्ड के पास जमा नहीं करवाई तथा कार्य परित्यक्त अवस्था में पड़ा था। अतः विश्वविद्यालय को विपुल विद्युत आपर्ति हेतु 1.08 लाख रु0 का व्यय सोलह वर्षों की अवधि के उपरान्त भी निष्फल रहा।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

6.3 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, की धारा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

6.3.1 अनुदान

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य हिमाचल प्रदेश रेड-क्रास सोसाईटी शिमला (24.28 लाख रु0) विवेका नन्द चिकित्सा शिक्षा खण्ड अनुसंधान ट्रस्ट शिमला (150.00 लाख रु0) तथा मशीनरी लेपरोसी होम एण्ड हास्पीटल पालमपुर (1.25 लाख रु0) नामक तीन संस्थानों को कुल 175.53 लाख रु0 के अनुदान संस्वीकृत किए।

संस्वीकृति अधिकारी के अभिलेखों की मई-जून 1994 में की गई लेखापरीक्षा से नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य पाए गए:-

(i) हिमाचल प्रदेश रेड क्रास सोसाईटी शिमला, विवेकानन्द चिकित्सा शिक्षा खण्ड अनुसंधान ट्रस्ट शिमला तथा मिशनरी लेपरोसी होम हास्पीटल पालमपुर को सहायता अनुदान विनियमन हेतु नियम जून 1994 तक नहीं बनाए गए थे तथा इन संस्थानों को अनुदान केवल तदर्थ आधार पर निस्तारित किए जा रहे थे।

(ii) 117.53 लाख रु0 के प्रयुक्तता प्रमाण पत्र जून 1994 तक विभाग को देय थे। प्रमाण पत्रों की प्राप्ति में विलम्ब 2 से 38 मास के मध्य था।

(iii) वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित लेखाओं की लेखा परीक्षित विवरणियां संस्वीकृति अधिकारी को पुनः अनुदान संस्वीकृति से पूर्व, सहायता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त हो जानी चाहिए तथापि यह पाया गया कि विभाग द्वारा 175.53 लाख रु0 के अनुदान

पूर्ववर्ती वर्ष की लेखापरीक्षित विवरणियों की प्राप्ति से पूर्व निस्तारित किए गए थे जिनकी विवरणियां अभी भी प्रतीक्षित थी (जून 1994)।

(iv) आवधिक निरीक्षणों या प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया था कि अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया गया जिसके लिए अनुदान संस्वीकृत किए गए थे।

(v) विभाग ने प्रदत्त अनुदानों में से अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा पूर्णतः या अंशतः सृजित परिसम्पत्तियों का अभिलेख तैयार नहीं किया था।

(vi) वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि अनुदान संस्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में अनुदान का प्रयोजन स्पष्टतः विनिर्दिष्ट होना चाहिए तथापि पाया गया कि विभाग ने वर्ष 1992-93 के दौरान विशिष्ट प्रयोजन इंगित किए बिना विवेकानन्द चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान ट्रस्ट, शिमला को कुल 100 लाख रु० के दो अनुदान संस्वीकृत किए। इन अनुदानों के लिए अनुदानग्राही संस्थाओं के आवेदन पत्र अभिलेख में मौजूद नहीं थे।

(vii) वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि अनुदानग्राही संस्थाएं अनुदानों की उन्मुक्ति से पूर्व बन्धपत्र निष्पादित कर लें लेकिन सरकार के हित की रक्षा में विभाग ने उपर्युक्त् किसी भी अनुदानग्राही संस्था से अनुदानों के भुगतान से पूर्व बन्धपत्र प्राप्त नहीं किए।

(viii) लेखापरीक्षित अवधि के लिए विभाग ने दोहरे भुगतान से बचने तथा संहिता सम्बन्धी विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति पर निगाह रखने के लिए विहित अनुदान रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया था।

यह मामला जुलाई 1994 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्रापत नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग

6.3.2 अनुदान

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग ने वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य तीन संस्थाओं अर्थात् राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमाचल प्रदेश, शिमला (179.21 लाख रु०), राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, शिमला (115.80 लाख रु०) तथा हिम ऊर्जा, शिमला (615.40 लाख रु०) को कुल 910.41 लाख रु० का अनुदान संस्वीकृत किया।

विभाग के अभिलेख की जून 1994 में नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

(i) राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, शिमला राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, शिमला तथा हिम ऊर्जा, शिमला को सहायता अनुदान के भुगतान को विनियमित करने वाले नियम जून 1994 तक नहीं बनाए गए थे और इन संस्थाओं को अनुदान तदर्थ आधार पर दिए गए।

(ii) वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि पुनः अनुदान संस्वीकृत करने से पूर्व संस्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ता संस्थाओं से गत वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणियां प्राप्त कर ली जानी चाहिए लेकिन यह पाया गया कि विभाग ने गत वर्षों की लेखापरीक्षित विवरणियों के प्राप्त किए बिना ही वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक 910.41 लाख रु० के अनुदान दे दिए जबकि ये विवरणियां अभी भी (जून 1994) प्रतीक्षित थीं।

(iii) संस्वीकृति प्राधिकारी ने प्रदत्त अनुदानों में से अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा पूर्णतः या अंशतः सृजित परिसम्पत्तियों का अभिलेख तैयार नहीं किया था।

(iv) विभाग ने किसी भी वर्ष दोहरे भुगतान से बचने तथा संहिता सम्बन्धी विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति पर निगाह रखने के लिए विहित अनुदान रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया था।

(v) वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि अनुदान संस्वीकृति करने वाले प्रत्येक आदेश में अनुदान का प्रयोजन स्पष्टतः विनिर्दिष्ट होना चाहिए लेकिन यह पाया गया कि वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य विशिष्ट प्रयोजन बताए बिना राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद को कुल 167.54 लाख रु० के अनुदान संस्वीकृत किए गए।

(vi) हिमऊर्जा, शिमला को वर्ष 1992-93 (125.92 लाख रु०) तथा 1993-94 (92.25 लाख रु०) के दौरान संस्वीकृत 218.17 लाख रु० के अनुदानों के लिए अनुदानग्राही संगठन ने केवल अस्थाई प्रयुक्ति प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत किए जो कि नियमाधीन नहीं है। अन्तिम प्रयुक्ति प्रमाणपत्र न तो उपलब्ध करवाए गए और न ही विभाग ने मांगे।

यह मामला जुलाई 1994 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 1994)।

6.4 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, की धारा 19 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

उद्योग विभाग

6.4.1 हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला

ग्रामीण एवं अर्धग्रामीण जनता की दशा को सुधारने व संवारने तथा स्थानीय कच्चे माल के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से हि0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हि0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन जनवरी 1968 में किया गया था। जनवरी से मई 1993 तक तथा मई 1994 में बोर्ड के अभिलेख की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

6.4.2 ऋणों व अनुदानों की अनियमित संस्वीकृति

बोर्ड खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी निधि में से ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत गठित इकाइयों को ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाता है। ये ऋण व अनुदान संस्वीकृति में निर्धारित ऐसी अन्य शर्तों के आधार पर लाभग्राहियों को व्यवहार्य परियोजनाएं गठित करने के लिए संस्वीकृत किए जाते हैं। नमूना जांच के दौरान पाया गया कि ऋण व अनुदानों की संस्वीकृति हेतु मामले के प्रक्रियान्वयन के समय अपेक्षित मूल्यांकन व संवितरणोपरान्त जांच नहीं की गयी जैसे कि नीचे विवेचित है:-

(क) बोर्ड ने लघु साबुन उद्योग समिति, मण्डी द्वारा चलायी जा रही तीन इकाईयों को कुल 7.49 लाख रु0 का ऋण व अनुदान संस्वीकृत किया जैसे कि नीचे इंगित है:-

क्रमांक	इकाई का नाम	संस्वीकृत राशि			संस्वीकृति तिथि
		पूंजीगत व्यय के लिए	ऋण कार्यचालन पूंजी के लिए	अनुदान	
		(लाख रुपए)			
1.	प्रसाधन साबुन	1.50	1.50	0.05	जनवरी 1982
	आधारित इकाई		--	--	जनवरी 1985
2.	प्रसाधन साबुन इकाई	1.45	1.00	0.04	सितम्बर 1983
					नवम्बर 1985
3.	धुलाई साबुन इकाई	0.70	--	--	मार्च 1985
4.	उपर्युक्त सभी इकाईयो को	--	1.25	--	जनवरी 1987
		3.65	3.75	0.09	

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

(i) ऐसी इकाइयों के वित्त पोषणार्थ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अनुदेशों और सहायता पद्धति के अनुसार इन इकाइयों के संयुक्त कार्यचालन का समुचित निर्धारण नहीं किया गया था।

(ii) भूमि व कार्यशाला क्षेत्र के पट्टा विलेख की अवधि सहायता पद्धति के अनुसार नहीं थी।

(iii) मूल इकाई के लिए ऋण व अनुदान मार्च 1982 में दिया गया था लेकिन मूल इकाई के लिए बोर्ड द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली मशीनरी दो वर्ष से भी अधिक विलम्ब के पश्चात् जून 1984 में प्राप्त की गयी।

(iv) मूल इकाई के उत्पादों की खपत करने वाली प्रसाधन साबुन इकाई के कार्यारम्भ से पूर्व मूल इकाई को जनवरी 1985 में 1.50 लाख रु० का कार्यचालन पूंजी ऋण दिया गया।

(v) धुलाई इकाई के गठन हेतु ऋण मूल इकाई के कार्यारम्भ तथा प्रसाधन साबुन इकाई के लिए मशीनरी की प्राप्ति से पूर्व दिया गया।

ये इकाइयां अगस्त 1985 व जनवरी 1987 के मध्य उत्पादन में लगी तथापि धन की प्रयुक्ति व उत्पादन की प्रगति पर निगाह रखने के लिए बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा संवितरणोपरान्त निरीक्षण नहीं किए गए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक (साबुन), बम्बई ने अपने प्रतिवेदन (अदिनांकित) में सूचित किया कि कोई भी इकाई कार्य नहीं कर रही थी, कोई साबुन तैयार नहीं किया जा रहा था, समिति के पास कोई प्रशिक्षित कार्मिक नहीं थे और पात्रों के लिए शालिकाओं का निर्माण नहीं किया गया था। बोर्ड द्वारा इस प्रतिवेदन के आधार पर बीमार इकायों के बीमार होने का पता लगाने के लिए तुरन्त ही सर्वेक्षण नहीं करवाया गया। बोर्ड ने मार्च व नवम्बर 1989 में ऋण वापिस मांगा। पार्टी ने ऋण चुकता नहीं किया और यह मामला जनवरी 1992 में भू-राजस्व की बकाया राशियों के रुप में वसूली हेतु समाहर्त्ता को प्रेषित किया गया तथा नवम्बर 1992 में केवल 0.03 लाख रु० वसूल किए गए। अप्रैल 1994 तक (मार्च 1994 तक) 7.46 लाख रु० के ऋण व अनुदान तथा 5 लाख रु० के ब्याज की शीघ्र वसूली हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

(ख) सिरमौर जिला में एक इकाई को अगस्त 1979 में 0.91 लाख रु० का ऋण व 0.04 लाख रु० का अनुदान संस्वीकृत किया गया तथा इसे नवम्बर 1979 से अगस्त 1980 के दौरान दिया गया। ऋण संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी ने "ग" प्रकार की कुटीर माचिस इकाई के गठन हेतु निधि देने से पूर्व इस इकाई में प्रयोगार्थ अपेक्षित पौटाशियम क्लोराइड तथा सल्फर जैसे माल के भण्डारण हेतु ऋणी के पास विस्फोटक सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेन्स के लिए

मई 1980 में आवेदन किया लेकिन वह इसे प्राप्त करने में विफल रहा। ऋण की चुकौती नवम्बर 1981 में देय हो गयी लेकिन ऋणी ने इसका भुगतान नहीं कया। यद्यपि ऋणी शुरू से ही दोषी रहा लेकिन बोर्ड ने 10 साल बाद वसूली हेतु मामला जून 1992 में जिला समाहर्ता, नाहन को प्रेषित किया। फर्म ने नवम्बर 1992 में इस आधार पर उच्च न्यायालय से वसूली का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया कि कच्चे माल के भण्डारण हेतु लाईसेंस के अभाव में उत्पादन आरम्भ नहीं किया जा सका। यह मामला अप्रैल 1994 तक उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा था। इस प्रकार बोर्ड ने 0.95 लाख रु0 की निधियां अवरुद्ध कर दी थी। अप्रैल 1994 तक 1.17 लाख रु0 का ब्याज भी (मार्च 1994 तक) देय हो गया था।

(ग) बोर्ड ने सितम्बर 1983 में कत्था विनिर्माण संघ को 0.05 लाख रु0 का अनुदान व 1.40 लाख रु0 का ऋण संस्वीकृत किया। यह सम्पूर्ण राशि यह सुनिश्चित किए बिना दे दी गयी कि कत्था विनिर्माण में प्रयुक्त खैर वृक्षों को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। वृक्ष काटने की अनुमति के अभाव में यह इकाई उत्पादन शुरु नहीं कर सकी। यह मामला वसूली हेतु सितम्बर 1989 में जिला समाहर्ता, ऊना को भेजा गया था। लेकिन उसने इसे मार्च 1990 में आयुक्त, शिमला से वसूली न होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु वापिस कर दिया। 1.45 लाख रु0 का ऋण तथा 1.37 लाख रु0 का बयाज (मार्च 1994 तक) अप्रैल 1994 तक वसूल नहीं हुआ।

(घ) बोर्ड ने ऊना जिला में माचिस उद्योग स्थापित करने के लिए एक संघ को सितम्बर 1983 में 0.04 लाख रु0 का अनुदान व 0.91 लाख रु0 का ऋण संस्वीकृत किया। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जून 1988 में 0.50 लाख रु0 की राशि वसूली हेतु अतिदेय होने पर क्षेत्र अधिकारी ने यह सिद्ध करने के लिए संघ को रसीद आदि उपलबध करवाने के लिए कहा कि धनराशि उसी प्रयोजन पर प्रयुक्त की गई जिसके लिए वह संस्वीकृत की गयी थी। संघ ने न तो आवश्यक दस्तावेज/प्रयुक्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए और न ही अतिदेय किस्तें चुकता की शास्तिक ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि चुकता करने के लिए ऋणी को अगस्त 1988 में नोटिस दिया गया। अन्ततः मामला अप्रैल 1992 में भू-राजस्व की बकाया राशियों के रुप में वसूली हेतु जिला समाहर्त्ता, कांगड़ा को प्रेषित किया गया। परिणामतः अप्रैल 1994 तक 0.95 लाख रु0 तथा 0.90 लाख रु0 (मार्च 1994 तक) के ऋण व अनुदान की वसूली नहीं हुई।

6.4.3 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों के लिए विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण व अनुदान

ऊना जिला खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (आयोग) द्वारा देश में क्षेत्र विकास को तेज करने हेतु चयनित 14 जिलों में से था।

वर्ष 1989-90 के दौरान 400 व्यक्तियों को तन्तु उद्योग में तथा 200 व्यक्तियों को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों सहित 11 व्यवसायों में 4070 इकाईयों को 113.30 लाख रु0 का ऋण व 43.64 लाख रु0 का अनुदान संवितरणार्थ प्रस्तावित था। इस स्कीम के

अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन सहायता हेतु अभिज्ञात परिवारों को ही शामिल किया जाना था और बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक रुप से अपनी निधि से निस्तारित अनुदानों की प्रतिपूर्ति हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की गारण्टी एक पूर्वशर्त थी। आयोग ने मधुमक्खी पालन में 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित छः व्यवसायों में 1145 ऋणियों को 16.28 लाख रु० अनुदानस्वरुप तथा 50.35 लाख रु० ऋणस्वरुप आबंटित किए (अक्तूबर 1989)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 1989-90 के लिए आबंटित निधि के प्रति बोर्ड ने 235 लाभग्राहियों को केवल 6.05 लाख रु० अनुदानस्वरुप व 10.98 लाख रु० ऋणस्वरुप संवितरित किए थे।

जून 1990 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रेषित 6.74 लाख रु० का प्रतिपूर्ति दावा सितम्बर 1992 में 4.88 लाख रु० के लिए स्वीकार किया गया क्योंकि यही राशि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा संवितरित सत्यापित की गई थी। यद्यपि यह राशि बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का प्रत्यर्पण थी लेकिन अधिशासी अधिकारी ने सितम्बर 1992 में यह राशि आयोग को प्रेषित कर दी जिसके कारण अभिलेख में मौजूद नहीं थे। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुवर्ती वर्षों में निधियां निस्तारित नहीं की गई क्योंकि बोर्ड ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की वचनबद्धता प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

बोर्ड ने समुचित प्रयुक्ति व इकाईयों के अस्तित्व में होने को सुनिश्चित करने के लिए संवितरणोपरान्त संदर्शन विनियमित नहीं किए। आयोग ने आठ इकाईयों के ऐसे निरीक्षण किए और बोर्ड को अगस्त 1992 में सूचित किया कि लाभग्राही या तो कार्यरत नहीं थे या फिर उनके पास आवश्यक उपस्कर नहीं थे। आयोग ने सभी इकाईयों के निरीक्षण, अस्तित्व में न रही इकाईयों के ऋणियों से ऋण/अनुदान की वसूली तथा निधि वितरणार्थ जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का सुझाव दिया। क्षेत्र अधिकारी, ऊना को नवम्बर 1992 में 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। अप्रैल 1994 तक न तो उससे रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न बोर्ड ने ही कोई आगामी कार्रवाई की है।

6.4.4 उपकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण व अनुदान का अनियमित संवितरण

1986-87 तथा 1989-90 वर्षों में बोर्ड ने आयोग द्वारा प्रायोजित "उपकरण स्कीम" के अन्तर्गत 259 ऋणियों को 8.29 लाख रु० ऋणस्वरुप तथा 1.55 लाख रु० अनुदानस्वरुप निस्तारित किए। इस स्कीम में कुम्हार का चाक, तेल के कोल्हू आदि उपकरण दिए जाने थे तथा लाभग्राहियों को कोई नकद भुगतान निस्तारित नहीं किया जाना था लेकिन बोर्ड ने आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन करके ऋणियों को सम्पूर्ण राशि नकद दे दी। परिणामतः आयोग से प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने 31 मार्च 1993 तक चुकौती हेतु देय 9.84 लाख रु० की राशि के प्रति केवल 0.93 लाख रु० (ऋण: 0.73 लाख रु० तथा अनुदान: 0.20 लाख रु०) ही

वसूल किए। बोर्ड ने लाभग्राहियों को निस्तारित ऋण अनुदानों की समुचित प्रयुक्ति सुनिश्चित नहीं की।

6.4.5 राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश

बोर्ड ने बचत पत्र खरीदने में न्यासों की पात्रता सुनिश्चित किए बिना राष्ट्रीय बचत पत्रों के छठे निर्गम के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि अध्यक्ष के नाम से मार्च 1984 में शिमला डाकघर से 12 लाख रु० के बचत पत्र खरीदे। डाक प्राधिकारियों ने सितम्बर 1984 में सूचित किया कि बोर्ड इस निर्गम के पत्र खरीदने का पात्र नहीं था तथा उन्होंने शीघ्र इनके नकदीकरण करने का अनुरोध किया। बोर्ड ने इसके बदले में डाक प्राधिकारियों से इस निवेश को सातवें निर्गम में परिवर्तित करने का अनुरोध किया (अक्तूबर 1984)। डाक प्राधिकारियों ने इस विशेष उल्लेख के साथ अनुरोध स्वीकार का लिया कि सातवें निर्गम की क्रय तिथि छठे निर्गम में मूल निवेश तिथि से ली जानी चाहिए लेकिन बोर्ड इस परिवर्तन पर सहमत नहीं हुआ जबकि स्वयं बोर्ड ने ही इस तर्क पर इस आशय का अनुरोध किया था कि बोर्ड अंशदायी भविष्य निधियों पर 11 प्रतिशत ब्याज का भुगतान कर रहा था और सातवें निर्गम से केवल 6.5 प्रतिशत ब्याज अर्जित होगा जिससे 5 से 7 लाख रु० का नुकसान होगा। वस्तुतः उस समय की जमाराशियों पर 6.5 प्रतिशत दर साधारण ब्याज की दर थी और सातवें निर्गम पर तो 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज था। इस प्रकार बोर्ड ने परिवर्तन स्वीकार करने की बजाय 1987 से 1990 वर्षों तक छठे निर्गम में नियमित निवेश प्राप्त करने हेतु डाक प्राधिकारियों के साथ मामला अनुसरित किया। बोर्ड का अनुरोध अप्रैल 1991 में मान लिया गया। जिसके कारण मार्च 1990 में देय परिपक्व राशि के भुगतान (अगस्त 1991) में 16 महीनों की देरी हुई। इसके फलस्वरुप निधियों (24.18 लाख रु०) की परिपक्व राशि पर निवल हानि 3.77 लाख रु० संगणित की गई।

6.4.6 कालातीत/कटौती दावे

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग प्रतिवर्ष 90 दिन की अवधि के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय के लिए बोर्ड को छूट देता है। कटौती दावे, प्रमाण-पत्र के साथ वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छः महीनों के अंदर आयोग को जमा कराने वांछित है। बोर्ड ने दिसम्बर 1983 में प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया तथापि वांछित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया क्योंकि आयोग द्वारा 1976 में किए गये लेखापरीक्षा के उत्तर भेजे नहीं गये थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अन्तिम उत्तर अगस्त 1987 में भेजे गये तथा प्रमाणपत्र फरवरी 1988 में जारी किया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर न देने के कारण 1982-83 से 1987-88 की अवधि से सम्बन्धित 24.79 लाख रु० के दावे कालातीत हो गये तथा

अप्रैल 1994 तक कमीशन द्वारा स्वीकार नहीं किए थे। इसी तरह प्रदर्शनी लगाने की पूर्व स्वीकृति न लेने के कारण 1980-81 ये 1983-84 तक की अवधि के 0.20 लाख रु० के बोर्ड के कटौती दावे अप्रैल 1994 तक निपटाए नहीं गये थे।

6.4.7 टाट-पट्टी का उत्पादन

भण्डार नियंत्रक हिमाचल प्रदेश, द्वारा 70 रु० प्रति टुकड़े की दर से टाट-पट्टी की आपूर्ति के लिए नवम्बर 1990 में दर संविदा बोर्ड के पक्ष में स्वीकृत की। बोर्ड द्वारा उद्घृत दर, 123.45 रु० प्रति टाट-पट्टी के वास्तविक मूल्य से 53.45 रु० कम थी। टाट-पट्टी की कम मूल्यों पर आपूर्ति से हानि को आयोग द्वारा इस वस्तु पर 30 प्रतिशत की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा उपदान के द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाना प्रस्तावित था जिसके लिए वे कभी नहीं माने। बोर्ड को 14,398 टाट-पट्टियों की आपूर्ति पर 7.70 लाख रु० की हानि हुई। आयोग को मार्च 1992 में दायर किए गये 5.33 लाख रु० के दावे अप्रैल 1994 तक स्वीकृत नहीं किए गऐ थे।

चूंकि 39,244 टाट-पट्टियों के कुल आदेशों के प्रति केवल 14,398 ही विभाग को आपूरित की जा सकी, अतः बोर्ड द्वारा 4.77 लाख रु० की लागत से खरीदा गया कच्चा माल अप्रयुक्त पड़ा रहा।

6.4.8 उधार बिक्रियों की बकाया वसूली

बोर्ड की मण्डी तथा नूरपुर इकाईयों द्वारा 1985-86 तथा 1991-92 के मध्य खादी आश्रम शिमला (6.36 लाख रु०) तथा हिमाचल खादी मण्डल, कुल्लू (0.75 लाख रु०) की 7.11 लाख रु० की कुल राशि की पशमीना शॉलों का ऊधार विक्रय किया गया। राशि इन पार्टियों के विरुद्ध बकाया थी। इन ईकाईयों द्वारा राशियों को वसूल करने के लिए मार्च 1994 तक कोई भी प्रयत्न नहीं किए थे।

6.4.9 बकाया अग्रिम राशियां

बोर्ड अपने कर्मचारियों तथा फर्मों को अग्रिम निधियां देकर भारी मात्रा में खरीददारियां कर रहा है। इस ने दिये गये अग्रिमों पर नियंत्रण के लिए कोई भी विधि तैयार नहीं की है। सार्वजनिक उपक्रम समिति ने राज्य विधानसभा में अगस्त 1986 में रखे गये अपने 25 वें

प्रतिवेदन में इन अग्रिमों के असमायोजित रहने को गम्भीरता से लिया। समिति ने दिसम्बर 1989 में इस चूक के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा जांच किए जाने को संस्तुत किया। लेकिन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दायित्व निर्धारणार्थ कोई जांच नहीं की गई थी और 1973 तथा 1993 के मध्य कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं को दिए गये अग्रिमों के कारण 31 मार्च 1993 तक 73.97 लाख रु० समायोजन हेतु बकाया पड़े रहे। बोर्ड द्वारा अग्रिमों का वर्षबद्ध ब्यौरा संगणित नहीं किया गया था। कुल 45 लाख रु० के बकाया अग्रिमों का ब्यौरा परिशिष्ट-XIII में दिया गया है।

अग्रिमों की संवीक्षा से यह भी पता चला कि बोर्ड ने अग्रिमों के प्रति क्रयों/व्यय की गई राशियों के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये थे।

इन मुद्दों को सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

(शंकर नारायण)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला:
दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

(सि.जि. सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली:
दिनांक:

परिशिष्ट-III

(पृष्ठ 35 पर परिच्छेद 2.2.6 में संदर्भित)

वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं

व्यय में कमी के रूप में समायोजित बजट तथा वास्तविक वसूलियों के मध्य मुख्य भिन्नताओं का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	अन्तर	
				राशि	प्रतिशतता
		(क रो ड़ रु प ए)			
बजट अनुमानों के प्रति अधिक वसूलियां					
	राजस्व				
1.	10-लोकनिर्माण कार्य	40.58	64.65	24.07	59
2.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	11.24	18.69	7.45	66
3.	31-जनजातीय विकास	5.37	8.89	3.52	66
	पूंजीगत				
4.	11-कृषि	7.17	8.97	1.80	25
बजट अनुमानों के प्रति कम वसूली					
	पूंजीगत				
5.	17-सड़कें और पुल	8.54	6.25	2.29	27

परिशिष्ट-IV

(पृष्ठ 35 पर परिच्छेद 2.2.7 में संदर्भित)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले

I. अप्रयुक्त होने के कारण अविवेकपूर्ण हुए मुख्य पुनर्विनियोजन के मामले

क्रमांक	अनुदान	लेखे के मुख्य/लघु /उप-शीर्ष आदि	उप शीर्ष पर पुन-विनियोजन राशि (लाख रुपए)	पुनर्विनियोजन के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत राशि
1.	2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	2013-800-03	2.41	2.41
2.	7-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	2056-101-02	1.24	1.95
3.	11- कृषि	2401-001-02	1.00	1.45
		2401-108-04	1.70	3.27
		2401-108-08	1.26	1.76
		2401-119-04	40.02	85.02
		2401-800-11	15.00	15.00
4.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4702-102-01	4.36	25.24
5.	16-वन और वन्य प्राणी	2406-109-03	1.22	1.22
		2406-109-04	1.03	1.03
		4406-01-102-01	11.69	23.49
6.	17-सड़के तथा पुल	3054-04-800-04	103.00	103.00
7.	18-आपूर्ति, उद्योग और खनिज	4885-01-190-04	15.00	20.00
8.	19-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-200-16	3.24	3.50
9.	20-ग्रामीण विकास	2505-01-702-01	13.07	44.45
10.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	3452-80-001-01	5.66	36.55
11.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	4215-01-101-01	5.00	11.16
		4215-02-101-01	3.00	20.60
12.	31-जनजातीय विकास	2029-796-06	29.33	34.36
		2059-01-796-03	7.34	7.63
		2059-80-796-01	1.79	6.71
		2059-80-796-02	14.75	15.61
		2505-01-796-03	8.75	8.75
		5054-80-796-02	7.00	11.25

II. अन्य शीर्षों को किए गए मुख्य पुनर्विनियोजन के वे मामले जो निम्नलिखित उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य में परिणत हुए:-

क्रमांक	अनुदान	लेखे के मुख्य/लघु /उप-शीर्ष आदि	उप शीर्ष से पुनर्विनियोजन की राशि	पुनर्विनियोजन के पश्चात आधिक्य की राशि
			(ला ख रु प ए)	
1.	4-सामान्य प्रशासन	3451-101-05	47.98	172.64
2.	8-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	2204-104-01	1.44	15.43
3.	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-01	5.17	9.94
		2210-800-04	8.00	8.10
		2210-107-01	1.60	10.41
		4210-01-110-01	47.12	47.35
		4210-110-01	3.00	3.35
4.	11-कृषि	2401-103-03	1.38	1.57
		2506-102-02	1.05	12.26
		2810-01-103-01	1.50	4.92
5.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2702-80-001-01	4.14	9.35
6.	13-भू एवं जल संरक्षण	2402-102-10	2.86	9.81
7.	14-पशुपालन एवं डेरी विकास	2403-102-08	1.60	7.50
		2403-104-04	1.00	1.00
8.	16-वन एवं वन्य प्राणी	2406-101-07	2.00	6.12
9.	17-सड़कें तथा पुल	3054-04-800-05	4.00	91.73
		3054-04-800-06	2.00	5.18
		5054-80-001-01	2.03	143.33
		5054-80-001-05	1.00	17.29
10.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	2852-800-04	1.25	1.74
11.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	2235-02-102-01	2.00	2.00
12.	20-ग्रामीण विकास	2515-101-02	1.03	10.16
13.	21-सहकारिता	2425-001-02	3.37	5.30
14.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	3452-80-001-02	3.90	32.30
		3452-800-02	3.67	7.64
		3452-800-03	1.05	25.14
15.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2217-80-191-01	20.39	32.79

16.	31-जनजातीय विकास	2053-796-01	1.92	16.31
		2202-02-796-02	33.81	46.82
		2702-80-796-04	3.01	4.09
		3054-05-796-04	1.43	28.88
		4425-796-01	3.57	4.97
		6402-796-01	1.33	1.36
		6801-796-01	6.00	6.00
		6801-796-03	18.00	18.00
		6801-796-06	30.00	30.00

परिशिष्ट-V

(पृष्ठ 36 पर परिच्छेद 2.4 में संदर्भित)

आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

क्रम संख्या	विभाग/ कार्यालय	आहृत राशि (लाख रु0)	आहरण/ प्राप्ति का मास	उद्देश्य	अप्रयुक्त राशि (लाख रु0)	कार्य सम्बन्धी स्थिति
	उद्योग					
1.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, बिलासपुर	50.24	मार्च 1993 तथा जून 1993	औद्योगिक क्षेत्र गोलथाई के विकासार्थ	40.24	कार्य प्रगति पर बताया गया (जुलाई 1994)
2.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सोलन	0.96	जनवरी 1989	जुड़ी कलां व बद्दी में पथ के निर्माणार्थ	0.96	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ने बताया (अगस्त 1994) कि जनता की मांग पर पथ के डिजाइन में परिवर्तन के कारण काम शुरु शुरु नहीं किया गया था जिसके लिए संशोधित आकलन का अनुमोदन अभी तक नहीं किया गया था।
		0.83	अप्रैल 1991	जुड़ी क्षेत्र, बरोटीवाला में में सड़क के निर्माणार्थ	0.83	न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण काम रोक दिया गया (अक्तूबर 1991)।
	शिक्षा					
3.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (कन्या) शिमला	5.00	मार्च 1989	विज्ञान परिसर के निर्माणार्थ	5.00	पर्याप्त निधि के अभाव में जुलाई 1993 तक काम शुरु नहीं हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य ने जुलाई 1994 में बताया कि अब काम शुरु किया जाएगा क्योंकि 20 लाख रु0 की अपेक्षित निधियां मार्च 1994 में लोकनिर्माण विभाग द्वारा आहृत कर ली गई थी।
4.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कुल्लू	1.00	मार्च 1990	पुस्तकालय भवन के निर्माणार्थ	1.00	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समतुल्य अंश के अभाव में जून 1994 तक काम शुरु नहीं हुआ।
	उद्यान					
5.	जिला उद्यान अधिकारी, मण्डी	0.80	मार्च 1993	पिछड़े क्षेत्रों में नर्सरियां स्थापित करने हेतु	0.80	जिला उद्यान अधिकारी, मण्डी ने जून 1994 में बताया कि लाभग्राहियों द्वारा नर्सरियां उगाने के बाद राशि संवितरित कर दी जाएगी।
6.	जिला उद्यान अधिकारी, सोलन	0.98	मार्च 1993	ड्रिप सिंचाई स्कीम (केन्द्रीय खण्ड) के कार्यान्वयन हेतु	0.92	संहितागत औपचारिकताएं पूरी नहीं हुईं (जनवरी 1994)।
	जोड़	59.81			49.75	

परिशिष्ट-VI

[पृष्ठ 57 पर परिच्छेद 3.3.7 (i) में संदर्भित]

फफूंदनाशकों की मांग व आपूर्ति में असमन्वय दर्शाने वाली विवरणी

फफूंदनाशक का नाम	मांग से अधिक आपूर्ति				मांग से कम आपूर्ति			
	जिला उद्यान अधिकारी का नाम	मांगी गई मात्रा	आपूर्ति मात्रा	अधिक आपूर्ति मात्रा	जिला उद्यान अधिकारी	मांगी गई मात्रा	आपूर्ति मात्रा	कम आपूर्ति
						(मात्रा कि0 ग्रा0)		
		1989-90						
डी0एम0-45	कुल्लू	22,500	37,495	14,995	चम्बा	2,500	2,400	100
कैप्टॉफ	नाहन	----	30	30	कुल्लू	8,000	2,207	5,793
		1991-92						
डी0एम0-45	नाहन	----	200	200	शिमला	70,000	31,697	38,303
					कुल्लू	52,000	30,979	21,021
बैबीस्टॉन	नाहन	----	4	4	कुल्लू	2,000	1,599	401
					चम्बा	1,000	---	1,000
		1992-93						
कैप्टान	शिमला	----	2,500	2,500	कुल्लू	10,000	1,940	8,060
कार्बन्डोगिनू	चम्बा	150	152	2	कुल्लू	1,000	----	1,000
		1993-94						
कैप्टान	शिमला	---	4,400	4,400	चम्बा	2,040	----	2,040

परिशिष्ट-VII

(पृष्ठ 82 पर परिच्छेद 3.22 में सन्दर्भित)

बेकार उपस्कर के ब्यौरे

क्रमांक	विभाग/कार्यालय का नाम	उपस्कर का ब्यौरा	क्रय/प्राप्ति की तिथि	लागत (लाख रुपए)	जब से बेकार पड़ा है	अभ्युक्तियां
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
1.	इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान महाविद्यालय, शिमला	(i)दो सेण्ट्री-2 डायलेसिस मशीनें	दिसम्बर 1991	4.79	दिसम्बर 1991	संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित ये मशीनें मार्च 1992 में प्रतिष्ठापित की गई थीं। ये मशीनें प्रयोग में नहीं लाई जा सकीं क्योंकि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इनके परिचालनार्थ नेफ्रोलॉजिस्ट का पद भरा नहीं जा सका।
		(ii) साधित्रों सहित एमर्सन वेण्टीलेटर	दिसम्बर 1982	0.79	अप्रैल 1991	संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित यह उपस्कर अप्रैल 1991 में खराब हो गया। इसकी मरम्मत का मामला जुलाई 1993 में आपूर्तिकर्ता के ऐपरेटस के निरीक्षण के पश्चात् मरम्मत हेतु सहमत होने तक पत्राचाराधीन रहा। ऐपरेटस की मरम्मत हेतु अक्तूबर 1993 में इन्दिरागांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई संस्वीकृति जनवरी 1994 तक प्रतीक्षित थी।
		(iii) इवोक्ड रिस्पांस आडियोमीटर	अप्रैल 1989	9.79	अप्रैल 1990	संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित यह उपस्कर अप्रैल 1989 में प्रतिष्ठापित किया गया था। यह उपस्कर अप्रैल 1990 में आडियोमेट्री टेक्नीशियन का पद खाली होने के बाद प्रयोग में नहीं लाया जा सका। यह पद उपयुक्त अभ्यर्थी के अभाव में भरा नहीं जा सका।
2.	मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्बा, मण्डी, शिमला, सिरमौर व सोलन	(i) हॉरॉक्स ऐपरेटस	जनवरी 1992	1.23	जनवरी 1992	संयुक्त राष्ट्र परिवार कल्याण परियोजना कार्यकलाप के अन्तर्गत मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा खरीदे गए 632 हॉरॉक्स ऐपरेटसों तथा 90 जल परीक्षण किटों में से केवल 325 हॉरॉक्स ऐपरेटस तथा 43 जल परीक्षण किट ही प्रयोगार्थ जून 1994 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमण्डलों को दिए गए थे।
		(ii) जल परीक्षण किट	-तदैव-	2.41	-तदैव-	शेष 307 हॉरॉक्स ऐपरेटस तथा 47 जल परीक्षण किट मुख्य चिकित्साधिकारियों के पास अप्रयुक्त पड़े थे।

गृह

क्रमांक	विभाग/कार्यालय का नाम	उपस्कर का ब्यौरा	क्रय/प्राप्ति की तिथि	लागत (लाख रुपए)	जब से बेकार पड़ा है	अभ्युक्तियां
3.	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जुन्गा	फोटोकॉपियर मशीन	जुलाई 1986	1.22	मार्च 1987	मरम्मतों के अभाव में यह मशीन बेकार पड़ी थी। पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण से प्राधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जुन्गा द्वारा मशीन की मरम्मत हेतु सितम्बर 1990 में मांगी 0.29 लाख रु० की संस्वीकृति निधियों की अनुपलब्धता के कारण मार्च 1994 तक नहीं दी गई थी।
	जोड़			20.23		

परिशिष्ट-VIII

(पृष्ठ 111 पर परिच्छेद 4.18.4 में सदर्भित)

प्रवर्त्तक व पत्यर्थी मण्डलों की शेष राशियों में अन्तर दर्शाने वाली विवरणी

प्रवर्त्तक मण्डल		प्रत्यर्थी मण्डल		अन्तर (प्रत्यर्थी मण्डल द्वारा कम लिया गया)
नाम	राशि	नाम	राशि	
		(लाख रुपए)		
यान्त्रिक धर्मशाला	25.52	धर्मशाला	15.79	9.73
	10.53	मण्डी-I	0.07	10.46
धर्मशाला	1.39	हमीरपुर	शून्य	1.39
कुल्लू-II	5.63	कुल्लू-I	1.59	4.04
यात्रिक	32.28	कुल्लू-I	13.26	19.02
कुल्लू	33.27	कुल्लू-II	16.42	16.85
	10.35	राष्ट्रीय राजमार्ग पण्डोह	6.34	4.01
	7.14	मण्डी-I	4.72	2.42
	14.47	सरकाघाट	9.88	4.59
	5.97	मण्डी-II	3.34	2.63
मण्डी-I	11.88	मण्डी-II	4.46	7.42
मण्डी-II	8.00	मण्डी-I	6.16	1.84
शिमला-I	2.30	शिमला-III	1.77	0.53
शिमला-II	2.65	शिमला-I	0.38	2.27
	2.15	शिमला-III	0.95	1.20
शिमला-III	2.64	शिमला-I	0.01	2.63
यात्रिक	1.52	रामपुर	0.28	1.24
शिमला	4.65	शिमला-III	0.81	3.84
(ढली)	95.48	ठियोग	27.05	68.43

	19.53	शिमला-II	शून्य	19.53
	1.06	हमीरपुर	0.52	0.54
	1.88	धर्मशाला	0.49	1.39
	37.15	शिमला-I	2.10	35.05
	10.19	कड़क्रम	2.20	7.99
	4.08	काजा	0.01	4.07
		यात्रिक		
	1.5६	कुल्लू	0.39	1.19
ठियोग		यात्रिक		
	1.87	ढली	शून्य	1.87
जोड़	355.16		118.99	236.17

परिशिष्ट-IX

[पृष्ठ 113 पर परिच्छेद 4.19(i) में सन्दर्भित]

वन भूमि पड़ने के कारण रुके सड़क निर्माणकार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	मण्डल का	सड़क निर्माणकार्य का नाम	प्र0/अ0 तथा व्य/संस्वी0 के ब्यौरे मास व वर्ष	राशि (लाख रुपए)	तकनीकी संस्वीकृति के ब्यौरे	पूर्णता हेतु नियतावधि	आरम्भ होने की तिथि	निर्माणकार्य रुकने की तिथि	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)	अभ्युक्तियां
1.	कुल्लू-II	कुल्लू से समलंग मोटर योग्य सड़क (0/0 कि0मी0 से 10/0 कि0मी0)	सितम्बर 1981	अनुपलब्ध	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	1981-82	1983-84	0.69	मामला अप्रैल 1991 में वन विभाग को प्रेषित।
2.	कुल्लू-I	लारजी थाटीवीर सड़क (11 कि0मी0)	अक्तूबर 1981	21.63	प्राप्त नहीं हुए	5 वर्ष	1983-84	दिसम्बर 1992	2.35	
		जिया भरांई (खच्चर व पैदलमार्ग)	जनवरी 1984	0.49	प्राप्त नहीं हुए	नियत नहीं	1978-79	--तदैव--	1.57	मामला वन विभाग के साथ नहीं उठाया गया।
		चिला ऐज चांग मार्ग	दिसम्बर 1979	4.90	प्राप्त नहीं हुए	1 वर्ष	1979-80	--तदैव--	1.45	
3.	ऊना	देवरी सनेड़ सड़क	जुलाई 1981	4.80	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	1981	--तदैव--	8.20	मामला सितम्बर 1993 में वन विभाग को किया गया।
		बनगढ़ ओलिंडा सड़क (10.500 कि0मी0)	सितम्बर 1983	4.84	प्राप्त नहीं हुए	2 वर्ष	सितम्बर 1987	अक्तूबर 1989	1.95	भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु मामले को वन विभाग को प्रेषित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
4.	आऊटर सिराज मण्डल निरमण्ड	5/7 मी0 चौड़ी मोटर योग्य सड़क निरमण्ड अर्सू बागीपुल सराहां जंक्शन से लुरी दलाश खांनग	अगस्त 1988	22.52	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	सितम्बर 1988	मार्च 1992	6.15	

		सड़क जंक्शन तक (16/0 कि0मी0 से 25 कि0मी0) (बागीपुल की तरफ से)								वन वृक्षों को हटाने के लिए भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु मामला पत्राचाराधीन बताया गया (अक्तूबर 1993)।
		5/7 मी0 चौड़ी मोटर योग्य सड़क निरमण्ड अर्सू बागी-पुल सरांहां सड़क जंक्शन तक से लुरी दलाश खानग सड़क जक्शन तक (24/0 कि0 मी0 से 32/0 कि0मी0 तक) (लुरी की तरफ से)	अगस्त 1988	20.22	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	अक्तूबर 1988	फरवरी 1992	2.76	
5.	फतेहपुर	भोगरवां पट्टी-दीनी-भटोली-चौराल सड़क (19 कि0मी0लम्बी)	अगस्त 1984 (संशोधित संस्वीकृति)	26.49 (19 कि0मी0)	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	जुलाई 1979	मार्च 1985	5.92	वन वृक्षों के निपटान हेतु भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु की गई कार्रवाई मण्डलीय अभिलेखों में मौजूद नहीं थी।
6.	सोलन	चैल बंजानी से बीना तक 5/7 कि0मी0 चौड़ी मोटर योग्य सड़क	मार्च 1986	13.34	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	मार्च 1986	दिसम्बर 1989	3.93	संरेखण में पड़े रहे वृक्ष हटाने के लिए भारत सरकार की संस्वीकृति प्रतीक्षित थी।
		ब्लास्म से टिक्कर वाया नागली 5/7 मीटर चौड़ी सड़क (2/0 से 7/0 कि0मी0)	फरवरी 1986	13.04	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	मार्च 1986	मई 1990	2.79	मण्डल ने भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने के मामले पर अभी तक कार्रवाई नहीं की थी (नवम्बर 1993)।
		चैल से टिक्कर सड़क (0/0 से 2/500 कि0मी0)	दिसम्बर 1990	7.80	प्राप्त नहीं हुए	2 वर्ष	जनवरी 1991	नवम्बर 1991	1.91	(नवम्बर 1993)।

7.	धर्मशाला	निहारगलू-जलोट सड़क पर जलोट से सम्पर्क सड़क (जलोट से चौकी X 0/0 से 3/0 कि0मी0)	अगस्त 1980	5.89	अनुपलब्ध	3 वर्ष	दिसम्बर 1980	मार्च 1983	1.09	भारत सरकार से संस्वीकृति प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है (जनवरी 1994)।
8.	देहरा	दुर्गाई सौदा बारी सड़क	अप्रैल 1975	11.22	अनुपलब्ध	1 वर्ष	अप्रैल 1975	अनुपलब्ध	2.81	
		गलु बिलासपुर	मार्च 1986	27.94	अनुपलब्ध	4 वर्ष	सितम्बर 1986	अनुपलब्ध	13.90	
		मासरोवर पीरबींदली सड़क								
		क्राहलु शानला सड़क	जनवरी 1974	9.81						
			मार्च 1982	14.24	अनुपलब्ध	5 वर्ष	अप्रैल 1974	अनुपलब्ध	14.59	
			जनवरी 1982	13.91						
		बनखढ़ी बुर्सा मेंवा सड़क	सितम्बर 1986	18.89	अनुपलब्ध	3 वर्ष	अक्तूबर 1986	अनुपलब्ध	5.97	
		बनखड़ी पैसा सड़क	मार्च 1982	6.43	अनुपलब्ध	4 वर्ष	अप्रैल 1983	अनुपलब्ध	3.62	
		मिंदला शांतला सड़क वाया पनानी सिद्ध	फरवरी 1987	12.09	अनुपलब्ध	3 वर्ष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.94	भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने का मामला नहीं ठठाया गया।
		काशा कोटला से विस्तार घटटी बिलवान सड़क	अगस्त 1981	4.73	अनुपलब्ध	2 वर्ष	जनवरी 1982	अनुपलब्ध	4.59	
		खरोदियन नाहलियन	जनवरी 1985	10.33	अनुपलब्ध	1 वर्ष	अप्रैल 1985	अनुपलब्ध	12.67	
		सेयोरेहाला सड़क	दिसम्बर 1974	24.06	अनुपलब्ध	3 वर्ष	अप्रैल 1985	अनुपलब्ध	7.40	
		कसला कोई रनोहबारी सड़क	सितम्बर 1986	22.03	अनुपलब्ध	6 वर्ष	नवम्बर 1986	अनुपलब्ध	1.45	
		नाहलियन मंझार	अप्रैल 1987	12.10	अनुपलब्ध	6 वर्ष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.01	
		पियान दा घट्टा सड़क								
		मण्डी रिवाल्सर चन्देश	सितम्बर 1985	45.19	अनुपलब्ध	3 वर्ष	फरवरी 1984	अनुपलब्ध	4.63	
		महोटा मसरुम सरकाघाट								
		आलमपुर सड़क								

		श्रुनी हबरोल सड़क	मार्च 1974	17.17	अनुपलब्ध	9 वर्ष	मार्च 1974	1991-92	5.09	
		तिबरवां श्रुनी सड़क	अगस्त 1988	6.82	अनुपलब्ध	2 वर्ष	फरवरी 1989	अनुपलब्ध	2.65	
		गलु स्पैल नंदपुर सड़क	जनवरी 1981	4.75	अनुपलब्ध	6 वर्ष	नवम्बर 1981	अनुपलब्ध	1.80	
9.	चौपाल	कुप्वी घबास सड़क 0/0 कि0मी0 से 55/0 कि0मी0 तक एक मीटर का पटरी कटान	मार्च 1975	0.96	मई 1975 (एक मीटर रास्ता)	3 वर्ष	अप्रैल 1986 (पटरी कटान)	मई 1991	1.41	
		0/0 कि0मी0 से 5/0 कि0 मी0 तक 5/7 मी0 का निर्माण तथा सोलिंग	मार्च 1986	12.47	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	1988-89	मई 1991	3.26	वन विभाग से मामला अप्रैल 1991 में उठाया गया।
				420.90					127.55	

परिशिष्ट-X

[पृष्ठ 113 परिच्छेद 4.19(ii) में संदर्भित]

अपूर्ण निर्माणकार्य दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	सड़क कार्य का नाम	प्र0/अ0 तथा व्य0/स्वी के विवरण		तकनीकी संस्वीकृति के ब्यौरे	पूर्णता की नियत अवधि	प्रारम्भ करने की तिथि	निर्माण कार्य रुकने की तिथि	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)	निर्माण कार्य रोकने के कारण	अभ्युक्तियां
			मास व वर्ष	राशि (लाख रुपए)							
1.	कुल्लू-II	नगर जना सड़क का सुधार	मार्च 1984	8.55	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	1983-84	सितम्बर 1991	10.97	निधियों की अनुपलब्धता	-------
2.	आऊटर सिराज मण्डल, निरमण्ड	झाकड़ी-झुल्लट से सरपारा वाया स्नेज सड़क(12 कि0मी0)	जुलाई 1987	18.66	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	अगस्त 1988	अप्रैल 1989	1.25	डब्लयू बी जे पास सड़क को पूर्ण न करने तथा सतलुज पर पुल निर्माण न करना	पुल का निर्माण कार्य अभी आरम्भ करना है।
3.	हमीरपुर	भगेड़ा से जांदरु 5/7 मीटर चौड़ी सड़क वाया थार टिक्कर (10 कि0 मी0)	मई 1987	26.33	प्राप्त नहीं हुए	5 वर्ष	मार्च 1988	मार्च 1990	3.24	निधियों की अनुपलब्धता	1991-92 में आवंटित निधियां (0.30 लाख रु0) निर्माणकार्य हेतु प्रयुक्त नहीं की गई थीं।
		भोटा कुल सड़क वाया	मार्च 1986	15.58	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	मार्च 1987	मार्च 1991	2.06	सड़क के संरेखण में निजी भूमि पड़ती है जिसका अधि-ग्रहण किया जाना है।	भू-अधिग्रहण की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना अभी जारी होनी तथा भू-स्वामी ने न्यायालय में मामला दर्ज कर दिया है।

4.	रोहडू	खड़ा पत्थर टिक्कर सड़क से शुरुआ	प्राप्त नहीं हुए	--	प्राप्त नहीं हुए	2 वर्ष	1984-85	जून 1992	2.14	निधियों का अनावंटन	----
		वर्तमान जाशलाघाट टिक्कर सड़क (9 कि0मी0) को 5/7 कि0मी0 चौड़ा करना	अगस्त 1978	4.59	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	नवम्बर 1983	दिसम्बर 1987	1.89	सड़क के संरेखण में पड़ने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण न करना	भू-अर्जन का मामला भू-अर्जन अधिकारी से जनवरी 1985 में उठाया गया परन्तु उसके पश्चात अनुसरित नहीं किया गया।
5.	ठियोग	मत्याणा मोहरी सड़क वाया कलजार (17 कि0मी0)	दिसम्बर 1984	9.88	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	दिसम्बर 1984 (कुमारसेन मण्डल द्वारा अप्रैल 1986 में ठियोग मण्डल को हस्तान्तरित)	अक्तूबर 1989	4.34	सड़क के संरेखण में पड़ने वाली निजी दुकान का अधिग्रहण न करना	4 कि0मी0 सड़क में अभी तक 0/0 से 5/0 तथा 14/800 से 16/800 तक के बीच के हिस्से का निष्पादन हुआ।
6.	जुब्बल	गुम्मा से बखोल तक सम्पर्क सड़क (8 कि0मी0)	जुलाई 1987	13.27	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	दिसम्बर 1989	मार्च 1990	1.86	निधियों का अभाव तथा सड़क के संरेखण में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण न करना।	भू-अर्जन की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई (अक्तूबर 1993)।
7.	किल्लार	साचू से उदीन तक 0/0 से 7/0 कि0मी0 जीप योग्य सड़क	मई 1988	8.41	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	अक्तूबर 1988	मार्च 1992 (8/93 तक)	2.67	सड़क के संरेखण में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण न करना	--------
8.	बैजनाथ	पंचरूखी घार मझीण सड़क (5 कि0मी0 (0/0 से 5/0)	मार्च 1988	10.09	अप्रैल 1987	3 वर्ष	नवम्बर 1983	मार्च 1992 (11/93 तक)	5.08	-----तदैव-----	अधिशासी अभियन्ता के दिनांक जनवरी 1994 के उत्तर के अनुसार भू-अर्जन के कागजात निर्माण की प्रक्रीयाधीन थे।

9.	जस्सूर	भंदवार से रीना तथा भनोडू (0/0 से 5/0 कि0मी0) तक 5/7 मीटर चौड़ी सड़क	दिसम्बर 1981	4.72	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	मार्च 1992	जुलाई 1992	2.36	निधियों की अनुपलब्धता से आर डी 3.405 कि0मी0 पर पुल का निर्माण न होना	-------
10.	सरकाघाट	सरकाघाट चमायानु सड़क	जनवरी 1990	0.99	प्राप्त नहीं हुए	अनुपलब्ध	जुलाई 1987	जनवरी 1990	3.23	आर डी 0.395 से 0/483 में सड़क के संरेखण में पड़ने वाली निजी भूमि/घर का अधिग्रहण न करना।	
		वाया लकवानु आर डी 0/0 कि0मी0 से 6/0 कि0मी0	जनवरी 1990	5.81	प्राप्त नहीं हुए	...	...	....	...	....	.....
		अलयाना खड्ड शिवालवाला पर स्टील ट्रस पुल	मई 1983	5.76	प्राप्त नहीं हुए	2 वर्ष	1986-87	जून 1989	1.77	निधियों का अभाव	------
		जोड़		129.64					42.86		

परिशिष्ट - X

[पृष्ठ 114 पर परिच्छेद 4.19 (iii) में सन्दर्भित]

अपूर्ण भवन निर्माण कार्य दशनि वाली विवरणी

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कार्य का नाम	प्र0/अ0 तथा व्यय/स्वी0का संदर्भ		तकनीकी संस्वीकृति का संदर्भ	पूर्णता की नियत अवधि	प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य रुकने की तिथि	अद्यतन व्यय	कार्य रुकने के कारण	अभ्युक्तियां
			तिथि	राशि (लाख रुपये)							
1.	शिमला-I	पीरन में पशु औषधालय का निर्माण	अक्तूबर 1987	1.04	----	1 वर्ष	फरवरी 1988	अप्रैल 1990	1.42	निधियों के अभाव में जलापूर्ति तथा स्वच्छता का प्रतिष्ठापन उपलब्ध करवाया जाना शेष था	भवन का भाग अप्रैल 1990 में पूर्ण कर लिया गया था परन्तु इसे जलापूर्ति तथा स्वच्छता का प्रतिष्ठापन उपलब्ध न करवाए जाने से पशुपालन विभाग को सौंपा नहीं जा सका।
		जुन्गा स्थित विश्राम गृह	फरवरी 1988	9.90	-----	1 वर्ष	जुलाई 1988	मार्च 1992	4.29	निधियों का अभाव	-------
2.	बैजनाथ	तिनबार में सिविल औषधालय भवन	सितम्बर 1987	4.01	प्राप्त नहीं हुए	2 वर्ष	नवम्बर 1988	मार्च 1990	1.15	--तदैव---	निर्माण कार्य निलम्बित कर दिया गया तथा 1991-92 की निधियां (0.35 लाख रु0) रक्कड़ में सिविल चिकित्सालय के शीघ्र निर्माण हेतु व्यपवर्तित कीं।
3.	चिनाब घाटी मण्डल उदयपुर	उदयपुर में खेल स्टेडियम	मार्च 1983	3.35	अभी तक प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1993)	12.26 लाख रु0 संशोधित आकलन (मार्च 1987) के अनुसार कार्य मौसम	मार्च 1986	मार्च 1992	11.05	---तदैव---	--------

4.	कुल्लू-I	कंडीखंडोल में उपकेन्द्र भवन	दिसम्बर 1986	1.70	जून 1987	ज्ञात नहीं	जनवरी 1988	1989-90	0.34	ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ दिया गया	अधिशासी अभियंता करसोग मण्डल द्वारा जुलाई 1992 ठेका निरस्त कर दिया गया परन्तु उसके पश्चात कार्य को पूर्ण करवाने हेतु करसोग मण्डल द्वारा तथा कुल्लू-I मण्डल द्वारा भी, जिसे कार्य 1993-94 में हस्तान्तरित किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई।
5.	बड़सर	धनेड़ में पशु चिकित्सालय	जुलाई 1987	1.15	प्राप्त नहीं हुए	1 वर्ष	फरवरी 1990	अक्तूबर 1990	0.34	निधियों का अभाव	प्लिंथ स्तर तक निर्माण के पश्चात कार्य छोड़ दिया।
6.	धर्मशाला	धर्मशाला में लेखक गृह	अगस्त 1987	8.95	अनुपलब्ध	3 वर्ष	जून 1987	मार्च 1990	0.72	---तदैव---	केवल स्थल विकास कार्य निष्पादित किया।
			जोड़	30.10					19.31		

परिशिष्ट-XII

(पृष्ठ 159 परिच्छेद 6.2.2.13 में संदर्भित)

बेकार उपस्कर के विवरणों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	विभाग का नाम	उपस्कर के विवरण	कार्य प्राप्ति की तिथि	लागत (लाख रुपए)	कब से बेकार है	अभ्युक्तियां
1.	वन-वर्धन कृषि वानिकी	न्यूट्रॉन सॉयल मोयस्चर प्रोब	जनवरी 1992	3.83	जनवरी 1992	जनवरी 1992 में उपस्कर की प्राप्ति के पश्चात यह पाया गया कि मशीन को प्रयोग में लाने हेतु अपेक्षित ऐल्यूमिनियम एक्सैस ट्यूब (लागत : 0.04 लाख रु0) का क्रय नहीं किया गया था। ट्यूबें दिसम्बर 1993 में उपार्जित की गई थीं। परन्तु फर्म का इंजिनियर ने जनवरी 1994 तक मशीन की प्रतिष्ठापना हेतु नहीं आया।
2.	मृदा विज्ञान	--तदैव--	अगस्त 1986	2.15	जुलाई 1992	जुलाई 1992 में मशीन खराब हो गई। वैज्ञानिक ने इसकी मरम्मत करवाने का मामला विभागाध्यक्ष को जनवरी 1993 में प्रतिवेदित किया। परन्तु मशीन की मरम्मत फरवरी 1994 तक नहीं नहीं कराई गई थी।
3.	वृक्ष सुधार	अल्ट्रा सैन्ट्रीफ्यूज	अप्रैल 1989	11.10	जून 1991	मशीन मौलिक विज्ञानों के विभाग के कम्प्यूटर तथा इन्स्ट्रूमैन्टेशन सैन्टर को जून 1991 में बिना स्टेबिलाईजर के स्थानान्तरित की गई थी। स्टैबिलाइजर मार्च 1992 में 0.15 लाख रु0 में खरीदा गया था। विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग से मांग की प्राप्ति न होने के कारण मशीन स्थानान्तरित होने से ही प्रयोग में नहीं लाई गई थी।
4.	मौलिक विज्ञान	जन स्वच्छीकरण प्रणाली	नवम्बर 1992	2.43	अप्रैल 1993	आयातित जल थैलियों के अभाव में उपस्कर बेकार पड़ा था। विभाग ने बताया (फरवरी 1994) कि आपूर्ति आदेश दिया जा रहा है।
5.	मौलिक विज्ञान	उच्च निष्पादन तरल क्रोमोटोग्राफ	मार्च 1990	16.58	अप्रैल 1993	उपस्कर बेकार पड़ा था क्योंकि अतिस्वच्छ जल जलस्वच्छीकरण प्रणाली को बंद करने के कारण उपलब्ध नहीं था।
6.	मौलिक विज्ञान	गैस क्रोमोटोग्राफ	अप्रैल 1991	6.00	अप्रैल 1991	उपस्कर वानीकी तथा उद्यान प्रबन्ध के विभाग से अप्रैल 1991 में प्राप्त किया गया था तथा तभी से उसका प्रयोग नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (फरवरी 1994) कि उपस्कर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि स्टार्टअप किट्स, सिलिंडर आदि उपस्कर के साथ स्थानान्तरित नहीं किए गए थे।
7.	वृक्ष सुधार	जनरेटर सैट	दिसम्बर1989	0.50	दिसम्बर 1989	जनरेटर कक्ष के अनिर्माण के कारण उपस्कर फरवरी 1994 तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट - XIII

(पृष्ठ 173 पर परिच्छेद 6.4.9 में सन्दर्भित)

बकाया पड़ी अग्रिम राशियां

क्रमांक	अप्रैल 1993 को बकाया पड़ी आग्रेम राशि (लाख रुपए)	अग्रिम देने का वर्ष	जिसको अग्रिम राशि दी गई
1.	16.10	1973-74 से 1987-88	तकनीकी प्रबन्धक मण्डी को क्रय हेतु। मार्च 1994 तक केवल 0.41 लाख रु० समायोजित किए जा सके।
2.	12.43	1985-86 से 1990-91	ऊन के क्रय हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को
3.	9.20	1973-74 से 1991-92	बोर्ड के अधिकारियों को क्रय हेतु। 1992-93 में केवल 1.11 लाख रु० समायोजित किए जा सके।
4.	2.64	1973-74 से 1988-89	क्रय हेतु बोर्ड के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी सेवाएं छोड़ दी या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। जो सेवा मुक्त हो गए। प्रत्यावर्तित किए गए। 1992-93 के दौरान 0.13 लाख रु० समायोजित किए जा सके।
5.	1.42	1977-78	लाल वूलन मिल्ज, पानीपत को। 1991-92 में केवल 0.91 लाख रु० समायोजित किए जा सके। अप्रैल 1994 तक शेष राशि की वसूली अभी की जानी थी।
6.	1.22	1979-80 से 1982-83	क्रय आदि हेतु राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए उस अधिकारी को जो जनवरी 1989 में सेवा मुक्त हो गया।
7.	1.00	1974-75	ऊन के क्रय हेतु हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डवैलपमैन्ट कॉर्पोरेशन को
8.	0.66	1987-88	एक चालक को जिससे मार्च 1993 तक केवल 0.23 लाख रु० समायोजित किए जा सके।
9.	0.23	1976 से 1979	दो अधिकारियों को जो क्रमशः 1976 तथा 1980 में दिवंगत हुए।
10.	0.10	1978-79	प्रदर्शनियों में स्टाल स्थापित करने हेतु उद्योग उपनिदेशक को।

हि·प्र·मु·ले·सा·शिमला-5--124/ए·जा·/95--17·2·95--750 प्रतियां

शुद्धिपत्र

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) संख्या 3–हिमाचल प्रदेश सरकार – का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	परिच्छेद	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
(xviii)	22	अन्तिम	9.89	9.86
11	1.7	4	वर्षों	वर्ष
18	1.12.1	4	2केन्द्रीय सरकार कम्पनी	एक केन्द्रीय सरकार कम्पनी
108	4.18.2	तालिका में वर्ष 1991–92 के सामने दूसरे कॉलम में	2870.05××	2870.05×
187	परिशिष्ट–1×	दूसरे कॉलम का शीर्षक	मण्डल का	मण्डल